खण्ड-416, अंक-4
बुधवार, 28 आषाढ़, शक संवत् 1917
(19 जुलाई, 1995 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(विशेष सत्र विधान सभा, तृतीय सत्र 1995)

खण्ड 416 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1995

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य ..	क-ग
प्रश्नोत्तर	1-111
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	112
उत्तराखण्ड के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को नियमित वेतन प्राप्त न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	112
जनपद हरिद्वार के संत भीष्मानन्द सरस्वती की हत्या किये जाने की जांच सी0आई0डी0 द्वारा कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	113
जनपद अल्मोड़ा के ग्राम कुरौली में विद्युतीकरण न किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	113
जिला टिहरी गढ़वाल के कतिपय विकास खण्डों में पेयजल समस्या विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	113-114
पूर्वी उत्तर प्रदेश के नदियों के तलहटी में नील घोड़ों से फसलों की बर्बादी को रोके जाने तथा उक्त क्षेत्र की चकबन्दी कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	114
जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ में अग्निशमन फायर ब्रिगेड सेन्टर खोले जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	114-115
जनपद अल्मोड़ा के बागेश्वर क्षेत्र के कतिपय विकास खण्डों में हैजा के प्रकोप होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	115
नत्थी "ग" के तारांकित प्रश्न । तथे औचित्य के प्रश्नों के संबंध में जानकारी	115-116
पूर्व मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष के माध्यम से धन का दुरुपयोग किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न ..	116-123
सदन में पीठ के प्रति अपमानजनक कथन पर आपत्ति	123-129

विषय	पृष्ठ-संख्या
आटो ट्रैक्टर्स लि0 के छटनी शुदा कर्मचारियों के बारे में शासन का ध्यानाकृष्ट किये जाने पर भी कार्यवाही न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	129-130
औचित्य के प्रश्न की सूचनाओं के संबंध में जानकारी	131-134
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या-2 (सिविल).... (सदन के पटल पर रखा गया)	134
वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे वर्ष 1992-93 उत्तर प्रदेश सरकार .. (सदन के पटल पर रखा गया)	135
उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन.... (सदन के पटल पर रखा गया) ..	135
उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग का वर्ष 1992-93 के कार्यकलापों के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन....(सदन के पटल रखा गया) ..	135
विधान सभा की वर्ष 1995-96 के लिये विभिन्न समितियों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव	135-137
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	137
नेता विरोधी दल की कुर्सी पर बैठने पर आपत्ति ..	137-153
श्री रवीन्द्र शुक्ल द्वारा दिये गये पत्र को जनपद महोबा के एस0एस0पी0 द्वारा फाड़े जाने विषयक विशेषाधिकार हनन के प्रश्न के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	154-155
वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा	155-173
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सूचना	173-174
अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के पिछड़े वर्गों के आरक्षण के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य	174-180
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1995 (पारित)	180-185
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	185-186
नत्थियां	187-200

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 19 जुलाई, 1995

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :--

अखलाख, श्री	मेरठ	चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा
अखिलेश, श्री	महराजगंज	छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	जगराम सिंह, श्री	कानपुर नगर
अनिल कुमार, श्री	सीतापुर	जदुरानी, श्रीमती	हरदोई
अफजाल अन्सारी, श्री	गाजीपुर	जयवीर सिंह भदौरिया, श्री	इटावा
अमर सिंह, श्री	अलीगढ़	जवाहर यादव उर्फ पंडित, श्री	इलाहाबाद
अमर सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ	
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया	पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
अ0 रईस, श्री	सुल्तानपुर	जुगेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
अरविन्द प्रताप सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद	जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
अरिमर्दन सिंह, श्री	हमीरपुर	ज्वाला प्रसाद यादव, श्री	जौनपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर	दरोगा प्रसाद सरोज, श्री	आजमगढ़
अशोक कुमार सिंह चौधरी, श्री	उन्नाव	दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
अशोक बाजपेयी, श्री	हरदोई	दीनानाथ चौधरी, श्री	बलिया
आर0 के0 चौधरी, श्री	इलाहाबाद	दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
इन्द्रपाल सिंह, श्री	इटावा	धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
इश्तियाक अहमद, श्री	बाराबंकी	धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	खीरी
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	नन्द लाल, श्री	सुल्तानपुर
उमाशंकर यादव, श्री	जौनपुर	नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
उर्मिला देवी यादव, श्रीमती	मैनपुरी	निरेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री	खीरी
ऊषा यादव, श्रीमती	एटा	परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर	परशुराम यादव, श्री	फैजाबाद
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर	पारसनाथ यादव, श्री	जौनपुर
ओम प्रकाश गुप्ता, श्री	सीतापुर	पुत्तू सिंह यादव, श्री	शाहजहाँपुर
करन सिंह, श्री	मुरादाबाद	पूर्णमासी देहाती, श्री	देवरिया
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़	प्रताप सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
गजाधर सिंह, श्री	रायबरेली	प्रभा रावत, श्रीमती	गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ	प्रवीण सिंह ऐरन, श्री	बरेली

पीतम सिंह, श्री	देहरादून
पीतम सिंह, श्री	मुरादाबाद
बनवारी सिंह, श्री	बदायूं
बरकत अली खां, श्री	सुल्तानपुर
बरफिया लाल जुवांठा, श्री	उत्तरकाशी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबू खां, श्री	हरदोई
बाबूराम यादव, श्री	मैनपुरी
बाबूराम वर्मा, श्री	बस्ती
बाल चन्द्र मिश्र, श्री	कानपुर नगर
बेनी प्रसाद, श्री	बाराबंकी
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवती प्रसाद सागर, श्री	कानपुर देहात
मंजूर अहमद, श्री	बरेली
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन भइया, श्री	मेरठ
मनोरमा, श्रीमती	कानपुर देहात
मसूद अहमद, डा०	फैजाबाद
महबूब अली, श्री	मुरादाबाद
महराज सिंह यादव, श्री	इटावा
महिपाल सिंह यादव, श्री	बरेली
माया शंकर पाठक, श्री	वाराणसी
मारकण्डेय सिंह, श्री	बलिया
मित्रसेन यादव, श्री	फैजाबाद
मीर अफजल अली उर्फ अच्छे मियां, श्री	बदायूं
मुक्ति नाथ, श्री	देवरिया
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
मुलायम सिंह यादव, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद अरशद खान, श्री	जौनपुर
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहसिन, डा०	गोरखपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
रघुवीर सिंह, श्री	एटा
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
रतन पाल पंवार, श्री	मुजफ्फरनगर
रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
रमेश चन्द्र चंचल, श्री	फिरोजाबाद
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज बहादुर, श्री	गाजीपुर
राजेन्द्र प्रसाद, श्री	लखनऊ
राजेश यादव,श्री	बदायूं
राधेश्याम, श्री	बाराबंकी
राम अधार यादव, श्री	महाराजगंज
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम तेज, श्री	बहराइच
राम दर्शन यादव, श्री	आजमगढ़
राम दास पाल, श्री	कानपुर देहात
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नरेश यादव, श्री	रायबरेली
राम प्रसाद, श्री	बस्ती
राम मूर्ति सिंह, श्री	शाहजहांपुर
राम लखन यादव, श्री	प्रतापगढ़
राम वीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
रामेश्वर दयाल, श्री	मैनपुरी
रिजवान जहीर खां उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
लाज कृष्ण गांधी, श्री	सहारनपुर
लाल बहादुर सिंह, श्री	प्रतापगढ़
वकार अहमद शाह, डा०	बहराइच

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विजय सिंह, श्री	सोनभद्र	श्रीराम यादव, श्री	[illegible]
विजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़	संग्राम सिंह यादव, श्री	बलरा
विनय कुमार पाण्डेय		सतीश कुमार, श्री	बिजनौर
उर्फ बिन्नू, श्री	गोण्डा	सतीश भाटिया, श्री	लखनऊ
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई	सन्त बक्श रावत, श्री	लखनऊ
विश्वनाथ, श्री	देवरिया	सफदर रजा खां, श्री	सुल्तानपुर
वीर अभिमन्यु सिंह, श्री	फतेहपुर	समर पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
वीरेन्द्र मोहन सिंह, श्री	पीलीभीत	समीर भाटी, श्री	गाजियाबाद
वीरेश्वर सिंह उर्फ		सवेराज सिंह, कुंवर	बरेली
वीरेश यादव, श्री	अलीगढ़	सावित्री देवी, श्रीमती	जौनपुर
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच	सियाराम सागर, डा0	बरेली
शराफत यार खां, श्री	बरेली	सुखदेवी, श्रीमती	इटावा
शाकिर, श्री	देवरिया	सुन्दर पाल सिंह, श्री	सीतापुर
शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया	सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात	सुरेश पासी, श्री	प्रतापगढ़
शिव प्रताप यादव, डा0	गोण्डा	स्वामी नाथ, श्री	देवरिया
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर	हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
शिव सागर लाल, डा0	उन्नाव	हरीश कुमार गंगवार, श्री	बरेली
श्याम किशोर यादव, श्री	लखनऊ	हरेन्द्र सिंह, ज्ञानी	रामपुर
श्याम लाल, रावत, श्री	सीतापुर	हाजी मोहम्मद हयात, श्री	मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री बी0 आर0 वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, मैंने नियम 300 में एक सूचना दी है.....

श्री अध्यक्ष-

यह क्वेश्चन आवर है उसके बाद.....

श्री रंगनाथ मिश्र-

मेरी बड़ी अहम सूचना है ।

श्री अध्यक्ष-

अभी आप बैठिये ।

केन्द्र से प्राप्त लेवी चीनी का पर्याप्त न होना

**1.-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार से उपलब्ध होने वाली लेवी चीनी क्या प्रदेश की वर्तमान आवश्यकता हेतु पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो इस दिशा में सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

परिवहन मंत्री (श्री नन्द लाल सिंह पटेल)-

जी नहीं ।

भारत सरकार द्वारा चीनी के वितरण का मानक 425 ग्राम प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार प्रदेश की सम्पूर्ण जनसंख्या के लिये 60,000 मै0 टन चीनी की आवश्यकता प्रतिमाह होती है । भारत सरकार द्वारा प्रदेश को माह मार्च, 1994 तक 55,572 मै0टन चीनी का प्रतिमाह आवंटन दिया जाता रहा है जिसे माह अप्रैल, 1994 से घटाकर 52,926 मै0टन कर दिया गया है जिससे मासिक आवंटन में 2,646 मै0टन चीनी की कटौती हो गई । प्रदेश सरकार को 55,572 मै0टन प्रतिमाह चीनी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में तत्कालीन मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 12-5-94 को माननीय प्रधान मंत्री जी को पत्र भेजा गया है तथा इसी संदर्भ में दिनांक 7-4-94 एवं दिनांक 4-5-94 को तत्कालीन मुख्य मंत्री जी की ओर से पत्र माननीय खाद्य मंत्री

भारत सरकार को भेजा गया । निदेशक शर्करा, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या 3-4/94 एस0सी0-।।, दिनांक 2-8-94 द्वारा यह सूचित किया कि भविष्य में लेवी शुगर के कोटा की वृद्धि हेतु कोई संदर्भ न भेजा जाय क्योंकि देश में चीनी की कमी को देखते हुये वृद्धि सम्भव नहीं है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, यह स्पष्ट है कि प्रदेश में जो सरकारें रही हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या विरोधी दलों की सरकारें, हमेशा केन्द्र सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है और उसके चलते यहां की जनसंख्या के आधार पर जो चीनी की आवश्यकता है, उसको कभी दिया नहीं गया है । अभी जो कम चीनी मिलती रही है, उसमें भी कटौती कर दी गई है और उसके कारण प्रदेश में बहुत ही विषम स्थिति पैदा हो गई है । प्रदेश के अन्दर शादी-विवाह के अवसरों पर जो विशेष चीनी मिलती थी वह भी बन्द हो गई है और इस संबंध में कई पत्राचार मुख्य मंत्री जी ने किये और इस पर अन्त में वहां से यह लिख दिया गया कि अब इस संदर्भ में कोई पत्राचार ही न किया जाय । मैं समझता हूं कि यह बहुत ही निन्दनीय है । अब जो पत्राचार के लिये भी मना कर दिया है तो अब एक ही रास्ता है कि हमारे मुख्य मंत्री जी प्रधान मंत्री से मिलकर इस विषय पर बातें करें, तो क्या प्रदेश की चीनी कोटे में वृद्धि के लिये हमारी मुख्य मंत्री जी इस दिशा में पहल करेंगी ?

श्री नन्द लाल सिंह पटेल-

माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जो जानना चाहा है वह सही है इस दिशा में काफी प्रयास किये गये हैं और निजी सम्पर्क भी किये गये हैं, चीनी समस्या को दूर करने के पूरे प्रयास किये गये हैं ।

श्री सत्य प्रकाश विकल-

मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, जैसा उन्होंने कहा है चीनी की कमी है और जो कम चीनी मिलती थी, उसमें भी इधर 2.646 मी0टन की और कमी कर दी है । उसके बारे में जब तत्कालीन मुख्य मंत्री जी की ओर से लिखा गया तो वहां से मना भी कर दिया गया तो मेरा प्रश्न यह है कि एक वर्ष हो गये उस पत्र को आये और उसके बाद आप चुप्पी लगाकर रह गये, तो क्या चीनी कोटे में वृद्धि के लिये वह केन्द्र सरकार पर कोई प्रभावी दबाव डालेंगे ?

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, जैसा कि चीनी उपलब्ध कराये जाने के लिये मानक है कि प्रति यूनिट इतनी चीनी मिलेगी तो उस हिसाब से प्रदेश की आबादी को देखते हुये कितनी चीनी की आवश्यकता पड़ेगी और इस समय कितनी चीनी उपलब्ध हो पा रही है। सवाल यह है कि कितनी चीनी की आवश्यकता पड़ेगी, और जितनी आवश्यकता पड़ेगी उस चीनी की आपूर्ति के सिलसिले में सरकार प्रयास करने पर विचार कर रही है कि नहीं?

श्री नन्द लाल सिंह पटेल-

माननीय वर्मा जी वरिष्ठ सदस्य हैं और सभी सदस्यों को भी जानकारी होगी कि चीनी की आपूर्ति और चीनी से संबंधित जो भी मामला है, केन्द्र से संबंधित है। इस संबंध में प्रदेश सरकार बराबर प्रयास कर रही है। इस प्रदेश की जनता को चीनी की आवश्यकता प्रति यूनिट के हिसाब से 60 हजार मीट्रिक टन की होगी।

(व्यवधान)

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ऊत्तर उन्होंने चीनी की आवश्यकता के बारे में दिया है वह सम्भवत: जनसंख्या के आधार पर बताया होगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो चीनी की आवश्यकता का आंकड़ा उन्होंने दिया है यह जनसंख्या के पुराने आंकड़े के आधार पर दिया है या वर्तमान जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर। अगर पुराने जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर चीनी की आवश्यकता बताई है तो सबसे पहला कदम प्रदेश सरकार को यह उठाना चाहिये कि केन्द्र सरकार से चीनी की मांग और की जानी चाहिये। सरकार इस संबंध में कोई प्रयास कर चुकी है या भविष्य में करेगी, इसे बताने का कष्ट करें।

श्री नन्द लाल सिंह पटेल-

मान्यवर, 91 में जनसंख्या 13 करोड़ 6 सौ कुछ थी अब अनुमान लगाया गया कि सम्भवत: 14 करोड़ के करीब जनसंख्या होगी। 11 करोड़ के लगभग लोगों को चीनी दी जाती थी और अल्प आयु के लोग जो पांच वर्ष से कम उम्र के हैं 1/2 यूनिट माना जाता था। कुल मिलाकर 11 करोड़ लोगों को चीनी दी जाती थी यानि 70 प्रतिशत लोगों को चीनी दी जाती थी जिसमें से 8 करोड़ 80 लाख देहातों और 2 करोड़ 20 लाख शहरों के लोगों के लिये दी जाती थी।

(कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण अनुपूरक प्रश्न करना चाहता हूं।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल-

मैं आभारी हूं आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

सरकार बढ़ी हुई आवश्कता को ध्यान में रखते हुये क्या कर रही है। क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ेगी ही और आवश्यकता भी बढ़ेगी, तो इसके लिये सरकार क्या कर रही है।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल-

श्रीमन् मैं नीतिगत और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी ने लिखित कहा है चीनी के बारे में कि यह केन्द्र का विषय है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में चीनी के वितरण का दायित्व किसके ऊपर है यदि वितरण का दायित्व उत्तर प्रदेश सरकार का है तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, जनसंख्या के आधार पर फेयर प्राइज शाप्स है उनका क्या मानक है? कृपया उसका मानक बताने की कृपा करें। श्रीमन् जो पत्र है उसको भी सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री राम कुमार शुक्ल-

श्रीमन्, माननीय सदस्य के साथ मेरा भी प्रश्न जोड़ लें हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा चीनी होती है और हिन्दुस्तान में भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चीनी होती है जहां दुनियां में सबसे ज्यादा चीनी होती है वहीं चीनी की कटौती की जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश को केन्द्र सरकार ने दलित समझ लिया है जो सड़ी-गली और झाड़ू बुहारु वाली चीज उत्तर प्रदेश को भेज दी जाये। मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश को सड़ी गली चीनी न दी जाये।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है जगदम्बिका पाल जी के प्रश्न का उत्तर आ गया उस प्रश्न में बोलने की अनुमति दे दी। प्रश्न किया जाता है तो दूसरे माननीय सदस्य का प्रश्न उसमें जोड़ने की परम्परा नहीं है। मैं इस पर व्यवस्था चाहूंगा। दूसरी बात मान्यवर, उत्तर आ जाये शुक्ला जी ने तो भाषण पढ़ना शुरू कर दिया। इस असंसदीय आचरण पर अंकुश लगना चाहिये।

(व्यवधान)

पंचायतीराज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

प्रश्नों के समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है । कई माननीय सदस्यों के प्रश्नों को जोड़कर उत्तर मांगा जा सकता है । प्रश्नों के समय व्यवस्था नहीं होती है यह तो वर्मा जी ने स्वयं सिखाया है ।

श्री राम आसरे वर्मा-

आपके कार्यों का सम्पादन संसदीय कार्य मंत्री कर रहे हैं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

वर्मा जी ने ही सिखाया था कि प्रश्नों के समय व्यवस्था नहीं उठती है ।

श्री राम आसरे वर्मा-

श्रीमन् ऐसा कई बार हुआ है जब आपने कई प्रश्नों को समेकित करके उत्तर मांगा है।

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल सिंह पटेल-

दो हजार प्रति यूनिट पर दुकान दी जाती है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि चीनी का आवंटन केन्द्र सरकार करती है लेकिन वितरण राज्य सरकार करती है यदि सही मानक से वितरित किया जाये तो जनता के कुछ आंसू पोछे जा सकते हैं । आज वितरण व्यवस्था में अव्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, लूट और कालाबाजारी है । इसको रोकने के लिये और वितरण व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिये क्या सरकार के पास कोई योजना है और अगर योजना है तो वह कौन सी योजना है ?

श्री नन्दलाल सिंह पटेल-

माननीय गुप्त जी काफी अनुभवी सदस्य हैं । अगर कोई भी शिकायत किसी जिले या दुकान की हो तो उसकी शिकायत हमारे पास आ जाये उसके लिये हम पूरी कार्यवाही करेंगे ।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

माननीय मंत्री जी के द्वारा दिये गये उत्तर से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि चीनी का वितरण 1991 की जनसंख्या के आधार पर हो रहा है यह 425 प्रति यूनिट मिलती है अगर इसमें 30 से भाग दिया जाये तो 14 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन से

चीनी मिल सकती है। मैं माननीय मंत्री जी यह जानना चाहूंगा कि यह जो 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह का मानक भारत सरकार ने तय किया है तो क्या अन्य प्रदेशों के साथ भी यही मानक है ? या उनके मानक अलग हैं ?

श्री नन्दलाल सिंह पटेल-

अन्य प्रान्तों में क्या निर्धारित किया गया है इसकी जानकारी इस समय नहीं है। कुछ प्रान्त छोटे हैं कुछ की जनसंख्या ज्यादा है लेकिन अगर आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो यह मंगा ली जाये।

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2 पुकारे जाने पर)

(श्री राम प्रसाद टम्टा के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है। यह अच्छी बात नहीं है। मैंने अगला प्रश्न ले लिया है।

प्रदेश में निजी मेडिकल कालेज खोलने का मानक

**2-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में निजी मेडिकल कालेज खोलने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो निजी मेडिकल कालेज खोलने का मानक क्या होगा ? उसकी कब से स्वीकृति जारी होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

जी हां।

मेडिकल कालेज खोलने का मानक मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मानक निर्धारित किया गया है, जो सम्पूर्ण देश में लागू है।

प्रदेश शासन द्वारा निजी मेडिकल कालेज खोलने के सम्बन्ध में आवश्यकता प्रमाण-पत्र दिया जाता है। मेडिकल कालेज खोलने की स्वीकृति मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया की संस्तुति पर भारत सरकार द्वारा दिये जाने का प्राविधान है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में निजी मेडिकल कालेज खोलने के बारे में एम0सी0आई0 के क्या मानक निर्धारित किये गये हैं उनको बता दें और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यकता प्रमाण-पत्र दिया जाता है वह किन परिस्थितियों में दिया जाता है, उसके मानक क्या हैं ?

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया के जो मानक हैं वह मैं बता रहा हूं। दि मेडिकल एजूकेशन इज वन आफ दि मेन आवजेक्टिव्स आफ दि अप्लीकेन्ट ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, सदन की भाषा हिन्दी है। हिन्दी अनुवाद माननीय मंत्री जी बतायें।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, एम0सी0आई0 के जो मानक हैं उसमें कहा गया है कि कालेज खोलने वाले का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा होना चाहिये। आवश्यकता प्रमाण-पत्र संबंधित प्रदेश सरकार का होना चाहिये। कालेज खोलने के लिये आवेदक के पास उपयुक्त भूमि होना चाहिये। मेडिकल कालेज खोलने के लिये जो आवेदन पत्र आयेंगे उन पर विचार के लिये एक समिति का गठन किया गया है इस समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव हैं और यह समिति विचार करके निजी कालेज को खोलने के संबंध में उसका अन्तिम चयन करेगी।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा-

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र के जो आठ जिले हैं उनमें एक भी मेडिकल कालेज नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि शासन पर्वतीय क्षेत्र में मेडिकल कालेज खोलने के लिये अनुदान देने की व्यवस्था करेगी।

श्री अध्यक्ष-

मूल प्रश्न से इसका ताल्लुक नहीं है।

सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मैं एक चिकित्सक हूं, मुझे भी प्रश्न की अनुमति दे दें।

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, इन्होंने एक स्पष्ट सवाल पूछा है कि सरकार निजी या सरकारी मेडिकल कालेज पहाड़ पर खुलवाने पर विचार करेगी या नहीं।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, पहाड़ क्षेत्र के माननीय विधायक ने जो चिन्ता व्यक्त किया है उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई निजी क्षेत्र का प्रस्ताव आया होगा तो विधिमान्य ढंग से उस पर अवश्य विचार करेंगे।

श्री मातवर सिंह कण्डारी-

मान्यवर, जनपद देहरादून में हिमालय ट्रस्ट एक अस्पताल खुला हुआ है

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, जो सवाल है, उससे सम्बन्धित सवाल पूछे ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे निजी मेडिकल कालेज जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है क्या उन्हें सरकार मान्यता देने पर विचार करेगी या फिर ऐसे संस्थान जिनके पास चिकित्सा के क्षेत्र में कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे संस्थानों को बन्द करने की कृपा करेगी, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

यह सवाल नये मेडिकल कालेज खोलने के लिये है।

(व्यवधान)

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि एक तो इसमें डोनेशन की कोई सीमा तय की गई है और दूसरा जो गिरता हुआ स्तर चिकित्सा शिक्षा का है उसको ठीक करने के लिये जो निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज खुलेंगे उन पर सरकार का नियंत्रण क्या रहेगा ?

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, निजी क्षेत्रों में जो मेडिकल कालेज खोले जायेंगे, कई प्रदेशों में इस तरह की स्थिति है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कई रिटें हुईं और उसके हिसाब से एक मानक निर्धारित कर लिया गया कि प्रवेश में एक लाख बीस हजार रुपया डोनेशन लेंगे तो जो आदेश निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है वह हमें भी शिरोधार्य है और उसका यह सरकार पालन करेगी।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, सदन के सामने गलत सूचना आ रही है मैं जानना चाहता हूं कि इस पर सरकार का नियंत्रण क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय डंग जी आप बैठ जायं।

(तारांकित प्रश्न संख्या-। पुकारे जाने पर व्यवधान)

डा0 सरजीत सिंह डंग-

क्या चिकित्सा शिक्षा के गिरते हुये स्तर के लिये कोई मानक तय किया है।

श्री कृष्णवीर सिंह सिरोही-

मान्यवर, इस स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आप बोलने का मौका दें।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

मान्यवर, इस पर चर्चा करा दें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, इस पर चर्चा मंजूर कर लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण बैठे। अगला सवाल बोलने दें और सामान्य चर्चा व अन्य अवसरों पर भी आपको इस पर बोलने का मौका मिलेगा।

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

पूज्य महात्मा गांधी की जयन्ती के सिलसिले में गांधी ग्राम योजना की रूपरेखा

*1.-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूज्य महात्मा गांधी की 125वीं जयन्ती के सिलसिले में उ0प्र0 के कतिपय विकास खण्डों को गांधी ग्राम में परिवर्तित करने का निर्णय हाल में लिया गया है ? यदि हां, तो गांधी ग्राम योजना की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ? अब तक चालू ग्राम्य विकास योजनाओं तथा गांधी ग्राम योजना में क्या अन्तर है ? योजना के अधीन चयनित किये गये विकास खण्डों का आधार तथा मानक क्या है ?

ग्राम्य विकास तथा क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री चैनसुख भारती)-

जी नहीं।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 125वीं जयन्ती समारोह वर्ष भर मनाये जाने के उपलक्ष में प्रदेश के सभी 901 विकास खण्डों में प्रति विकास खण्ड एक-एक गांधी ग्राम का चयन इस आधार पर किया गया है कि संबंधित ग्राम में सर्वाधिक निर्धन निवासी होंगे। इन 901 चयनित गांधी ग्रामों में सभी कार्यक्रम अगस्त, 1995 से लागू किये जाने हैं।

गांधी ग्राम योजना के अन्तर्गत चयन का आधार प्रत्येक विकास खण्ड में एक ग्राम जहां गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सर्वाधिक ही हैं। गांधी ग्राम योजना का अलग से कोई बजट प्राविधान नहीं है तथा इसके अन्तर्गत संबंधित विभागों के बजट से ही सम्पूर्ण कार्यक्रम पर व्यय किया जाता है जब कि ग्राम्य विकास योजनाओं में सामान्यतः अपना बजट प्राविधान है। संबंधित ग्रामों में सभी विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये संचालित कार्यक्रम एकीकृत रूप में संचालित किये जायेंगे।

इस योजना के अन्तर्गत सभी विकास खण्डों, एक-एक ग्राम गांधी ग्राम के रूप में चयनित हैं। किसी विशेष विकास खण्ड के चयन का कोई प्राविधान नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, गांधी जी के पवित्र नाम पर किसी योजना को संचालित करना यह प्रसन्नता की बात है। लेकिन यह जो पूरी योजना सदन के समक्ष रखी गयी है कि एक गांधी ग्राम का चयन किया जायेगा तो इस तरह से तो अनन्त वर्षों तक यह योजना चलती रहेगी। इस योजना के लिये बजट का कोई प्राविधान है नहीं, जो अन्य योजनायें चल रही हैं उसी से काटकर ऐसे ग्राम को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जायेगा।

महात्मा गांधी जी की 125वीं जयन्ती के अवसर पर ग्राम्य विकास का कोई सबल कार्यक्रम बनाना है तो ऐसे चयनित ग्रामों के विकास के लिये क्या अलग से बजट का प्राविधान करने की कृपा करेंगे।

श्री चैनसुख भारती-

मान्यवर, गांधी ग्राम योजना 2 अक्टूबर, 94 से 2 अक्टूबर, 95 के बीच निश्चित है, इस समय जो ग्राम चयनित किये जायेंगे उन्ही के लिये कार्यक्रम आगे चलाया जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, गांवों का चयन तो हो गया सभी सदस्यों को जानकारी हो गई कि उनके ब्लाक के कौन-कौन से, ग्राम चयनित किये गये हैं। ऐसी योजनाओं में कहीं हैण्ड पम्प लगने होंगे कहीं खडंजा लगना होगा, लेकिन बजट का प्राविधान न होने से अन्य कार्यक्रमों का जो पैसा गया है जिला योजना का उसमें पैसा काटकर इस योजना में डाला जायेगा। मैं यह जानना चाह रहा था कि गांधी जी के पवित्र नाम पर कोई योजना चलाना चाह रहे हैं तो बिना बजट के इस योजना का क्या लाभ होगा। अगर कोई रचनात्मक सृजनात्मक काम करना है तो इसके लिये एक-एक गांव का सर्वे कराया जाये और जितना पैसा खर्च करना हो उसका अलग से प्राविधान कर लिया जाये तो वास्तव में उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो क्या मेरे सुझाव पर कि ऐसे गांवों के लिये अलग से बजट दे दिया जायेगा इस पर विचार करेंगे। हो सकता है वित्त विभाग वाले मना कर सकते हैं। लेकिन मेरा आशय यह है कि आपकी नियत इस पर विचार करने वाली है। सरकार मेरे सुझाव पर विचार करने के लिये तैयार है।

श्री चैनसुख भारती-

मान्यवर, गांधी ग्राम के संबंध में अलग से कोई बजट नहीं है जो योजनायें कार्यान्वित हैं उसी से बजट का प्राविधान होगा।

श्री स्वयंवर चौधरी-

मान्यवर, जो प्रश्न उपस्थित है तो जो योजनायें गांव में चल रही हैं ये जो नई योजना है तो इसमें मुझे कोई अन्तर नहीं दिखता जब गांधी ग्राम के लिये अलग से कोई बजट नहीं है तो योजना कैसे चलेगी।

श्री अध्यक्ष-

उसका उत्तर आ गया। उसका अलग से कोई बजट का प्राविधान नहीं है।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

तो क्या ये नाटक किया जा रहा है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर/व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य बैठ जायें, उत्तर आ जाने दें।

श्री राजा राम त्यागी-

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि गांधी ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है, क्या इसके लिये कोई अलग से बजट की व्यवस्था की जा रही है, अगर अलग से बजट नहीं दिया जा रहा है तो उसका नाम रखने से क्या फायदा होगा ?

(शोर/व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य बैठ जायें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री राजाराम त्यागी-

मान्यवर, मंत्री जी यह बता दें कि गांधी ग्राम योजना क्या है ? (शोर/व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि गांधी ग्राम और अम्बेदकर ग्राम में क्या अन्तर है, क्या यह दोनों एक ही तरह की योजना है ?

श्री चैनसुख भारती-

मान्यवर, गांधी ग्राम प्रत्येक विकास खण्ड का वह ग्राम होता है, जहां पर सर्वाधिक परिवार गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, उस ग्राम को गांधी ग्राम के नाम से जाना गया है और जहां पर अनुसूचित जाति की आवादी 50 प्रतिशत से अधिक है, उन गांवों को अम्बेदकर गांव के रूप में जाना जाता है।

(व्यवधान/शोर)

श्री राजा राम त्यागी-

मान्यवर, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि गांधी ग्राम में लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। मान्यवर, उनमें अनुसूचित समाज के लोग भी रहते हैं। मान्यवर, जो सुविधा अम्बेदकर ग्राम को दी जा रही है वही प्राविधान गांधी ग्राम के लिये भी होना चाहिये क्योंकि वहां भी अनुसूचित समाज के लोग रहते हैं।

श्री ऊदल-

मान्यवर, यह जो गांधी जी की 125वीं जयन्ती मनाने की केन्द्र सरकार की योजना है और उसी योजना के तहत गांधी ग्राम योजना लागू की जा रही है क्या प्रदेश सरकार भारत सरकार से पूछेगी कि गांधी ग्राम को लागू करने के लिये वह प्रदेश सरकार को अलग से कोई बजट देगी ?

चैनसुख भारती

वैसे तो जो भी योजना है उसमें धन दिया जायेगा लेकिन माननीय ऊदल जी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं। केन्द्र सरकार यदि अधिक सहयोग करेगी तो अच्छा रहेगा हम केन्द्र सरकार को पत्र लिख देंगे। (व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, सम्पूर्ण राष्ट्र महात्मा गांधी जी की 125वीं जयन्ती मना रहा है। इस समय केन्द्र सरकार ने कई योजनायें घोषित की हैं। कई प्रदेश सरकारों ने भी कई योजनायें घोषित की हैं। उत्तर प्रदेश की जनता आजादी की लड़ाई में सबसे आगे रही है मैं ऊत्तर प्रदेश सरकार से यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को, गांधी जी के नाम पर क्या कोई चलाने के लिये सरकार को बजट रखने में कोई रोक रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि गांधी जी की 125वीं जयन्ती पर गांधी जी के नाम पर कोई योजना चलाने के लिये बजट का प्राविधान रखने में आप क्यों हिचकिचा रहे हैं। इसको रखने में क्या कठिनाई है क्या इसके पीछे यह बात तो नहीं है कि गांधी जी में आपकी आस्था नहीं है।

श्री चैनसुख भारती-

मान्यवर, गांधी ग्राम योजना के अन्तर्गत कोई बजट नहीं है लेकिन केन्द्र सरकार से पैसा आयेगा तो उसको हम देंगे।

(व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, यह सरकार गांधी जी का अपमान कर रही है।

(कांग्रेस के कई एक विधायकों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल-

एक तरफ गांधी ग्राम योजना स्वीकृत हुई दूसरी तरफ बजट नहीं है....

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण यह अच्छी बात नहीं है अब इससे ज्यादा पूछने की इजाजत नहीं दे रहा हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहने के लिये खड़े हुये हैं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमन्, इस सरकार की महात्मा गांधी जी में पूरी आस्था है और यह सरकार मानती है कि महात्मा गांधी जी ने इस देश की आजादी की लड़ाई में काफी संघर्ष किया इसकी वजह से आजादी आई जहां तक इस योजना का सवाल है इस योजना के बाबत बजट में भले ही प्राविधान न हो लेकिन श्रीमन् इस आदरणीय सदन के सभी विधायकगण डी0 आर0 डी0 ए0 के सदस्य होते हैं महात्मा गांधी जी में हमारी आस्था है। डी0 आर0 डी0 ए0 में माननीय सदस्य होते हैं इसलिये मेरा उनसे अनुरोध है कि महात्मा गांधी जी में आस्था रखते हुये उनके नाम से जुड़ी हुई इस योजना से संबंधित

विकास के कामों की तरफ अधिक ध्यान देंगे और वहीं पर गांवों को चिन्हित कर लेंगे। वैसे अभी सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। डी0आर0डी0ए0 की योजना के अन्तर्गत उनके द्वारा चिन्हित गांवों को माननीय सदस्य इस योजना के तहत प्राथमिकता देंगे। ग्राम्य विकास के लिये अलग से बजट है, सड़कों के लिये अलग से बजट है। राज्य सरकार भी कोशिश करेगी कि जो गांव हैं और जिन्हें चिन्हित किया गया है उन्हें हर सम्भव प्राथमिकता दी जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, माननीय सदस्य, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर को सुनने के लिये जिज्ञासु थे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सरकार के बारे में कुछ कहने के बजाय हम लोगों को बहुत ही मूल्यवान सुझाव दिये। हम उनके सुझावों का आदर करेंगे। पिछली सरकार के बारे में तो हम समझते हैं कि उनकी गांधी जी में आस्था न होते हुये भी वह पूज्य बापू जी के नाम पर अपनी राजनैतिक रोटियां सेंक रहे थे। परन्तु वर्तमान सरकार में हमें इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। हम भी पूज्य बापू जी में आस्था रखते हैं और यह मानकर चलते हैं कि जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। पूज्य बापू जी की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह योजना बनाई गई। माननीय श्री ऊदल जी ने भी एक बहुत अच्छा सुझाव दिया कि राज्य सरकार भारत सरकार को लिखे कि वह इस योजना के तहत हमें पैसा दें ताकि भारत सरकार के क्रोकोडाइल आंसू भी सामने आ जायं। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि वह भारत सरकार की घड़ियासू आंसुओं को ओझल करते हुये अपनी तरफ से इस योजना के तहत अलग से बजट प्राविधान कर दें। भले ही वह एक जिले में दो ही गांव लें। दूसरा मैं माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर में सुधार करते हुये कहना चाहता हूं कि गांवों में सर्वे का काम पूरा हो गया है। और माननीय सदस्य भी इस बात को जानते होंगे कि उन्होंने कौन-कौन से गांव चयनित किये हैं। यदि सरकार गांधी जी के नाम पर चलाई गई इस योजना को सही रूप में क्रियान्वित करना चाहती है तो इसके लिये अलग से अपनी तरफ से बजट का प्राविधान करे, नहीं तो यह योजना क्रियान्वित नहीं होगी।

(श्री जगदम्बिका पाल जी के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

माननीय गुप्ता जी ने अपने प्रश्न में सुझाव दिया है तो जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि हमारे जितने विभाग हैं और जो-जो बजट की धनराशि हम उन विभागों में खर्च करेंगे उस समय इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि गांधी जी का जीवन गरीबों की सेवा करने का था तो इस सरकार का भी इरादा यही है जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करते हैं उनके जीवन को पहले ऊपर उठाया जाय हमारा इरादा उनका उन्नयन करना है और उसी के अनुसार गांधी ग्राम की व्यवस्था की गई है। तो बजट खर्च करते समय इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि गांधी ग्राम विकसित करने में बजट का अच्छा हिस्सा उसमें नियोजित हो सके और अलग से इस पर बजट प्राविधान करने की कोई बात नहीं है। क्योंकि सरकार की स्पष्ट नीति है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की उपेक्षा न हो, उन तक भी विकास की किरण पहुंचे। हमारा इरादा केवल सैफाई जैसे एक ही गांव का विकास करने का नहीं है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

पूज्य बापू के नाम पर यह सरकार कुछ नहीं करना चाहती है उनकी 125वीं जयन्ती पर गरीबों के उत्थान के लिये कोई कार्यक्रम नहीं चलाने जा रहे हैं। यह सरकार कोई बजट गांधी जी की 125वीं जयन्ती पर खर्च करने नहीं जा रही है और जिस तरह से उन पर अनास्था यह व्यक्त कर रहे हैं उसके विरोध में हम सदन का त्याग करते हैं।

(कांग्रेस दल के माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, कांग्रेस दल के लोग महात्मा गांधी जी के नाम पर कुछ कह कर चले गये जब कि इधर से बताया जा रहा है कि भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि इस योजनों के लिये कुछ धनराशि अलग से दी जाय जिसमें उनको हमारी मदद करनी चाहिये थी, लेकिन सरकार पर अनरगल आरोप लगाकर वह सदन से चले गये। अगर वह इस योजना में केन्द्र से धन दिलाने में मदद करते तो अच्छा होता।

(कांग्रेस दल के माननीय सदस्य पुनः सदन में वापस आ गये।)

नत्थी "ग" पुकारने पर और माननीय सदस्य के खड़े न होने पर)

श्री प्रमोद तिवारी-

जब तक वहां से रुपया आयेगा यह सरकार नहीं रहेगी। (व्यवधान)

(नत्थी "घ" पुकारने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

माननीय तिवारी जी का कहना है कि वहां के लिये पत्र लिखा भी जायेगा तो 6 साल बाद जवाब आयेगा और तब तक यह सरकार नहीं रहेगी क्योंकि सरकार का कार्यकाल 5 साल का है और वहां से 6 साल में जवाब आयेगा।

(व्यवधान)

श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का क्या हुआ मैं यहां हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने नाम पुकारा था आप खड़े नहीं हुये ।

(व्यवधान)

श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का क्या होगा? मैं खड़ा हूं।

श्री अध्यक्ष-

आगे समय मिलने पर आयेगा। मैंने नत्थी "घ" पुकार लिया है।

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

जनपद फतेहपुर में असिंचित भूमि हेतु व्यक्तिगत नलकूपों को विद्युत कनेक्शन दिये जाने की मांग

*1.-श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि फतेहपुर जिले की 48 प्रतिशत से अधिक भूमि असिंचित है ? क्या सरकार ने आश्वासन दिया है कि तीन वर्ष के अन्दर व्यक्तिगत नलकूपों से इन्हें पूर्ण सिंचित कर दिया जायेगा? यदि हां, तो उसको पूर्ण सिंचित करने के लिये कितने व्यक्तिगत नलकूप लगेंगे ? इस वर्ष सरकार कितने व्यक्तिगत नलकूपों को विद्युत कनेक्शन देने जा रही है ?

श्री चैनसुख भारती-

जी हां।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1994-95 में 200 निजी नलकूपों का उर्जीकरण किया गया ।

वर्ष 1995-96 में 92 नलकूपों के उर्जीकरण का लक्ष्य है।

(बुधवार दिनांक 19 जुलाई, 1995 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

लखनऊ के खुर्शेदबाग में संचालित पुकार पान मसाला फैक्ट्री को बन्द किये जाने की मांग

*1-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान समय में खुर्शेदबाग लखनऊ में पुकार पान मसाला की एक फैक्ट्री संचालित है ? क्या यह सही है कि उक्त पान मसाला सेवन करने से भयानक बीमारियां प्रकाश में आ रही हैं ? यदि हां, तो पान मसाले की जांच कराकर दोषी पाये जाने पर क्या सरकार उचित कार्यवाही करने एवं पान मसाला फैक्ट्री बन्द किये जाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य, चिकित्सा, विज्ञान एवं प्रोद्योग राज्य मंत्री (श्री घूरा राम)-

जी हां ।

जी नहीं ।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नमूना लेकर विधिक कार्यवाही हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम आसरे वर्मा-

माननीय मंत्री जी ने प्रश्न भी पढ़ दिया और उत्तर भी पढ़ दिया इसलिये अब आगे जानने को कुछ नहीं रह गया है ।

आगरा मेडिकल कालेज में पोस्ट-मार्टम हेतु उपलब्ध जीर्ण-शीर्ण भवन की समस्या को हल किये जाने की मांग

*2-श्री उदयभान सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि आगरा मेडिकल कालेज में पोस्टमार्टम हेतु उपलब्ध भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने के कारण वहां लाशों को सुरक्षित रखने का कोई प्रबन्ध न होने के कारण लाशों को कुत्ते खाते हैं ? यदि हां, तो सरकार इस समस्या का कब तक समाधान करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री घूरा राम-

जी हां, मेडिकल कालेज आगरा में पोस्टमार्टम भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है । लाशों को रखने की पूर्ण व्यवस्था है तथा लाशों को कुत्ते नहीं खाते हैं ।

पोस्टमार्टम भवन के जीर्णोद्धार की कार्यवाही प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उदयभान सिंह-

मान्यवर, मैं यह समझता था कि इस सदन में सरकार के स्थानीय अधिकारी सही रिपोर्ट देंगे, किन्तु मंत्री जी के वक्तव्य पर उन अधिकारियों की रिपोर्ट को सुनकर

आश्चर्य होता है, जिन्होंने इतनी गलत रिपोर्ट सरकार को भेजी है । मैं यह कहना चाहता हूं कि आगरा में पोस्टमार्टम की जगह पर कहीं कोई सुरक्षा नहीं है, भवन बिलकुल जीर्ण-शीर्ण हैं, दरवाजे उसके टूटे हुये हैं, लाशों को सुरक्षित रखने के लिये कोई प्राविधान नहीं है । किवाड़ों और विद्युत का वहां सही प्राविधान न होने के कारण चूहे तक लाशों को कुतरते रहते हैं, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह इसका प्रबन्ध कब तक करने जा रहे हैं ? इसके लिये रुपये का प्रबन्ध हो चुका है या नहीं हुआ है ? और यदि हो चुका है तो क्या वह जिला स्तर पर पहुंच चुका है ?

श्री घूरा राम-

जी, मेडिकल कालेज, आगरा के पुराने भवन की मात्र छत जीर्ण-शीर्ण है, किन्तु उसके दीवार और दरवाजे बहुत मजबूत हैं, उसमें कुत्ते नहीं जा सकते हैं ।

श्री उदयभान सिंह-

मंत्री जी का यह कहना है तो अभी मंत्री जी हमारे साथ वहां चलें और वस्तुस्थिति को हमारे सामने अपनी आंखों से चलकर देखें ।

(व्यवधान-आगरा जनपद के कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे ।)

श्री बच्ची सिंह रावत-

वास्तविकता यह है कि वहां पर कोई दरवाजे नाम की चीज ही नहीं है । यहां तक की वहां पर गन्दगी का भारी ढेर है, जिससे आप तो वहां तक पहुंच ही नहीं पायेंगे ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

माननीय सदस्य ने पोस्ट मार्टम भवन के बहुत कमजोर होने पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है, वह मंत्री जी के साथ आज मौके पर जाने को भी तत्पर हैं । प्रश्न के मूल उत्तर के दूसरे पैरा में कह दिया गया कि पोस्टमार्टम भवन के जीर्णोद्धार की कार्यवाही हो रही है और यहां सदन भी चल रहा है, तो इस सत्र के बाद वह वहां पर जाकर देखेंगे तो ठीक रहेगा, तब काम ठीक नहीं पायेंगे....(व्यवधान)।

श्री उदयभान सिंह-

इस संबंध में मैं तो यह कहता हूं कि वहां काम शुरू करने की बात तो बहुत दूर की चीज है, वहां कहां पोस्टमार्टम भवन बने यही अभी तय नहीं है (व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश विकल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में दो बातें स्वीकार की हैं । एक तो यह कि आगरा के मेडिकल कालेज का पोस्टमार्टम भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और

दूसरा यह कि जीर्णोद्धार की कार्यवाही की जायेगी। जो प्रश्न माननीय सदस्य ने किया था कि वहां पर पोस्टमार्टम भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, वहां जो शव रखे जाते हैं, हालत इतनी खराब है कि उसे कुत्ते खा रहे हैं। आपने उत्तर दिया कि भवन की मरम्मत का कार्य हो रहा है। मैं निश्चित जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि वहां पर एक बार नहीं अनेकों बार देखा है कि शव दो-तीन दिन तक पड़े रहते हैं और चूहे कुतर जाते हैं। इस पोस्टमार्टम भवन का उद्धार नहीं हो रहा है। एक प्रश्न यह था कि पोस्टमार्टम भवन किसी दूसरी जगह पर बनाया जाय। क्या आगरा में पोस्टमार्टम भवन किसी दूसरी जगह बनाने की कोई योजना है? यदि हां, तो कहां पर? जिस पोस्टमार्टम भवन के जीर्णोद्धार करने की बात कही गई है, वहां पर एक भी ईंट नहीं लगवाई गई है। वहां पर शवों को पोस्टमार्टम करने के लिये चिकित्सक समय पर नहीं आते हैं। वहां पर लाइट नहीं है, जैनरेटर नहीं हैं। मोमबत्ती जलाकर वहां दिन के अंधेरे में पोस्टमार्टम होता है। मेरा माननीय मंत्री जी यह सवाल है कि वहां पर पोस्टमार्टम भवन के जीर्णोद्धार की क्या योजना है? या तो इस भवन को ठीक करवायें और या फिर नया भवन बनवाया जाय।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमन्, पुरानी जगह पर नया चीरघर बनाये जाने की योजना थी लेकिन क्षेत्रीय निवासियों ने कोर्ट की शरण ले ली और कोर्ट से स्टे हो गया। सरकार ने यह फैसला लिया कि पुराने जीर्ण-शीर्ण भवन को ठीक कराया जायेगा और मान्यवर, जीर्ण का भी उद्धार किया जायेगा। जैसा विकल जी ने वहां पर कमियां बताई हैं कि डाक्टर समय पर नहीं आते हैं, लाइट नहीं है, तमाम कमियों की ओर इस प्रश्न के माध्यम से इशारा किया है को ध्यान में रखा जायेगा और कमियों को दूर किया जायेगा। पोस्टमार्टम भवन के जीर्णोद्धार की कार्यवाही हो रही है। और शीघ्र ही सम्पन्न करा दिया जायेगा। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि और भी जो कमियां दृष्टिगोचर होती हों उन्हें विस्तार से लिखकर दे दें ताकि उन्हें भी दूर किया जा सके।

(प्रश्न संख्या-3 पुकारे जाने पर)

श्री उदयभान सिंह-

मान्यवर, मेरा एक प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आपका उत्तर आ चुका है। मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री उदयभान सिंह-

मान्यवर, मेरा एक प्रश्न है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि वहां पर पोस्टमार्टम भवन के जीर्णोद्धार का कार्य प्रगति पर है और भवन को ठीक बनाया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिले की ओर से, सरकार की ओर से इसके लिये कोई धन की व्यवस्था की गई ? यदि हां, तो कब और कितने धन की व्यवस्था की गई ? यह बता दें, धन की व्यवस्था की गई होगी तब ही तो कार्य प्रगति पर होगा।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमन्, इस प्रकार की रिपेयरिंग के लिये राज्य सरकार अलग से कोई व्यवस्था नहीं करती। जो रिपेयरिंग का धन होता है, उसी से व्यवस्था कर ली जाती है।

(व्यवधान)

श्री उदयभान सिंह-

मान्यवर, वहां पर मानवता के....

श्री अध्यक्ष-

आपका उत्तर आ गया है, अब नहीं। अगला प्रश्न ले रहा हूं।

श्री उदयभान सिंह-

मान्यवर, वहां पर मानवता के आधार पर चन्दा करके मरम्मत कार्य कराया जा रहा है....

सिंचाई दर में वृद्धि के औचित्य की जानकारी

*3-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान सिंचाई दर में कोई वृद्धि की गई है ? उक्त वृद्धि का औचित्य क्या है ?

कारागार होमगार्ड्स एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अकबर अली)-

जी हां।

मूल्यों में वृद्धि, सिंचाई संसाधनों पर बढ़ते हुये संचालन एवं अनुरक्षण की व्यवस्था तथा किसानों को उत्तम सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से सिंचाई दरों में वृद्धि करना आवश्यक था।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, जो पिछली सरकार थी वह इस बात का दम भरती थी कि यह सरकार किसान के हित की है, दलितों की, पिछड़ों की सरकार है और उसने अपने कार्यकाल में सिंचाई की दरों में वृद्धि कर दी जिससे प्रदेश के किसान आन्दोलित हुये। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूर्ववती सरकार ने सिंचाई की दरें बढ़ाई थीं उस वृद्धि को यह सरकार वापस लेने पर विचार करेगी ?

श्री अकबर अली-

मान्यवर, एक अरसे से सिंचाई के संबंध में केन्द्रीय सिंचाई आयोग 1972, राष्ट्रीय जल नीति नवम् वित्त आयोग और समय-समय पर जो भी समितियां बनी उनकी संस्तुति दरें बढ़ाने की थी।

इस संबंध में केन्द्रीय सिंचाई आयोग ने वृद्धि की दरों में 280 प्रतिशत वृद्धि होने की संस्तुति दी थी तथा किसी ने 540 प्रतिशत की संस्तुति दी। कृषि मूल्य में बीज में, खाद में बढ़ोत्तरी हो रही थी और उसको देखते हुये सिंचाई दर का प्रतिशत कम था किसानों को अच्छी सुविधा देने के लिये समय पर पानी उपलब्ध कराने के लिये आवश्यकता थी। किसानों की फसल को ज्यादा बढ़ाया जा सके इसलिये दरों में वृद्धि की गई है। इसको कम करने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित-

पिछली सरकार दिवंगत हो गई इन्होंने दम भरा कि किसानों की सरकार है पिछले समय में वर्तमान समय तक उत्तर प्रदेश में किसानों के खेतों को पानी नहीं पहुंच रहा है। सरकार ने मूल्य वृद्धि कर दिया। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुये जो सिंचाई की दरों में भारी वृद्धि की गई है उसे जनहित में वापस लेने का विचार है या नहीं?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी इसका पहले उत्तर दे चुके हैं।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

मंत्री जी ने जो सिंचाई की दरों में वृद्धि की है वह किसानों को उत्तम सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिये की गई है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उत्तम सिंचाई की व्यवस्था करने के लिये कौन-कौन से प्रभावी कदम उठाये गये हैं और उनके परिणाम क्या रहे हैं?

श्री अकबर अली-

श्रीमन्, उत्तम सिंचाई सुविधा का मतलब यह है कि किसी समय पर यदि कोई कटिंग कर दे नहरों में कटान कर दे, रजबहों को काट दे और सिंचाई न हो रही हो तो उनका रख-रखाव जो धनाभाव के कारण नहीं हो पाता था, यह जो दरें बढ़ेंगी तब सब चीज मौके के अनुसार सही मिलेगी।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

अवैध कटान बढ़ रहे हैं उसमें क्या किया जा रहा है?

(व्यवधान)

श्री बदन सिंह-

सिंचाई की दरें बढ़ा दी गई इसका औचित्य बताया गया सिंचाई के लिये अच्छे साधन अनुरक्षण के लिये दरें बढ़ाई गई हैं। मेरी सूचना है कि किसान बढ़ी हुई दर के कारण अपने खेत में सिंचाई कराने में कंजूसी कर रहा है। कृषि उत्पादन बराबर गिर रहा है। प्रदेश का कृषि उत्पादन जो गिर रहा है उस स्थिति को ध्यान में रखते हुये सरकार दरें कम क्यों नहीं कर पा रही है इसमें क्या कठिनाई है?

(व्यवधान)

श्री अकबर अली-

इस सवाल का उत्तर दो दफा दे चुका हूं इसको फिर माननीय सदस्य ने उठाया है कृषकों को यह क्या देने जा रहे हैं? तो यह पानी नहीं दे रहे हैं कंजूसी कर रहे हैं तो जो भी मूल्य वृद्धि होगी तो वह हिचकिचाएगा यह सही नहीं है बीज का भाव बढ़ा तो वह देगा सबकी दरें बढ़ी हैं, उर्वरक की भी दरें बढ़ी हैं, कीटनाशक के दाम बढ़ गये तो वह डालेंगे ही पानी की अच्छी सुविधा दे रहे हैं तो किसानों को उत्पादन बढ़ाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

अब काफी अनुपूरक सवाल हो गये हैं अब किसी को अनुमति नहीं दी जायेगी।

श्री जगदम्बिका पाल-

इस महत्वपूर्ण सवाल पर जो किसानों से जुड़ा हुआ है आप अनुमति नहीं दे रहे हैं इसलिये मैं और मेरा दल इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन से बहिर्गमन करता है।

(श्री जगदम्बिका पाल और उनके साथ कांग्रेस पार्टी के सदस्य सदन से उठकर चले गये।)

कानपुर महानगर में घरेलू कुकिंग गैस वितरण प्रणाली में सुधार की योजना

*4-श्री सतीश महाना-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में घरेलू कुकिंग गैस वितरण की प्रणाली से जनता परेशान है? यदि हां, तो उसके वितरण के सुधार की क्या योजना है?

श्री नन्दलाल सिंह पटेल-

माह मार्च तथा अप्रैल, 1995 में आई0 ओ0 सी0 वितरकों को विगत वर्ष के सापेक्ष कम सिलेंडरों की आपूर्ति हुई। जिससे प्रश्नगत अवधि में कानपुर महानगर में आई0ओ0सी0 उपभोक्ताओं को कुछ समस्या रही।

मई में गैस की अधिक आपूर्ति प्राप्त हुई, जिससे स्थिति नियंत्रित हो गयी। अब स्थिति सामान्य है। स्थिति पर निरन्तर निगाह रखी जा रही है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विगत वर्ष इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा कितने गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की गई और इस वर्ष कितनी आपूर्ति की गई ? इस वर्ष कितने गैस सिलेंडरों की आवश्यकता थी और उस हिसाब से कितने प्रतिशत की आपूर्ति की गई?

श्री नन्दलाल सिंह पटेल-

कानपुर महानगर में तीन श्रोतों में गैस की आपूर्ति की जाती है। इंडियन आयल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन। इंडियन आयल कारपोरेशन में पिछले वर्ष मार्च में 18019। अप्रैल में 16267 और मई में 15।566 गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की। व इस वर्ष इंडियन आयल कारपोरेशन ने मार्च में 16748 अप्रैल में 14435 व मई में 16097 गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की। इस वर्ष मई माह में सिलेंडरों का वितरण पिछले वर्ष मई की अपेक्षा ज्यादा हुआ है।

श्री सतीश महाना-

क्या जिस समय आवश्यकता थी और उसकी कमी की गई तो इस संबंध में विभागों को लिखा गया ? या जानबूझकर कमी की गई जिससे कालाबाजारी हो सके ? दूसरा सवाल यह है कि गैस वितरण के लिये आगे क्या कोई नीति आप बनायेंगे जिसके अन्तर्गत सुबह 6.00 बजे बुकिंग चालू हो जाये। अभी यह होता है सुबह आधे घण्टे बाद 10.00 बजे बोर्ड लग जाता है कि गैस खत्म हो गयी ऐसी व्यवस्था आप करेंगे कि सारा दिन जब कोई जाये उसको गैस मिल जाये?

श्री नन्दलाल सिंह पटेल-

आप कानपुर के रहने वाले हैं यह कमी हड़ताल के कारण ज्यादा हो गयी थी। माह जनवरी, 1995 के अन्तिम सप्ताह में लखनऊ, कानपुर के कुकिंग गैस वितरकों द्वारा हड़ताल भी की गई। हड़ताल का समाचार प्रकाशित होने से उपभोक्ताओं की अकस्मिक मांग बढ़ गयी गैस प्लांट से आवश्यकतानुसार नियमित आपूर्ति न होने के कारण अल्प अवधि तक कुकिंग गैस की उपलब्धता में कठिनाई आई। प्रशासन के प्रयास व वितरकों से वार्तालाप के माध्यम से हड़ताल समाप्त कराई गई। स्थिति पर काबू पाने के उद्देश्य से त्वरित व प्रभावी कदम उठाये गये। घरेलू गैस के व्यवसायिक प्रयोग को रोकने के लिये भारतीय तेल निगम के अधिकारियों के साथ संयुक्त चेकिंग कराई गई। व्यवसायिक कनेक्शन अधिक मात्रा में निर्गत कराये गये जिससे गैस वितरण में सुधार हुआ। गैस प्लांट अधिकारियों व वितरकों के निरन्तर

अनुरोध करने पर माह मई, 1995 में इण्डेन द्वारा विगत वर्ष की अपेक्षा अधिक मात्रा में गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति हुई जिससे गैस वितरण में सुधार हुआ है। अब वितरण व आपूर्ति सामान्य है। वितरण के सुधार के निरन्तर प्रयास जारी हैं।

श्री नन्द लाल सिंह पटेल-

मान्यवर, पिछले कुछ महीनों में हड़ताल होने की वजह से कुछ कठिनाइयां आयीं लेकिन मई में कोई कठिनाई नहीं है। माननीय सदस्य की जानकारी में यदि कुछ कठिनाइयां हों या सुझाव हों तो वे मुझसे वार्ता कर सकते हैं।

*5-श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्त-

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

इन्दिरा आवास व निर्बल वर्ग आवास में की गई धांधली विषयक जिलाधिकारी सुल्तानपुर एवं खण्ड विकास अधिकारी जगदीशपुर को सम्बोधित श्री जगपाल व श्री सन्तलाल के पत्र पर कृत कार्यवाही

*6-श्री तेजभान सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी सुल्तानपुर एवं खण्ड विकास अधिकारी, जगदीशपुर, सुल्तानपुर को सम्बोधित क्रमशः 29-1-95 तथा 9-11-94 को श्री जगपाल पुत्र घिसई व सन्तलाल पुत्र दुलारे व श्री कृष्ण कुमार निवासी हसवासुरबन जगदीशपुर, सुल्तानपुर का प्रार्थना पत्र जिसमें इन्दिरा आवास व निर्बल वर्ग आवास में की गई धांधली की शिकायत की गई है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा की गई तथा जांच के समय क्या शिकायतें प्रकाश में आयीं ? क्या जांचोपरान्त किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती-

जी हां।

जिला विकास अधिकारी, सुल्तानपुर एवं खण्ड विकास अधिकारी, जगदीशपुर द्वारा इसकी जांच की गई। ग्राम्य विकास अधिकारी फर्जी रिपोर्टिंग एवं धन के अपहरण के दोषी पाये गये।

जी हां। उत्तरदायी ग्राम्य विकास अधिकारी, श्री दया शंकर राय को निलम्बित कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

श्री तेजभान सिंह-

मान्यवर, शिकायत कर्ता ने जो शिकायतें इस सम्बन्ध में की थीं वह शिकायतें क्या थीं ?

श्री चैनसुख भारती-

मान्यवर, दिनांक 29-1-95 और 9-11-95 को श्री जगपाल पुत्र मितई तथा संतलाल पुत्र दुलारे व कृष्ण कुमार निवासी हसवा सुरवन जगदीशपुर का पत्र प्राप्त हुआ था उसमें निर्वल वर्ग आवास और इंदिरा आवास के बारे में शिकायतें थी।

श्री तेजभान सिंह-

मान्यवर, लाभार्थियों के घर पर कुर्की तथा वारंट गये हैं। इस संबंध में शिकायतें की गई हैं। पैसे लाभार्थी कहां से देंगे। मौके पर इसकी जांच करने कोई अधिकारी नहीं गया है। लाभार्थियों के घर जो कुर्की और वारंट जायेंगे उस पर कोई कार्यवाही माननीय मंत्री जी करेंगे?

श्री चैनसुख भारती-

जो कुर्की और वारंट गये हैं उनको रुकवाया जायेगा और जो आवास नहीं बने हैं उनको बनवाया जायेगा। इसमें श्री दया शंकर राय को निलंबित किया गया है और जांच चल रही है, जांच में जो दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री मन्नूलाल कुरील-

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जांच का आदेश किस तारीख को हुआ है?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

जनपद गोण्डा में लघु सिंचाई विभाग द्वारा कराई गई निःशुल्क बोरिंग के अन्तर्गत पी0वी0सी0 पाइपों में छिद्रण के उपरान्त छिजन (स्क्रैप) से प्राप्त आय का विवरण

*7-श्री घनश्याम शुक्ला-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में सिंचाई विभाग से गांव में लगने वाले नल की योजना में की जा रही बोरिंग के लिये पी0वी0सी0 पाइपों के छिदाई के उपरान्त जो स्क्रेप प्राप्त होती है उससे सिंचाई विभाग को वर्ष 1989-90 से वर्ष 1994-95 तक कितने राजस्व की प्राप्ति हुई? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि एक मीटर की छिदाई (स्क्रैप) में कितनी छीजन प्राप्त होती हैं? क्या उक्त कार्य निविदा द्वारा कराया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 1989-90 से वर्ष 1994-95 तक में अलग-अलग किस रेट पर विभाग द्वारा निविदायें स्वीकृत की गईं? क्या यह सही है कि आवंटित पी0वी0सी0 पाइपों से जो छीजन प्राप्त हुआ है उसका राजस्व का दुरूपयोग किया गया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी प्रश्नगत प्रकरण की जांच करायेंगे? यदि नहीं तो क्यों?

नोट:-प्रश्न संख्या-6 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री चैनसुख भारती-

लघु सिंचाई विभाग द्वारा नल नहीं लगवाये जाते हैं। इस विभाग द्वारा नि:शुल्क बोरिंग कराई जाती है जिसमें पी0वी0सी0 पाइपों में छिदाई का कार्य होता है, छिद्रण के उपरान्त जो छिजन (स्क्रैप) प्राप्त होती है, उससे जनपद गोण्डा में प्राप्त राजस्व का विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	राजस्व की प्राप्ति	विवरण
89-90	40,706,25	स्टाक/राजस्व
90-91	1,46,755,80	मद में
91-92	1,19,716,20	जमा।
92-93	2,26,142,20	
93-94	4,76,084,00	
94-95	4,40,155,10	

एक मीटर 6 कि0ग्रा0 प्रति वर्ग से0मी0 दाब वाले पी0वी0सी0 पाइप की छिद्रण में लगभग 0.335 कि0 ग्रा0 प्रति मी0 स्क्रैप तथा 4 कि0ग्रा0 प्रति वर्ग से0मी0 दाब वाले पी0वी0सी0 पाइप की छिद्रण में लगभग 0,237 कि0ग्रा0 प्रति मीटर स्क्रैप प्राप्त होती है।

उक्त कार्य प्राय: निविदा द्वारा ही कराया जाता है। छिदाई का कार्य मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या 535/ल0सि0/कार्य/89, दिनांक 21 अप्रैल, 1989 द्वारा गठित समिति जिसमें कि अधीक्षण अभियन्ता अध्यक्ष हैं, द्वारा अनुमोदन के उपरान्त स्वीकृत दर पर छिद्रण का कार्य कराया गया। वर्षवार निविदाओं द्वारा रेट जो स्वीकृत किये गये उनका विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	दर प्रति मीटर (रुपये में)	
89-90	6.25	
90-91	6.30	
	6.35	
	11.90	
92-93	11.90	
93-94	11.90	
	9.80	
	9.85	
	5.20	(4 के0जी0एफ0) पी0वी0सी0 पाइप
94-94	9.45	

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्वास्थ्य विभाग में खाद्य निरीक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

*8-श्री लालमणि प्रसाद-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में खाद्य निरीक्षकों के लगभग 500 पद रिक्त होने के बावजूद उन पदों को भरने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ? इन रिक्त पदों को कब तक भरा जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों? क्या उपरोक्त रिक्त खाद्य निरीक्षक के पदों पर विभाग में कार्यरत प्रशिक्षित स्वास्थ्य निरीक्षकों/हेल्थ इन्सपेक्टरों द्वारा भरने की कोई योजना है ?

श्री आर0 के0 चौधरी-

खाद्य निरीक्षकों के 506 पद सम्प्रति रिक्त हैं जिनको भरने हेतु उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दिनांक 20-1-95 को अधियाचन भेजा जा चुका है।

आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति प्राप्त होने पर इन रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

जनपद पडरौना के अन्तर्गत दुदही से बरवा पट्टी तक अमवा खास बन्धे को बचाने एवं बाढ़ पीड़ितों के लिये फ्लड प्रफींग स्कीम के तहत उपलब्ध कराया गया धन

*9-श्री नन्द किशोर मिश्र-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद पडरौना के अन्तर्गत दुदही से बरवा पट्टी तक अमवा खास बन्धे को बचाने एवं बाढ़ पीड़ितों के हितों को ध्यान में रखते हुये फ्लड प्रफींग स्कीम के तहत प्लेटफार्म एवं पुलों के निर्माण हेतु सिंचाई विभाग ने 1993-94 में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो क्या प्रस्ताव स्वीकृत होकर निर्माण हेतु धन उपलब्ध कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई खण्ड जौनपुर की नहर के बावतपुर राजबाघ के टूट जाने से कृषकों की डूबी फसल का मुआवजा देने की मांग

*10-श्री ऊदल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड जौनपुर की नहर बावतपुर राजबहा 28-200 कि0मी0 पर दिनांक 14-2-95 को दाहिनी पट्टी पर बड़े पैमाने पर टूट गयी और गांव रसूलपुर, निवाछव, कुबार, धमहापुर, भरथरा, हमीरापुर, ब्लाक बड़ागांव वाराणसी के किसानों की सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल डूब कर सड़ गई? यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता ने जांच करके एक पत्र जिलाधिकारी वाराणसी को दिनांक 1-3-95 को तथा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड जौनपुर को व प्रमुख सिंचाई सचिव को मार्च, 1995 के प्रथम सप्ताह में भेजा है, यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गई और किसानों को उनकी गेहूं की फसल जो डूब गई उसका मुआवजा दिया गया? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी?

सुश्री मायावती-

सिंचाई खण्ड जौनपुर की बावतपुर राजबहा कि0मी0 28-200 पर दिनांक 15-2-95/16-2-95 की रात्रि मे 3 मीटर की लम्बाई में टूट गया था जिससे ग्राम रसूलपुर, निमाइच, धमहापुर, भरथरा, देवचन्दपुर, मांग कला, मांग खुर्द व बड़ा गांव ग्रामों के कृषकों की लगभग 56 एकड़ के क्षेत्र में फसलों को क्षति हुयी।

पत्र शासन में प्राप्त हुआ है। कृषकों की फसलों का मुआवजा जांच कराकर बना दिया गया है तथा उनके वितरण की कार्यवाही सिंचाई खण्ड जौनपुर द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के कोन ब्लाक में गांवों को सिंचाई के लिये ट्यूबवेल उपलब्ध कराये जाने की मांग

*11-डा0 सरजीत सिंह डंग-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद के कोन ब्लाक में प्रत्येक गांव में सिंचाई के लिये ट्यूबवेल उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो कब तक सभी ग्रामों में ट्यूबवेल निर्माण करा दिया जायेगा? क्या वर्ष 1993-94 में कोई नये ट्यूबवेल का निर्माण कोन ब्लाक में हुआ है? क्या वर्ष 1994-95 तथा वर्ष 1995-96 वित्तीय वर्ष में सरकार कुछ ट्यूबवेलों का निर्माण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती-

जी नहीं ।

इस संबंध में अवगत कराना है कि राजकीय नलकूपों का निर्माण जनपद योजना के अन्तर्गत जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन के पश्चात् किया जाता है ।

जी हां, कोन ब्लाक के बल्ली परवा ग्राम में वर्ष 1993-94 में एक नये राजकीय नलकूप का निर्माण किया गया है ।

वर्ष 1994-95 में जनपद योजना के अन्तर्गत मिर्जापुर जनपद में दो नये राजकीय नलकूप स्वीकृत किये गये थे । जिला नलकूप स्थल चयन समिति द्वारा वर्ष 1994-95 में कोन ब्लाक के अन्तर्गत किसी नये नलकूप के निर्माण का अनुमोदन नहीं किया गया । वर्ष 1995-96 की जनपद योजना में जनपद मिर्जापुर हेतु 2 अदद नये राजकीय नलकूप लगाने का प्राविधान है । नलकूप लगाने के लिये ग्रामों का चयन जिला नलकूप चयन समिति द्वारा किया जाता है ।

प्रदेश में अल्ट्रासाउंड टेस्ट द्वारा कन्या भ्रूण की हत्या एवं इसे रोकने के लिये हरियाणा सरकार की तरह फिक्स्ड डिपाजिट सम्बन्धी निर्णय को लागू किये जाने की मांग

*12-चौ0 यशपाल सिंह तथा श्री बालेश्वर त्यागी-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि अल्ट्रासाउन्ड टेस्ट द्वारा प्रदेश में प्रतिवर्ष हजारों कन्या भ्रूणों की एबार्शन द्वारा हत्यायें की जा रही हैं ? इस अमानवीय कृत्य पर प्रभावी रोक लगाने व हरियाणा सरकार की भांति कन्या के जन्म पर उनके नाम खाता खुलवाकर रु0 2500/- 18 वर्ष के लिये फिक्स्ड डिपाजिट करने सम्बन्धी निर्णय को क्या प्रदेश सरकार भी अपने प्रदेश में लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर0 के0 चौधरी-

जी नहीं ।

भारत सरकार द्वारा प्रसव पूर्व निदान तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के लिये "दि प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टैक्नीक्स (रेगुलेशन एण्ड प्रीवेन्शन आफ मिसयूज) अधिनियम 1994" पारित कर गर्भस्थ शिशु के लिंग परीक्षण इत्यादि को निषिद्ध किया गया है । जहां तक कन्या के जन्म पर उसके नाम फिक्स्ड डिपाजिट खाता खोलने का प्रश्न है, यह बिन्दु राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों को देखते हुये ऐसा किया जाना सम्भव नहीं है ।

*13-श्री ज्वाला प्रसाद यादव-

(दूसरे गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

*14-श्री बालेश्वर त्यागी-

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

जनपद पौड़ी गढ़वाल में ग्राम धारी ब्लाक दरीखाल में पेयजल योजना को सुदृढ़ किये जाने की मांग

*15-श्री हरक सिंह रावत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में ग्राम धारी दरीखाल ब्लाक में खराब पेयजल योजना को सुदृढ़ किये जाने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में स्वीकृत स्थायी पदों के समूह 'घ' में आरक्षण कोटा पूर्ण करने की मांग

1-श्री बचनू राम पटेल-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के पी0एम0एस0, पेरामेडिकल, नर्सिंग बी0एच0डब्लू, एच0 बी0/एच0 भी लिपिकीय व अन्य संवर्ग में शासन द्वारा कुल कितने स्थायी पद स्वीकृत हैं ? क्या उनमें शासनादेश संख्या-15/25/75 रा0एकी0 दिनांक 10-5-76 व संशोधित शासनादेश संख्या 22/6/83 कार्मिक-2, दिनांक 25 मार्च, 1989 का पालन करके प्रथम स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का आरक्षण कोटा पूर्ण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये उनके विरुद्ध क्या अनुशासनिक कार्यवाही की गई ? क्या उक्त शासनादेश के अनुसार कार्यवाही करके तत्काल स्थायीकरण में आरक्षण कोटा पूर्ण कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री आर0 के0 चौधरी-

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कुल 50,700 स्थायी पद स्वीकृत हैं ।

समूह "घ" में आरक्षण कोटा पूर्ण है । अन्य संवर्गों में आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

जी नहीं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हीरालाल बाजपेयी, सहायक अधीक्षक, लाला लाजपत राय चिकित्सालय, कानपुर की पदोन्नति को अनियमित घोषित किये जाने की मांग

2-श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के प्रथम बुधवार, दिनांक 23-2-94 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या-29 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1976 में जारी वरिष्ठता सूची में श्री हीरालाल बाजपेयी का क्रमांक क्या है ? क्या यह भी बतायेंगे कि वह सूची किस अधिकारी द्वारा किस संवर्ग के कर्मचारियों के लिये निर्गत की गई है ? क्या यह सत्य है कि उक्त वरिष्ठता सूची प्रान्तीय संवर्ग के कर्मचारियों की है और श्री बाजपेयी को उनके द्वारा न्यायालय में दायर परिवाद के निर्णय के फलस्वरूप उन्हें लोकल कैडर का माना गया है? यदि हां, तो क्या यह शिशु चिकित्सालय से अन्यत्र स्थानान्तरण पर जाने में माननीय न्यायालय के अवमानना के दोषी हैं ? यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

वर्ष 1976 में जारी स्टीवर्ड/स्टोरकीपर/स्टोरकीपर-कम-क्लर्क की वरिष्ठता सूची में श्री हीरा लाल बाजपेयी का नाम क्रमांक 26 पर अंकित है ।

यह सूची निदेशक, स्वास्थ्य सेवा एवं परिवार नियोजन, उ0प्र0 की ओर से संयुक्त निदेशक (प्रशासन) श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा स्टीवर्ड/स्टोरकीपर कम-क्लर्क संवर्ग के लिये निर्गत की गयी ।

यह सत्य है कि उक्त वरिष्ठता सूची प्रान्तीय संवर्ग के कर्मचारियों की है तथा श्री बाजपेयी द्वारा दायर वाद संख्या 573/1972 में उन्हें लोकल कैडर का माना गया है ।

उपरोक्त वाद में न्यायालय द्वारा स्थानान्तरण के विषय में कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं, जहां तक श्री बाजपेयी के अन्यत्र स्थानान्तरण पर जाने से मा0 न्यायालय की अवमानना का प्रश्न है, यह विधिक बिन्दु है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

3-श्री मातवर सिंह कण्डारी-

(3सरे सोमवार में अता0प्र0सं0-139 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद बस्ती में अनुसूचित जाति की बस्तियों की संख्या एवं उन्हें सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की मांग

4-श्री लाल मणि प्रसाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में कितनी अनुसूचित जाति की बस्तियां हैं जो सम्पर्क मार्ग से नहीं जुड़ी हैं ? क्या सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का प्रयास जमीन एक्वायर कराकर सरकार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती-

जनपद बस्ती में जल निगम द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर अनुसूचित जाति की कुल 4,660 बस्तियां हैं। सम्पर्क मार्ग से जोड़ने वाली बस्तियों का सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

जी नहीं।

वर्तमान में अम्बेडकर ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। बस्तियों के सम्बन्ध में इस समय कोई कार्यक्रम नहीं हैं।

राजकीय इण्टर कालेज जाजल जनपद टिहरी गढ़वाल में विज्ञान विषयों की मान्यता एवं अध्यापकों के पदों का सृजन किये जाने की मांग

5-श्री मातवर सिंह कण्डारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रा0इ0का0जाजल टिहरी गढ़वाल में विज्ञान विषयों की मान्यता किस वर्ष दी गई थी ? क्या कारण है कि उक्त विद्यालय में विज्ञान अध्यापकों के पदों का सृजन नहीं हुआ ? क्या सरकार उक्त विद्यालय में विज्ञान अध्यापकों के पदों का सृजन करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक पदों का सृजन हो जायेगा ?

सुश्री मायावती-

राजकीय इण्टर कालेज, जाजल, टिहरी गढ़वाल में विज्ञान विषय की मान्यता वर्ष 1990-91 में प्रदान की गई थी। उक्त विद्यालय में पदों के सृजन की कार्यवाही की जा रही है तथा शीघ्र ही पद सृजित हो जायेंगे।

एन0आर0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण अभियंत्रण सेवा गोरखपुर के विकास खण्ड भिठौरा के कतिपय गांवों के विकास के लिये प्रदत्त धन का प्रयोग न किया जाना

6-श्री शारदा प्रसाद जायसवाल-

क्या सरकार की जानकारी में है कि राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत ग्राम विकास अभिकरण गोरखपुर के पत्र संख्या 17978 दिनांक 29-7-89 एन0 आर0 5-32/89/90, दिनांक 29 जुलाई, 1989 द्वारा विकास खण्ड भिठौरा के ग्राम जगदौर सेमरा, हरदी से पश्चिम दमकी गांव से अनुसूचित जाति की बस्तियों के बीच तीन पुलियों के निर्माण के लिये अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड गोरखपुर को रु0 39,600 आवंटन करने का आदेश दिया गया था ? क्या यह भी सही है कि उक्त धनराशि का आवंटन अधिशासी अभियन्ता ग्रा0अ0 से प्र0 गोरखपुर के पत्रांक 560, दिनांक 26-6-90 द्वारा धन की मांग करने के लिये लिखा गया था किन्तु आज तक अपर जिलाधिकारी परियोजना गोरखपुर द्वारा धन अवमुक्त नहीं किया गया है जिसके कारण पुलिया का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार आवंटित धनराशि से तत्काल कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कराने एवं अपूर्ण पुलियों को पूर्ण कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चैनसुख भारती-

जी नहीं, अपितु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण गोरखपुर के पत्र संख्या 17978 दिनांक 29-7-89 द्वारा एन0आर0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत विभिन्न विकास खण्डों में विभिन्न प्रकृति के कार्यों को कराये जाने की स्वीकृति ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा गोरखपुर को दी गयी थी जिसमें अन्य के साथ-साथ विकास खण्ड भिठौरा के ग्राम जगदौर सेमरा, हरदी से पश्चिम दमकी गांव से अनुसूचित जाति बस्ती तक एक-एक पुलियों का निर्माण सम्मिलित है।

उक्त कार्यों की स्वीकृति ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को इस आशय के साथ दी गई थी कि विभाग में पहले से उपलब्ध एन0आर0ई0पी0 की धनराशि का प्रयोग इन कार्यों पर किया जाय तथा यदि धनराशि विभाग के पास शेष न हो तो धनराशि की मांग कर ली जाय। माह सितम्बर, 89 में जनपद महराजगंज का स्वतंत्र अस्तित्व घोषित किया गया था और कालान्तर में प्रश्नगत विकास खण्ड जनपद महराजगंज के अन्तर्गत जाने की दशा में दोनों जनपदों के जिलाधिकारियों के स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार रु0 52.69 लाख की धनराशि जनपद महराजगंज को उपलब्ध करा दी गई।

वर्तमान में जगदौर से सेमरा मार्ग पर पुलिया, हरदी से पश्चिम मार्ग पर पुलिया का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा दमकी अनुसूचित जाति बस्ती में पुलिया का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्रामों के खारी पानी को अवशोषित करने हेतु रिचार्जड परियोजना को प्रारम्भ किये जाने की मांग

7-श्री बदन सिंह-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्रामों की 80 प्रतिशत पानी खारी है ? यदि हां, तो रिचार्जड योजना के अन्तर्गत तहसील किरावली के खारी पानी को पोखर तालाबों और नदी नालों की वर्षाती जल भूमि में अवशोषित करायेंगे ? यदि हां, तो रिचार्जड परियोजना कब से प्रारम्भ कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती-

जी हां।

वर्षा जल से रिचार्ज योजना द्वारा भूजल को रिचार्ज करने से पूर्व भूजल श्रोतों की संरचना एवं उसके बहाव की प्रकृति का विस्तृत अध्ययन आवश्यक होगा तथा क्षेत्र में रिचार्ज हेतु उपयुक्त स्थलों का चयन करना होगा। क्षेत्र में खारा पानी होने की स्थिति में रिचार्ज करने की उपयुक्तता का परीक्षण करने की भी आवश्यकता होगी। खारेपन की अधिक समस्या होने के कारण इलेक्ट्रोमैगनेटिक सर्वे कराना साथ ही भूस्तरीय जानकारी के लिये फोटो-जियोलिजिकल मैपिंग की भी आवश्यकता होगी। उपर्युक्तानुसार अध्ययन से पूर्व रिचार्ज योजना चलाया जाना सम्भव नहीं है।

अभी प्रश्न नहीं उठता।

खण्ड विकास कार्यालय चोपन सोनभद्र द्वारा शिलालेख हेतु क्रय किये गये मार्बल में घोटाले की जानकारी

8-श्री तीरथ राज-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 24"×18" साइज के मार्बल शिलालेख खण्ड विकास कार्यालय चोपन सोनभद्र द्वारा थोक भाव आर्डर देकर रु0 725 (सात सौ पच्चीस रु0) प्रति के दर से तैयार कराये जाने के बाद संबंधित ग्राम सभाओं को दिये गये हैं ? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि उक्त साइज के मार्बल शिला लेख सूर्यबली सिंह, ग्राम प्रधान गायघाट ने उसी समय चोपन, सोनभद्र के द्वारा मात्र रु0 170.00 (एक सौ सत्तर रु0) प्रति के भाव से खरीदा है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि मूल्य में भारी घोटाले के कारण उक्त ग्राम प्रधान ने विकास खण्ड द्वारा प्रदत्त मार्बल शिला लेख लेने से इन्कार कर दिया है ? क्या सरकार इस

भ्रष्टाचार व घोटाले की जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा कराने के साथ ही दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती-

जी नहीं ।

जी हां ।

विकास खण्ड द्वारा वर्ष 89-90 से अब तक 24"×18" साइज के मार्बल शिलालेख का क्रय नहीं किया गया और न ही किसी ग्राम प्रधान को विकास खण्ड स्तर से शिलालेख उपलब्ध कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला पौड़ी एवं चमोली में डी0पी0ए0 के तहत विगत वर्षों में हुये कार्यों का विवरण एवं उनके जांच की मांग

9-डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

क्या मुख्य मंत्री पौड़ी एवं चमोली जिले में डी0पी0ए0पी0 के तहत हुये विगत पांच वर्ष में कार्यों का सम्पूर्ण विवरण देते हुये इन कार्यों की किसी उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

डी0पी0ए0पी0 के अधीन जिला पौड़ी तथा चमोली में विगत पांच वर्षों 89-90 से 93-94 में किये गये कार्यों का विवरण संलग्न है । जनपद पौड़ी गढ़वाल में डी0पी0ए0पी0 कार्यों की स्थिति एक समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना के माध्यम से शासन के संज्ञान में आयी है जिस पर जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल से आख्या प्राप्त की जा रही है । अभी जांच के आदेश [illegible]

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 187-188 पर)

जनपद पीलीभीत में तहसील मुख्यालयों पर उप मुख्य चिकित्साधिकारियों के आवासित होने की जानकारी की मांग

10-श्री राम सरन वर्मा-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप मुख्य चिकित्साधिकारियों की तहसील मुख्यालय पर आवास बनाकर रहने के आदेश/निर्देश निर्गत हो चुके हैं ? यदि हां, तो प्रदेश में कितने तहसील मुख्यालयों पर उप मुख्य चिकित्साधिकारी आवासित हो चुके हैं ? क्या जनपद पीलीभीत में उप मुख्य चिकित्साधिकारी तहसील मुख्यालयों पर आवासित हैं ? यदि नहीं, तो वे कब से आवासित हो जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर0 के0 चौधरी-

जी हां।

तहसील स्तर पर उप मुख्य चिकित्साधिकारियों का निवास स्थान स्थापित होना है, अतः प्रथम चरण में प्रत्येक जनपद की तहसील पर जनपद मुख्यालय को छोड़कर एक उप मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निवास/मुख्यालय स्थापित करने के निर्देश दिये गये हैं ।

प्रदेश के अब तक छः जनपदों की एक-एक तहसील मुख्यालय पर उप मुख्य चिकित्साधिकारी आवासित हो चुके हैं।

जी नहीं ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, पीलीभीत द्वारा अपने जनपद के उप मुख्य चिकित्साधिकारियों को एक सप्ताह में आवासित होने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता ।

गढ़वाल मण्डल में जिला प्लान में पेयजल के लिये आवंटित धनराशि का विवरण

।।-डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल में जिलेवार किस जनपद के लिये जिला प्लान में पेयजल के लिये कितनी धनराशि का प्राविधान था ? क्या उक्त धनराशि विगत दो वर्षों में उन्हें दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? किस जनपद को कितनी धनराशि के विपरीत नई पेयजल योजनाओं के लिये कितनी धनराशि अभी तक मुक्त हुई ? पेयजल जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं पर धनराशि की कटौती का क्या औचित्य है ? क्या सरकार जिला प्लान में प्रस्तावित विगत तीन वर्षों की सभी पेयजल योजनाओं पर धनराशि आवंटित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

परिव्यय का विवरण संलग्न है।

जी नहीं ।

संसाधनों की उपलब्धता के कारण ।

जिला प्लान के अन्तर्गत चालू ग्रामीण पेयजल योजनाओं हेतु धनराशि स्वीकृत की गई।

जी नहीं ।

संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाती है।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ ।89 पर)

जिला मुख्यालय पौड़ी में स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवन स्वामी को बकाया किराये के भुगतान की मांग

12-डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जिला मुख्यालय पौड़ी में स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवन स्वामी श्री डोभाल को विगत लगभग एक वर्ष से भवन का किराया नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो किराया न दिये जाने के क्या कारण रहे हैं ? क्या उन्हें उनका सम्पूर्ण अवशेष किराया व्याज सहित दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

धनाभाव के कारण किराया नहीं दिया जा सका है। धन उपलब्ध होने पर अवशेष किराये का भुगतान कर दिया जायेगा।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जूनियर हाईस्कूल त्यूंखर लस्या टिहरी गढ़वाल के नवनिर्मित भवन के गलत जगह बनाये जाने के कारण दोषी व्यक्ति को दण्डित किये जाने की मांग

13-श्री मातवर सिंह कण्डारी-

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जूनियर हाई स्कूल त्यूंखर लस्या टिहरी गढ़वाल के नव निर्मित भवन को सन् 1984 से बीरान छोड़ रखा है ? इस भवन को गलत स्थान पर किसने बनाया था ? क्या दोषी व्यक्ति को दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

इसके संबंध में जांच कराई जा रही है।

जाचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

जाच कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता ।

बे0पा0डांग, वि0 ख0 देव प्रयाग, टिहरी गढ़वाल का भवन निर्माण पूर्ण न होने के कारण दोषी व्यक्तियों को दण्डित किये जाने की मांग

14-श्री मातवर सिंह कण्डारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बे0 पा0 डांग, वि0 खण्ड देव प्रयाग, टिहरी गढ़वाल का भवन निर्माण अधर में लटका हुआ है ? इसको पूर्ण न किये जाने

के क्या कारण हैं ? क्या दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

इसकी जांच कराई जा रही है ।

जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

एस0डी0एम0, कीर्तिनगर, टिहरी, गढ़वाल पर गढ़वाल जल संस्थान का सीमेंट बेचे जाने का आरोप

15-श्री मातवर सिंह कण्डारी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि एस0डी0एम0, कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल ने गढ़वाल जल संस्थान के 50 कट्टे सीमेंट को ब्लैक किया था ? क्या इसकी जांच क्षेत्रीय पंटवारी द्वारा सही पाये जाने पर सीमेंट सील कर दिया था ? क्या दो दिन बाद उसी एस0डी0एम0 ने यह चोरी का सीमेंट रिलीज कर दिया ? क्या एस0डी0एम0 सीमेंट के रिलीज करने हेतु सक्षम अधिकारी हैं ? यदि नहीं, तो ऐसा किस नियम के तहत किया है ? क्या सरकार इस अवैध कार्य के लिये एस0डी0एम0 कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल पर वैधानिक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं ।

सीमेंट सील नहीं किया गया था जांच होने तक उसे सुपुर्दगी में रखा गया था ।

जांचोपरान्त यह पाया गया कि सीमेंट गढ़वाल जल संस्थान के द्वारा योजनाओं के निर्माण हेतु नियुक्त ठेकेदारों को निर्गत किया गया था । अतः सुपुर्दगी से सीमेंट वापस लेकर जल संस्थान के ठेकेदारों को दे दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी एवं चमोली के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के लिये विगत पांच वर्षों में क्रय की गई औषधियों की धनराशि का विवरण

16-डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी एवं चमोली के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के लिये विगत पांच वर्षों में (वर्षवार) कुल कितनी धनराशि की औषधियां क्रय की गईं ? ये औषधियां किसकी सहमति से ली गयीं ? क्या प्राथमिकता को निर्धारित करके अथवा परिस्थितियों एवं क्षेत्र की आवश्यकतानुसार चिकित्साधिकारियों की संस्तुति तथा माग-पत्र औषाधियां क्रय हुई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद पौड़ी से संबंधित अभिलेख जांच हेतु सतर्कता अधिष्ठान द्वारा ले लिये गये हैं। अत: अभिलेखों के अभाव में सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद चमोली में क्रय की गयी औषधियों की धनराशि का वर्षवार विवरण निम्न है :-

वर्ष	धनराशि
1990-91	2,14,863.65
1991-92	6,79,229.95
1992-93	16,39,994.50
1993-94	20,27,500.00
	45,61,588.10

वित्तीय वर्ष 1994-95 में औषधि क्रय हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई थी।

औषधियों का क्रय क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों द्वारा चिकित्साधिकारियों के मांग पत्र के अनुसार क्षेत्रान्तर्गत रोगों/रोगियों को दृष्टिगत रखते हुये क्रय समिति गठित करके चिकित्साधिकारियों की संस्तुति के अनुसार किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के ग्राम सभा बेशपुर जरेरा ब्लाक अहिरोरी के अम्बेडकर ग्राम घोषित होने पर जवाहर रोजगार योजना में देय धनराशि से कराये गये कार्यों का विवरण

17-श्री छोटे लाल तथा श्री विश्राम सिंह यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा बेशपुर जरेरा ब्लाक अहिरोरी जिला-हरदोई को अम्बेडकर ग्राम घोषित होने पर सम्पूर्ण विकास किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या ग्राम सभा का सर्वेक्षण मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी से कराया गया है ? यदि हां, तो जवाहर रोजगार योजना में वर्ष 1989 से अब तक देय धन से मदवार कौन-कौन से कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं ?

श्री चैनसुख भारती-

जी नहीं। चूंकि प्रश्नगत ग्राम सभा का अम्बेडकर ग्राम के रूप में चयन वर्ष 1994-95 में किया गया है अत: उक्त चयनित ग्राम का सम्पूर्ण विकास निश्चित समय सीमा अर्थात 1996-97 तक किया जाना है।

जी नहीं। ग्राम सभा का सर्वेक्षण खण्ड विकास अधिकारी, अहिरोरी से कराया गया था। जवाहर रोजगार योजना में वर्ष 1989 से अब तक मिट्टी का कार्य खड़ंजा

निर्माण, पडंजा निर्माण एवं खड़ंजा मरम्मत, कंकड सोलिंग, कूप भरम्मत, हैण्डपम्प, गांधी चबूतरा निर्माण/सम्पर्क मार्ग मरम्मत तथा आवास निर्माण का कार्य कराया गया है।

18-श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

(दिनांक 18-7-95 को अता0प्र0सं0-75 द्वारा उत्तरित)

जनपद हमीरपुर के चन्द्रावल बांध की मुख्य नहर की अव्यवस्था के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

19-श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हमीरपुर के चन्द्रावल बांध की मुख्य नहर की अव्यवस्था के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15 नवम्बर, 1994 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें इंगित तथ्य क्या हैं ? उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

इंगित तथ्य निम्न प्रकार है :-

1-पिछड़े एवं दलित बाहुल्य गांवों यथा-ग्योड़ी, सुराहा, बबेड़ी, पुरा कहोरी, बरांव आदि गांवों को जोड़ती हुयी चन्द्रावल नहर का पानी टेल तक नहीं पहुंचता है।

2-10 वर्षों से नहर की कोई मरम्मत/सफाई नहीं कराई गई।

3-यदि शासन के सिंचाई विभाग से सफाई एवं मरम्मत के लिये धनराशि मिली भी होगी तो वह समय-समय पर अभियन्ताओं की जेबों में चली गई।

4-नहरों की सफाई एवं मरम्मत के लिये समय-समय पर स्वीकृत धनराशि में की गई अनियमितताओं की टी0ए0सी0 से जांच कराई जाय।

मा0 विधायक के पत्र में उल्लिखित उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में स्थिति निम्नवत् है :-

1-हमीरपुर जनपद में स्थित चन्द्रावल बांध से दो राजवाहा कमलखेड़ा व पिण्डारी राजवाहा निकलते हैं। इसके शीर्ष का डिस्चार्ज 65 एवं 15 क्यूसेक क्रमशः हैं। इन दो राजवाहों में से एक, राजवाहा कमलखेड़ा मा0 विधायक जी द्वारा इंगित ग्योड़ी, सुराहा, बबेड़ी, पुराकहोरी, बरांव आदि ग्रामों में सिंचाई उपलब्ध कराती है। इस नहर की टेल तक पानी पहुंचता है तथा सींच भी होती है।

2-गत वर्षों में नहर की सफाई/मरम्मत कराई जाती रही है । नहर की मरम्मत/सफाई पर गत 10 वर्षों में किये गये व्यय का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	रुपये (लाख में)
84-85	0.23
85-86	0.35
86-87	0.57
87-88	1.02
88-89	0.99
89-90	0.99
90-91	1.05
91-92	1.13
92-93	2.24
93-94	0.66

3-नहरों के कार्यों हेतु शासन से दी गई धनराशि का ऐसा कोई प्रकरण जिससे उपरोक्त धनराशि किसी अभियन्ता की जेब में चली गई हो, प्रकाश में नहीं आया ।

4-टी0ए0सी0 द्वारा सिंचाई प्रखण्ड, महोबा में नियमित रूप से कार्यों का तकनीकी परीक्षण किया जाता रहा है । निम्नांकित अवधि में टी0ए0सी0 द्वारा खण्ड के कार्यों का तकनीकी परीक्षण हुआ । यह परीक्षण टी0ए0सी0 द्वारा स्वयं चयनित कार्यों के आधार पर किया जाता है । इस परीक्षण में चन्द्रावल बांध के कार्यों एवं चन्द्रावल नहर प्रणाली का निरीक्षण किया गया ।

1-दिनांक 3-3-86 से 6-3-86
2-दिनांक 23-2-88 से 26-2-88
3-दिनांक 25-7-89 से 28-7-89
4-दिनांक 13-2-91 से 16-2-91
5-दिनांक 21-4-93 से 24-4-93
6-दिनांक 26-9-94 से 28-9-94

प्रश्न नहीं उठता ।

20-श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

(दूसरे सोमवार में अता0 प्र0 सं0-177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड मौदहा के ग्राम ग्योड़ी में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत नालियों में खड़ंजा बिछाये जाने की मांग

21-श्री अरिमर्दन सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र 1995 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल द्वारा पूछे गये अता0प्र0सं0-136 के उत्तर के क्रम में क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा ग्योड़ी को जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि रु0 16,81,432.00 में से किस-किस मद में कितनी कितनी धनराशि व्यय की गई ? क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह भी बतायेंगे कि उक्त कार्यों के निर्माण का भौतिक सत्यापन/स्थल निरीक्षण कब तथा किस-किस अधिकारी द्वारा किया गया तथा उसमें क्या-क्या कमियां पाई गई ? यदि धनराशि व्यय में अनियमितता पाई गई तो उसकी वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती-

विवरण संलग्न है।

उक्त कार्यों के निर्माण का प्रमाणीकरण का प्रमाण-पत्र दिनांक 26-10-92 को तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) श्री बाल कृष्ण शुक्ला द्वारा पृथक-पृथक योजनावार दिया गया है तथा इन कार्यों का भौतिक सत्यापन व स्थलीय निरीक्षण तकनीकी अधिकारी, अवर अभियन्ता श्री सुरेन्द्र सिंह, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा दिनांक 11-12-91 एवं 10-1-92 को किया गया। वर्ष 94-95 के अन्तर्गत दर्शाये गये निर्माण कार्यों की समीक्षा की जा रही है।

धन के व्यय में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गई।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 190-191 पर)

जनपद सुल्तानपुर की तहसील अमेठी में राजकीय नलकूपों की स्थिति

22-श्री जमुना प्रसाद मिश्र-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जनपद की तहसील अमेठी में कितने राजकीय नलकूप हैं ? क्या उन राजकीय नलकूपों में अधिकांश खराब हैं ? यदि हां, तो क्या खराब नलकूपों को ठीक करा कर उन्हें चालू कराने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद सुल्तानपुर की अमेठी तहसील के अन्तर्गत 80 राजकीय नलकूप व 80 विश्व बैंक नलकूप अर्थात् कुल 160 चलित नलकूप हैं।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के ग्राम सभा वैशपुर जरेरा, विकास खण्ड अहिरोरी के ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों एवं खर्च हुई धनराशि का विवरण

23-श्री छोटे लाल तथा श्री विश्राम सिंह यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद में ग्राम सभा वैशपुर जरेरा, विकास खण्ड अहिरोरी के ग्राम प्रधान को दिनांक 1-6-88 से 30-11-94 तक जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कालोनी, शौचालय, नाली, खड़ंजा, हैण्डपम्प, कूप निर्माण/मरम्मत तथा वृक्षारोपण आदि का कार्य करवाने के लिये शासन द्वारा कुल कितना धन आवंटित किया गया है ? उक्त धनराशि से क्या-क्या कार्य कराये गये ? कितना-कितना धन खर्च हुआ तथा कितनी धनराशि अवशेष है ?

श्री चैनसुख भारती-

ग्राम सभा वैशपुर जरेरा विकास खण्ड अहिरोरी को दिनांक 1-6-88 से 30-11-94 तक जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत कुल 2,38,262.00 व्याज द्वारा 718.55 एवं ग्राम सभा के अन्य स्रोतों से 330.00 रुपये सम्मिलित करते हुये कुल धनराशि मु0 2,39,310.55 रु0 उपलब्ध हुआ है ।

उक्त धनराशि से कराये गये कार्यों एवं उन पर खर्च हुई धनराशि तथा अवशेष धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

कार्य	मात्रा	व्यय धनराशि
1-मिट्टी कार्य	425 मी0	रु0 10278.00
2-खड़ंजा निर्माण	710 मी0	रु0 113158.00
3-कंकण सोलिंग	70 मी0	रु0 14820.00
4-कूप मरम्मत	6 नं0	रु0 24185.00
5-हैण्ड पम्प निर्माण	6 नं0	रु0 7987.00
6-सम्पर्क मार्ग मरम्मत	1450 मी0	रु0 22300.00
7-पडंजा निर्माण	150 मी0	रु0 21168.00
8-खड़ंजा मरम्मत	204 मी0	रु0 16542.00
9-गांधी चबूतरा	1	रु0 2320.00
10-आवास निर्माण	2	रु0 6000.00
11-प्रशासनिक मद	--	रु0 404.00
		रु0 2,39,162.00

जवाहर रोजगार योजना अंश में शून्य धनराशि अवशेष रही एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि में 148.55 रु0 अवशेष रहा ।

जनपद हरदोई के ग्राम सभा वैशपुर जरेरा, विकास खण्ड अहिरोरी में प्रस्ताव पास कराये बिना कराये गये कार्यों का व्यौरा

24-श्री छोटे लाल तथा श्री विश्राम सिंह यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा वैशपुर जरेरा, विकास खण्ड अहिरोरी, जनपद हरदोई में ग्राम सभा की बैठक में बिना प्रस्ताव पास कराये हुये कितना कार्य वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 में कराया गया है ? उक्त ग्राम सभा की कितनी खुली बैठकें की गईं तथा कितने-कितने लोग उन बैठकों में उपस्थित हुये । कुल कितने प्रस्ताव पास हुये तथा उन प्रस्तावों के अनुसार कितने कार्य पूर्ण हो गये हैं ? क्या यह सही है कि उक्त अवधि में ग्राम सभा की कोई बैठक न बुलाने और प्रस्ताव के बिना कार्य कराये गये हैं ? यदि हां, तो दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती-

ग्राम सभा वैशपुर जरेरा, विकास खण्ड अहिरोरी जनपद हरदोई में ग्राम सभा की बैठक में बिना प्रस्ताव पास किये हुये वित्तीय वर्ष 1991-92, 1992-93 व 1993-94 में कोई भी कार्य नहीं कराया गया है ।

वित्तीय वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 में उक्त ग्राम सभा की हुई बैठकों आदि का विवरण निम्न है :-

वित्तीय वर्ष	बैठक	उपस्थित संख्या	पारित प्रस्ताव सं0	प्रस्तावानुसार पूर्ण कार्यों की संख्या
1	2	3	4	5
1991-92	प्रथम (5-4-91)	98	6	4
	द्वितीय (1-12-91)	112	3	--
1992-93	प्रथम (24-4-92)	228	7	4

1	2	3	4	5
1993-94	प्रथम (2-4-93)	111	6	5
	द्वितीय (19-3-94)	80	4	--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

25-श्री हरक सिंह रावत-

(दिनांक 18-7-95 को अता0प्र0सं0-74 द्वारा उत्तरित)

गोण्डा जिले की उतरौला तहसील मुख्यालय पर नवीन मण्डी स्थल का निर्माण न कराये जाने के कारण

26-श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्त-

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि गोण्डा जिले की उतरौला तहसील मुख्यालय पर नवीन मण्डी स्थल बनने की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो अब तक उसका निर्माण न कराये जाने का क्या कारण है ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिलों के पेटी डीजल विक्रेताओं के मार्जिन का निर्धारण जिलाधिकारियों द्वारा किया जाना

27-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 में पेटी डीजल विक्रेताओं को एक लीटर डीजल बिक्री पर कितना पैसा कमीशन मिलता है ? क्या वह कमीशन सरकार की नजर में पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसको बढ़ायेगी ? क्या सरकार द्वारा पेटी डीलरों को पेट्रोल पम्पों की भांति डीजल को मशीनों से नापकर बेचने के लिये अधिकृत किया गया है ? यदि नहीं, तो जनपद शाहजहांपुर के पेटी डीलर किसकी अनुमति से ये मशीनें लगाये हैं ? क्या मंत्री जी इस संबंध में कोई कार्यवाही करेंगे ?

सुश्री मायावती-

पेटी डीजल विक्रेताओं को मार्जिन का निर्धारण संबंधित जिलों के जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है । पेटी डीजल विक्रेताओं को एक लीटर डीजल बिक्री पर एक पैसा कमीशन अनुमन्य है । इसे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

शासन द्वारा पेटी डीजल डीलरों को पेट्रोल पम्पों की भांति डीजल की मशीनों से नापकर बेचने के लिये अधिकृत नहीं किया गया है। जनपद शाहजहांपुर के 15 पेटी डीलर अवैध रूप से बिना किसी अनुमति के पेट्रोल पम्पों की भांति डीजल की मशीनों से नापकर बेंचते रहे हैं। इनके विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

श्री दर्शन यादव क्षेत्र शिक्षक (दै0वे0भो0) राजकीय कृषि अभियन्त्रण शोध कर्मशाला व चिनहट लखनऊ का बकाया वेतन आदि सम्बन्धी पत्र एवं कार्यवाही

28-श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दर्शन यादव क्षेत्र शिक्षक (दै0वे0भो0) राजकीय कृषि अभियंत्रण शोध कर्मशाला, चिनहट, लखनऊ के बकाया वेतन तथा बोनस के भुगतान सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र दिनांक 30-7-94 तथा 29-9-94 विशेष सचिव, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

सुश्री मायावती-

कृषि विभाग में प्राप्त नहीं हुये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट दन्या पैदल मार्ग में ग्राम रेतोला में सरयू नदी पर स्वीकृत झूला पुल के निर्माण कराये जाने की मांग

29-श्री अखिलेश सिंह तथा श्री यशपाल आर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट दन्या पैदल मार्ग में ग्राम रैतोला में सरयू नदी पर झूला पुल की स्वीकृति उत्तराखण्ड विकास विभाग के आदेश 1026/20-प्र0 91-177-सा0/90, दिनांक 18-3-91 एवं 1756/20-5-92-54-लो0नि0/92, दिनांक 26-8-93 द्वारा प्रदान की गई है? यदि हां तो इस पर निर्माण कार्य प्रारम्भ न करने के क्या कारण हैं? और कब तक इसका निर्माण पूरा हो जायेगा?

सुश्री मायावती-

जी हां। स्वीकृत आदेश संख्या 1026/28-प्र 91-177 सा/90 दिनांक 18-3-91 द्वारा नहीं बल्कि शासनादेश संख्या 1026/28-5-91-11 7सा/90 दिनांक 18 मार्च, 1991 तथा शासनादेश संख्या 1756/28-5-92-54 लो0नि0/92, दिनांक 26-8-93 द्वारा प्रदान की गई है?

कार्य-स्थल पर स्थानीय विवाद के समाधान करने एवं कार्य की औपचारिकतायें पूर्ण करने में समय लगने के कारण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका ।

पुल निर्माण का कार्य मार्च, 1997 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

ग्राम मनिकापुर मजरा मीरनगर अझिगवां तह0 सण्डीला जिला हरदोई में सोहलामऊ तथा मनिकापुर के बीच मोहछियापुर तक की ड्रेन की सफाई का मामला

30-श्री राम देव पटेल-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के चौथे बुध के अता0प्र0सं0 188 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मनिकापुर मजरा मीरनगर उझिगवां तह0 सण्डीला जि0 हरदोई में सोहलामऊ तथा मनिकापुर के बीच से तालाब मोहछियापुर तक की ड्रेन की सफाई करा दी गई है ? यदि हां, तो कितनी ड्रेन की सफाई कराई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के चौथे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 108 (188 नहीं) के सम्बन्ध में सूचनीय है कि प्रश्नगत ड्रेन की सफाई अभी तक नहीं कराई जा सकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ड्रेनों की सफाई हेतु उपलब्ध धनराशि में से धन उपलब्धता के अनुसार उन ड्रेनों की सफाई प्राथमिकता के आधार पर कराई जा सकी थी, जिनकी दशा अधिक खराब थी ।

क्षेत्रीय परिवहन कार्यशालाओं के कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण

31-श्री भगवती प्रसाद शुक्ल-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यशालाओं के बन्द करने के कथित शासकीय निर्णय पर रोक लगाने एवं कार्य शालाओं के सुधार के संबंध में राज्य परिवहन कर्मचारी तकनीकी संघ, उ0प्र0 के दिनांक 27 जून, 1994 तथा जुलाई, 1994 के कोई पत्र शासन एंव निदेशालय को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो इन पत्रों के क्षेत्रीय कार्यशालाओं के प्रभारियों की बैठक मुख्यालय पर अनुश्रवण हेतु बैठक करने तथा मुख्यालय अधिकारियों के द्वारा क्षेत्रों का भ्रमण करने सहित क्या-क्या मांग की गई है ? उसमें क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री आर0के चौधरी-

जी नहीं ।

राज्य स्वास्थ्य परिवहन कर्मचारी तकनीकी संघ का 11 मई, 1994 का एक पत्र प्राप्त हुआ था । पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर विचार विमर्श हेतु स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी, संघ के प्रतिनिधियों को भी सुना गया था तत्पश्चात् व्यय बचत आयोग की संस्तुति पर प्रमुख सचिव, वित्त के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेश प्राप्त हो गये थे कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत स्थापित परिवहन संगठन की उपादेयता न होने के कारण इसे वाइण्ड अप करके स्टाफ को विभाग में अन्यत्र अथवा अन्य विभागों में खपाया जाये । तद्नुसार आदेश जारी किये जा चुके हैं । 27 जून, 1994 एवम् जुलाई, 1994 के कोई पत्र प्राप्त नहीं हुये अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल "ब्लाक एकेश्वर" में रा0 हाई स्कूल मासौ के भवन निर्माण हेतु धन स्वीकृत किये जाने की मांग

32-श्री हरक सिंह रावत-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल "ब्लाक एकेश्वर" में रा0 हाई स्कूल मासौ में विद्यालय भवन के निर्माण हेतु क्या सरकार जनहित में धन स्वीकृत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद पौड़ी गढ़वाल ब्लाक एकेश्वर के संदर्भित विद्यालय के भवन के निर्माण का कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई निर्माण खण्ड श्री नगर गढ़वाल के अधिशासी अभियन्ता व अन्य अधिकारियों द्वारा प्राइवेट टैक्सी से निरीक्षण कर धनराशि खर्च किये जाने के घोटालों की जांच कराने की मांग

33-श्री हरक सिंह रावत-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई निर्माण खण्ड, श्रीनगर गढ़वाल के अधिशासी अभियन्ता व अन्य अधिकारियों ने दिनांक 20 सितम्बर, 1994 से 20 दिसम्बर, 1994 तक प्राइवेट टैक्सी से नहरों का निरीक्षण कर लगभग 33,000.00 रु0 की धनराशि का खर्च दिखाया गया ? क्या सरकार उक्त घोटाले की जांच करायेगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां। ईंगित अवधि में उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान शासकीय वाहनों की अनुपलब्धता के कारण शासकीय अतिआवश्यक यात्राओं के लिये अधिशासी अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड, श्रीनगर द्वारा टैक्सी किराये पर ली गई, जिस पर प्रश्नगत व्यय हुआ।

चूंकि उक्त व्यय शासकीय हित में किया गया, अतएव कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण गोण्डा से सिंचाई खण्ड गोण्डा को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई धनराशि से किये गये कार्य एवं जांच

34-श्री घनश्याम शुक्ल-

क्या ग्राम्य विकास तथा क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण गोण्डा से सिंचाई खण्ड गोण्डा को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत तथा सुनिश्चित योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि। जुलाई, 94 से 4-1-95 तक प्राप्त हुई है और किस-किस उपखण्ड में कौन सा कार्य कराया गया है ? क्या सरकार कार्यों का भौतिक सत्यापन कराकर दोषी पाये जाने पर लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती-

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण गोण्डा द्वारा सिंचाई खण्ड, गोण्डा को। जुलाई, 94 से 4-1-95 तक जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत रुपये 2.47 लाख तथा सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत रु0 2.50 लाख अवमुक्त किया गया है।

सिंचाई खण्ड गोण्डा के द्वितीय उपखण्ड में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत पथरहवा पथरौली फीडर का कार्य माह 12/94 से प्रारम्भ किया गया है जिस पर 2.00 लाख व्यय किया जा चुका है। जवाहर रोजगार योजना की धनराशि रुपये 2.47 बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर व्यय हेतु दी गई थी। उक्त कार्य राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् द्वारा अनुमोदित न हो पाने की दशा में धनराशि अभिकरण को वापस प्राप्त हो गई।

उक्त कार्य का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है। कोई दोषी नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

35-श्री घनश्याम शुक्ल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण जनपद गोण्डा से कितनी धनराशि 1 जुलाई, 94 से 4-1-95 तक ग्रामीण अभियंत्रण सेवा गोण्डा को जवाहर रोजगार योजना तथा सुनिश्चित योजना में किस-किस विकास खण्ड में किस-किस कार्य के लिये धन आवंटित किया गया है ? क्या मानक के अनुसार कार्य कराया गया है ? यदि नहीं तो क्या सरकार भौतिक सत्यापन टी0ए0सी0 से कराकर दोषी लोगों को दण्डित करेगी ?

श्री चैनसुख भारती-

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण जनपद गोण्डा से जवाहर रोजगार योजना एवं सुनिश्चत रोजगार योजना के अन्तर्गत दिनांक 1 जुलाई, 94 से 4-1-95 तक ग्रामीण अभियंत्रण सेवा गोण्डा को आवंटित की गई धनराशि एवं कार्यों का विकास खण्डवार विवरण संलग्न है। +

जी हां, कार्य मानक के अनुसार कराया गया है। अतः टी0ए0सी0 से भौतिक सत्यापन कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल "ब्लाक एकेश्वर" में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत पणखेत से मथाणा जीप मार्ग पर त्रुटिपूर्ण निर्माण कार्य की जांच कराये जाने की मांग

36-श्री हरक सिंह रावत-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल "ब्लाक एकेश्वर" में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत पणखेत से मथाणा जीप मार्ग हेतु 5.70 हजार रुपये गत वर्ष स्वीकृत किये गये थे ? क्या उक्त योजना पर त्रुटिपूर्ण कार्य किया गया है ? क्या सरकार इसकी तकनीकी जांच कराकर सम्बन्धित अधिकारियों को दोषी पाये जाने पर कार्यवाही करेगी ?

श्री चैनसुख भारती-

जी नहीं, 5.70 लाख स्वीकृत हुये थे।

जी नहीं, उक्त मार्ग पर चैनेज 375 मी0 से 500 मी0 (125 मी0) में कठोर चट्टान होने के कारण कार्य को पूर्ण चौड़ाई में नहीं किया जा सका। हालांकि मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

+ छापा नहीं गया।

जनपद बांदा के अन्तर्गत तहसील बबेरू के ग्राम कोरही तथा ब्लाक महुआ के ग्राम विलगांव को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया धन एवं कार्य

37-श्री राजकुमार शिवहरे-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के अन्तर्गत ब्लाक महुआ, ग्राम विलगांव को रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 में कितना धन उपलब्ध कराया गया है ? उक्त ग्राम के विकास में किन-किन मदों में कितना खर्च किया गया है ? क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री चैनसुख भारती-

जनपद बांदा के अन्तर्गत ब्लाक-महुआ, ग्राम बिलगांव को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष 1992-93

जवाहर रोजगार योजना से प्राप्त	रु0 1,72,833.00
अन्य प्राप्त (व्याज से)	रु0 3,140.20
गतवर्ष 91-92 का अवशेष	रु0 1,019.00
कुल	रु0 1,76,992.20

वर्ष 1993-94

जवाहर रोजगार योजना से प्राप्त	रु0 71,487.00
अन्य प्राप्त (व्याज से)	रु0 2,247.80
गतवर्ष 92-93 का अवशेष	रु0 354.20
कुल	रु0 74,089.00

उक्त ग्राम के विकास में निम्नानुसार वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 में मदवार व्यय की गई है :-

वर्ष 92-93

1-तालाब खुदाई	रु0 40,020.00
2-तालाब घाट निर्माण	रु0 62,794.00
3-पुलिया निर्माण	रु0 8,017.00
4-खडंजा निर्माण	रु0 29,196.00
5-सम्पर्क मार्ग निर्माण	रु0 36,432.00
6-आडिट शुल्क	रु0 250.00
	रु0 1,76,709.00

वर्ष 1993-94

1-कूप मरम्मत	रु0	18000.00
2-खडन्जा निर्माण	रु0	33196.00
3-नाली पर घाट निर्माण	रु0	10000.00
4-नाली निर्माण	रु0	12598.00
5-स्टेशनरी व्यय	रु0	250.00
कुल	रु0	74044.00

जांच कराई गई है। कार्य सही पाये गये हैं। कोई दोषी नहीं पाया गया है। प्रश्न नहीं उठता।

38-श्री राजकुमार शिवहरे-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील बबेरू जनपद बांदा के अन्तर्गत आने वाले ग्राम कोरही के विकास हेतु जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 में कितना धन उपलब्ध कराया गया है ? अब तक उक्त ग्राम के विकास में कितना धन व्यय किया गया है ? क्या अभी तक कार्य शेष है ? उक्त आवंटित धन को किन-किन मदों में खर्च किया गया ? क्या मंत्री जी उक्त समस्त ब्यौरे को सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री चैनसुख भारती-

ग्राम कोरेही में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत विकास कार्यों हेतु वर्ष 1992-93 में रुपये 2,09,323.00 एवं वर्ष 1993-94 में रुपये 1,44,569.00 उपलब्ध कराया गया था।

अब तक उक्त ग्राम के विकास में कुल धनराशि रु0 3,50,142.00 व्यय की गई।

जी नहीं।

आवंटित धनराशि निम्नानुसार व्यय की गई है :-

वर्ष 1992-93

1-खड़न्जा निर्माण (हरिजन बस्ती में)	रु0	32,426.00
2-खड़न्जा निर्माण (पी0डब्ल0डी0 रोड से)	रु0	80,000.00
3-निर्बल वर्ग आवास खाते में स्थानान्तरण	रु0	17,600.00
4-कलेक्शन चार्ज	रु0	20.00
5-स्टेशनरी पर व्यय	रु0	60.00
	रु0	1,30,106.00

वर्ष 1993-94

1-वर्ष 92-93 का अवशेष खडन्जा निर्माण (पी0डब्लू0रोड से)	रु0	80,088.00
2-वर्ष 93-94 खडंन्जा व नाली निर्माण (बाहर बाबा लाला तक)	रु0	58,492.00
3-वर्ष 93-94 खड़न्जा व नाली निर्माण (मस्जिद से नगरी तालाब तक)	रु0	81,436.00
4-कलेक्शन चार्ज पर व्यय	रु0	20.00
	रु0	2,20,036.00

व्यय का पूरा ब्यौरा ऊपर अंकित हैं।

जनपद गोण्डा की मण्डी समिति उतरौला में विगत 3 वर्षों में स्थानीय रूप से हुई आय एवं खर्च का विवरण

39-श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्त-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी समिति उतरौला जनपद गोण्डा को विगत 3 वर्षों में शासन द्वारा तथा स्थानीय रूप से कितनी आय हुई ? क्या जितनी आय हुई है उसका 60 प्रतिशत संबंधित क्षेत्र में खर्च हुआ है ? यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में तथा कितना-कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

शासन द्वारा मण्डी समिति को कोई आय नहीं होती है। स्थानीय रूप से विगत तीन वर्षों में मण्डी शुल्क व अन्य आय के रूप में कुल रु0 50.34 लाख की आय हुई।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय रूप से प्राप्त हुई कुल आय का 40 प्रतिशत व्यय हो चुका है तथा निर्माणाधीन सम्पर्क मार्गों के निर्माण पर लगभग रु0 14.00 लाख व्यय होने की सम्भावना है। निर्माणधीन मार्गों का निर्माण पूर्ण होने पर कुल आय का व्यय 60 प्रतिशत से अधिक हो जायेगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता (सेनीटेशन) सम्बन्धी कार्यों का सही तरीके से पालन न किया जाना

40-श्री लालमणि प्रसाद-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0-903/16-10-83, दिनांक 23 फरवरी, 1983 के पैरा "8" जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अधीन

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता (सेनीटेशन) सम्बन्धी कार्य संबंधित स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा किया जायेगा ? क्या उक्त कार्य संबंधित स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा किया जायेगा ? उक्त कार्य संबंधित स्वास्थ्य निरीक्षकों द्वारा किया किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो उपरोक्त शासनादेश पैरा "8" के पालन हेतु विभाग की क्या योजना है ?

श्री आर0 के0 चौधरी-

जी नहीं ।

शासनादेश-संख्या 903/16-10-1983 को जारी नहीं किया गया अपितु यह दिनांक 25-2-83 को जारी किया गया था । इसके प्रस्तर-8 के अनुसार स्वच्छता का कार्य स्वास्थ्य निरीक्षकों सहित बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अन्तर्गत सम्मिलित सभी कर्मचारियों से यथाविधि लिया जा सकता है ।

जनपद बस्ती में, स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत चिकित्साधिकारियों का स्थानान्तरण

41-श्री लाल मणि प्रसाद-

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत कितने चिकित्सा अधिकारियों का स्थानान्तरण वर्ष 1994 में किये गये ? इनमें से कितने चिकित्सा अधिकारियों का स्थानान्तरण स्थगित किया गया ? क्या स्थगित किये गये अधिकारियों को पुनः स्थानान्तरित किया जायेगा ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जनपद में स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत कार्यकाल पूरा करने वाले कुछ चिकित्सा अधिकारियों को अभी तक नहीं हटाया गया है, इनको कब तक हटाया जायेगा ?

श्री आर0 के0 चौधरी-

जनपद बस्ती से साधारण ग्रेड (पुरुष) के पांच चिकित्सा अधिकारियों का स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत किया गया । एक चिकित्सा अधिकारी का स्थानान्तरण स्थगित किया गया ।

वर्ष 1995-96 की स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत विचाराधीन है ।

जिला फैजाबाद के विकास खण्ड बीकापुर अन्तर्गत ग्राम मंगारी में नलकूप विभाग द्वारा स्थापित किये गये नलकूप संख्या 289 बी0जी0 के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

42-श्री परशुराम यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद की तहसील व विकास खण्ड बीकापुर अन्तर्गत ग्राम मंगारी में नलकूप विभाग द्वारा स्थापित कराये गये

नलकूप संख्या 289 बी0 जी0 की निष्प्रयोज्यता तथा तकनीकी त्रुटियों आदि का ब्यौरा देते हुये प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र दिनांक 25-12-94 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इन शिकायतों को दूर किये जाने के बारे में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही कराई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

यद्यपि मा0 विधायक का संदर्भित पत्र उपलब्ध नहीं हो पाया है, तथापि जांच कराने पर यह पाया गया है, कि नलकूप संख्या-289 बी0जी0 की जल वितरण प्रणाली जीर्ण-शीर्ण होने के कारण नलकूप का उपयोग पूर्ण क्षमता से नहीं हो पा रहा है ।

जनपद प्लान में उपलब्ध वित्तीय प्राविधान के अनुसार जल वितरण प्रणाली के जीर्णोद्धार का कार्य किया जाता है ।

43-श्री अजय कुमार पोइया-

(मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया ।)

जनपद देवरिया में आर0एल0ई0जी0पी0 एवं एन0आर0ई0पी0 में जमा धन नवसृजित जनपद पडरौना को उसका अंश विलम्ब से भेजने के लिये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

44-श्री अम्बिका सिंह (देवरिया)-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में आर0एल0 ई0जी0पी0 एवं एन0आर0ई0पी0 में जमा धन जनपद के बंटवारे के बाद नवसृजित जनपद पडरौना को उसका अंश भेज दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, भेजा गया है तो पडरौना जनपद का अंश पडरौना कब तक भेज दिया जायेगा ? एक वर्ष व्यतीत होने तक अब तक धन न भेजने का क्या कारण है ? विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री चैनसुख भारती-

जी हां ।

दिनांक 30-3-1995 को ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखीमपुर खीरी एवं लखनऊ की मंडी परिषद् हेतु राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के कार्यालय उपनिदेशक (निर्माण) प्रथम लखनऊ द्वारा आवंटित धन से हुये कार्यों की जानकारी

45-श्री वासुदेव सिंह तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के

अन्तर्गत कार्यालय उप निदेशक (निर्माण) प्रथम, लखनऊ द्वारा माह जनवरी, 1993 से फरवरी, 1995 के मध्य लखीमपुर खीरी एवं लखनऊ में किस-किस कार्य के लिये कितना धन आवंटित किया गया ? लखनऊ में किस-किस कार्य के लिये कितना धन आवंटित किया गया ? क्या यह सत्य है कि अधिकतर कार्य फर्जी है ? क्या मंत्री जी इनके कार्यकाल में निर्माण संबंधी समस्त कार्यों की जांच करायेंगे ?

सुश्री मायावती-

धन का आवंटन मण्डी परिषद् (मुख्यालय) द्वारा किया जाता है। माह जनवरी, 1993 से फरवरी, 1995 के मध्य निम्न धनराशि आवंटित की गई :-

	लाख रुपये में
1-लखीमपुर खीरी-	
अ-मण्डी स्थल विकास हेतु	80.66
ब-हाटपैठ को विकसित करने में	2.00
स-सम्पर्क मार्ग हेतु	2.00
योग:	84.66
2-लखनऊ-	
अ-मण्डी स्थल विकास हेतु	77.70
ब-हाटपैठ विकसित करने हेतु	1.00
स-सम्पर्क मार्ग हेतु	2.00
योग:	80.70

जी नहीं ।

निर्माण संबंधी कार्यों का नैत्यिक पर्यवेक्षण अभियंत्रण के उच्चाधिकारियों द्वारा किया जाता है। विशिष्ट शिकायत प्राप्त होने पर जांच कराई जाती है।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के अन्तर्गत कार्यालय उप निदेशक (निर्माण) प्रथम, बी-61, निरालानगर, लखनऊ के अधीन कार्यरत मस्टर रोल कर्मचारियों को उत्पीड़न करने के कारणों की जानकारी

46-श्री वासुदेव सिंह तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के

अन्तर्गत कार्यालय उप निदेशक (निर्माण) प्रथम बी-61, निराला नगर, लखनऊ के अधीन माह मई, 1991 से फरवरी, 1995 के मध्य कुल कितने मस्टर रोल/वर्कचार्ज कर्मचारी कार्यरत रहे हैं ? उनके नाम क्या हैं ? उनमें से कितनों को मौखिक रूप से सेवामुक्त कर दिया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मौखिक रूप से सेवामुक्त कर्मचारियों को पुनः सेवा में लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि उप निदेशक श्री शिव बहादुर वर्मा द्वारा मार्च, 1993 से लगातार मस्टर रोल/वर्कचार्ज कर्मचारियों को उत्पीड़न के तहत निकाल कर नये कर्मचारियों को लिया है ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

सुश्री मायावती-

फरवरी, 1995 के अन्त में 51 कर्मचारी वर्कचार्ज एवं 20 कर्मचारी मस्टररोल पर कार्यरत हैं । कार्य की आवश्यकता के आधार पर इनकी संख्या घटती बढ़ती रही है ।

सूची संलग्न है ।

सेवा मुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 194-196 पर)

श्री राज नरायन त्रिपाठी परिक्षेत्र-2 राजकीय कृषि प्रक्षेत्र जमुनाबाद, गोला, खीरी द्वारा फर्जी आहरण एवं अनियमितता के संबंध में पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

47-श्री तेजभान सिंह-

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित श्री नन्द लाल विधायक का पत्र दिनांक 31-10-94 तथा प्रश्नकर्ता का कृषि सचिव को प्रेषित अनुस्मारक पत्र दिनांक 8-3-94 जिसमें श्री राज नरायन त्रिपाठी परिक्षेत्र-2 राजकीय कृषि प्रक्षेत्र जमुनाबाद, गोला, खीरी द्वारा फर्जी आहरण एवं अनियमितता के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

अनुस्मारक पत्र दिनांक 8-3-94 नहीं वरन् दिनांक 8-3-95 का प्राप्त हुआ है ।

जी हां ।

जांच कर आरोप-पत्र गठित करने के आदेश पूर्व में ही दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

48-49-श्री चैनसुख भारती-

(मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया)

50-श्री भगवती प्रसाद शुक्ल-

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

दैनिक श्रमिक श्रीदेव सिंह रावत प्रकरण पर हो रही जांच आख्या की जानकारी

51-श्री भगवती प्रसाद शुक्ला-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दैनिक श्रमिक श्री देवसिंह रावत प्रकरण में शासन एवं निदेशालय द्वारा आदेशित जांच को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु उत्पीड़ित श्री देव सिंह रावत का कोई पत्र दिनांक 12-9-94 जांच अधिकारीगण श्री लव वर्मा, निदेशक (प्रशासन) एवं डा0 डी0एन0 तिवारी, निदेशक, चिकित्सा तथा शासन में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो कितने संलग्नकों सहित ? पत्र के पैराज-7, 8 एवं 9 में पैरावार क्या-क्या अनुरोध किया गया है तथा अनुरोधों के क्रम में पैरावार क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या पत्र के साथ प्रस्तुत संलग्नकों एवं उनके क्रम में पाये गये तथ्य श्री रावत को वेतन एवं कार्य देने के प्रकरण को निर्णीत करने हेतु अपर्याप्त है? यदि हां, तो निर्णय करने हेतु अन्य क्या-क्या सूचनायें अपरिहार्य हैं एवं उनकी प्राप्ति हेतु श्री रावत से भी सहयोग प्राप्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी श्री रावत के अनुरोध के अनुसार वेतन एवं कार्य की सुविधा/राहत प्रदान करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर0 के0 चौधरी-

जी हां ।

दो संलग्नकों के साथ ।

प्रश्नगत पत्र दिनांक 12-9-94 में पैरा 7, 8 व 9 अंकित नहीं है ।

जी हां । जांच में श्री रावत के टाइपिस्ट के पद पर नियुक्त किये जाने का मामला सत्य नहीं पाया गया ।

उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों एवं कार्यालय अभिलेखों के आधार पर जांच पूर्ण की जा चुकी है ।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से ।

जांच में आरोप निराधार पाये गये, इसलिये वेतन एवं कार्य की सुविधा श्री रावत को प्रदान किया जाना सम्भव नहीं पाया गया ।

जनपद शाहजहांपुर के उप केन्द्रों पर डाक्टरों की व्यवस्था

52-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में शाहजहांपुर जनपद में कितने डाक्टरों की कमी है, कितने उपकेन्द्र ऐसे हैं जहां पिछले 3 माह से डाक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई है ? क्या सभी केन्द्र, उपकेन्द्रों पर डाक्टरों की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर0 के0 चौधरी-

जनपद शाहजहांपुर में ऐलोपैथिक पुरुष चिकित्साधिकारियों के 54 पद और एलोपैथिक महिला चिकित्साधिकारियों के 10 पद रिक्त हैं ।

मानक के अनुसार उप केन्द्रों पर चिकित्साधिकारी के पद सृजित नहीं हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

53-श्री शारदा प्रसाद जायसवाल-

(मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया ।)

जनपद महराजगंज के सिंचाई विभाग द्वारा निकाली गई चैनपुर रजबाहा के टेल पर चैनपुर ग्राम के मस्जिद के सामने पुलिया निर्माण हेतु प्रस्ताव के संबंध में हुई कार्यवाही

54-श्री शारदा प्रसाद जायसवाल-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्ता द्वारा दि0 13-4-94 को जनपद महराजगंज के सिंचाई विभाग द्वारा निकाली गई चैनपुर रजबाहा के टेल पर चैनपुर ग्राम के मस्जिद के सामने पुलिया निर्माण के संबंध में प्रस्ताव दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव विधायक कोष्ठक सचिवालय एनेक्सी भवन, लखनऊ से दि0 15-4-94 को परीक्षणोपरान्त सचिव, सिंचाई विभाग द्वारा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो आज तक विभाग द्वारा पुलिया निर्माण के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

जी हां ।

प्रस्तावित स्थल से 260 मीटर ऊपर व 380 मीटर नीचे पुलिया निर्मित है । अतः प्रस्तावित स्थल पर पुलिया निर्माण का औचित्य नहीं है ।

नगर पंचायत सिसवा बाजार जनपद महराजगंज के सस्ता गल्ले की दुकान पर निर्धारित यूनिट के आधार पर आवश्यक खाद्य वस्तुओं के वितरण में की जा रही अनियमितता

55-श्री शारदा प्रसाद जायसवाल-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत सिसवा बाजार जनपद महराजगंज के सस्ता गल्ले के दुकानों पर कितने-कितने यूनिट लगाये गये हैं ? क्या लगे हुये यूनिटों पर शासन द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार प्रत्येक दुकान को चीनी तथा तेल का आवंटन किया जाता है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में नगर पंचायत सिसवा बाजार के कुछ दुकानों पर लगे यूनिटों पर चीनी का आवंटन जो मानक के अनुसार होता है उसमें 25 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक अधिक चीनी दुकानदारों को आवंटित करने का क्या कारण है ? इस प्रकार अधिक चीनी का आवंटन प्रतिमाह जो मानक के विरुद्ध किया गया है उसकी जांच कराने तथा सम्बन्धित दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती-

नगर पंचायत सिसवा बाजार जनपद महराजगंज में कुल 9 दुकानें कार्यरत हैं। इन दुकानों में औसतन प्रति दुकान 214। यूनिट सम्बद्ध है ।

शासन द्वारा उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक दुकान को प्रत्येक माह प्रति यूनिट 800 ग्राम चीनी तथा प्रति राशनकार्ड 10 लीटर मिट्टी के तेल को निर्धारित दर से वितरण हेतु चीनी तथा तेल का आवंटन किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज की नरायणी नदी पर क्षतिग्रस्त बांधों के निर्माण, ड्रेन की सफाई एवं मरम्मत कराने के लिये दिये गये प्रस्ताव पर कृत कार्यवाही की जानकारी

56-श्री शारदा प्रसाद जायसवाल-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्ता द्वारा दि0 27-4-94 को जनपद महराजगंज की नरायणी नदी पर क्षतिग्रस्त बांधों के निर्माण ड्रेन की सफाई एवं मरम्मत कराने के लिये प्रस्ताव दिये गये थे जिस पर मा0 मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 26-4-94 को प्रमुख सचिव, सिंचाई से ड्रेन का निर्माण कराने की अपेक्षा की गई थी ? यदि हां, तो आज तक ड्रेन तटबन्ध आदि का मरम्मत, निर्माण न कराये जाने का कारण क्या है ?

सुश्री मायावती-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम मुख्यालय पर श्रीमती रश्मि कुमार जोनल मैनेजर के विरुद्ध दिये गये शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

57-श्री अम्बिका सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 19-1-95 जो श्रीमती रश्मि कुमार जोनल मैनेजर के विरुद्ध था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या शिकायती पत्र के बिन्दुओं की जांच कराई गई ? यदि जांच कराई गई तो क्या जांच परिणाम को सदन के पटल पर रखा जायेगा ? यदि जांच नहीं कराई गई, तो कब तक होगी ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम मुख्यालय पर शिकायती-पत्र के बिन्दुओं की जांच की जा रही है ।

जांच पूर्ण नहीं हुई ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (मैदानी क्षेत्र) में कार्यरत संयुक्त निदेशकों को स्थानान्तरित करने का मामला

58-श्री नन्द किशोर मिश्र-

क्या उद्यान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में वर्तमान समय संयुक्त निदेशक के कितने पद सृजित हैं और किस-किस पद पर कौन-कौन अधिकारी कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि एक ही स्थान पर पांच वर्षों से अधिक समय से कतिपय अधिकारी कार्यरत हैं ? क्या उनके स्थानान्तरण पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री फौजदार प्रसाद)-

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (मै0क्षे0) में वर्तमान समय में संयुक्त निदेशक तथा समकक्षीय कुल 6 पद सृजित हैं, जिसके विरुद्ध निम्नांकित अधिकारी कार्यरत हैं:-

1-डा0 आर0एस0चौहान, संयुक्त औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र सहारनपुर (सम्बद्ध लखनऊ) ।

2-डा0 आर0 डी0 सिंह, संयुक्त निदेशक (शाकभाजी) ।

3-डा0 मनमोहन सिन्हा, संयुक्त निदेशक (उद्यान) ।

4-डा0 सुरजीत सिंह, संयुक्त निदेशक (फल संरक्षण) ।

5-डा0 आर0 के0 सिंह, संयुक्त निदेशक, प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती।

6-श्री श्रीप्रकाश त्रिपाठी, अपर निदेशक, निदेशालय के सापेक्ष संयुक्त निदेशक औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सहारनपुर से सम्बद्ध) ।

प्रशिक्षण एवं ग्राम योजना के अन्तर्गत सृजित पद एवं अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित हैं जो सम्प्रति रिक्त हैं ।

जी हां । दो अधिकारी पांच वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं ।

स्थानान्तरण नीति के अनुसार उपरोक्त दोनों अधिकारियों के मुख्यालय पर तैनात होने के कारण स्थानान्तरण पांच वर्ष के पश्चात् अनिवार्य नहीं है । स्थानान्तरण के बारे में प्रशासकीय निर्णय आवश्यकतानुसार लिया जायेगा ।

जनपद पडरौना में विकास खण्ड सेबरही के ग्राम तरया सुन्दर बैकुण्ठ तथा हरकेश को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का मामला

59-श्री नन्द किशोर मिश्र-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद पडरौना के विकास खण्ड सेबरही के ग्राम तरया सुन्दर बैकुण्ठ तरया हरकेश को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम तरया सुन्दर, तरया बैकुन्ठ में नहर से सिंचाई सम्भव नहीं है । ग्राम तरया हरकेश में पहले से नहर द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध है ।

सेवामुक्त अभियन्ताओं की सेवा अवधि के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही

60-श्री भगवती प्रसाद शुक्ल-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सेवा मुक्त अभियन्ताओं की सेवा अवधि के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 1-10-94 एवं महासचिव यू0पी0 इन्जीनियर्स एसोशियेशन के पत्र दिनांक 21-10-94 मुख्य सचिव, सचिव/प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, महानिदेशक के यहां उल्लिखित संलग्नकों के अनुसार किन अभियन्ताओं के कौन-कौन प्रकरण लम्बित हैं ? उल्लिखित प्रकरणों में से किन-किन विषयों पर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ? किस-किस विषय में कार्यवाही पूरी कर दी गई है ? शेष पर कब तक कार्यवाही की जायेगी ? कौन-कौन विषय कार्यवाही के योग्य नहीं हैं एवं उसका क्या कारण है ? क्या मंत्री जी एसोशियेशन के पत्रों में की गई मांग के अनुसार संघ को वार्ता के लिये समय दिलायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर0 के0 चौधरी-

जी हां ।

एक सहायक अभियन्ता श्री एम0जी0 सिंघल को आदेश दिनांक 28-1-93 द्वारा सेवाच्युत किया जा चुका है । दिनांक 11-8-88 से 20-8-89 तक के वेतन भुगतान किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया । शेष शिकायतों में जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्राविधानों तथा नियमावली के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण फोरम के कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी उसके बने रहने के कारण की जानकारी

61-श्री लालमणि प्रसाद-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्राविधानों तथा उ0प्र0 उपभोक्ता संरक्षण नियमावली के अनुसार उ0प्र0 में जिला स्तर पर कार्यरत उपभोक्ता संरक्षण फोरमों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है ? यदि हां, तो यह उपभोक्ता संरक्षण फोरम किस अधिकार से कार्यरत हैं ? क्या शासन इन्हें तत्काल भंग करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं । उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा (9) के अन्तर्गत जिला फोरम के कार्यकाल की कोई अवधि निर्धारित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

औषधियों के क्रय सामान्य नियमानुसार मात्रा अनुबन्ध/दर अनुबन्ध के अन्तर्गत किया जाना

62-श्री लालमणि प्रसाद-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 शासन द्वारा संचालित चिकित्सालयों में दवाइयों की आपूर्ति हेतु रेट कॉन्ट्रेक्ट/एप्रूब्ड रेट पर डेक्सट्रोज 5 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत की बोतल 16 से 18 रुपये प्रति बोतल खरीदी जाती है जबकि सामान्य स्तर एवं मानक की यही दवा 9 से 10 रु0 प्रति बोतल मुक्त रूप से उपलब्ध है ? ऐसा क्यों ? क्या इसी मानक की दवा सरकार 16/- के स्थान पर 9/- में खरीदेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री आर0 के0 चौधरी-

जी नहीं, विभागीय दर अनुबन्ध में (वर्ष 94-95 तक) उक्त औषधि के क्रय की दर 10.40 रु0 से रु0 11.00 प्रति 540 एम0एल0 है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नहीं ।

औषधियों का क्रय सामान्य नियमानुसार मात्रा अनुबन्ध/दर के अन्तर्गत किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी में लाट भैरव के फल मण्डी को किसानों के हित में प्रापर मण्डी का लाइसेंस दिये जाने की मांग

63-श्री उदल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लाट भैरव फल मण्डी जो लाट भैरव सही वाराणसी में है उसको लाट भैरव प्रापर मण्डी का लाइसेंस अभी तक नहीं दिया गया है ? क्या यह सही है कि विपणन विभाग वाराणसी ने अपने पत्र संख्या 621, दिनांक 25-1-91 को मंडी परिषद् उत्तर प्रदेश, लखनऊ को मय आख्या के साथ भेजा है कि लाट भैरव स्थित फल मण्डी को प्रापर मण्डी लाइसेंस दिया जाना वाराणसी सम्भाग के किसानों, व्यापारियों एवं स्थानीय नागरिकों एवं मण्डी परिषद् के हित में है ? यदि हां, तो प्रापर मण्डी का लाइसेंस अब तक न देने का कारण क्या है ? क्या सरकार तुरन्त लाइसेंस जारी करने का आदेश देगी ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

विपणन विभाग, वाराणसी का पत्र दिनांक 25-1-91 प्राप्त हुआ । जांच आख्या में लाट भैरव स्थित फल मण्डी को प्रापर मण्डी का लाइसेंस दिये जाने का उल्लेख नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम तेन्दूरा ब्लाक बिसण्डा जनपद बांदा के विकास हेतु प्रदत्त धन के व्यय की जानकारी

64-श्री राजकुमार शिवहरे-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम तेन्दूरा ब्लाक बिसण्डा, जनपद बांदा में वर्ष 1992-93 एवं वर्ष 1993-94 में कुल कितना धन आवंटित किया गया तथा कितनी धनराशि विकास कार्यों में व्यय की गयी ? क्या मंत्री जी उक्त विकास कार्यों एवं आवंटित धनराशि की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती-

विकास खण्ड बिसण्डा ग्राम तेन्दुरा जनपद बांदा में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1992-93 में रु0 2,02,681 आवंटित किया गया । इसके अतिरिक्त रु0 83,021.28

वर्ष 1991-92 का अवशेष एवं अन्य प्राप्तियां (व्याज आदि) से रु0 1,351.00 की धनराशि सम्मिलित करने पर कुल रुपया 2,87,053.28 व्यय हेतु उपलब्ध थी जिसके सापेक्ष वर्ष 1992-93 में विकास कार्यों पर रुपये 1,34,314.00 की धनराशि व्यय की गई। वर्ष 1993-94 में रु0 1,40,290.00 आवंटित धनराशि एवं रु0 1,52,739.28 वर्ष 1992-93 की अवशेष धनराशि तथा रु0 2,289.80 अन्य प्राप्तियां (व्याज आदि) की धनराशि कुल रु0 2,95,319.08 की धनराशि व्यय हेतु उपलब्ध थी जिसके सापेक्ष विकास कार्यों पर वर्ष 1993-94 में कुल रु0 2,64,353.00 की धनराशि व्यय की गई है।

जांच कराई गई एवं कार्य संतोषजनक पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

आप्टीकल्स एसोशियेशन जनपद बांदा द्वारा डा0 रवि माथुर द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

65-श्री राजकुमार शिवहरे-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ अध्यक्ष एवं महामंत्री बांदा आप्टीकल्स एसोसियेशन जनपद बांदा का दिनांक 23 जून, 1994 को महाप्रबन्धक उ0प्र0 स्वास्थ्य विभाग को जिला अस्पताल बांदा में नेत्र विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत डा0 रवि माथुर द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के संबंध में, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या एसोसियेशन के उक्त शिकायती पत्र में लगाये गये आरोपों की बिन्दुवार जांच कराई गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच के परिणामों की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चैनसुख भारती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गोण्डा जनपद में लघु सिंचाई विभाग द्वारा पी0वी0सी0 पाइपों की छिदाई के उपरान्त प्राप्त स्क्रेप का कार्य टेण्डर से न कराने की शिकायत

66-श्री घनश्याम शुक्ल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद में लघु सिंचाई विभाग द्वारा पी0वी0सी0 पाइपों की छिदाई के उपरान्त प्राप्त स्क्रेप का कार्य वर्ष 1990 से 1995 तक टेण्डर द्वारा कराया गया है ? क्या टेण्डर जारी करने के पूर्व समाचार पत्रों में उसका ज्ञापन दिया गया ? क्या अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्राप्त स्क्रेप

को कम कीमत पर बेच दिया गया, जिससे राजस्व की जबरदस्त हानि हुई है ? क्या मा0 मंत्री उपरोक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती-

जी हां ।

लघु सिंचाई विभाग गोण्डा में पी0वी0सी0 पाइप की छिदाई के उपरान्त प्राप्त स्क्रेप का कार्य नहीं होता है, अपितु विभाग द्वारा पी0वी0सी0 पाइप के छिद्रण का कार्य कराया जाता है । इस कार्य में प्राप्त स्क्रेप के मूल्य को समाहित करते हुये निविदायें आमंत्रित की जाती हैं ।

जी हां ।

जी नहीं ।

मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा माह अप्रैल, 1989 में गठित समिति, जिसमें कि अधीक्षण अभियन्ता अध्यक्ष हैं, द्वारा अनुमोदन के उपरान्त स्वीकृत दर पर छिद्रण का कार्य कराया गया तथा निविदानुसार स्क्रेप का मूल्य ठेकेदार से जमा कराकर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड श्री दत्तगंज के ग्राम सभा बभनपुरवा के प्रधान को जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत आवंटित धन एवं कराये गये कार्य का विवरण

67-श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्त-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड श्री दत्तगंज के ग्राम सभा बभनपुरवा के प्रधान को वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कितना धन दिया गया और उससे कौन-कौन से कार्य कराये गये हैं ? कार्य का सत्यापन किसने किया ? क्या ग्राम प्रधान के खिलाफ धन हड़पने के आरोप सही पाये गये ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती-

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड श्री दत्तगंज के ग्राम सभा बभनपुरवा के प्रधान को जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 में

धनावंटन एवं कराये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	आवंटित धनराशि	कार्य का नाम	मात्रा
1991-92	23,619.45	1-सम्पर्क मार्ग मिट्टी कार्य	800 मीटर
		2-हैण्ड पम्प	5
1992-93	20,717.55	सम्पर्क मार्ग मिट्टी कार्य	2000 मीटर
1993-94	23,824.00	1-सम्पर्क मार्ग मिट्टी कार्य	1500 मीटर
		2-हैण्ड पम्प	3
		3-मार्ग मरम्मत	1000 मीटर

कार्य का सत्यापन खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा किया गया है।

जी नहीं। कार्य संतोषजनक पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

गोण्डा जिले के उतरौला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक्सरे मशीन की सुविधा प्रदान करने की योजना को लागू किये जाने की मांग

68-श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्त-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जिले की उतरौला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक्सरे मशीन है ? यदि नहीं, तो क्या वहां के नागरिकों के लिये एक्सरे मशीन की सुविधा दिलाने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर0 के0 चौधरी-

जी नहीं, क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक्सरे मशीन की सुविधा अनुमन्य नहीं है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उतरौला जनपद गोण्डा को उच्चीकृत करके 30 शैय्यायुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण का निर्णय शासन द्वारा लिया जा चुका है एवं भवन निर्माण की स्वीकृति शासनादेश संख्या 4387/5-9-92-199/92 दिनांक 11 नवम्बर, 1992 के द्वारा दी जा चुकी है तदोपरान्त एक्सरे मशीन की सुविधा भी उपलब्ध हो जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

ए0 एन0 एम0 के पद पर नियुक्ति हेतु लगे प्रतिबन्ध को हटाने की मांग

69-श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्त-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश दिनांक 21 जनवरी, 1991 के द्वारा ए0 एन0 एम0 के पद पर नियुक्ति हेतु जो प्रतिबन्ध लगया गया था, को कब तक हटाया जायेगा ? यदि नहीं नहीं, तो क्यों ?

श्री आर0 के0 चौधरी-

बहुबन्धी स्वास्थ्य कर्मचारियों जिनमें पूर्व ए0 एन0 एम0 भी सम्मिलित हैं, की सेवा नियमावली का गठन विचाराधीन है, उसके प्रख्यापन के पश्चात् ही नियुक्तियां सम्भव हैं।

उ0प्र0 के प्राविधिक शिक्षा परिषद् एवं मेडिकल कालेजों से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला

70-श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्त-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत के विभिन्न प्रान्तों से अनुदान देकर निजी संस्थानों से उत्तीर्ण हुये डिप्लोमा फार्मेसिस्टों के आवेदन-पत्र उ0प्र0 स्वास्थ्य महानिदेशालय के कार्यालय में माह मार्च/अप्रैल, 1994 में लिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उ0 प्र0 के प्राविधिक शिक्षा परिषद् एवं मेडिकल कालेजों से प्रशिक्षण प्राप्त वर्ष 1989-90 के अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उक्त अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के प्रार्थना-पत्र लेने का औचित्य क्या है ?

श्री आर0 के0 चौधरी-

फार्मेसिस्ट सेवा नियमावली में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रशिक्षित और यू0पी0 फार्मेसी कौन्सिल में पंजीकृत अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने का प्राविधान है। प्रश्नगत अवधि में तद्नुसार ही आवेदन-पत्र मांगे गये हैं।

जी नहीं, वर्ष 1989-90 में प्रश्नगत संस्थानों से उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को नियुक्त नहीं किया गया है।

फार्मेसिस्ट सेवा नियमावली, 1980 में उपलब्ध प्राविधानों के अन्तर्गत किसी प्रान्त विशेष से ही अभ्यर्थियों से प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये जाने का प्रतिबन्ध नहीं है।

गढ़वाल विश्वविद्यालय में विज्ञान, कला एवं विधि संकाय आदि के भवन, परिसर, कैन्टीन, पुस्तकालय तथा शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का मामला

71-श्री हरक सिंह रावत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पौड़ी परिसर "गढ़वाल विश्वविद्यालय" में विज्ञान संकाय, कला संकाय, विधि संकाय के भवन हैं ? क्या परिसर में-चहारदीवारी,

कैन्टीन, पुस्तकालय, की व्यवस्था है । क्या सृजित समस्त विषयों में कार्यभार के अनुरूप शिक्षक/कर्मचारी उपलब्ध करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

विज्ञान संकाय एवं कला संकाय के भवन निर्माणाधीन हैं । विधि संकाय का भवन शासन के विचाराधीन है ।

चहारदीवारी, कैन्टीन की व्यवस्था नहीं है । पुस्तकालय की व्यवस्था है ।

पौड़ी परिसर में स्वीकृत विषयों में कार्यभार के मानक के अनुरूप सृजित पदों पर शिक्षक/कर्मचारी उपलब्ध हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में लगने वाले "गेंद मेला" "डाडामण्डी" दारीखाल की लोक संस्कृति को विकसित करने की मांग

72-श्री हरक सिंह रावत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रतिवर्ष लगने वाले "गेंद मेला" डाडामण्डी दारीखाल की लोक संस्कृति के हित को ध्यान में रखते हुये सरकार वहां पर सर्वांगीण विकास करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद पौड़ी गढ़वाल में लगने वाले "गेंद मेला" "डाडामण्डी" द्वारीखाल की लोक संस्कृति के विकास हेतु वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

सिंचाई विभाग की विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत सर्वेयरों के पदोन्नति का मामला

73-श्री लाल मणि प्रसाद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत सर्वेयरों की पदोन्नति वरिष्ठ सर्वेयर के पद पर की गई है ? यदि हां, तो नलकूप मण्डल द्वितीय गोरखपुर के अन्तर्गत नलकूल खण्ड प्रथम बस्ती में कितने सर्वेयरों की पदोन्नति वरिष्ठ सर्वेयर के पद पर की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत सर्वेयर का कोई पद स्वीकृत नहीं है ।

जनपद बलिया के अन्तर्गत कुण्डैल नियामत अली से तरछापार तक बन्धी निर्माण में हुये फर्जी पेमेंट की जांच

74-श्री राधेश्याम वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया के अन्तर्गत कुण्डैल नियामत अली से तरछापार तक बन्धी निर्माण वर्ष 1995 में और उसका पेमेन्ट कब किया गया है? क्या यह सही है कि बिना कार्य कराये ही फर्जी पेमेन्ट कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराते हुये संबंधित अधिकारियों को दण्डित करेंगे?

सुश्री मायावती-

सिंचाई विभाग में ड्रेनेज खण्ड बलिया के अन्तर्गत कुण्डेल नियामत अली ग्राम से तरछापार तक बन्धी निर्माण का कार्य नहीं कराया गया है और न ही कोई भुगतान किया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत कुण्डेल नियामत अली से तेन्दुहारी होते बहोरवा खुर्द नाला को बनाये जाने की मांग

75-श्री राधेश्याम वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत कुण्डैल नियामत अली से तेन्दुहारी होते हुये बहोरबा खुर्द नाला वर्ष 1995 माह जनवरी/फरवरी में बनवाया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि बिना कार्य कराये ही बरसात के समय में स्थानीय अभियन्ताओं द्वारा मिल कर उक्त फर्जी कार्य का पेमेंट कर दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार इसकी टी0ए0सी0 जांच कराते हुये संबंधित अधिकारियों को दण्डित करेगी ?

सुश्री मायावती-

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर के अन्तर्गत बहोरवा खुर्द नाला सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः इस पर वर्ष 1995 माह जनवरी/फरवरी में सिंचाई विभाग द्वारा कोई कार्य कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलापूर्ति कार्यालय, फैजाबाद के लिपिक को हटाये जाने का मामला

76-श्री परशुराम यादव-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलापूर्ति कार्यालय फैजाबाद में स्टाफिंग पेटर्न वर्ष 1991 से अब तक नहीं लागू कराया गया है और एक ही

काऊन्टर पर गत तीन-तीन, चार-चार सालों से एक ही लिपिक को कार्यरत रखा गया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

सुश्री मायावती-

जिलापूर्ति कार्यालय, फैजाबाद का मात्र एक लिपिक जो जुलाई, 91 से अपर जिलाधिकारी (ना0आ0) और बाद में प्रभारी अधिकारी (ना0आ0) के साथ टंकण कार्य हेतु सम्बद्ध था, को भी वहां से हटा दिया गया है और अब कोई भी लिपिक 3-4 वर्षों से एक ही काउन्टर पर कार्यरत नहीं है।

मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा से सम्बन्धित विभिन्न उपकरण सहित यूनिसेफ द्वारा दिये गये किटों का विवरण

77-श्री परशुराम यादव-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा से संबंधित विभिन्न उपकरण सहित यूनिसेफ द्वारा दिये गये किटों का वितरण वर्ष 1994 में जिला फैजाबाद के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र/प्रवोत्तर सेव केन्द्रों पर कराया गया है ? यदि हां, तो यूनिसेफ के इस किट में कौन-कौन सी सामग्री किन-किन कर्मचारियों को उपलब्ध कराई गई है ?

श्री आर0 के0 चौधरी-

जी हां। सेवा केन्द्रों पर वितरण कराया गया है।

कुल 410 ए0एन0एम0 को किटें उपलब्ध कराई गई।

किटों में दी गई सामग्री की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी "इ" आगे पृष्ठ 197 पर)

जनपद महोबा के गांवों के विकास की न्यूनतम योजनाओं हेतु श्री अरिमर्दन सिंह स0वि0स0 का पत्र एवं कार्यवाही

78-श्री वीरेन्द्र मोहन सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महोबा के 15 गांवों के विकास की न्यूनतम योजनाओं हेतु धनराशि उपलब्ध कराने के संबंध में श्री अरिमर्दन सिंह, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 28 फरवरी, 1995 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें इंगित मुख्य-मुख्य तथ्य क्या थे तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैन सुख भारती-

जी नहीं। वर्णित पत्र की तलाश की गई किन्तु प्राप्त होना नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पडरौना विकास खण्ड दुदही में कार्यरत खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध जांच एवं कार्यवाही की जानकारी

79-श्री नन्द किशोर मिश्र-

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पडरौना के विकास खण्ड दुदही में वर्ष 1991-92 में तैनात खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई जांच कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो क्या जांच कार्यवाही पूरी हो चुकी है ? क्या सरकार जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती-

जी हां ।

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकास खण्ड खिर्सू के अन्तर्गत पीपली पेयजल योजना चालू कराने की मांग

80-डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकास खण्ड खिर्सू के अन्तर्गत पीपली पेयजल योजना पर कुल कितना पैसा व्यय हुआ ? क्या पैसा व्यय करने के बाद भी पेयजल उपलब्ध कराया जा सका ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि उक्त कार्य केवल फाइल-कागजों तक ही सीमित रहा ? क्या इस पर जांच की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

2.12 लाख रु0 व्यय हुआ ।

पेयजल आपूर्ति चालू है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

81-डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

(उसरे गुरुवार में अता0प्र0स0-62 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में अवर अभियन्ता (सिविल) का परीक्षाफल लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा घोषित किया जाना

82-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में नियुक्ति हेतु अवर अभियन्ता (सिविल) के पदों हेतु साक्षात्कार माह जून-जुलाई, 1994 में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा सम्पन्न हो गया है परन्तु

उक्त परीक्षा का परीक्षाफल अभी तक क्यों घोषित नहीं किया गया है ? परीक्षाफल घोषित करने में विलम्ब क्यों हो रहा है और उसे कब तक घोषित कर दिया जायेगा ?

श्री चैनसुख भारती-

जी हां, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में अवर अभियन्ता सिविल का परीक्षाफल लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा घोषित कर दिया गया है ।

परीक्षाफल घोषित किया जा चुका है ।

प्रदेश मेडिकल फैकल्टी से प्रशिक्षित लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति न होने के कारणों की जानकारी

83-श्री रमापति शास्त्री-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश मेडिकल फैकल्टी में वर्ष 1989-90 में कितने लैब टेक्नीशियन प्रशिक्षित हुये, उनमें से कितने किस तिथि में नियुक्त किये गये ? क्या उनमें से कुछ बेरोजगार भी हैं ? यदि हां, तो क्यों ? प्रदेश में कितने लैब टेक्नीशियन के पद रिक्त हैं ? क्या रिक्त पदों पर वर्ष 1989-90 में प्रशिक्षित लोगों की नियुक्तियां वरिष्ठता सूची के आधार पर की जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या वर्ष 1989-90 में प्रशिक्षित लैब टेक्नीशियन की नियुक्तियां न होने के कारणों की जांच कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर0के0 चौधरी-

वर्ष 1989-90 में प्रवेश मेडिकल फैकल्टी में 240 अभ्यर्थियों को लैब टेक्नीशियन का प्रशिक्षण दिया गया । इनमें से मेरिट एवं पंजीयन के आधार पर जनवरी, 17, 18, 19, 21, 1991, फरवरी 23,26, 1991, मार्च 15, 16, 22, 27, 1991, अप्रैल 19, 1991, जून 21, 1991, अक्टूबर 22, 1991, जनवरी 21, 22, 1992, फरवरी 25, 1992 एवं अप्रैल 30, 1992 में कुल 148 अभ्यर्थियों को नियुक्ति के आदेश दिये गये ।

जी हां, अप्रैल, 1992 तक सामान्य श्रेणी के रिक्त समस्त पदों पर नियुक्तियां कर दी गई थीं । सामान्य श्रेणी की उपलब्ध रिक्तियों से अधिक सामान्य वर्ग के प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध होने के कारण कुछ बेरोजगार भी हैं ।

वर्तमान में लैब टैक्नीशियन के 157 पद रिक्त हैं ।

जी नहीं, लैब टैक्नीशियन के रिक्त पदों पर नियुक्ति उनकी सेवा नियमावली में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी ।

लैब टैक्नीशियन की सेवा नियमावली अब प्रख्यापित हो चुकी है, नियुक्तियों की कार्यवाही प्रगति पर है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला पौड़ी गढ़वाल के पिठुण्डी-पैठाणी मोटर मार्ग को पूर्ण किये जाने की मांग

84-डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला पौड़ी गढ़वाल के पिठुण्डी-पैठाणी मोटर मार्ग कितने कि0मी0 बन पाया है ? क्या अभी इसको आगे बनना है ? यदि हां, तो अभी तक शेष क्यों नहीं बन सका ? उक्त मार्ग कब तक बनेगा ?

सुश्री मायावती-

जिला पौड़ी गढ़वाल के पिठुण्डी-पैठाणी वन मोटर मार्ग 6.50 कि0मी0 वर्ष 1993-94 में बन पाया है ।

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों के सीमित होने के कारण ।

समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है ।

85-श्री बालेश्वर त्यागी-

(दिनांक 17-7-95 को अता0प्र0सं0 37 द्वारा उत्तरित)

जनपद हमीरपुर के ग्राम ग्योड़ी में जवाहर रोजगार योजना में स्वीकृत रुपये के दुरुपयोग के संबंध में विधायक के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

86-श्री वीरेन्द्र मोहन सिंह तथा श्री अरिमर्दन सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि हमीरपुर जनपद के ग्राम ग्योड़ी में जवाहर रोजगार योजना में स्वीकृत लगभग 17 लाख रुपये की धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में श्री अरिमर्दन सिंह, सदस्य वि0स0 का कोई पत्र दिनांक 20 फरवरी, 1995 उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, उसमें मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या थे तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती-

जी हां ।

पत्र में मुख्य-मुख्य बिन्दु निम्नलिखित थे :-

1-ग्राम सभा की खुली बैठकों में कार्यों को अनुमोदित कराने की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है ।

2-वनीकरण, सम्पर्क मार्ग, निर्बल वर्ग आवास पेयजल कूप निर्माण तथा मरम्मत, पुलिया निर्माण तथा गलियों में खड़न्जा एवं नाली निर्माण हेतु धनराशि अलग-अलग कितनी-कितनी व्यय की गई तथा भौतिक उपलब्धि प्रत्येक कार्य में कितने प्रतिशत रही ।

3-निर्माण कार्यों का किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया तथा उसमें क्या-क्या अनियमितताये पायी गई। अनियमितताओं के प्रकाश में आने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई।

कृत कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है :-

1-ग्राम सभा द्वारा कराये गये कार्य ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदित हैं।

2-कार्यों की जांच के आदेश दे दिये गये हैं। अभिलेख समय से उपलब्ध न कराये जाने के कारण जांच पूर्ण नहीं हो पायी है। जांच में दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

गांव बरही नेवादा परगना पन्द्रह, जिला वाराणसी में बाबतपुर राजबाहा के निर्माण में अर्जित भूमि पर बनी चहार दीवारी तोड़कर रजवाहा में मिलाने विषयक शिकायत

87-श्री ऊदल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, संयुक्त संगठन, वाराणसी में अपने पत्र संख्या-पत्रांक/आठ-वि0भू0अ0 अ/वा0/दिनांक 15-4-94 के द्वारा लिखा है कि गांव बरही नेवादा परगना पन्द्रह तहसील व जिला वाराणसी में मोती लाल, नन्द लाल, राजेश कुमार, राम लखन, द्वारिका वगैरह की बाबतपुर राजबाहा में निर्माण हेतु अर्जित भूमि में आबादी पर चहार दीवारी को निर्माण के वक्त गिराया गया है तो कृषक द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र पर अपने स्तर से निस्तारण करके भूमि अध्याप्ति अधिकारी सं0 संगठन, वाराणसी को भी सूचित कर दें ? यदि हां, तो दिनांक 14-4-94 से 13-3-95 तक अधिशासी अभियन्ता ने क्या कार्यवाही की ? क्या मौके पर जाकर पक्की चहार दीवारी जो 10 फिट ऊंची खड़ी है और तोड़कर नहर में मिलाया है उसके बाद जमीन बराबर है उसकी जांच स्वयं किया कि नहीं और किसी अधिकारी से जांच कराकर प्रतिकर उपरोक्त काश्तकारों को दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त पक्की चहार दीवारी तोड़कर नहर में मिलाया गया है और कमरों को तोड़ा गया है उसका प्रतिकर बनाने में की गई गलती को सुधारने का आदेश देगी ? क्या इस संबंध में मोती लाल के प्रार्थना पत्र व भूमि अध्याप्ति अधिकारी का दिनांक 15-4-94 का पत्र अपने पत्र के साथ प्रमुख सचिव, सिंचाई, उत्तर प्रदेश को दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

पत्रांक-आठ-वि0भू0अ0अ0/वा0 नहीं अपितु पत्रांक 324/आठ-वि0भू0अ0अ0/वा0

दिनांक 15-4-94 में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, वाराणसी ने अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड जौनपुर को सर्वश्री मोती लाल, नन्द लाल, राजेश कुमार, राम लखन, द्वारिका आदि के प्रार्थना पत्र की प्रति भेजते हुये लिखा है कि प्रश्नगत बाबतपुर राजबाहा के निर्माण हेतु अर्जित भूमि आबादी की भूमि है जो भू-राजस्व में किसी के नाम दर्ज नहीं है अतएव प्रतिकर नियमानुसार देय न होने के कारण अवार्ड घोषित नहीं किया गया ।

यदि कब्जा के समय किसी निर्माण को गिराया गया है तो मूल्यांकन कराकर नियमानुसार प्रतिकर के संबंध में प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर अवगत कराने का कष्ट करें ।

कार्यस्थल की जांच अधिशासी अभियन्ता द्वारा माह सितम्बर, 1994 में की गई । स्थल पर नहर निर्माण के समय 10 फीट ऊंची पक्की चहार दीवारी नहीं थी । अतः उसे तोड़कर नहर में मिलाने एवं उसका प्रतिकर कृषकों को देने का प्रश्न नहीं उठता ।

न तो चहार दीवारी और न ही कमरों को तोड़ा गया अतः प्रतिकर बनाने एवं गल्ती सुधारने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

उक्त के संबंध में श्री मोती लाल का प्रार्थना पत्र विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी वाराणसी के उक्त प्रस्तर-1 में संदर्भित पत्र दिनांक 15-4-94 की प्रति सहित मा0 विधायक के पत्र के साथ 13 मार्च, 1995 का प्रमुख सचिव, सिंचाई को प्राप्त हुआ । विषय पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा जांच 9/94 में ही हो चुकी थी ।

आयुक्त झांसी मण्डल झांसी एवं आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को दिये गये शिकायती पत्र में उल्लिखित बिन्दु एवं कृत कार्यवाही

88-श्री राजकुमार शिवहरे-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का दिनांकित 31-1-1995 का पत्र संख्या 256/95, आयुक्त झांसी मण्डल, झांसी एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा जांचोपरान्त क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती-

प्रश्नकर्ता का दिनांक 31-1-1995 का पत्र संख्या 256/95, आयुक्त झांसी मण्डल, को प्राप्त हुआ है ।

उक्त पत्र में जिला योजना अनुश्रवण समिति की बैठक के चलते रहते एवं जनप्रतिनिधि के भी बैठक में उपस्थित रहने के बावजूद जिला स्तर के विभागाध्यक्षों

द्वारा बैठक को छोड़कर चले जाने की शिकायत की गई है। बैठक को छोड़कर चले जाने वाले विभागाध्यक्षों के विरुद्ध कड़े निर्देश पारित करने की अपेक्षा की गयी एवं भविष्य में बैठक छोड़ने की पुनरावृत्ति न हो सके इस हेतु जिला प्रशासन/जिलाधिकारी बांदा को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश देने की भी शिकायत की गई है।

आयुक्त झांसी मण्डल द्वारा संबंधित अधिकारियों को भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न करने हेतु निर्देश देने के लिये जिलाधिकारी बांदा को लिखा गया है।

जिला गोण्डा के उतरौला तहसील के अन्तर्गत मण्डी समिति द्वारा रोडवेज बस स्टैण्ड पर बन रहे सुलभ शौचालय के निर्माण को पूर्ण किये जाने की मांग

89-श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जिले की उतरौला तहसील के अन्तर्गत मण्डी समिति द्वारा रोडवेज बस स्टैण्ड पर सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य किन कारणों से अधूरा रोक दिया गया ? क्या सरकार इस अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

निर्माण कार्य की तकनीकी/गुणवत्ता की नियमित जांच के मध्य निर्माण संस्था द्वारा कार्य अधूरा रोक दिया गया था। अब कार्य पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है।

जी हां। कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

90-श्री तेजभान सिंह-

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।)

राष्ट्रीय शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अन्तर्गत फैजाबाद मुख्यालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयोजित कार्यक्रमों एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों की जानकारी

91-श्री परशुराम यादव-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "राष्ट्रीय शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम" के अन्तर्गत विभागीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित किये जाने के क्रम में जिला फैजाबाद में वर्ष 1994 में जिले के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिये प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करके कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया और उन्हें प्रशिक्षण अवधि का भत्ता आदि नकद दिया गया है ? यदि हां, तो यह प्रशिक्षण शिविर किन-किन जगहों पर आयोजित किये गये ? उनमें किस-किस स्तर के कितने विभागीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया और इस पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

श्री आर0 के0 चौधरी-

जी हां ।

प्रशिक्षण शिविर जनपद फैजाबाद में मुख्यालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बीकापुर में आयोजित किये गये ।

निम्नलिखित 489 विभागीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया :-

1-ए0 एन0 एम0	405
2-स्वास्थ्य निरीक्षिका	41
3-चिकित्साधिकारी	21
4-कम्प्यूटर	18
5-ट्यूमर सिस्टर	3
6-पी0एम0ए0	1

उक्त प्रशिक्षण पर कुल रुपये 6,25,091.64 पैसे की धनराशि व्यय की गई ।

फैजाबाद नगर में जिलापूर्ति कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंधित श्री विनय कुमार सिन्हा सामाजिक कार्यकर्ता का शिकायती पत्र एवं बिन्दुवार कृत कार्यवाही

92-श्री परशुराम यादव-

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरीय क्षेत्र फैजाबाद के सामाजिक कार्यकर्ता विनय कुमार सिन्हा द्वारा जिला पूर्ति कार्यालय में व्याप्त विभिन्न भ्रष्टाचार का पंजीकृत शिकायती पत्र संख्या 0521 दिनांक 14-11-94 जो मण्डलायुक्त फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद को प्रेषित है, मण्डलायुक्त को प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो इस शिकायती पत्र का बिन्दुवार विवरण क्या है तथा शिकायतों पर मण्डलायुक्त द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर में एम्बुलेन्स उपलब्ध कराने, प्रा0स्वा0 केन्द्र बढ़नी में महिला चिकित्सक का पद सृजित करने तथा शोहरतगढ़ के कर्मचारियों को स्थानान्तरित न किये जाने के कारणों की जानकारी

93-श्री रवीन्द्र प्रताप-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर के प्रा0स्वा0 केन्द्र, शोहरतगढ़ में एम्बुलेंस उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो कब तक उपलब्ध होने की सम्भावना है ? क्या यह सही है कि प्रा0 स्वा0 केन्द्र बढ़नी एवं प्रा0 स्वा0 केन्द्र शोहरतगढ़ में स्थायी महिला चिकित्सक नहीं हैं ? यदि हां, तो

तो कब तक नियुक्ति की जायेगी ? उक्त विधान सभा क्षेत्र के उप स्वा0 केन्द्र करहना एवं उप स्वा0 केन्द्र मोहन कोला में चिकित्सक की नियुक्ति हुई है ? यदि नहीं, तो कब तक की जायेगी ? क्या सरकार यह बतायेगी कि शोहरतगढ़ में प्रा0 स्वा0 केन्द्रों पर कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण कब से नहीं हुआ है ? क्या इन कर्मचारियों के स्थानान्तरण का प्राविधान नहीं है ? यदि हां, तो कब तक स्थानान्तरण कर दिया जायेगा ?

श्री आर0 के0 चौधरी-

शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं । अपितु वहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जहां के लिये एम्बुलेन्स आवंटित हैं । वर्तमान में उक्त सिद्धार्थनगर से अस्थाई तौर पर सम्बद्ध हैं क्योंकि सम्प्रति जिला चिकित्सालय में एम्बुलेंस नहीं है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बढ़नी में महिला चिकित्सक का पद सृजित नहीं है । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शोहरतगढ़ में महिला चिकित्सक उपलब्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शोहरतगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नही है । शोहरतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत कर्मचारियों का शासकीय नीति के अनुसार स्थानान्तरण किया जाता है । इस वर्ष कुल चार कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल की प्रयोगशाला में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग

94-श्री हरक सिंह रावत-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि हे0नं0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल में कुल कितने प्रयोगशाला सहायक के पद पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, क्या उन कर्मचारियों को सरकार नियमित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रयोगशाला सहायक के रूप में कुल 17 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पद शासन द्वारा अनुमोदित हैं ।

जनपद पौड़ी में ज0इ0का0 देवराजखाल विद्यालय के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धन से निर्माण कार्य कराने की मांग

95-श्री हरक सिंह रावत-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी में ज0 इ0 का0 देवराजखाल में विद्यालय भवन जीर्ण-शीर्ण है ? क्या सरकार जनहित में ज0इ0का0 देवराजखाल के लिये धन स्वीकृत कर विद्यालय भवन का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

अतिरिक्त कक्षा कक्ष के निर्माण हेतु रु0 50,000 स्वीकृत किये गये हैं तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर की जगईपुर माइनर व हरिकरनपुर ड्रेन के निर्माण में प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाना

96-श्री तेजभान सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 78 के उत्तर के संदर्भ मे क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित किसानों को भूमि प्रतिकर बांटने की कार्यवाही कर दी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कब तक भूमि प्रतिकर उन्हें उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि-प्रतिकर वितरण की कार्यवाही विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी सुल्तानपुर द्वारा की जा रही है । उनके पत्र संख्या 179-1-8-वि0भू0अ0अ0-सि0 दिनांक 14-9-94 एवं पत्र संख्या 178/8-वि0भू0अ0अ0-सि0 दिनांक 14-9-94 के द्वारा प्रकरण आयुक्त एवं निदेशक भूमि अध्याप्ति निदेशालय राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ को धारा 4-1 के प्रकाशनार्थ भेजा जा चुका है । प्रकाशन के उपरान्त वैधानिक कार्यवाही पूर्ण होने पर विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी सुल्तानपुर द्वारा प्रतिकर वितरण की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी ।

जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक गौरीगंज के अन्तर्गत ग्राम सुजानपुर गोपालीपुर में खराब ट्यूबवेल को ठीक किये जाने की मांग

97-श्री तेजभान सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक गौरीगंज के अन्तर्गत ग्राम सुजानपुर गोपालीपुर में लगा सरकारी ट्यूबवेल चालू हालत में है? यदि हां, तो वर्ष 1993-94 में उक्त ट्यूबवेल से कितनी सिंचाई की गई ? उक्त सिंचाई से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ? कितने दिनों से नलकूप खराब पड़ा है ? क्या सरकार किसानों के हित में उक्त ट्यूबवेल को ठीक कराने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं ।

इसका प्रश्न नहीं उठता है ।

नलकूप वर्ष 1988-89 से फेल है ।

जी नहीं ।

नलकूप का पानी भी सामान्य कृषि कार्य हेतु उपयुक्त नहीं है ।

98-श्री राधेश्याम वर्मा-

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

बांदा आप्टीकल्स एसोसियेशन के नेत्र विशेषज्ञ डा0 रवि माथुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार विषयक शिकायती पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

99-श्री राजकुमार शिवहरे-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता के अनुरोध पत्र के साथ अध्यक्ष एवं महामंत्री बांदा आप्टीकल्स एसोसियेशन जनपद बांदा का पत्र दिनांक 23 जून, 1994 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 स्वास्थ्य विभाग को जिला अस्पताल बांदा में नेत्र विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत डा0 रवि माथुर के द्वारा भ्रष्टाचार के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या एसो0 के उक्त शिकायती पत्र में लगाये गये आरोपों की बिन्दुवार जांच करा ली गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच के परिणामों की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे-? क्या उक्त जांच अभी लम्बित है ? यदि हां, तो क्या संदर्भित जांच पूरी कराये जाने हेतु आदेश दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर0 के0 चौधरी-

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जिला चिकित्सालय बांदा में कार्यरत डा0 रविमाथुर नेत्र विशेषज्ञ द्वारा विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द में किये गये आपरेशन से संबंधित शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

100-श्री राजकुमार शिवहरे-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बांदा के विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द के अन्तर्गत स्थित ग्राम तिन्दवारा में गत दिनांक 10-1-1994 को 15 वर्षों से जिला चिकित्सालय बांदा में कार्यरत वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डा0 रवि माथुर के संरक्षकत्व में आयोजित नेत्र शिविर में जिन 36 मरीजों के मोतिया बिन्द रोग के आपरेशन हुये थे उनमें से 3 मरीजों के अतिरिक्त पूरे 33 मरीज अंधे हो गये ? यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ? क्या यह सही है कि डा0 रवि माथुर एवं उनके सहायकों की लापरवाही, उदासीनता एवं अकार्यकुशलता के कारण ही ऐसा हुआ है ? क्या नेत्र ज्योति खोने वाले रोगियों की सूची सहित अध्यक्ष एवं महामंत्री बांदा आप्टीकल्स एसो0 बांदा के द्वारा दिनांक 23 जून, 1994 को महानिदेशक, उ0प्र0 स्वास्थ्य विभाग को भेजा हुआ शिकायती पत्र के संबंध में अब तक बिन्दुवार जांच करवाकर संदर्भित चिकित्सक को दण्डित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री आर0 के0 चौधरी-

दिनांक 10-1-94 को तिन्दवारा में डा0 रवि माथुर वरिष्ठ नेत्र सर्जन के संरक्षकत्व में आयोजित नेत्र शिविर में 28 मोतियाबिन्द के तथा एक नाखूना का आपरेशन कुल 29 मरीजों का आपरेशन किया गया था। इन मरीजों में सभी की आंखों की रोशनी डिस्चार्ज के दिनांक 16-1-94 को ठीक थी।

प्रश्न नहीं उठता ।

101-102-श्री भगवती प्रसाद शुक्ल-

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

जनपद पौड़ी गढ़वाल में डाडामण्डी, द्वारीखाल में पेयजल की व्यवस्था कराने की मांग

103-श्री हरक सिंह रावत-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में डाडामण्डी "द्वारीखाल" में वर्तमान में पेयजल व्यवस्था अत्यधिक जर्जर है, जिससे वहां के नागरिकों को बड़ी कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो पेयजल व्यवस्था को शीघ्र सुदृढ़ कराये जाने की कोई नयी व्यवस्था कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं ।

लागू नहीं है ।

विकास क्षेत्र द्वारीखाल के डाडामण्डी नामक स्थान की जलापूर्ति मटियाली लगा मलेथा पेयजल योजना से की जा रही है। योजना की मरम्मत का कार्य वर्ष 1994-95 में पूर्ण हो चुका है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल स्थित पंचायत भवन बाड़ा के निर्माण को पूर्ण किये जाने की मांग

104-श्री हरक सिंह रावत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल स्थित ग्राम बाड़ा "पौड़ी ब्लाक" के पंचायत भवन का निर्माण वर्ष 1986 से अधूरा पड़ा है ? क्या सरकार इस भवन का निर्माण पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

पंचायत भवन बाड़ा का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद पडरौना के विकास खण्ड सेवरही व दुदही में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़क निर्माण को पूर्ण करने की मांग

105-श्री नन्द किशोर मिश्र-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद पडरौना में विकास खण्ड सेवरही व दुदही में वर्ष 93-94 में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य जो ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, देवरिया द्वारा 31 मार्च, 1994 तक पूर्ण कराया जाना था अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुये हैं ? यदि हां, तो उसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या सरकार, कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती-

जी नहीं। जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 93-94 में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को केवल विकास खण्ड दुदही से संबंधित कार्य करना था जो पूर्ण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला सीतापुर में मुख्यालय पर ब्लड बैंक स्थापित करने की मांग

106-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सीतापुर में मुख्यालय पर ब्लड बैंक का निर्माण कराना स्वीकृत है ? यदि हां, तो कब से स्वीकृत है तथा अब तक उसके न बन पाने का क्या कारण है ? ब्लड बैंक कब तक स्थापित कर दिया जायेगा?

श्री आर0 के0 चौधरी-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

खराब ट्यूबवेल नं0 303 लखनपुर ब्लाक-भदोही, जिला भदोही को ठीक न किये जाने के कारणों की जानकारी

107-श्री उदल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय ट्यूबवेल नं0 303 लखनपुर परगना व ब्लाक बदोही, त0 व जिला भदोही, वर्षों से फेल हो गया था ? उसकी रीबोरिंग सन् 93 में नलकूप विभाग, वाराणसी ने किया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उसकी सफाई कम्प्रेशर लगा कर एक वर्ष नहीं की गई जिससे यह आज तक भदोही नलकूप विभाग ने नहीं लिया ? क्या यह सही है कि उक्त ट्यूबवेल रीबोरिंग के बाद भी खराब हालत में है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेगी और इस ट्यूबवेल की टेक्निकल जांच कराकर चालू कर किसानों को पानी देने की व्यवस्था शीघ्र करायेगी ?

सुश्री मायावती-

जी हां । नलकूप 1992-93 में फेल हुआ था ।

जी हां ।

जी नहीं, माह 9/93 में ही कम्प्रेशर द्वारा विकसन कार्य कराया गया परन्तु इसका निकास अपर्याप्त था अतः इसका हस्तान्तरण नहीं हुआ ।

जी हां, नलकूप से अपर्याप्त निकास मिलने के कारण नलकूप असफल है ।

इन बिन्दुओं के संबंध में जांच के आदेश दिये जा चुके हैं ।

बाबतपुर राजबाहा हेतु मोतीलाल वगैरह गांव बरहीनेवादा पन्द्रह जिला वाराणसी के कमरे को तोड़कर नहर में मिलाने विषयक शिकायती पत्र एवं जांच

108-श्री उदल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोती लाल वगैरह गांव बरहोनेवादा परगना पन्द्रह, त0 व जिला वाराणसी की आराजी नं0 649 व 650 रकबा क्रमशः 25 डि0 व 25 डि0 पुराना नं0 857/9 व 858 से शारदा सहायक खण्ड 38 जौनपुर अब सिंचाई खण्ड जौनपुर ने बाबतपुर राजबाहा हेतु पक्की चहार दीवारी तोड़कर आबादी (रहाइश) कमरों को तोड़कर मिला लिया और पक्की चहार दीवारी व कमरों को न दिखा कर

एक्वायर करने हेतु आबादी नवैयत दिखाया ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मोती लाल वगैरह की दरख्वास्त मय बैनामा को अपने पत्र के साथ सिंचाई सचिव को दिनांक 9-8-91 को प्रश्नकर्ता ने दिया था ? यदि हां, तो क्या उक्त बैनामें की समीक्षा करायी गई तथा उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार सिंचाई विभाग को अपनी गलती को ठीक कराकर मुआवजा दिलवाने हेतु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश को आदेश देगी और सिंचाई खण्ड जौनपुर को आदेश देकर मौके की जांच जहां तोड़ी हुई चहार दीवारी जमीन के बराबर है और 10 फिट ऊंची है, की जांच करायेगी ?

सुश्री मायावती-

श्री मोतीलाल वगैरह ग्राम बरही नेवादा की गाटा सं0 649 से मात्र 0.055 एकड़ भूमि नहर निर्माण में ली गई। गाटा सं0 650 से कोई भूमि नहीं ली गई। किसी पक्की चहारदीवारी तथा कमरों को नहीं तोड़ा गया।

गाटा सं0 649 आबादी की ही भूमि थी जिसे अधिग्रहीत किया गया।

जी नहीं।

बैनामें की समीक्षा की गई। बैनामा दिनांक 12-3-58 को श्री मोती लाल वगैरह के पक्ष में किया गया है। भूमि अध्याप्ति अधिकारी संयुक्त संगठन, वाराणसी के पत्रांक 324 (1) दिनांक 13-4-94 के अनुसार बाबतपुर राजबहा के निर्माण हेतु अर्जित की भूमि गाटा संख्या-649 आबादी की भूमि है तथा उक्त भूमि का भू-राजस्व में किसी का नाम दर्ज नहीं है। अतः भूमि का प्रतिकर नियमानुसार देय न होने के कारण एवार्ड घोषित नहीं किया गया। दस फिट ऊंची पक्की बाउन्ड्री का बैनामें में कोई उल्लेख नहीं है।

अतः किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

मौके पर न तो कोई पक्की चहारदीवारी है और न ही कमरा तोड़ा गया है इसलिये गलती सुधारने का प्रश्न ही नहीं है। अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड जौनपुर द्वारा माह 9/94 में जांच की गई थी। जाच के दौरान पक्की चहार दीवारी व कमरा तोड़ने की पुष्टि नहीं हुई।

109-110-श्री चैनसुख भारती-

(मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाये गये।)

आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी के उप निदेशक (भूमि संरक्षण) राम गंगा कमाण्ड परियोजना बांदा के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

111-श्री राज कुमार शिवहरे-

क्या ग्राम्य विकास एवं क्षेत्रीय विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांकित 7-1-1995 पत्र संख्या 446708 आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी को उप निदेशक, भूमि संरक्षण, राम गंगा कमाण्ड परियोजना बांदा के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के देहलचौरी-पौड़ी में हल्के वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करने की मांग

1112-श्री हरक सिंह रावत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के देहलचौरी-पौड़ी हल्के वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो इसे कब तक मोटर मार्ग में परिवर्तित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत कार्य की मूल स्वीकृति हल्का वाहन मार्ग के रूप में ही प्रदान की गई है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में बड़ेथ, द्वारीखाल ब्लाक के पेयजल समस्या को ठीक किये जाने का मामला

1113-श्री हरक सिंह रावत-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल बड़ेथ "द्वारीखाल" की पेयजल योजना अत्यन्त क्षतिग्रस्त है ? क्या सरकार जनहित में इसकी मरम्मत कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

जी हां ।

मरम्मत के कार्य वित्तीय वर्ष 1995-96 में कराया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में डाडापानी कोट ब्लाक के विद्युतीकरण का मामला

1114-श्री हरक सिंह रावत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में डाड़पानी कोट ब्लाक का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रस्तावित नहीं है ।

विकास खण्ड कोट के अन्तर्गत डाड़ापानी एक तोक ग्राम है जिसके विद्युतीकरण का अनुमानित प्राक्कलन रु0 6 लाख आंकलित किया गया है जो कि ग्रामीण विद्युतीकरण एवं द्वितीय प्रणाली नियोजन संगठन द्वारा लोक ग्राम के विद्युतीकरण हेतु वर्तमान में निर्धारित मानकों से बहुत अधिक है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में डाडामण्डी "द्वारीखाल" प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत करने की मांग

115-श्री हरक सिंह रावत-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में डाडामण्डी "द्वारीखाल" प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण का मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक उच्चीकृत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

द्वारीखाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रदेश के प्रान्तीयकृत होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में कार्यरत नर्सों को पौष्टिक आहार भत्ता, वर्दी भत्ता आदि तथा अधिक ड्यूटी लिये जाने विषयक शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

116-श्री महेश बाल्मीकि-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रान्तीयकृत होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में कार्यरत नर्सों को पौष्टिक आहार भत्ता, वर्दी भत्ता प्रदान करने तथा उनसे 6-12 घण्टे ड्यूटी लिये जाने विषयक श्री अतीकुर्ररहमान महामंत्री समाजवादी पार्टी महानगर कानपुर का पत्र दिनांक 18-3-94 तथा 12-9-94 प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण में निदेशक से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसका शासन स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है ।

इण्डोडच नलकूप सं0 393 बी0 जी0 मौजा सागर पट्टी हरिंग्टनगंज, फैजाबाद में कार्यरत अंशकालिक नलकूप चालक के विरुद्ध आपराधिक मुकदमों का पाया जाना

।।7-श्री मित्रसेन यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इण्डोडच नलकूप सं0 393 बी0 जी0 मौजा सागर पट्टी हरिंग्टनगंज, फैजाबाद पर कोई अंशकालिक नलकूप चालक कार्यरत है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि उसके विरुद्ध संबंधित थाना इनायतनगर, फैजाबाद में कुल कितने आपराधिक मुकदमें अंकित हैं और इस प्रकार के अपराधिक व्यक्ति को अंशकालिक नलकूप चालक के पद पर कार्य करने की पात्रता कैसे निर्धारित की गई है ? क्या उसके विरुद्ध उच्च स्तरीय कोई जांच कार्यवाही प्रस्तावित है ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

थाना इनायतनगर, फैजाबाद की रिपोर्ट के अनुसार संबंधित थाना इनायतनगर फैजाबाद में उसके विरुद्ध कुल चार अभियोग अंकित हैं। अंशकालिक नलकूप चालकों के चयन एवं नियुक्ति की निर्धारित प्रक्रिया में पुलिस से चरित्र एवं पूर्ववृत्त का प्रमाण-पत्र लेने का कोई प्राविधान नहीं है ।

जी नहीं ।

।।8-श्री सुन्दर लाल दीक्षित तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव-

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।)

मच्छाताल परगना नागापुर कोल असला जिला वाराणसी से निकलने वाली थाना ड्रेन सिंचाई खण्ड जौनपुर पर पुल बनाये जाने की मांग

।।9-श्री ऊदल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मच्छाताल परगना कोल असला, त0 व जिला वाराणसी से निकलने वाली थाना ड्रेन सिंचाई खण्ड जौनपुर की है ? यदि हां, तो क्या गांव असवालपुर के पश्चिम उक्त ड्रेन में गांव नागापुर में पुल नहीं बनाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि राष्ट्रीयकृत 56 वां मार्ग से असवालपुर नागापुर बरजी मार्ग है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर स्थान नागापुर थाना ड्रेन में एक पुल बनाने की स्वीकृति देकर धन भी देगी ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

जी हां । पुल नहीं बनाया गया है ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, वाराणसी को पुल निर्माण का प्रस्ताव बनाकर प्रेषित कर दिया गया है । धन उपलब्ध होने पर प्रश्नगत पुल के निर्माण की कार्यवाही की जायेगी ।

जी हां ।

जी हां, स्थल की जांच कर ली गई है । पुल निर्माण का प्रस्ताव जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, वाराणसी को प्रेषित कर दिया गया है । योजना की स्वीकृत होने तथा धन उपलब्ध होने पर पुल निर्माण का कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा ।

मच्छाताल ड्रेन परगना कोल असला त0 व जिला वाराणसी में समोगरा कैथेउली के बीच समोगरा अहिरावीर जगदीशपुर राजकीय मार्ग पर बने अधूरे पुल को पूरा किये जाने का मामला

120-श्री उदल-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि मच्छाताल ड्रेन परगना कोल असला त0 व जिला वाराणसी के समोगरा-कैथेउली के बीच में समोगरा अहिरावीर जगदीशपुर राजकीय मार्ग पर पुल नहीं बनाया गया है ? क्या पाइप डालकर छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले में पुल बनाने की स्वीकृति देकर धन मंजूर करेगी ? क्या यह ड्रेन सिंचाई खण्ड जौनपुर की है ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

प्रश्नगत स्थल पर पुल नहीं बनाया गया है ।

जी हां । प्रश्नगत स्थल पर 3.0 फिट व्यास का पाइप लगाया गया है ।

पुल निर्माण का प्रस्ताव जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, वाराणसी को प्रेषित कर दिया गया है । योजना के स्वीकृत होने तथा धन उपलब्ध होने पर पुल निर्माण का कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा ।

जी हां ।

मण्डी परिषद् मुख्यालय लखनऊ के अधिष्ठान अनुभाग के कर्मचारियों के स्थानान्तरण न किये जाने के कारणों की जानकारी

121-श्री सुन्दर लाल दीक्षित-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी परिषद् मुख्यालय लखनऊ में स्थापित अधिष्ठान अनुभाग में कितने कर्मचारी विगत चार-पांच वर्षों से कार्यरत हैं और उनको कब तक स्थानान्तरित किया जायेगा ?

सुश्री मायावती-

परिषद् मुख्यालय पर स्थापित अधिष्ठान अनुभाग में कुल ।। कर्मचारी चार-पांच वर्ष से कार्यरत हैं ।

परिषद् हित में इन कर्मचारियों का स्थानान्तरण नहीं किया गया था ।

इनमें से पांच का स्थानान्तरण कर दिया गया है शेष पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा रहा है ।

लघु सिंचाई प्रखण्ड जनपद बांदा द्वारा की जा रही अनियमितता के संबंध में शिकायती पत्र एवं दोषी कर्मचारियों को दण्ड देने की मांग

122-श्री राजकुमार शिवहरे-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांकित 22-11-1994 पत्र संख्या 108/94 लघु सिंचाई प्रखण्ड जनपद बांदा द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में जिलाधिकारी, जनपद बांदा को एक पत्र दिनांकित 27-1-1995 आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या जांच कराकर दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती-

पत्र संख्या 108/94, दिनांक 22-11-1994 प्राप्त हुआ है, किन्तु दिनांक 27-1-1995 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक 5,000 मीटर ग्रामीण जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) तथा एक (महिला) की नियुक्ति के अनुरूप कार्यरत कार्यकर्ताओं की जानकारी

123-डा0 सरजीत सिंह डंग-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि चिकित्सा अनुभाग-11 के शासनादेश दिनांक 23 जुलाई, 1981 में यह प्राविधान किया गया है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक 5,000 मी0 ग्रामीण जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) तथा एक स्वास्थ्य कर्ती (महिला) की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो मंत्री जी यह बतायेंगे कि प्रदेश में बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्यकर्ता के कितने पद रिक्त हैं तथा इन रिक्तपदों पर भर्ती न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री आर0 के0 चौधरी-

जी हां ।

प्रदेश में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के लगभग 250 तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के लगभग 450 पद कुल लगभग 700 पद रिक्त हैं। सेवा नियमावली के अभाव में रिक्त पदों पर भर्ती नहीं की गई है।

वाराणसी आजमगढ़ मण्डल के जनपदों में स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा पशुपालन व फल सब्जी संरक्षण एवं डिब्बा बन्दी के अवस्थापना का प्रस्ताव

124-डा0 सरजीत सिंह डंग-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी आजमगढ़ मण्डल के कितने जनपदों में स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा पशुपालन व फल सब्जी संरक्षण एवं डिब्बा बन्दी का अवस्थापना प्रस्तावना माह जनवरी, 1989 से दिनांक 31-12-93 तक के मध्य प्राप्त हुये हैं ? उनमें से कितने प्रस्ताव शासन के पास स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं ? शेष प्रस्ताव शासन के पास कब तक संस्तुति हेतु भेजे जायेंगे ?

श्री चैनसुख भारती-

सूचना एकत्र की जा रही है।

शाहजहांपुर जनपद में रौजा मण्डी समिति द्वारा चयनित पांच मार्गों के निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने का मामला

125-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद में रौजा मण्डी समिति के द्वारा जिन पांच मार्गों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था उनको अभी तक पूरा न किये जाने के पीछे क्या कारण है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि निदेशक, मण्डी परिषद् को इन पांच मार्गों को पूरा किये जाने हेतु दिनांक 22-2-95 को प्रश्नकर्ता द्वारा एक पत्र भेजा गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती-

धनाभाव एवं मेक्सफाल्ट की कमी के कारण सम्पर्क मार्गों के निर्माण में विलम्ब हुआ।

जी हां।

तीन मार्गों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, शेष दो मार्गों का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अवशेष कार्य प्रगति पर है।

जिलापूर्ति अधिकारी जनपद बांदा को श्री राम किशोर शुक्ला, प्रधान ग्राम तिन्दवारा द्वारा प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

126-श्री राजकुमार शिवहरे-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांकित 9-2-1994 पत्रांक 132/94 श्री राम किशोर शुक्ला, प्रधान ग्राम तिन्दवारा का संलग्न प्रार्थना-पत्र जिला पूर्ति अधिकारी, जनपद बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां । माननीय सदस्य का कथित पत्र प्राप्त हुआ है पर यह पत्र दिनांक 09-02-1994 का न होकर दिनांक 08-12-1994 का है । भारत सरकार से मिट्टी के तेल के आवंटन में वृद्धि के कारण जनपद बांदा को उपलब्ध कराये गये तेल की मांग से समानुपातिक अनुपात में ग्राम सभा तिन्दवारा को 2800 लीटर मिट्टी के तेल के स्थान पर 4200 लीटर मिट्टी के तेल का आबंटन कर दिया गया है ।

श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल एवं श्री योगेन्द्र कुमार सिंह, निवासी ग्राम निलायू बांदा के बबेरू क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में खण्ड विकास अधिकारी को प्रेषित प्रार्थना पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

127-श्री राजकुमार शिवहरे-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांकित 26-12-1994 ई0 पत्रांक 155/94 श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल एवं श्री योगेन्द्र कुमार सिंह निवासी ग्राम निलाथू, बांदा का प्रार्थना-पत्र संलग्न कर बबेरू क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में खण्ड विकास अधिकारी, बबेरू जनपद बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस पर कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती-

जी नहीं ।

पत्र प्राप्त न होने के कारण किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्रीनगर गढ़वाल स्थित बेस चिकित्सालय में तकनीशियन नर्सिंग, सफाई कर्मचारी इत्यादि पद के सृजन किये जाने की मांग

128-श्री हरक सिंह रावत-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीनगर "गढ़वाल" स्थित बेस चिकित्सालय "200 शयन" में तकनीशियन, नर्सिंग, सफाई कर्मचारी इत्यादि के पद कब तक सृजित किये जायेंगे ? क्या यह सही है कि पद सृजन की पत्रावली वित्त विभाग में विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय हो जायेगा ?

सुश्री मायावती-

श्रीनगर गढ़वाल स्थित 100 शैय्यायुक्त बेस चिकित्सालय में शासनादेश दिनांक 24 मई, 1995 द्वारा चिकित्साधिकारी नेत्र, नेत्र सहायक, दन्त चिकित्सक, डेन्टल हाइजीनिस्ट, कार्डियोलाजिस्ट, ई0 एन0 टी0 सर्जन, चिकित्सक महिला, कनिष्ठ लिपिक (रिकार्ड एवं रजिस्ट्रेशन) के एक-एक पद तथा स्टाफ नर्स के दो पद एवं चपरासी/अर्दली के 11 पद, सफाई कर्मचारी के तीन पद कुल 24 पदों का सृजन किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के विकास कोन में ग्राम पूर्वी टेकसारी एवं बल्लीपुरवा एवं महिला मार्ग के कार्य को फर्जी मस्टर रोल बनाकर भुगतान कराने की जांच कराये जाने की मांग

129-श्री रंगनाथ मिश्र-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जनपद के विकास खण्ड कोन में वर्ष 1993-94 में ग्रा0 पूर्वी टेक्सारी एवं बल्लीपुरवा एवं महिया मार्ग जे0आर0घाई0 से मिट्टी का कार्य स्वीकृत था जो स्थानीय मजदूरों से काम कराया जाना चाहिये था जबकि फर्जी मजदूर एवं फर्जी मस्टर-रोल बनाकर भुगतान किया गया है? यदि हां, तो क्या पूरे प्रकरण की जांच कराकर आर0ई0एस0 विकास खण्ड कोन के अवर अभियन्ता के खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चैनसुख भारती-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मिर्जापुर के कोन ब्लाक के अवर अभियन्ता द्वारा सरकारी धनराशि व्यक्तिगत खाते में जमा करने सम्बन्धी प्रकरण की जांच कराये जाने की मांग

130-श्री रंगनाथ मिश्र-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जनपद के कौन ब्लाक के अन्तर्गत अवर अभियन्ता द्वारा विकास कार्यों में गत तीन वर्षों की सारी सरकारी धनराशि अपने व्यक्तिगत खाते में डालकर व्यक्तिगत खाते से मजदूरों, ठेकेदारों को भुगतान किया है? क्या उक्त अवर अभियन्ता द्वारा बिन्दवासिनी ग्रामीण बैंक मवैया कोन खाता नं0 1660 एवं विन्दवासिनी ग्रामीण बैंक पुरजामीर कोन, मिर्जापुर से लगभग 50 लाख रुपये का भुगतान अपने व्यक्तिगत खाते से किया है? यदि हां, तो सरकार जांच कराकर उक्त अवर अभियन्ता के खिलाफ कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चैनसुख भारती-

प्रश्नगत प्रकरण में जांच के निर्देश दे दिये गये हैं।

जनपद मिर्जापुर के कोन ब्लाक में ग्राम धौरहरा, मुजेहरा खुर्द में स्वीकृत इन्दिरा आवास एवं उनके निर्माण की स्थिति

131-श्री रंगनाथ मिश्र-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जनपद के कोन ब्लाक में वर्ष 1991 से 93 तक की अवधि में ग्राम धौरहरा तथा ग्राम मुजेहरा खुर्द में कितने इन्दिरा आवास स्वीकृत हुये? कितने बने तथा कितने अधूरे पड़े हैं? क्या सरकार पूरे प्रकरण की जांच कराकर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री चैनसुख भारती-

मिर्जापुर जनपद के कोन ब्लाक में वर्ष 1991 से 93 तक की अवधि में ग्राम खुलवा ग्राम धौरहरा तथा ग्राम मुजेहराखुर्द के क्रमशः शून्य, 5 एवं 10 इन्दिरा आवास स्वीकृत हुये। इनमें से सभी आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। कोई अधूरा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

132-श्री तेजभान सिंह-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।)

शहरों में सरकारी चीनी के कोटेदारों के पास अधिकतम यूनिट की संख्या एवं कोटेदारों को दुकानों/यूनिटों के वितरण में विषमता दूर किये जाने की मांग

133-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहरों में एक सरकारी चीनी के कोटेदार के पास अधिकतम कितने यूनिट सम्बद्ध होना चाहिये? क्या प्रदेश के अधिकांश नगरों में कोटेदारों को यूनिटों के वितरण में काफी विषमता की जानकारी शासन को मिली है? यदि हां, तो उन पर क्या नीतिगत कार्यवाही की गई है? क्या मंत्री जी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोटेदारों को दुकानों/यूनिटों का वितरण करते समय विषमता न हो?

सुश्री मायावती-

शासन के आदेशों के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में निजी दुकानों पर 2000 यूनिट और सहकारी क्षेत्र की दुकानों पर 4000 यूनिट सम्बद्ध किये जाने की व्यवस्था है। कतिपय व्यवहारिक कारणो से कोटेदारों को यूनिटों के वितरण में विषमता हो जाना अत्यन्त स्वाभाविक है, जिसे शीघ्रातिशीघ्र दूर करने का यथासम्भव प्रयास किया जाता है। सम्बद्ध यूनिटों में अधिक विषमता न रहे इसके निमित्त शासन द्वारा आदेश भी निर्गत किये गये हैं।

गंगा घाटों की सफाई और उन्हें स्वच्छ रखने हेतु कार्यवाही किये जाने की मांग

134-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या सरकार को जानकारी है कि काशी में गंगा में कई स्थानों पर मिट्टी जमा हो जाने से गंगा छिछली हो गयी है ? गंगा नदी के उक्त स्थानों पर से मिट्टी या बालू खनन कराकर नदी की गहराई को बनाये रखने हेतु क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? गंगा घाटों की सफाई और उन्हें स्वच्छ बनाये रखने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? घाटों को रात्रि में आलोकित रखने हेतु क्या सरकार संबंधित विभाग को निर्देशित करेगी ?

सुश्री मायावती-

नदियों को गहरा करने की सिंचाई विभाग की वर्तमान में कोई नीति नहीं है।

वाराणसी नगर निगम परिक्षेत्र के गंगा घाटों की सफाई और उन्हें स्वच्छ रखने तथा घाटों को रात्रि में आलोकित रखने का कार्य नगर निगम, वाराणसी द्वारा किया जा रहा है।

135-श्री मित्रसेन यादव-

(न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, कानपुर में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

136-श्री महेश बाल्मीकि-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, कानपुर एवं अस्पताल, कानपुर में विगत 9 वर्षों से कार्यरत 8 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के पदों का सृजन करते हुये विनियमित किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-2-1995 सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं निदेशक, होम्योपैथी को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

राजकीय कानपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के पदों के सृजन का प्रस्ताव शासन में दिनांक 7-7-95 को प्राप्त हुआ है तथा विचाराधीन है।

कल्याणपुर कालोनी, लखनऊ के लिये सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान खोलने की मांग

137-श्री कृष्ण कुमार नवमान-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में कितनी यूनिट पर एक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान अनुमन्य है ? क्या मंत्री जी कल्याणपुर कालोनी, लखनऊ के लिये एक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान खोलने का आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

शहरी क्षेत्रों में 2000 यूनिट पर एक दुकान खोलने के आदेश हैं ।

कल्याणपुर कालोनी में उपर्युक्त मानक के आधार पर उचित दर की दुकान का खोला जाना फिलहाल सम्भव नहीं है ।

जनपद बिजनौर की चान्दपुर मण्डी समिति की कम आय होने की जांच की मांग

138-श्री महावीर सिंह (बिजनौर)-

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि बिजनौर जनपद की चान्दपुर मण्डी समिति की वर्ष 1993 की अपेक्षा 1994 की आय कम है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी कर्मी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

क्योंकि मण्डी समिति चांदपुर की आय में कृषि वर्ष 1993-94 की अपेक्षा कृषि वर्ष 1994-95 (जुलाई से दिसम्बर) में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

जिलापूर्ति कार्यालय फैजाबाद के कार्यरत कर्मचारियों की तैनाती उनके मूल निवास से 35 किलोमीटर दूरी के अन्दर किये जाने के कारण दोषी अधिकारियों को दण्डित किये जाने की मांग

139-श्री परशुराम यादव-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पूर्ति कार्यालय, फैजाबाद में कार्यरत लिपिकों व पूर्ति निरीक्षकों की तैनाती उनके मूल निवास से

35 किलोमीटर दूरी के अन्दर की गई है ? यदि हां, तो क्या विभाग में जारी नियमों के अनुसार ऐसी तैनाती किये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो जिलापूर्ति कार्यालय में कार्यरत लिपिकों व पूर्ति निरीक्षकों की वर्तमान मूल आवास सहित सूची प्रश्नकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जिलापूर्ति कार्यालय, फैजाबाद के 6 पूर्ति लिपिक, 1 आशुलिपिक तथा 4-पूर्ति निरीक्षक अपने मूल निवास से 35 किलोमीटर के अन्दर तैनात हैं।

समूह "ग" के लिपिक वर्गीय कर्मचारी तथा आशुलिपिकों को सामान्यतः उनके गृह जनपद में ही तैनात किये जाने के आदेश हैं । जहां तक पूर्ति निरीक्षकों का सम्बन्ध है, उन्हें मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पूर्ति लिपिक से प्रोन्नति कर यहीं तैनात किया गया है । उनकी यह प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के अन्तिम आदेशों के अधीन है । इसलिये इन्हें दूसरे जनपदों में अभी स्थानान्तरित नहीं किया गया है।

इस कार्यालय में कार्यरत लिपिकों एवं पूर्ति निरीक्षकों की वर्तमान पते सहित सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 198-199 पर)

जनपद पौड़ी गढ़वाल में किमोली-दलमोटा कल्जीखाल ब्लाक पेयजल योजना को पूर्ण किये जाने की मांग

140-श्री हरक सिंह रावत-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में किमोली-दलमोटा कल्जीखाल ब्लाक पेयजल योजना वर्षों से अधूरी पड़ी है ? अभी तक इस योजना के पूरा न होने के क्या कारण हैं ? क्या दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

किमोली दलमोठा पेयजल योजना वर्ष 1987 में प्रारम्भ की गई थी, इस योजना के निर्माण कार्य स्रोत का श्राव अत्यधिक कम हो जाने के कारण स्थगित है।

पेयजल योजना के पूर्ण करने में विलम्ब की जांच कराई जा रही है । जांचोपरान्त दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद पौड़ी में पुरुष एवं महिला चिकित्साधिकारियों के सृजित पदों की संख्या एवं रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

141-श्री हरक सिंह रावत-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी जनपद में चिकित्सकों के प्रथम, द्वितीय एवं महिला अधिकारियों के कुल कितने पद सृजित हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों पर क्या शीघ्र तैनाती की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर0 के0 चौधरी-

पौड़ी जनपद में प्रथम श्रेणी के 26, साधारण ग्रेड (पुरुष) चिकित्सक-177, एवं महिला चिकित्सकों के 19 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान समय में प्रथम श्रेणी में 12, साधारण ग्रेड (पुरुष) चिकित्सक-81 एवं महिला चिकित्सक 12 पद रिक्त हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

गढ़वाल मण्डल के अधिकांश कार्यालयों को पौड़ी में स्थापित किये जाने की मांग

142-श्री हरक सिंह रावत-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पौड़ी, गढ़वाल मण्डल का मुख्यालय होने के बाद भी मण्डल स्तर के अधिकतर कार्यालय पौड़ी में स्थित नहीं है ? यदि हां, तो कब तक इनको पौड़ी में स्थापित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या आयुक्त व डी0 आई0 जी0 अधिक समय मण्डल मुख्यालय में बैठते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं। कतिपय मण्डलीय कार्यालयों को छोड़कर अन्य मण्डलीय कार्यालयों को पौड़ी तथा श्रीनगर में स्थापित किये जाने के आदेश दिये गये हैं और अधिकतर कार्यालय स्थापित भी हो चुके हैं। अवशेष कार्यालयों को भी स्थापित किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

आयुक्त तथा डी0आई0जी0 अधिक से अधिक समय मण्डल मुख्यालय पर ही बैठते हैं परन्तु इन दोनों वरिष्ठ अधिकारियों को अपने पद से जुड़े हुये प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन हेतु तथा कानून एवं शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण और संवेदनशील होने के कारण जनपद देहरादून में भी आवश्यकतानुसार रहना पड़ता है।

झांसी मण्डल के जनपदों में 10 लाख कुंआ योजना में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का मुख्य सचिव को पत्र एवं कार्यवाही

143-श्री राज कुमार शिवहरे-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का दिनांकित 25-9-1994 का पत्र जो झांसी मण्डल के जनपदों में 10 लाख कुआं योजना तथा नि:शुल्क बोरिंग योजना में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में है मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती-

जी नहीं । किन्तु पत्रांक 26 दिनांक 9-9-94 प्राप्त हुआ है ।

इस संदर्भ में मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग की आख्या/प्रस्ताव उनके पत्र दिनांक 12-5-95 द्वारा प्राप्त हो गया है । आयुक्त, ग्राम्य विकास से आख्या प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त होते ही प्रकरण में विचारोपरान्त निर्णय ले लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री राम प्रताप सिंह, निवासी ग्राम डिंगवाही जिला बांदा का युवक मंगल दल के गठन में हो रही अनियमितताओं की जांच कराने विषयक पत्र के साथ संलग्न प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

144-श्री राज कुमार शिवहरे-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांकित 8-12-1994 पत्रांक 491057 के साथ संलग्न श्री राम प्रताप सिंह निवासी ग्राम डिंगवाही, जिला बांदा का प्रार्थना-पत्र जिला युवा कल्याण अधिकारी, जनपद बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या युवक मंगल दल के गठन में हो रही अनियमितताओं की जांच करायी गयी है । यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नकर्ता का दिनांकित 13-7-94 का सचिव, ग्राम्य विकास उ0प्र0 शासन को सम्बोधित पत्र एवं कार्यवाही

145-श्री राज कुमार शिवहरे-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांकित 13-7-94 का पत्र जो सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती-

जी हां ।

जांच करायी जा रही थी। जांच आख्या संतोषजनक न पाये जाने पर दुबारा जांच कराये जाने के आदेश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद भदोही तथा वाराणसी में भूमि संरक्षण विभाग ज्ञानपुर द्वारा विकास कार्य हेतु विभिन्न मदों से लिया गया धन तथा उपयोग एवं फर्जी भुगतान की जांच की मांग

146-श्री रंगनाथ मिश्र-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भदोही तथा वाराणसी जनपद में भूमि संरक्षण विभाग ज्ञानपुर ने पिछले तीन वर्ष में शासन से विकास कार्य हेतु किस मद से कितना धन प्राप्त किया तथा उसका उपयोग किस मद में कहां-कहां किया गया ? क्या विभाग ने भदोही, सेवापुरी, औराई डीघ ब्लाक में कार्य न कराकर फर्जी भुगतान कर दिया? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

सुश्री मायावती-

जी हां । भदोही तथा वाराणसी जनपद में भूमि संरक्षण इकाई ज्ञानपुर द्वारा पिछले तीन वर्ष में कराये गये विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट "क" पर है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विकास खण्ड कोन चील्ह जनपद मिरजापुर में नलकूपों को स्थापित करने की मांग

147-डा0 सरजीत सिंह डंग-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड कोन चील्ह जनपद मिरजापुर में नहरों द्वारा सिंचाई सम्भव नहीं है ? यदि हां, तो क्या विकास खण्ड कोन जनपद मिरजापुर के प्रत्येक गांव में सरकार राजकीय नलकूप का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो क्या चालू वित्तीय वर्ष तथा अगले वित्तीय वर्ष में नलकूपों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

इस संबंध में यह अवगत कराना है कि नये राजकीय नलकूपों का निर्माण जनपद योजना के अन्तर्गत कराया जाता है । जिला नियोजन व अनुश्रवण समिति द्वारा जनपद योजना के अन्तर्गत नलकूप का प्राविधान करने के पश्चात् जिला नलकूप चयन समिति द्वारा स्थल चयन के पश्चात् नलकूप लगाये जाते हैं ।

148-डा0 मोहसिन-

(दिनांक 14-7-95 को अता0प्र0सं0 99 द्वारा उत्तरित)

149-श्री चैनसुख भारती-

(मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया)

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक कालेजों हेतु स्वीकृत डिमांस्ट्रेटर के पदों के चयन प्रक्रिया पूर्ण कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र, एवं कार्यवाही

150-श्री महेश बाल्मीकि-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों हेतु स्वीकृत 23 डिमांस्ट्रेटर के पदों पर चयन प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-3-95 शासन एवं निदेशक, होम्योपैथी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

सुश्री मायावती

जी हां ।

शैक्षिक योग्यता में संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन है । चयन की प्रक्रिया के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 22-1-92 को अपास्त (वैकेट) कराने के लिये मा0 उच्च न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिनांक 17-9-94 व 14-11-94 को दाखिल किया जा चुका है ।

राज्याधीन सेवाओं/पदों पर तदर्थ नियुक्तियां कराये जाने के सम्बन्ध में निदेशक, होम्योपैथी को पत्र एवं कार्यवाही

151-श्री महेश बाल्मीकि-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्याधीन सेवाओं/पदों पर तदर्थ नियुक्तियां कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-3-95 शासन एवं निदेशक, होम्योपैथी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

प्रश्नगत होम्योपैथी चिकित्साधिकारी के पद लोक सेवा आयोग की परिधि के हैं, तथा शासन द्वारा तदर्थ नियुक्तियों पर रोक के कारण कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रदेश में डी0 आर0 डी0 ए0 के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में आवंटित धन का मानक

152-श्री बालेश्वर त्यागी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डी0आर0डी0ए0 के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों को धन के आवंटन का मानक क्या है ?

श्री चैनसुख भारती-

जिला विकास अभिकरणों को विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत धन के आवंटन का मानक निम्नानुसार है :-

1-जवाहर रोजगार योजना-

प्रदेश के जिलों को निधियों का आवंटन प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति की कुल जनसंख्या की तुलना में एक जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या के अनुपात और उस जिले में कृषि मजदूरों के प्रति व्यक्ति उत्पादन का विलोम के समान तरजीह देते हुये किया जाता है।

2-एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम-

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम में धनराशि का जनपदों को आवंटन 2/3 भाग एन0आर0ई0पी0 पैरामीटर (सीमान्त कृषक, कृषि श्रमिक व अनुसूचित जाति/जनजाति की संख्या) तथा 1/3 भाग जनपदों में ब्लाकों की संख्या के आधार पर किया जाता है।

3-ट्राइसेम योजना-

ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन जनपदों में विकास खण्डों की संख्या के आधार पर किया जाता है। महिलाओं को अधिक संख्या में लाभान्वित करने की दृष्टि से डी0डब्लू0सी0आर0ए0 योजना से आच्छादित ब्लाकों में सामान्यतः 80 युवा प्रति विकास खण्ड तथा सामान्य ब्लाकों में 60 युवा प्रति विकास खण्ड के हिसाब से लक्ष्य निर्धारित कर धन का आवंटन किया जाता है।

4-डी0डब्लू0सी0आर0ए0-

डी0डब्लू0सी0आर0ए0 के अन्तर्गत लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

जनपद गाजियाबाद में राजवाहा मांट ब्रान्च मथुरा पर ग्राम चौना व उदय-रामपुर नगला के बीच बनाये गये पुल के लिये स्वीकृत धनराशि एवं उपयोग की जानकारी

153-श्री बालेश्वर त्यागी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में राजवाहा मांट ब्रांच मथुरा पर ग्राम चौना व उदय-रामपुर नगला के बीच बनाये गये पुल के लिये कुल कितना धन स्वीकृत हुआ था ? सिंचाई विभाग ने ब्रिज कारपोरेशन का कुल कितना धन इस पुल को बनाने के लिये प्रदत्त किया था ? शेष धन का उपयोग किया गया ? क्या मंत्री जी इसका सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

सुश्री मायावती-

6.50 लाख रुपये।

4,97,286.00 रुपये।

इस पुल के निर्माण हेतु उपरोक्त रुपया 4,97,286 का भुगतान उत्तर प्रदेश सेतु निगम को राष्ट्रीय थर्मलपावर कारपोरेशन से उपलब्ध धनराशि में से कर दिया गया था जिसके फलस्वरूप इस पुल के लिये आवंटित रुपया 6.50 लाख की धनराशि लेखा शीर्षक 270। अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में ही अवशेष रह गई थी, जिनका उपयोग नहरों में अनुरक्षण कार्यों पर किया गया।

जनपद गाजियाबाद में राजवाहे किसन्दराबाद, राजवाहा मेन कल्दा के किनारों की पिचिंग हेतु प्रस्ताव व धन उपलब्ध कराये जाने की जानकारी

154-श्री बालेश्वर त्यागी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में राजवाहे किसन्दराबाद के मील 7-6-520 व मील 7-3-50 व मील 3-6-65 पर तथा राजवाहा मेन कल्दा के मील 3-6-300 व राजवाहे रकबा के मील 0-4-190 पर राजवाहे के किनारों की पिचिंग के कोई प्रस्ताव सहायक अभियन्ता प्रथम द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को भेजे गये हैं? यदि हां, तो इन कार्यों के लिये कब तक धन उपलब्ध करा दिया जायेगा?

सुश्री मायावती-

जी हां।

प्रश्नगत कार्यों हेतु प्रस्तावं अधिशासी अभियन्ता द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण गाजियाबाद को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं। अब तक इन कार्यों हेतु कोई धन उपलब्ध नहीं हुआ है। धन आवंटन करना जिलाधिकारी, गाजियाबाद के अधिकार क्षेत्र में है।

श्री राम भूरत सिंह पुत्र शिव शंकर सिंह राजकीय नलकूप चालक निवासी ग्राम अहरन सुवंश तहसील बीकापुर जनपद फैजाबाद के विरुद्ध धोखाधड़ी के कारण, कार्यवाही किये जाने की मांग

155-श्री मित्रसेन यादव-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि श्री राम भूरत सिंह पुत्र शिव शंकर सिंह निवासी ग्राम अहरन सुवंश परगना पश्चिम राठ, तहसील बीकापुर जनपद फैजाबाद राजकीय विभागीय नलकूप चालक हैं? क्या यह भी सही है कि इन्होंने अपनी बंधकशुदा भूमि संख्या 828, 1469, 1470, 1471 को विक्रय करने के कारण इनके विरुद्ध कोई धोखाधड़ी का गम्भीर अपराध विचाराधीन है? यदि हां, तो सरकार के साथ धोखाधड़ी के अपराध में संलग्न व्यक्ति को क्या राजकीय सेवा में कार्य करने का कोई औचित्य है? क्या इस संबंध में कोई जांच कार्यवाही प्रस्तावित है?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जी हां। बैंक आफ बड़ौदा शाखा कुमारगंज जनपद फैजाबाद द्वारा दिनांक 18-12-94 को इस संबंध में प्रथम सूचना अपराध संख्या 106/94 के अधीन धारा 420 के अन्तर्गत थाना कुमारगंज जनपद फैजाबाद में दर्ज कराई गई है।

अपराध सिद्ध होने पर दोषी कर्मिक के विरुद्ध सी0 सी0 ए0 रुल्स व पनिशमेंट एण्ड अपील रूल्स फार सबार्डिनेट सर्विसेज में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

जी नहीं, इस प्रकरण में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कोई जांच कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

156-श्री मित्रसेन यादव-

(न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

जनपद गोरखपुर में ब्लाक-ब्रह्मपुर के ग्राम विशुनपुर, मटियारा, डुमरी, सरार मझगांव डीहघाट में योजनाओं के अन्तर्गत आवंटन आदि की दी गई सुविधायें एवं अपूर्ण कार्य हेतु दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

157-श्री मित्रसेन यादव-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक ब्रह्मपुर के ग्राम विशुनपुर, मटियारा, डुमरी, सरार, मझगांव डीहघाट में वर्ष 1988 से वर्ष 1994 तक किन-किन व्यक्तियों, जातियों को निर्बल वर्ग आवास, इन्दिरा आवास, मेस, बिसाता व किराना की दुकान, डनलप-बैल, बोरिंग तथा पम्पिंग सेट की सुविधा प्रदान की गई है? क्या इनमें ग्राम विशुनपुर मटियारा की शिकायत जिलाधिकारी, गोरखपुर को माह जून, 94 से माह नवम्बर, 94 तक कोई उक्त विषय में मिली है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती-

जी हां।

वर्ष 1988 से 1994 तक विकास खण्ड ब्रह्मपुर के ग्रामसभा विशुनपुर, मटियारा में 14 लाभार्थियों को निर्बल वर्ग आवास, 4 लाभार्थियों को इन्दिरा आवास, 3 लाभार्थियों को किराना की दुकान, 2 लाभार्थियों को विसाता की दुकान, 3 लाभार्थियों को डनलप, 3 लाभार्थियों को बैल तथा 3 लाभार्थियों को निःशुल्क बोरिंग। ग्राम डुमरी में 2 लाभार्थियों को निर्बल वर्ग आवास, एक लाभार्थी को किराना की दुकान, 2 लाभार्थियों को विसाता की दुकान, एक लाभार्थी को डनलप तथा 3 लाभार्थियों को निःशुल्क बोरिंग, ग्राम सरार मझगांवा में 5 लाभार्थियों को निर्बल वर्ग आवास, 8 लाभार्थियों को इन्दिरा आवास, 5 लाभार्थियों को किराना की दुकान, 2 लाभार्थियों को विसाता की दुकान तथा एक लाभार्थी को भैंस, एक लाभार्थी को बैल की जोड़ी तथा 5 लाभार्थियों को निःशुल्क बोरिंग तथा ग्राम डीहघाट में 21 लाभार्थियों को निर्बल वर्ग आवास, 12 लाभार्थियों को किराना की दुकान, 21 लाभार्थियों को बिसाता की दुकान, 4 लाभार्थियों को बैल, 2 लाभार्थियों को डनलप, 5 लाभार्थियों को भैंस तथा 17 लाभार्थियों को निःशुल्क बोरिंग की सुविधा प्रदान की गई है?

जी हां ।

ग्राम विशुनपुर मठियारा में अपूर्ण आवासों को पूर्ण करने के लिये ग्राम पंचायत अधिकारी को कार्य प्रभारी बनाया गया है, तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये निर्देश दे दिये गये हैं ।

राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को मानक मद संख्या 06 के स्थान पर मानक मद संख्या 02 से मजदूरी दिलाने की मांग

158-श्री महेश बाल्मीकि-

क्या स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को मानक मद संख्या 06 कार्यालय व्यय के स्थान पर मानक मद संख्या 02 मजदूरी से पारिश्रमिक दिलाने की व्यवस्था करेंगे ताकि उन्हें प्रतिमाह भुगतान प्राप्त हो जाया करे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं ।

वर्तमान में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक का प्राविधान मानक मद संख्या 06 में किया गया है । अतः मानक मद संख्या-02 में व्यवस्था नहीं की जा सकती है ।

159-श्री मातवर सिंह कण्डारी-

(2सरे मंगलवार में अता0प्र0सं0-165 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

डी0आर0डी0ए0 की बैठक की अध्यक्षता जिले में विधायकों को दिये जाने की मांग

160-श्री मातवर सिंह कण्डारी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डी0आर0डी0ए0 की बैठक की अध्यक्षता जिले में प्रोटोकाल के अनुसार विधायकों को करनी चाहिये ? यदि हां, तो क्या कारण है कि डी0आर0डी0ए0 की बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी करते हैं ? क्या सरकार डी0आर0डी0ए0 की बैठक की अध्यक्षता जिले में विधायकों को देने के लिये विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती-

जी नहीं ।

जिलाधिकारी, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के अध्यक्ष की हैसियत से जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता करते हैं ।

जी नहीं, क्योंकि शासी निकाय का गठन भारत सरकार के निर्देशानुसार किया गया है ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में मुख्यालय में कार्यरत अभियन्ता (श्री गिरी) के विरुद्ध शिकायतें एवं कार्यवाही

161-श्री परशुराम यादव तथा श्री रमा कान्त यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्रामीण अभियत्रण सेवा में मुख्यालय में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता (श्री गिरी) के विरुद्ध इनके पूर्व बस्ती में तैनाती के समय कुछ गम्भीर शिकायतें थी ? यदि हां, तो उनका विवरण क्या है तथा उन पर विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री चैनसुख भारती-

(क) जी हां ।

(ख) श्री गिरी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतो का मुख्यत: विवरण निम्नवत् है :-

(1) टेम्हा-मूराडीह मार्ग पर 3 मी0 स्पैन की आर0सी0सी0 पुलिया सिकटहा सनीचरा मार्ग के पलटहवा ताल पर 3 मी0 स्पैन की आर0सी0सी0 पुलिया तथा रक्शा से हरना मार्ग के बीच पुलिया के निर्माण में की गई अनियमितता ।

(2) अवर अभियन्ताओं का अनियमित स्थानान्तरण करना एवं जातिवाद को बढ़ावा देना ।

(3) ऋणात्मक व्यय करने एवं स्टोर मद में आवश्यकता से अधिक लकड़ी के क्रस्ट, दरवाजे, लोहे के क्रस्ट, बारबेड वायर आदि क्रय करके शासकीय क्षति पहुंचाना ।

(4) केन्द्रीय विद्यालय बस्ती के शिलान्यास में व्यय दिखाकर लगभग 40 हजार रु0 स्वयं हड़पना एवं नवोदय विद्यालय रुधौली के 14 लाख रु0 की लागत में निर्माण कार्य में बिना निविदा आमन्त्रित किये चहेते ठेकेदारों से कार्य कराना ।

(5) सन्त कबीर निर्माण स्थली के विद्युतीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य में अनियमितता करके धन हड़पना ।

टेक्निकल आडिट सेल, से जांच करायी जा रही है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में घड़ियाल "कल्जीखाल ब्लाक" चिकित्सालय में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

162-श्री हरक सिंह रावत-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में घड़ियाल "कल्जीखाल ब्लाक" चिकित्सालय में चिकित्सक के अलावा कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं रहता है ? क्या अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर0 के0 चौधरी-

जी नहीं ।

कर्मचारी भी उपस्थित रहते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में ग्राम सभा वाला सौड़ विकास क्षेत्र दुगड्डा को विभिन्न योजनाओं के लिये उपलब्ध कराई गई धनराशि एवं जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत कृत कार्यों की की जांच किये जाने की मांग

163-श्री किरन पाल सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा वाला सौड़ विकास क्षेत्र दुगड्डा जनपद पौड़ी गढ़वाल को विभिन्न योजनाओं के लिये वित्तीय वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के लिये कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी और स्थानीय करों द्वारा कितनी धनराशि अर्जित की गई ? क्या यह सत्य है कि इस ग्राम सभा द्वारा जवाहर रोजगार योजना निर्देशिका के नियमों के अनुसार कार्य किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या इस ग्राम सभा के कार्यों की जांच कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती-

ग्राम सभा वाला सौड़ विकास क्षेत्र दुगड्डा जनपद पौड़ी गढ़वाल को विभिन्न योजनाओं (जवाहर रोजगार योजना) के लिये वित्तीय वर्ष 1993-94 में 2,11,428.00 रुपये तथा अन्य श्रोतों से 5846.00 रुपये एवं वर्ष 1994-95 में 2,97,141.00 रुपये तथा 2,812.00 रुपये ब्याज कुल 5,17,227.00 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है ।

जी हां ।

वर्ष 1993-94 में प्राप्त धनराशि से कराये गये कार्यों की जांच कराई गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

164-श्री किरन पाल सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा वाला सौड़ विकास क्षेत्र दुगड्डा जनपद पौड़ी गढ़वाल को वित्तीय वर्ष 1993-94 में शासन द्वारा कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी और ग्राम सभा के अभिलेखों के अनुसार मस्टररोल पर कितने गांव वालों ने जवाहर रोजगार योजना के तहत कुल कितने दिन काम किया और ये श्रमिक किन-किन गांव के थे तथा इन्हें प्रतिदिन के हिसाब से कितनी मजदूरी दी गई ?

श्री चैनसुख भारती-

ग्राम सभा वाला सौड़ विकास क्षेत्र दुगड्डा जनपद पौड़ी गढ़वाल को वित्तीय वर्ष 1993-94 में शासन द्वारा 2,11,428.00 रुपये की धनराशि जवाहर रोजगार योजना में तथा 5846.00 की धनराशि अन्य स्रोतों से कुल 2,17,274.00 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई थी और ग्राम सभा के अभिलेखों के अनुसार मस्टररोल पर 4 ग्राम वालों ने जवाहर रोजगार योजना के तहत 7119.5 मानव दिवस काम किया और ये श्रमिक वालासौड़, काशीरामपुर, हरिसिंहपुर तथा कौड़िया गांव के थे तथा अकुशल श्रमिकों को 23.00 रुपये एवं कुशल श्रमिकों को 37.50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कुल 1,70,018.50 रुपये मजदूरी दी गई ।

165-श्री तेजभान सिंह-

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।)

सहायक अभियन्ता (कृषि) राजकीय कृषि अभियन्त्रण शोध कर्मशाला चिनहट लखनऊ में कर्मचारियों को नियमित करने में आरक्षण कोटा का ध्यान न देने के कारण जांच किये जाने की मांग

166-श्री मुक्तिनाथ यादव-

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि सहायक अभियन्ता (कृषि) राजकीय कृषि अभियन्त्रण शोध कर्मशाला चिनहट लखनऊ द्वारा विभाग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करते समय आरक्षण कोटा का ध्यान नहीं दिया गया है जबकि आरक्षण कोटा शून्य के बराबर है ? क्या यह सही है कि उक्त कर्मशाला में कुछ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी 8 वर्षों से अधिक दिनों से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो उन लोगों से जूनियर कितने कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति कर दी गई है ? क्या इसकी जांच शासन के किसी सक्षम अधिकारी से कराते हुये कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं । आरक्षण कोटे का ध्यान दिया गया है ।

जी हां । एक दैनिक वेतन भोगी कार्यरत है ।

दो कनिष्ठ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को अस्थाई नियुक्ति की गई है । मामले की जांच करायी जा रही है ।

167-श्री मुक्तिनाथ यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय राजकीय कृषि अभियंत्रण शोध कर्मशाला चिनहट लखनऊ के पत्र संख्या 45/कृ0शा0/दिनांक 28-5-90 के द्वारा श्री मोहम्मद तारिक पुत्र श्री इशरत अली की नियुक्ति ड्राफ्ट मैन के पद पर की गई थी तथा कार्यशाला सहायक कृषि अभियन्ता राजकीय कृषि अभियत्रण शोध कर्मशाला चिनहट लखनऊ के पत्रांक 1079-84/स्थापना/89-90, दिनांक 5-3-90 द्वारा योगेन्द्र कुमार वर्मा की नियुक्ति दैनिक वेतन से नियमित कर दी गई है ? यदि हां, तो इनसे सीनियर दर्शन यादव, पुत्र श्री राम लखन यादव जो दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं इनको नियमित क्यों नहीं किया गया ? क्या सरकार इस अनियमितता करने वाले के विरुद्ध दण्डित करने की कार्यवाही करते हुये श्री यादव को भी नियमित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं, इनकी नियुक्ति अस्थायी रूप से की गई है ।

जी हां, प्रकरण में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

जांच के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

168-श्री शारदा प्रसाद जायसवाल-

(मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया)

169-श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

170-डा0 सरजीत सिंह डंग-

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

171-श्री रंगनाथ मिश्र-

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

जनपद गोण्डा में सुहेला झील की सफाई के आदेश एवं अनुपालन

172-श्री धनश्याम शुक्ला-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा में सुहेला झील से किसानों की हजारों एकड़ फसल प्रति वर्ष निकासी का रास्ता न होने के कारण बरबाद हो जाती है ? क्या इस सम्बन्ध में उपरोक्त झील की सफाई करने के आदेश निर्गत किये गये थे ? क्या उसका अनुपालन विभागीय अधिकारियों द्वारा किया गया ? यदि नहीं, तो उसका कारण क्या था ?

सुश्री मायावती-

सुहेला झील से जल निकासी हेतु सुहेला ताल ड्रेन का निर्माण हुआ है । ड्रेन के कुछ भाग में जलकुम्भी सेवार, बेहया, आदि पैदा हो जाने के कारण [illegible]

अवरुद्ध था। ड्रेन की सफाई के पश्चात् भी झील का जल स्तर ड्रेन की तली से अधिक नीचा होने के कारण 327 एकड़ क्षेत्र जलमग्न रहता है।

प्रश्नगत झील की सफाई हेतु कोई विशिष्ट आदेश नहीं दिये गये थे। प्रमुख अभियन्ता, सि0वि0, लखनऊ द्वारा निर्गत सामान्य निर्देशों के अनुपालन में वर्ष 1995-96 में ड्रेन की सफाई करा दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पडरौना की विधान सभा क्षेत्र सेवरही के स्वीकृत विकास कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा देवरिया द्वारा कराया जाना

173-श्री नन्द किशोर मिश्र-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पडरौना के विधान सभा क्षेत्र सेवरही में वर्ष 1993-94 में स्वीकृत विकास कार्य जो ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा देवरिया द्वारा सम्पन्न कराये जाने थे, क्या पूर्ण कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अनावश्यक विलम्ब के कारणों की जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री चैनसुख भारती-

जी हां।

अनावश्यक विलम्ब नहीं हुआ, जैसे-जैसे धनराशि प्राप्त हुई उसके अनुसार कार्य पूर्ण करा दिया गया है। किसी के विरुद्ध किसी तरह की कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

अलीगढ़ नगर में भूतेश्वर व्यायामशाला को अनुदान दिये जाने की मांग

174-श्री कृष्ण कुमार नवमान-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि युवाओं के शारीरिक सम्वर्द्धन हेतु प्रदेश में व्यायामशाला स्थापित करने की सरकार की क्या कोई कार्य योजना है ? क्या अलीगढ़ नगर में भी व्यायामशाला स्थापित करने पर सरकार विचार करेगी ? क्या अलीगढ़ नगर में भूतेश्वर व्यायामशाला समाज सेवी संस्था द्वारा व्यवस्थित रूप से चलाई जा रही है ? क्या सरकार इस व्यायामशाला को अनुदान प्रदान करेगी ?

सुश्री मायावती-

विकास खण्ड स्तर पर ग्रामीण स्टेडियम के अन्तर्गत व्यायामशाला स्थापित किये जाने की जिला सेक्टर की योजना है।

जी नहीं, क्योंकि यह प्रकरण उपरोक्त योजना के अन्तर्गत नहीं आता है।

जी हां।

जी नहीं।

175-श्री चैनसुख भारती-

(मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।)

176-श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

(3 सरे सोमवार में अता0 प्र0 सं0-138 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।)

मण्डी समिति आगरा की आय से किये गये विकास कार्यों की जानकारी

177-श्री सत्य प्रकाश विकल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी समिति आगरा को विगत दो वर्षों में शासन द्वारा तथा स्थानीय रूप से कुल कितनी आय हुई है ? क्या प्राप्त आय का 60 प्रतिशत धन सम्बन्धित क्षेत्र में खर्च किया गया ? यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में क्या-क्या कार्य कराये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

शासन द्वारा मण्डी समिति को कोई आय नहीं होती है। मण्डी समिति, आगरा को मण्डी शुल्क व अन्य मदों को मिलाकर कुल रु0 442.77 लाख की आय हुई।

जी हां ।

कार्यों की सूची संलग्न है। †

प्रश्न नहीं उठता ।

सचिव अभियन्त्रण सेवा उ0प्र0 को दिनांक 4-8-94 को प्रेषित पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

178-श्री नन्द किशोर मिश्र-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र क्या सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ0प्र0 को दिनांक 4-8-94 का भेजा हुआ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की जांच की गई ? जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री चैनसुख भारती-

(क) जी हां ।

(ख) उक्त पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की जांच अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, परिमण्डल गोरखपुर से कराई जा रही है। जांच आख्या प्रतीक्षित है।

जनपद स्तरीय डी0आर0डी0ए0 की बैठक में अनिवार्य उपस्थिति वाले अधिकारियों की जानकारी

179-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद स्तरीय डी0आर0डी0ए0 की बैठक में किन-किन अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है ? क्या इन अधिकारियों की अनुपस्थिति के लिये कोई दण्ड का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या ?

---

† छापी नहीं गई।

श्री चैनसुख भारती-

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की शासी निकाय में निम्नलिखित अधिकारी सदस्य होते हैं :-

(1) जिलाधिकारी	अध्यक्ष
(2) मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
(3) जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष	सदस्य
(4) अध्यक्ष, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	"
(5) अग्रणी बैंक अधिकारी	"
(6) जिला स्तर पर नाबार्ड का प्रतिनिधि	"
(7) महाप्रबन्धक, जिला औद्योगिक केन्द्र	"
(8) खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का प्रतिनिधि	"
(9) परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रभारी जिला अधिकारी	"
(10) क्षेत्रीय/जिला अधिकारी, अनुसूचित जाति वित्त निगम	"
(11) जिला रोजगार अधिकारी	"
(12) परियोजना अधिकारी, समन्वित जनजाति विकास योजना	"
(13) ए0 पी0 ओ0 (महिला विकास)	"
(14) अध्यक्ष, भूमि विकास बैंक एवं उनके प्रतिनिधि	"
(15) राज्य हथकरघा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी	"
(16) परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0	सदस्य/सचिव

इन अधिकारियों से यह अपेक्षित है कि वे शासी निकाय की बैठक में भाग लें।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के डाडामण्डी जमेली मोटर मार्ग का निर्माण पूर्ण करने की मांग

180-श्री हरक सिंह रावत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में डाडामण्डी जमेली मोटर मार्ग का निर्माण जनहित में कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

मार्ग स्वीकृत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

(नियम 301 की सूचना पुकारे जाने पर)

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, मैंने सूचना दी है आप नियम 69 से 78 तक देख लें इसे प्रश्नकाल के पहले लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

पहले नियम 301 समाप्त हो जाने दें।

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 19 जुलाई, 1995 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 29 सूचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर, अग्राह्य को छोड़ते हुये निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गई। जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार हुई है मैं उन्हें बुला रहा हूं।

उत्तराखण्ड के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को नियमित वेतन प्राप्त न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेन्द्र सिंह माहरा-

महोदय, उत्तराखण्ड में राजकीय महाविद्यालयों, इंटरमीडिएट कालेजों तथा हाई स्कूलों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को विगत छः माह से वेतन का भुगतान बड़ी कठिनाईयों के पश्चात् टी0आर0-27 से किया जा रहा है। वेतन का भुगतान नियमित रूप से न होने का मुख्य कारण यह बताया जाता है कि शिक्षा विभाग के पास बजट नहीं है। टी0आर0-27 से वेतन आहरण की प्रक्रिया अत्यन्त दुखदायी है। जिलाधिकारी अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके टी0आर0-27 के अन्तर्गत वेतन आहरण की स्वीकृति देते हैं इसकी एक सीमा होती है जो अधिक से अधिक तीन माह की होती है। नियमित रूप से वेतन न मिल पाने के कारण शिक्षा विभाग के शिक्षकों व कर्मचारियों को घोर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसका प्रभाव पठन-पाठन में भी पड़ने लगा है जबकि परीक्षायें समीप हैं। उत्तराखण्ड के शिक्षकों को नियमित वेतन प्राप्त करने के लिये जिला मुख्यालय से लेकर लखनऊ व इलाहाबाद लगातार भागा दौड़ी करनी पड़ती है, परन्तु विभाग के उच्च अधिकारी यही कहते रहते हैं कि बजट नहीं है, फलतः शिक्षकों व कर्मचारियों में घोर असन्तोष व्याप्त है और स्थिति अत्यन्त विस्फोटक हो चुकी है। अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं सुनिश्चित प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय शिक्षा मंत्री जी से मांग करता हूं कि शिक्षा विभाग को वेतन भुगतान का बजट दिया जाये।

नोटः-* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

जनपद हरिद्वार के सन्त भीष्मानन्द सरस्वती की हत्या किये जाने की जांच सी0आई0 डी0 द्वारा कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री आचार्य जगदीश मुनि-

महोदय, जनपद हरिद्वार में दिनांक 15-7-95 की रात्रि में भारत के एक महान सन्त भीष्मानन्द सरस्वती जी की गुण्डों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिससे पूरे क्षेत्र में आतंक पैदा हुआ है। हत्यारों की गिरफ्तारी न होने से वहां की जनता में भय बना हुआ है कि कहीं और कुछ लोगों की हत्या न हो जाये। इस कारण जनता में भय और रोष का वातावरण व्याप्त है। अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये उक्त घटना की सी0आई0डी0 द्वारा जांच कराये जाने की मांग करता हूं।

जनपद अल्मोड़ा के ग्राम कुसौली में विद्युतीकरण न किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नियम 301 के अन्तर्गत इस सदन के संज्ञान में एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। महोदय ग्राम कुसौली, पो0 जयन्ती, जनपद अल्मोड़ा में 40 परिवार अनुसूचित जाति के सदस्य स्थायी रूप से [illegible], पर 10 सालों में उक्त ग्राम कसौली के विद्युतीकरण हेतु सभी स्तर से प्रयास कर चुके है। जबकि उक्त ग्रामवासियों ने विद्युत कनेक्शन लगाने हेतु दो वर्ष पूर्व ही विभागीय फार्म भर कर धनराशि जमा कर दी थी परन्तु विद्युतीकरण अभी तक नहीं कराया गया। अधिशाषी अभियन्ता अल्मोड़ा के कार्यालय में छानबीन करने पर पता चला है कि इस गांव को दो वर्ष पूर्व विद्युतीकृत करवा दिया गया है। जो अनुसूचित जाति के नीतियों के खिलाफ है। अतः मैं इस महत्वपूर्ण अविलम्बनीय सूचना, जो की सरकार की नीतियों के खिलाफ है, अनुसूचित जाति के ग्राम वासियों की उपेक्षा के इस अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में आपके माध्यम से इस सूचना को लाना चाहता हूं ताकि यह माननीय सदन इस विषय पर सही निर्णय देकर अनुसूचित जाति के गांव को विद्युतीकरण से लाभान्वित कर सकें तथा गलत तरह से विद्युतीकरण दिखाने वाले अधिकारियों को दण्डित करवा सकें।

जिला टिहरी गढ़वाल के कतिपय विकास खण्डों में पेयजल समस्या विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मातवर सिंह कण्डारी-

महोदय, जिला टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड देव प्रयाग, विकास खण्ड कीर्तिनगर, विकास खण्ड नरेन्द्र नगर में जल श्रोत सूख गये हैं। फलतः प्रशासन को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

खच्चरों एवं टैंकर के द्वारा जनता को पानी देना पड़ रहा है। प्रति वर्ष लाखों रुपया खच्चर एवं टैंकर से पानी देने में खर्च होता है। इसलिये जिला प्रशासन के माध्यम से लिफ्ट पेयजल योजनायें लवा चाका, सूर्य कुण्ड रानीताल, जबाड़ी रौठिया, सिल्कारवाल, न्युली, ननाडी पाव, एवं रणकन्डियाल का आंगणन तैयार कर शासन को भेजा गया लिफ्ट योजनाओं का कोई विकल्प नहीं है। अतः मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि उक्त लिफ्ट पेयजल योजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर निर्माण हेतु धन आवंटित करने की कृपा की जाये।

(इस समय 12 बजकर 28 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त पीठासीन हुये।)

पूर्वी उत्तर प्रदेश के नदियों की तलहटी में नील घोड़ों से फसलों की बर्बादी को रोके जाने तथा उक्त क्षेत्र की चकबन्दी कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नदियों की तलाहटी के क्षेत्रों में नील घोड़ों की संख्या बढ़ती जा रही है इससे किसान त्रस्त है यह जंगली जानवर खड़ी फसल और साग सब्जी के पौधों को कुछ मिनटों में साफ कर देते हैं। पूर्व मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह ने इस समस्या के निराकरण हेतु एक सरकारी आदेश के तहत इनको मारने की कुछ व्यवस्था की थी परन्तु सरकार के चले जाने के बाद यह योजना निष्प्रभावी हो गई। परिणामस्वरूप आज भी वे स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं। किसानों के खेत पर खेत आज परती पड़े हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार इन क्षेत्रों की एक तिहाई भूमि परती पड़ गई है। अतः इस महत्वपूर्ण जनहित के विषय को सरकार के संज्ञान में लाकर यह मांग करती हूं कि किसानों के फसल को बचाने के लिये एक प्रभावी योजना लागू किया जाय और इन क्षेत्रों में चकबन्दी भी करा दिया जाये जिससे किसानों के बिखरे खेत एक जगह हो जायें और उनके लिये भी अपने खेत की रक्षा करना सम्भव हो।

जनपद बाराबंकी के तहसील हैदरगढ़ में अग्निशमन (फायर ब्रिगेड) सेन्टर खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित-

महोदय, बाराबंकी जनपद के तहसील हैदरगढ़ के विभिन्न ग्रामीण अंचलों में माह अप्रैल, मई, जून में भीषण अग्निकाण्ड के प्रकोप से मरुई, बगैचा, भुजियामऊ,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

करमेमऊ, मिर्चिया, वारा गंगापुर संसारा, बीजापुर आदि ग्रामों के 1000 परिवार की चल व अचल सम्पत्ति जलकर नष्ट हो गयी। उक्त परिवार आवास विहीन हो गये हैं तथा उनके सामने आवास तथा जीवन यापन की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। अग्निकाण्ड से पीड़ित 1000 परिवार के लोगों के सामने भुखमरी की समस्या पैदा हो गयी है। शासन द्वारा दी गयी राहत आर्थिक सहायता पाने से लगभग 50 व्यक्ति वंचित रह गये, अनुदान वितरण भेदभाव बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त तहसील मुख्यालय हैदरगढ़ पर अग्निशमन, फायर ब्रिगेड सेन्टर खोलने की मांग करता हूं। मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।

जनपद अल्मोड़ा के बागेश्वर क्षेत्र के कतिपय विकास खण्डों में हैजा के प्रकोप होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह-

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता-

पहले नियम 301 की सूचनायें पूरी हो जाने दें, उसके बाद में आपकी बात सुनूंगा।

*श्री राम प्रसाद टम्टा-

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के विकास खण्ड ताकुला, कपकोट एवं गरुड़ में व्यापक उल्टी दस्त का प्रकोप फैला हुआ है। लगभग 20 मौतें हो चुकी हैं। सैकड़ों की संख्या में अस्पताल में भर्ती है। अस्पतालों की हालत अत्यन्त दयनीय है। दवाओं का अभाव है और अस्पतालों की सफाई व्यवस्था अव्यवस्थित है। दूरदराज के अस्पतालों में डाक्टरों का अभाव है। तहसील मुख्यालय के अस्पतालों तक लाने में कई मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक शामा पुडकूनी तथा दूरदराज के क्षेत्रों में कोई भी कैम्प नहीं लागाया है। गरीब मृतकों के परिवारों और बीमारों को राहत की अत्यन्त आवश्यकता है। इस समस्य के निराकरण के सम्बन्ध में व्यवस्था चाहता हूं।

नत्थी "ग" के तारांकित प्रश्न-1 तथा औचित्य के प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह-

मान्यवर, आज मैंने तारांकित प्रश्न पूछा था, नत्थी "ग" में मेरा प्रश्न था, शोरगुल में मेरा प्रश्न समाप्त हो गया। मंत्री जी ने जो प्रश्न का उत्तर दिया, उससे उन्होंने सदन को गुमराह किया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य आप बैठें, प्रश्नों के बारे में आपकी जो भी शिकायत है, वह लिखकर भेज दें, मैं परीक्षण करा लूंगा, इससे आपकी समस्या का समाधान हो जायेगा। आपके यहां कहने से समस्या का समाधान भी नहीं हो पायेगा और नियमावली का उल्लंघन भी होगा।

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अध्यक्ष जी, कुछ निर्णय करके चले गये हैं, मुझे उसी के अनुसार कार्यवाही संचालित करनी है। औचित्य के प्रश्न दिये गये हैं, लेकिन जिनको सुनने का फैसला किया गया है, उन्हीं को सुना जायेगा।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, बालेश्वर त्यागी जी के साथ मुझे भी सुन लीजियेगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

प्रदेश के लाखों मजदूरों से जुड़ा सवाल है.....

श्री अधिष्ठाता-

पाल जी, आप बैठें, अगर आपकी सूचना होगी, तो आपको सुना जायेगा।

पूर्व मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष के माध्यम से धन का दुरुपयोग किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता-

पहले मैं 300 की सूचना पर बालेश्वर त्यागी जी को बुला रहा हूं।

श्री बालेश्वर त्यागी-

मान्यवर, मैं औचित्य प्रश्न के माध्यम से महत्वपूर्ण व्यवस्था आपसे चाहता हूं। मान्यवर, यहां संविधान की धारा 202 के अन्तर्गत प्रदेश का बजट पास होता है और बजट में अलग-अलग विभागों के लिये धन आवंटित होता है, उसकी स्वीकृति के बाद ही धन व्यय किया जा सकता है, लेकिन प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने अपने विवेकाधीन कोष से, जिसमें बजट में केवल 20 लाख का प्राविधान था, 43 करोड़ रुपया बांट दिया। विधान सभा, जिन मदों पर धन आवंटित नहीं कर सकती थी, उन मदों पर उन्होंने धन व्यय किया, जो जनता के खून पसीने की कमाई थी, उस धन को उन्होंने अपने चहेतों, राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु लोगों में बांटा। मेरे पास कुछ जानकारियां हैं।

अध्यक्ष, लोक मजदूर सभा, 60, रायल होटल, लखनऊ को उन्होंने एक लाख रुपया आवंटित किया। श्री फुरकान, मुलायम यूथ ब्रिगेड को एक लाख रुपया दिया,

विनोद बड़थ्वाल को 50 हजार रुपया दिया गया, इसी प्रकार एक छात्र नेता को 20 हजार रुपया दिया गया। मेरा कहना यह है कि जो मद विधान सभा में प्राविधानित नहीं की जा सकती थी, उनके लिये मुख्य मंत्री ने अपने विवेकाधीन कोष से दुरुपयोग किया। इस कोष का एक सीमित उद्देश्य है, जैसे किसी को भयंकर बीमारी है, बहुत गरीब है, उसके यहां बेटी की शादी है कोई गरीब प्रतिभावान छात्र है, उसको पढ़ने के लिये धन दिया जा सकता है, लेकिन राजनीतिक उद्देश्य के लिये, पार्टी दफ्तर चलाने के लिये, नेताओं को प्रतिष्ठापित करने के लिये प्रदेश के धन को इस प्रकार खर्च नहीं किया जा सकता है। पूर्व मुख्य मंत्री ने विधान सभा के जबरन अधिकारों को छीनकर धन का दुरुपयोग किया है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, इस देश का संविधान, आदरणीय सदन की प्रक्रिया नियमावली इसलिये बनाई गई है, जिससे लोकतंत्र की सुरक्षा हो, लोकतंत्र सबल हो। लेकिन जैसा आज त्यागी जी ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 202 के अन्तर्गत जिन मदों पर बजट की स्वीकृति इस आदरणीय विधान सभा के द्वारा हो जाती है, उन्हीं को खर्च किया जाता है, लेकिन पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा अपने समाजवादी दल के लोगों को लाखों रुपया दिया गया है। पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा लोकतंत्र के सारे स्तम्भों को हिलाकर गिराने की चेष्टा की गई है। न्याय पालिका विधायिका, कार्यपालिका को कमजोर करने की चेष्ठा तो की ही गई लेकिन लोकतंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण खम्भा पत्रकार जगत का है, उसको भी अन्दर से गिराने की पूरी चेष्टा की गई। सबसे बड़ा विचित्र बिन्दु यह है कि कहीं राग, कहीं द्वेष से, कहीं परोक्ष रूप से, कहीं अपरोक्ष रूप से इस स्तम्भ पर हमला किया गया जिन लोगों ने वास्तविक रूप से सच्चाई को जनता के सामने रखने का प्रयास किया, उनके ऊपर हल्ला बोल किया गया और जो उनकी दुदुम्भी बजाया करते थे, उन समाचार पत्रों को 1-2 लाख, 5-7 लाख रुपया दिया गया है। स्थिति यह है कि ऐसे समाचार-पत्र जो शायद वर्ष में 1-2 बार प्रकाशित होते हैं, उनको भी लाखों रुपये की धनराशि दी गई है और इस प्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ को पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयत्न किया गया है, लोकतंत्र के ऊपर आघात किया है, जो संविधान के प्रक्रिया नियमावली के पूरी तरह विपरीत है। मान्यवर, केवल इतना ही नहीं है, यहां तक किया गया है कि ऐसे लोग जो कि कभी पत्रकार जगत से संबंधित भी नहीं रहे हैं, उनको भी अपना प्रचार करने के लिये लाखों रुपये की धनराशि दी गयी। मैंने प्रारम्भ में ही निवेदन किया कि समाचार जगत में ही नहीं, बाकी जो लोकतंत्र के स्तम्भ हैं उनको हिलाने की चेष्टा की गई है, उनको बदनाम करने की साजिश की गई है। मैं यह भी चाहता हूं कि पत्रकार जगत को भी इसके ऊपर चिन्ता करनी चाहिये इस स्तम्भ में जो सोयम ईंटे लगी हुई हैं। वह गौरान्त्रित न होने पाये और ऐसे लोग जो सत्ता पक्ष की, सरकार की झूटी प्रसंशा करने से नहीं हिचकिचाते उनको भी इससे अलग करना होगा, यह मैं समाचार जगत के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। हम यहां इसलिये बैठे हैं कि इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र नहीं रहता तो तानाशाही रहती राजतंत्र रहता। लोकतंत्र है तभी हम इस विधान सभा के अन्दर बैठे हैं। जहां भी लोकतंत्र को कमजोर करने की चेष्टा की

जाती है वहां लोकतंत्र की आत्मा पर कुठाराघात होता है। इसलिये मान्यवर, इस बात पर बल देता हूं मेरे इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार किया जाय और इस मामले पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिये जिससे भविष्य में कोई भी शासक, मुख्य मंत्री लोकतंत्र का उपहास न कर सकें और जो लोकतंत्र के स्तम्भ को हिलाने की कुचेष्टा न कर सकें, साहस न कर सकें। मैं पुनः अपने औचित्य के प्रश्न पर बल देता हूं।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

श्रीमन्, माननीय बालेश्वर त्यागी जी ने और डा0 डंग साहब ने नियम 300 में यद्यपि बड़ा गम्भीर मामला उठाया है लेकिन यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है। दोनों माननीय विधायकों ने अपनी सूचना की ग्राह्यता पर बल देते हुये यह कहा है कि तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने बिना बजट प्राविधान के विवेकाधीन कोष के लिये निर्धारित धनराशि से कहीं अधिक पैसा खर्च किया है। मान्यवर, यह सही है कि उनके विवेकाधीन कोष के लिये सिर्फ 20 लाख रुपये था और उससे आगे जाकर तमाम व्यय किये हैं। श्रीमन् यद्यपि मेरे पास पूरी सूचना नहीं है, लेकिन जितनी सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार उन्होंने 20 लाख रुपये से ऊपर राज्य की संचित निधि से करीब 15 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की है। हो सकता है और भी खर्च किया हो लेकिन करीब 15 करोड़ रुपये की मेरी जानकारी है।

श्री किरन पाल सिंह-

मान्यवर, सरकार के पास आंकड़े अवश्य होने चाहिये।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मेरे पास आंकड़े इसलिये नहीं है क्योंकि नियम 300 पर बोल रहे हैं और 300 में वही मामला उठाया जा सकता है जो इस आदरणीय सदन की कार्य के संबंध में होते हैं, कार्य के संबंध में आंकड़े नहीं होते हैं, सदन की कार्य के लिये किताबें हैं, नियमावलियां हैं। चूंकि यह मामला विवेकाधीन कोष से संबंधित है। अगर किसी संगत नियम में आता तो ठीक से उत्तर देने की जिम्मेदारी भी थी। नियम 300 के उपधारा 6 (क) में लिखा हुआ है कि जानकारी मांगने के लिये कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। श्रीमन् यह मामला पूरी तरह से तत्कालीन मुख्य मंत्री जी की विवेक का है और उनके विवेक पर इस आदरणीय सदन में चर्चा हो चुकी है तथा पूरे उत्तर प्रदेश में उनके विवेक पर किस तरह की चर्चायें हैं, जगह-जगह पर तमाम मामलों में उनकी थू-थू और निन्दा हो रही है। इसलिये श्रीमन्, उनके विवेक पर और चर्चा करना इस आदरणीय सदन के लिये ज्यादा उपयोगी नहीं होगा। तत्कालीन मुख्य मंत्री जी को यह अधिकार है कि वह अपने विवेकाधीन कोष का व्यय करें। यह सही है कि संविधान निर्माताओं ने और इस आदरणीय सदन में समय-समय पर व्यवस्थायें दी गई, कानून बने, हम सबकी अपेक्षा यह रही है कि मुख्य मंत्री पद पर आसीन व्यक्ति अपनी राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठकर, अपने राग द्वेष से ऊपर उठकर व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर इस प्रदेश की जनता के सुख के लिये ही काम करते हैं लेकिन श्रीमन्, अगर विवेकाधीन कोष राजनीतिक पार्टी के हितों के लिये, किसी को खुश करने के लिये, जैसा कि आदरणीय डंग जी ने बताया कि किन्हीं पत्रकारों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिये या किसी को कहीं कुछ दिया भी हो, विवेकाधीन कोष से, तो बीस लाख से ऊपर राज्य संचित निधि से, लेकर के, तो श्रीमन् यह भी नियमों में है कि वह दे सकता है। इसकी व्यवस्था नियमों में है।

अब सम्भवतः उनके विवेक का प्रश्न है उनके विचार में यह सकता है । मैंने निवेदन किया कि उनके विवेक पर पूरे प्रदेश में देश में समाचार पत्रों में जगह-जगह निन्दा हो रही है यह विचारणीय हो सकता है कि जहां जहां उन्होंने धन दिया है, समाचार पत्रों में जो पत्रकार कामकरते हैं और उनसे जुड़ी हुई संस्थायें हैं तो उसमें कई ऐसी भी संस्थायें हैं होंगी जिन पत्रकारों ने वास्तव में जिस काम के लिये उन्होंने धन लिया तो उसे कहीं उपयोग भी किया होगा । हो सकता है किन्हीं लोगों ने, किसी संस्थान ने जिन पत्रकारों ने पैसा लिया है, हो सकता ह वास्तव में उन्होंने व्यय भी किया हो । हो सकता है किसी ने उस पैसे का उपयोग अपने निजी काम में किया हो । मैं समझता हूं कि यह भी विचार का विषय है । और मैंने निवेदन किया कि निश्चित रूप सें तत्कालीन मुख्य मंत्री ने अपने विवेक पर, विवेकाधीन कोष का इस्तेमाल किया होगा किन परिस्थितियों में किया अपनी राजनीतिक पार्टी के लिये किया, अपने परिवार के लिये किया, अपनी राजनीति चलाने के लिये किया, इस विषय पर कई बार चर्चा पूरे प्रदेश में और इस आदरणीय सदन में हो चुकी है और मैं समझता हूं कि माननीय त्यागी जी और माननीय डंग जी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि यह नियम 300 की परिधि में नहीं आता है और सरकार इस बात से सहमत है कि इस विवेकाधीन कोष का इस्तेमाल कदाचित उस तरीके से नहीं किया गया जिस तरीके से मुख्य मंत्री की कुर्सी पर आसीन लोगों ने पहले किया है और इस महान उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री पद की कुर्सी पर बैठकर जिस ढंग से विवेकाधीन कोष का इस्तेमाल होना चाहिये उस ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया । श्रीमन्, यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं किया गया है । आपसे अनुरोध है कि इसे निरस्त करने की कृपा करें ।

*श्री कल्याण सिंह-

मान्यवर, मैं सुझाव देने के लिये खड़ा हुआ हूं पहली बात तो यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो उत्तर दिया है मेरे अपने विचार से सदन का कोई भी माननीय सदस्य उनके इस व्याख्या से संतुष्ट नहीं हो पाया होगा । किसी भी मुख्य मंत्री के जहा तक विवेक का प्रश्न है, विवेक का अधिकार तो है लेकिन सार्वजनिक धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये । हम सबकी जनता के प्रति जबाबदेही है । यह सदन जनता के प्रति जवाबदेह है । मुख्य मंत्री जी ने पैसा किसी को दिया है अपने जेब से नहीं दिया है वह जनता के खजाने से दिया है और जनता को यह जानने का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पूरा अधिकार है कि विवेकाधीन कोष का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। हम जनता की संतुष्टि के लिये सदन से यह अपेक्षा करते हैं और सरकार से यह कहना चाहते हैं कि जो भी विवेकाधीन कोष से धन दिया गया उसकी सदन को जानकारी हो जाय। प्रदेश की जनता को भी इसकी जानकारी हो जाय।

प्रेस लोकतंत्र का चौथा पाया है। जिसने देश की आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा गरिमापूर्ण योगदान दिया है। मेरी समझ में तो भारतवर्ष का प्रेस विश्व में अपना एक स्थान रखता है। पत्रकारों को जो पैसा देने वाली बात है, सबको तो नहीं दिया गया, हां कुछ को दिया गया। इसलिये यह अच्छा होगा कि इस संबंध में एक श्वेत-पत्र जारी कर दिया जाय, जिससे लोगों को मालूम हो जाय कि किस-किस को पैसा दिया गया। कई पत्रकार तो कह रहे हैं कि हमें पैसा नहीं दिया गया, और हम अपनी सफाई भी नहीं दे पाते, जिनको पैसा नहीं दिया गया वह भी इस प्रकरण से लांछित हो रहे हैं। श्वेत-पत्र जारी हो जायेगा तो मालूम हो जायेगा कि किस समाचार-पत्र व संगठन तथा व्यक्ति को कितना-कितना पैसा दिया गया और किस प्रयोजन हेतु दिया गया। मान्यवर, साथ ही आपसे निवेदन है कि इस विवेकाधीन कोष से जिस तरह से अविवेकपूर्ण ढंग से पैसा देकर दुरुपयोग किया गया है, उस पर श्वेत-पत्र जारी होना चाहिये। समाचार-पत्रों को पैसा दिया गया है, ऐसा कह कर पूरे समाचार-जगत को बदनाम किया जा रहा है और उनकी छीछालेदर की जा रही है, इसलिये भी जरूरी है कि श्वेत-पत्र जारी करने का ताकि स्थिति साफ हो जाय और वस्तु स्थिति भी जनता के सामने आ जाय।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, नियम में स्पष्ट लिखा है कि "औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेद के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा।" जब संविधान की धारा 202 का उल्लंघन हुआ है तो इस नियमावली के नियम 300 का भी उल्लंघन हुआ है। इसलिये यह औचित्य के प्रश्न की परिधि के अन्तर्गत आता है।

श्री अधिष्ठाता-

इस पर तो आप पहले ही बोल चुके हैं। अब मैं श्री प्रमोद तिवारी जी को बोलने की इजाजत दे रहा हूं।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, औचित्य के प्रश्न पर इतने माननीय सदस्यों को बोलने की परम्परा नहीं रही है परन्तु आपने कृपापूर्वक भारतीय जनता पार्टी के नेता कल्याण सिंह जी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को बोलने की अनुमति प्रदान कर दी और उन्होंने श्वेत-पत्र जारी करने के लिये कहा। मैं तो कहता हूं कि वह तो श्वेत-पत्र में छपता ही है। किसी से छिपा तो नहीं है। जो सूची जारी हुई है, वह छिपी नहीं है। किसके नाम पैसा दिया गया और किसको कितना दिया गया, इसकी सूची तो जारी होती है और वह मुख्य मंत्री जी के विवेकाधीन वाले कार्यालय में रहता ही है, यदि सूची जारी नहीं होती और किसी को अकारण पैसा दिया जाता तब यह एक गम्भीर मामला बनता। सूची तो सबके पास है। जिन समाचार-पत्रों को पैसा दिया गया या संगठनों को पैसा दिया गया वह किन परिस्थितियों में दिया गया, इसका उल्लेख उनके प्रार्थना-पत्र में होगा। केवल समाचार-पत्र का नाम लेकर उसके नाम को कलौकित करना उचित नहीं होगा और एक प्रकार से यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। कई समाचार-पत्र अपने प्रतिनिधियों को विदेश भेजते हैं या सम्मेलन करते हैं आदि वह अपने प्रार्थना-पत्र में कारण दर्शाते हैं।

दूसरा यह कि तत्कालीन मुख्य मंत्री जी के विवेक पर यह था कि वह किसको दें और किसको नहीं दे। ऐसी स्थिति में उस समाचार पत्र से जुड़े हुये कर्मी का दोष है। एक परम्परा सी बन गई है कि जब कुछ लोग मुख्य मंत्री बनते हैं तो तब वह अपने से जुड़ी हुई संस्थाओं व विद्यालयों को पैसा दिया करते थे। माननीय कल्याण सिंह जी ने आरोप लगाया उन्होंने भी अपने विवेक का इस्तेमाल किया होगा। तो यहां पर जो बात आई कुछ लोगों को, कुछ समाचार-पत्रों को पैसा दिया गया जिसका दुरुपयोग हुआ तो उसकी जांच की बात कही गई। तो मैं चाहता हूं कि यह जांच 91 से हो मात्र 93 से न हो।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, माननीय कल्याण सिंह जी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर श्वेत-पत्र जारी करने की मांग की। श्वेत-पत्र जारी करने का कोई औचित्य नहीं बनता है वह इसलिये कि जब-जब कोई धनराशि किसी को मिली होगी तो उस समय शासनादेश जारी हुआ होगा। जब शासनादेश जारी होता है, जिन-जिन लोगों को धनराशि दी जाती है उनके नाम, उनकी सूची उस शासनादेश में होती है तो सभी की जानकारी में किसी न किसी प्रकार सबको लाभकारी होती रही है। यह सही है कि जनता के धन को विवेक के नाम पर पानी की तरह से बहाया गया यह अधिकार किसी को नहीं होना चाहिये कि जनता के धन का दुरुपयोग करे। मैं समझता हूं कि अगर विवेक का इस्तेमाल सही किया होता तो माननीय कल्याण सिंह जी से कहना चाहता हूं कि वह उधर से इधर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं बैठे होते । कहीं न कहीं कमी जरूर रही है जिसकी सजा उन्हें मिल गयी । उसके बाद अगर रोज-रोज पुराने पन्ने देखे जायेंगे तो यह कहा जायेगा कि जो कुछ भी किया जा रहा है वह बदले की भावना से किया जा रहा है । उस समय जब सत्ता में बैठकर बदले की भावना से सोचेंगे तो यह उचित नहीं होगा यह मेरा निवेदन है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमन्, माननीय कल्याण सिंह जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं. किसी भी मुख्य मंत्री को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने विवेकाधीन कोष का दुरुपयोग करें, यह सर्वमान्य तथ्य है कि जनता के धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये । पूर्व मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह जी ने अगर किसी वजह से स्वीकृत बजट 20 लाख रुपये से ज्यादा राज्य की संचित निधि से निकाल कर खर्च किया है तो यह विचारणीय बात है । माननीय तिवारी जी, माननीय राम आसरे वर्मा जी आदि ने जिन्होंने इस पर अपनी राय का इजहार किया है यह सही है कि किन परिस्थितियों में किन लोगों को रुपया दिया इस पर औचित्य के रूप में यहां पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है ।

जहां तक श्वेत-पत्र की बात उठाई है आदरणीय कल्याण सिंह जी इस औचित्य के माध्यम से तो श्रीमन् आप सहमत होंगे अगर किसी अन्य संगत नियम या प्रश्न के रूप में या किसी रिपोर्ट के रूप में तो उसकी जवाबदेही सरकार की बनती है लेकिन औचित्य के रूप में नहीं ।

माननीय डंग साहब ने कहा कि संविधान का उल्लंघन हुआ है । तो संविधान की जहां तक बात है कार्य-संचालन के संबंध में अनुच्छेद 188 से शुरू होता है उसमें विधायी प्रक्रिया जो दी हैं उसमें कई धारायें हैं । मैं भी उसके साथ इन धाराओं का अध्ययन करता रहा हूं, विनम्रता से मैं उनके साथ पढ़ता रहा हूं तो उसमें किसी धारा में यह नही आता है । आपने माननीय सदस्यों के विचार सुन लिये हैं इसलिये मेरा अनुरोध है कि चूंकि यह नियम 300 में नहीं आता है इसलिये इसे निरस्त करने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने इस महत्वपूर्ण विषय पर माननीय त्यागी जी, माननीय डंग जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय तिवारी जी और माननीय वर्मा जी को सुना । विषय वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है । सभी बातों को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जिस समय संविधान में इस विवेकाधीन कोष की व्यवस्था

की गई होगी, उस समय संविधान निर्माताओं ने यह नहीं सोचा होगा कि कभी वह समय भी आयेगा जब मूल निधारण से बहुत अधिक धन इसमें खर्च कर दिया जायेगा। यह विधान मण्डल एक-एक पैसे का हिसाब रखा करता है, और उसके बाद आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिये आकस्मिकता निधि से धन लिया जाता है। तो यहां पर कुछ बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। विचार को एब्सलूट नहीं कहा जा सकता है। मुलायम सिंह जी ने क्या किया इसका प्रश्न नहीं हैं, किन्तु हमारा ऐक्शन पारदशी होना चाहिये। राम आसरे वर्मा जी ने जो कहा, सही कहा है। जब विवेकाधीन कोष से कोई धन खर्च होता है तो उसकी कापी हमारे पास आती है। तो हमने स्वीकृत कराया होगा तो हमारे पास आया होगा, लेकिन वह 12 नाम राम आसरे वर्मा जी के पास कैसे आये ? "व्यवधान" यों मैं किसी की नीयत पर शंका नहीं करता, लेकिन हमारा आचरण हर समय पारदर्शी होना चाहियें। इसलिये मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि पहला, एक निर्धारित धनराशि-1 लाख, 2 लाख या 20 हजार उससे ऊपर जिसको विवेकाधीन कोष से धन मिला हो, उसके संबंध में कितना मिला, किसको मिला और किस काम के लिये मिला, उसके बारे में एक सूची बनाकर, सदन के पटल पर अर्थात् पुस्तकालय में रख दें, जो पढ़ना चाहें पढ़ लें। दूसरी बात, विवेकाधीन कोष के बारे में हमने सिफारिश की होगी, तो शासनादेश में यह भी लिखा होता है कि इसे इस काम के लिये किया जाता है और उसका समुचित हिसाब रखना है। तो जो बड़ी-बड़ी राशियां हैं आप उसकी जांच करा लें, उससे पूरा हिसाब करा लें, यह तो इन दो बातें रहीं सुझाव रहें, किन्तु अब आगे के लिये मैं यह सुझाव देना चाहता हूं--जैसा मैंने पहले कहा विवेक अविवेक नहीं होना चाहिये। विवेक एब्सलूट भी नहीं है। इसलिये उससे धन खर्च करने के लिये कोई मानक तय किये जाने चाहिये। और उसकी परिधि में रहकर ही यह व्यय किया जाना चाहिये। अब ये तीन बातें कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। "व्यवधान" (कई सदस्य अपने स्थानों पर बोलने के लिये खड़े हो गये।)

श्री अधिष्ठाता-

मैं अभी अपनी व्यवस्था दे रहा हूं, मेरी व्यवस्था के बीच में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं, "व्यवधान" मैं यह घोषणा करता हूं कि यह मामला औचित्य के प्रश्न के रूप में नहीं बनता, मैं इसे निरस्त करता हूं।

सदन में पीठ के प्रति अपमानजनक कथन पर आपत्ति

श्री राम आसरे वर्मा-

यह बड़ा गम्भीर प्रश्न खड़ा हो गया है।

"व्यवधान"

श्री जगदम्बिका पाल-

आप यह कहें कि सूची प्रकाशित कर दी जाय, वह तो ठीक है लेकिन आगे आपने जो कुछ कहा है, उससे तो कोई उससे खर्च ही नहीं कर पायेगा, यह तो उसके विवेकाधीन कोष की चुनौती है: . . . .व्यवधान

श्री अधिष्ठाता-

मैं अपनी बात को स्पष्ट कर दूं. . . . .व्यवधान

श्री राम आसरे वर्मा-

आप अपनी बात को स्पष्ट करेंगे, किन्तु उसके पहले ही सदन के सामने अपने आप वह स्पष्ट हो गई । जो मुद्दा यह उठा, निश्चय ही यह बहुत महत्वपूर्ण और गम्भीर है, लेकिन जिस तरह से सदन में इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई, आपने सदस्यों के विचार सुने ।× × × । ।× × × ।

(व्यवधान)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मैं इसका पूरा खण्डन करता हूं । अध्यक्ष पीठ पर आक्षेप है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता:

आप लोग बैठ जायें । अध्यक्ष पीठ पर जो भी आक्षेपात्मक शब्द कहे गये मैं उन्हें दिखवा लूंगा और सदन की कार्यवाही से निकलवा दूंगा । मैंने कोई आदेश नहीं दिये । मैंने तो मात्र विवेकानुदान कोष के व्यय के संबंध में सुझाव दिये हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा-

अध्यक्ष पीठ के प्रति कोई आक्षेप नहीं किया है । मैंने तो यह कहा है कि आपने व्यवस्था के नाम पर भाषण दे दिया है । आपने मुख्य मंत्री जी को आज्ञा दी है, ऐसा लगता है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता-

व्यवस्था का प्रश्न किस बात पर होगा?

नोट:-।× × ×। यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(घोर व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमन् आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। आपने आज्ञा दी कि मुख्य मंत्री जी अपने विवेकानुदान कोष से कोई व्यय करते समय कोई मानक निर्धारित करें और उसी के अनुसार व्यय किया जाना चाहिये। मान्यवर, इसके लिये पहले से ही नियम है। आप स्वयं नियमों के ज्ञाता, नियमों के सूक्ष्म परीक्षणकर्ता हैं, श्रीमन् आपके सुझाव भी हमारे लिये आज्ञा होगी। मेरा कहना है कि इस पर पुनः विचार कर लें। माननीय वर्मा जी ने कहा था कि अध्यक्ष जी ने जाते समय आपको यहां पर बैठा दिया....

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक-

इस तरह जो भाषण दिया गया है उस पर संसदीय कार्य मंत्री क्या कहेंगे (×××)

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

मैंने तो कहा कि विवेकानुदान कोष से व्यय करते समय अपने विवेक के साथ-साथ एक मानक भी होना चाहिये ताकि हमारी मंशा पारदर्शी हो।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल-

यह अधिकार हमारा है, सदन का है।

(कई सदस्यों के साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह-

श्रीमन् मैं व्यवस्था के प्रश्न के ऊपर खड़ा हुआ हूं अध्यक्ष पीठ से निर्णय दिये जाते हैं व्यवस्थायें दी जाती हैं, निर्देश दिये जाते हैं, सुझाव दिये जाते हैं उसमें यदि ऐसा लगा हो कि किसी निर्णय में पुनर्विचार की आवश्यकता है तो कोई माननीय सदस्य या संसदीय कार्य मंत्री उस पीठ से अनुरोध कर सकते हैं ताकि आप पुनर्विचार कर सकें। पीठासीन अधिकारी को अधिकार है कि अपने विवेक से पुनर्विचार कर सकें और पुनर्विचार के बाद उसे बदल भी सकते हैं और सही निर्णय भी रहने दे सकते हैं। श्रीमन् माननीय वर्मा जी वरिष्ठ सदस्य हैं उन्होंने कह दिया (× × ×) वर्मा जी ने जो यह शब्द कहे हैं मैं इसकी कटु शब्दों में भर्त्सना करता हूं। इन्होंने पीठ की गरिमा के अनुसार नहीं कहा। अध्यक्ष पीठ के लिये इस तरह कहना गलत बात है।

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(व्यवधान)

(माइक ठीक काम न करने के कारण साफ सुनाई नहीं दे रहा था।)

श्री अधिष्ठाता-

मैंने पहले ही कह दिया है कि जो निकालने वाला होगा उसको निकाल दिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

सरकार की ओर से पुनर्विचार का अनुरोध किया गया है।

श्री अधिष्ठाता-

पुनर्विचार किस बिन्दु पर करना है ?

तीन बातें मैंने कही हैं।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा-

कल्याण सिंह जी ने मेरा नाम लिया है। माननीय कल्याण सिंह जी ने आरोप लगाया मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि इस आरोप में कोई बल नहीं है। पीठ के बारे में सम्मान हमेशा था और हमेशा रहेगा लेकिन जो सदन में (× × ×) उस पीठ से निर्देश दिये जाते हैं।

(व्यवधान)

(× × ×) (× × ×) (× × ×)

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

माननीय राम आसरे वर्मा जी ने सदन की पीठ पर आरोप लगाया है।

(व्यवधान)

श्री रंगनाथ-

श्रीमन् मेरी 300 की सूचना है उसको प्रश्नकाल के पहले उठना चाहिये था, लेकिन अभी भी नहीं सुना जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

महोदय, जो मैंने सूचना दी है वह प्रश्नकाल के पहले भी ली जा सकती है वह गम्भीर मामला है उसको भी लटकाया जा रहा है। वह स्कैम के अन्तर्गत है हम नये सदस्यों की आप अनदेखी कर रहे हैं।

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

सबकी सूचना को एक साथ देख लिया जायेगा ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमन्, विवेकाधीन कोष के उपयोग के बारे में आपने जो व्यवस्था दी है उस पर मैंने पुनर्विचार के लिये अनुरोध किया था । श्री कल्याण सिंह जी ने भी अभी कहा है कि आपको पूरा अधिकार है कि आप अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार कर लें । विवेकाधीन कोष के बारे में जो व्यवस्थायें पहले से हैं मैं समझता हूं उसमें किसी नये नियम की आवश्यकता नहीं है । आप अपनी व्यवस्था को देख लें ।

श्री अधिष्ठाता-

विवेकाधीन कोष के बारे में मैंने कहा था कि कोई मानक बनाने की आवश्यकता है । पुराने मानक अगर सही हैं तो ठीक है । मैंने तो केवल सुझाव दिया था । हमको कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री किरन पाल सिंह-

अधिष्ठाता महोदय, आपकी जो रूलिंग आये वह सबको शिरोधार्य होनी चाहिये । आपको अपनी रूलिंग पर दस बार स्पष्टीकरण देना पड़ता है । पहली बार यह हुआ है कि उस पीठ से दी गई रूलिंग के बारे में इतने बार स्पष्टीकरण देना पड़ा हो । फिर भी सत्ता पक्ष शायद आपकी रूलिंग से संतुष्ट नही है । (× × ×) (× × ×) सभी इस बात से सहमत हैं कि विवेकाधीन कोष से जो खर्च होना चाहिये था उससे ज्यादा खर्च हुआ है । इसीलिये आशंकायें उठायी जा रही हैं । और लोगों को भी इसमें बदनामी हो रही है । उन सब बातों को सदन के पटल पर रखवा दिया जाये उसमें मैं सहमत हूं ।

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने 1991 से जो मुख्य मंत्री हुये हैं उन्होंने अपने विवेकाधीन कोष का किस प्रकार इस्तेमाल किया है उस सम्बन्ध में जानकारी देने की बात कही है लेकिन आपने 1993 के बाद कहा है ।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने किसी वर्ष का नाम नहीं लिया है ।

श्री किरनपाल सिंह-

मान्यवर, प्रमोद जी ने कहा है कि 1991 से जो मुख्य मंत्री हुये हैं उनके द्वारा विवेकाधीन कोष से आवंटित की गई धनराशि की पूरी जानकारी सदन के पटल पर

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

रखी जानी चाहिये। आपने इस संबंध में जो स्लिंग दी है वह अंकुश लगाने वाली है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस पर पुनर्विचार करने का निवेदन भी किया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पर पुनर्विचार कर लें और मुख्य मंत्री के विवेकाधीन कोष पर आपकी व्यवस्था का अंकुश न लगे। मेरा सुझाव है कि भविष्य में जो मुख्य मंत्री होंगे वह भी इस कोष को बांटेंगे उसके बारे में वर्षवार या 6 महीनें में सूचना सदन के पटल पर रख दी जाये, ऐसा स्लिंग दे दें।

श्री अधिष्ठाता-

मुझे जो व्यवस्था देनी थी मैंने दे दी ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

(श्री हरेन्द्र सिंह मलिक के खड़े होने पर ।)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मलिक जी क्या आप अपने प्रश्न को प्रेस करना चाहते हैं?

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मुझे एक मिनट सुन लें। मान्यवर, जैसा कि श्री किरन पाल सिंह जी ने कहा उस पर मैं बल देते हुये कहना चाहता हूं मान्यवर, (×××) (×××)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरी बात को सुन लें ।

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक-

मान्यवर, यह सदन व्यवस्थित कराइये ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, यह ठीक नहीं है ऐसे नहीं चलेगा ये व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था फैला रहे हैं ।

(श्री हरेन्द्र सिंह मलिक का नाम पुकारे जाने एवं उनके खड़े होने पर)

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, इनकी प्रमोद तिवारी से मिली भगत है और ये बोलना नहीं चाहते हैं। यह न बोल रहे हैं और न बोलने दे रहे हैं ।

नोट:- (×××) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री हरेन्द्र सिंह मालेक-

मान्यवर, आपके दल के सदस्य अभद्र व्यवहार कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

मैं व्यवस्था चाहता हूं। ||× × ×|| ||× × ×||

(इस समय 1. बजकर 28 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

(घोर व्यवधान)

आटो ट्रैक्टर्स लि0 के छटनी शुदा कर्मचारियों के बारे में शासन का ध्यानाकृष्ट किये जाने की कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक-

मान्यवर, मैंने नियम 300 के अन्तर्गत सूचना दी है।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, जब तक सदन व्यवस्थित नहीं होगा तब तक कैसे काम चलेगा?

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 5। को देखने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अभी पहली सूचना बालेश्वर त्यागी जी की है।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक-

मान्यवर, नियम 300 के अन्तर्गत मैं बोल रहा हूं अभी माननीय गुप्ता जी मुझे बुलाकर गये हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैंने औचित्य का प्रश्न दिया है।

श्री अध्यक्ष-

यह जो दूसरी सूचना नियम 300 के अन्तर्गत आई है वह हरेन्द्र मलिक जी की है।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक-

मान्यवर, मैं ही हरेन्द्र मलिक हूं यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

कुल ।। सूचनायें आयी हैं।

नोटः- ||× × ×|| यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, उसमें से स्वीकृत कौन सी हैं?

श्री अध्यक्ष-

यह मेरे विवेक पर छोड़े।

*श्री हरेन्द्र सिंह मलिक-

मान्यवर, नियम 51 के अन्तर्गत मेरे द्वारा इस सम्मानित सदन को सूचना दी गई नियम यह है कि जो सूचना हम देते हैं उसकी एक प्रति माननीय मंत्री जी को जाती है और जो निर्देश पीठ से होता है सरकार उसका पालन करती है। मान्यवर, प्रति पहुंच गई और उसके बाद आपकी पीठ से ध्यान आकर्षित किया गया। 3-4 रिमाइन्डर जाने के बाद भी सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार नियमों के प्रति बहुत उदासीन है। अगर सरकार से उत्तर नहीं आता है तो हमारा यहां पर बैठना बेकार है। प्रदेश के हजारों मजदूरों की यह समस्या है। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

माननीय हरेन्द्र मलिक जी ने जो प्रसंग उठाया है आटो ट्रैक्टर्स का उस मामले को उन्होंने अप्रैल माह में हुये सत्र में उठाया था। आटो ट्रैक्टर्स के मजदूरों व कर्मचारियों को अन्य विभागों में सम्मिलित किये जाने का मामला था, उनका कथन सत्य है लेकिन जैसा आप जानते हैं कि इस सरकार को काम करते हुये मात्र डेढ़ महीने हुये है और यह मामला बहुत पहले का है। इस मामले की गम्भीरता को सरकार समझती है और उन्होंने फिर से नियम 300 के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है, लेकिन यह नियम 300 के अन्तर्गत आता नहीं है। सरकार उनकी भावनाओं से सहमत है।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक-

यह तो सरकार की उदासीनता है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मलिक जी ने मेरी बात को पूरा नहीं सुना। उनकी बात से हम शत-प्रतिशत सहमत हैं, लेकिन यह नियम 300 में नहीं आता है। नियम 300 ध्यानाकर्षण नहीं है। आपने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। जो समस्या आपने उठायी है, उसके लिये सरकार सजग है, लेकिन यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है, इसलिये आप इसको अस्वीकार करें।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आपने ।। सूचनाओं में से 5 स्वीकार की हैं या 4 स्वीकार की हैं। लेकिन आप इस बात को बता दें कि कौन-कौन सी सूचनाओं को आपने स्वीकार किया है ? सूचना को स्वीकार करना या अस्वीकार करना आपका अधिकार है। हम लोगों ने इतना महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, लेकिन आज एक नयी व्यवस्था देखी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान हो रहा है.....

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

अध्यक्ष के विनिश्चय पर कोई आपत्ति नहीं की जानी चाहिये। नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अध्यक्ष के विनिश्चय पर कोई आपत्ति की जा सके।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, मेरी भी सूचना है, उस पर आपने क्या निर्णय लिया है ?

श्री जगदम्बिका पाल-

अगर आपने एक भी नहीं स्वीकार की है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप उसे स्वीकार करें। बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

मैं एक-एक सूचना ले रहा हूं। आप अक्सर तो आने दें। मैंने बताया है कि ।। सूचनायें आयी हैं। जिन सूचनाओं को मैं सुनूंगा उनको एक-एक करके बुला रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल-

आप ग्राह्यता पर तो सुनेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया बैठ जायें।

श्री नरेश अग्रवाल-

मैंने औचित्य का प्रश्न दिया है। उसको जब तक आप सुनेंगे नहीं, तब तक आप उसे कैसे स्वीकार करेंगे ? आप ग्राह्यता पर उसे सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

सूचना को प्रथम दृष्टया देखने के बाद ही यह प्रतीत हो जाता है कि वह स्वीकार होने योग्य है या नहीं, वह नियम 300 की परिधि में आती है या नहीं आती है।

(श्री नरेश अग्रवाल, श्री जगदम्बिका पाल व श्री राम विलास आजाद व अन्य कांग्रेस दल के सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये ।)

श्री जगदम्बिका पाल-

हमारे दल का एक भी औचित्य का प्रश्न नहीं लिया है । आप सदन को कैसे चलायेंगे ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, सदन को व्यवस्थित करायें ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय पाल जी आप लोग अपने स्थान पर जायें । आप संविधान के किस अनुच्छेद की कह रहे हैं ?

श्री नरेश अग्रवाल-

आप सुनलें । मैं बता दूंगा । अगर आप ग्राह्यता पर नहीं सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

श्री जगदम्बिका पाल-

क्या आप इस दल का कोई औचित्य का प्रश्न नहीं लेंगे ? सदन सभी के सहयोग से चलेगा, या तो आप हमारे दल को सदन से बाहर कर दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी अपने दल के माननीय सदस्यगणों से अनुरोध करें कि वे कृपया अपने स्थान पर वापस जायें ।

श्री प्रमोद तिवारी-

आपका आदेश हम स्वीकार कर लेंगे, यह पूरे राष्ट्र से जुड़ा मामला है ।

श्री अध्यक्ष-

श्री रंगनाथ मिश्र जी की सूचना है उनकी सूचना पर सुनना चाहता हूं ।

माननीय सदस्यगण से अनुरोध है कि कृपया वे अपने स्थान पर वापस जायें ।

श्री जगदम्बिका पाल-(फ्लोर से)-

आप तो मान्यवर, इतनी अल्प आयु में इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठ गये हैं । आपसे तो हमें बहुत अपेक्षायें हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल- (फ्लोर से)

आप तो मान्यवर, गांधी जी और अम्बेडकर जी के विचारों के ज्ञाता हैं, आप कम से कम गांधी जी के संबंध में जो हमारी बात है सुन लें ।

श्री प्रमोद तिवारी-

अब तो मान्यवर, हमारे सदस्य आसन पर वापस आ गये हैं, व्यवस्था का प्रश्न सुन लें । आपने कहा था कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है, कृपया इसको सुन लें ।

श्री अध्यक्ष-

300 के अन्तर्गत जो सूचनायें आयी हैं एक-एक करके ले रहा हूं ।

*श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं अनुच्छेद बता रहा हूं ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 को देखने का कष्ट करें जिसमें मंत्रियों के बारे में अन्य उपबन्ध हैं । 164 (2) में है- मंत्रि-परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा ।

इसका तात्पर्य यह है कि माननीय मंत्रिगण, सामूहिक रूप से या संसदीय कार्य मंत्री, इस सदन के प्रति उत्तरदायी हैं, मंत्रि परिषद् के मंत्री के किसी कथन का उल्लेख सदन में करना सत्य की परिधि में होगा, तथ्य की परिधि में होगा, सदन को गुमराह करने वाला नहीं होगा । इस सदन में मा0 डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर के प्रश्न पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि जो प्रदेश के राज्य कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ली उसमें उनके साथ कोई समझौता नहीं हुआ ।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, आपने बोलने की अनुज्ञा तो दी नहीं, केवल संविधान का अनुच्छेद पूछने के लिये अनुज्ञा दी थी ।

श्री जगदम्बिका पाल-

उसमें पत्रावलियों का उल्लेख किया गया था इस अनुच्छेद के तहत मंत्रि-परिषद् इस सदन के प्रति जवाबदेह है । मान्यवर, 22, 23, 26 जनवरी को और 2 फरवरी को बैठकें मुख्य सचिव के साथ राज्य कर्मचारियों की हुई ।

श्री अध्यक्ष-

यह कहां का सवाल है ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है ?

श्री अध्यक्ष-

कौन सी अव्यवस्था आ गई, जिस पर आप व्यवस्था चाहते हैं ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, जगदम्बिका पाल जी ने जो नोटिस दिया है, उसमें पहले पेरा की आखिरी लाइन में लिखा है, यह सदन का अवमान है, यह चीज वह धारा 63 में लिखकर दें । यह नियम 300 में तो आता नहीं है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अब तो यह सदन की सम्पत्ति हो गयी । संसदीय कार्य मंत्री ने दो लाइन पढ़कर सुना दी, अब तो इसको सुनना आपके लिये अनिवार्य है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मैं तो यह कह रहा हूं कि जब आप सदन की अवमानना बता रहे हैं तो सदन की अवमानना की नोटिस दें । आप लोग तो स्वयं जानकार हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने नोटिस का जवाब दे दिया ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मैंने नोटिस का जवाब नहीं दिया है । आप संविधान की व्याख्या कर रहे थे, उसका जवाब दिया है ।

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैं औचित्य के प्रश्न की सभी सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं । अब मैं अगली मद ले रहा हूं ।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या-2 (सिविल)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या-2 (सिविल) उत्तर प्रदेश सरकार को "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे वर्ष 1992-93 उत्तर प्रदेश सरकार

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे वर्ष 1992-93 उत्तर प्रदेश सरकार की "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 151 (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण: वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण उन्न वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन को उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के गठन सम्बन्धी शासनादेश संख्या-ए-3001/25-सी-एक्स-ए-64, दिनांक 8 जुलाई, 1964 के प्रस्तर 4 (च) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग का वर्ष 1992-93 के कार्यकलापों के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग का वर्ष 1992-93 के कार्य कलापों के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन को उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के गठन सम्बन्धी शासनादेश संख्या-ए-3001/25-सी-एक्स-ए-64, दिनांक 8 जुलाई, 1964 के प्रस्तर 4 (च) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

विधान सभा की वर्ष 1995-96 के लिये विभिन्न समितियों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम निर्धारण की सूचना

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन को एक सूचना दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश बारहवीं विधान सभा की वर्ष 1995-96 की "लोक लेखा समिति", "प्राक्कलन समिति", "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति", "सार्वजनिक

उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति" और "मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :-

1-नाम निर्देशन करने की अन्तिम तिथि तथा समय	बुधवार 26 जुलाई, 1995 को अपरान्ह 4:00 बजे तक
2-नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की तिथि तथा समय	गुरुवार 27 जुलाई, 1995 को अपरान्ह 3.00 बजे (सचिव विधान सभा के कार्यालय कक्ष में ।
3-नामों की वापसी की तिथि तथा समय	बुधवार 2 अगस्त, 1995 को अपरान्ह 4.00 बजे तक
4-निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान-	
(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन जातियां तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के लिये ।	मंगलवार 8 अगस्त, 1995 को,
(ख) मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 अस्थायी समितियों के लिये ।	सोमवार, 14 अगस्त, 1995 को।

विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में पूर्वान्ह 10.30बजे से 4.00 बजे तक होगा ।

उक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जायेगा ।

उक्त निर्वाचन संबंधी नाम-निर्देशन पत्र पटल कार्यालय के कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं ।

(श्री रंगनाथ मिश्र, श्री रवीन्द्र शुक्ल, श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय व अन्य भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, यह कांग्रेस के तीन (× × ×) सदन को नहीं चलने देंगे । यह नये सदस्यों को नहीं बोलने देना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय रंगनाथ जी आप बैठ जायें, यह सूचना आप किसी और नियम में दे दीजियेगा ।

नोट :- ( ) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, ऐसे सदन नहीं चल पायेगा। मैं जब तक सदन चलेगा खड़ा रहूंगा।

(घोर व्यवधान)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 19-7-1995 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 29 सूचनायें प्राप्त हुई तथा नियम 51 में प्राप्त एक सूचना को नियम 56 की तद्विषयक सूचना के साथ सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार नियम 56 के अन्तर्गत आज कुल 29 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई। प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का नाम पुकारे जाने पर)

(श्री रंगनाथ मिश्र, श्री रवीन्द्र शुक्ल व अन्य भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण बैठ जायें।

(श्री रंगनाथ मिश्र, श्री रवीन्द्र शुक्ला व अन्य भारतीय जनता पार्टी के सदस्य (× × ×) नारे लगाते रहे।

(व्यवधान/शोर)

(श्री रवीन्द्र शुक्ला श्री रंगनाथ मिश्र, श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय आदि कई भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों के खड़े होने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया बैठ जायें मैंने ग्राह्यता पर काफी समय दिया।

श्री रंगनाथ मिश्र-

श्री प्रमोद तिवारी नेता नहीं बल्कि मसखरे साबित हुये हैं। मान्यवर, आप हमको मार्शल से बाहर निकलवा दीजिये नहीं तो हमारी बात सुनिये।

श्री अध्यक्ष-

पहले सदन तो व्यवस्थित हो तभी तो मैं बात सुन पाऊंगा। शोरगुल में सदन का समय बरबाद हो रहा है।

नेता विरोधी दल की कुर्सी पर अन्य सदस्य के बैठने पर आपत्ति

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, नेता विरोधी दल की कुर्सी पर ये लोग बैठे हैं जो उचित नहीं है इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

(घोर व्यवधान)

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, श्री राम आसरे वर्मा जी जो [× × ×] बांट रहे हैं पहले आप इन्हें बन्द करवाइये । [× × ×]

(घोर व्यवधान)

(श्री रवीन्द्र शुक्ल, श्री रंगनाथ मिश्र व श्री लक्ष्मी नारायण आदि तथा कई अन्य भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, नियमावली के नियम-6 का आप देखें नेता प्रतिपक्ष की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हैं, जबकि यह समाजवादी पार्टी के लिये आरक्षित है । इस पर आप व्यवस्था दें ?

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण कृपा करके अपने-अपने स्थान पर बैठ जायें । सदन का बहुमूल्य समय शोरगुल में चला जा रहा है । (व्यवधान)

(श्री रंगनाथ मिश्र, श्री रवीन्द्र शुक्ल व अन्य भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य प्रमोद तिवारी हाय-हाय के नारे लगाने लगे ।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन की कार्यवाही ढाई बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् 2 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी । 2 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है तदोपरान्त 3.00 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अध्यक्ष-

जो नियम 56 के अन्तर्गत सूचनायें आज यहां प्राप्त हुई हैं जिनकी ग्राह्यता पर मैं आपको सुन रहा हूं । जिनकी ये सूचनायें हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वह 2-2 मिनट में अपनी सूचना की ग्राह्यता पर अपने विचार व्यक्त करने का कष्ट करें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

माननीय अध्यक्ष जी अभी पिछले दिनों प्रदेश के सहारनपुर ज़नपद में उग्रवादियों द्वारा पेट्रो डालर बम काण्ड की जो लोमहर्षक घटना हुई, उससे बिलकुल स्पष्ट हो

नोट: - [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

गया है कि कश्मीरी उग्रवादियों के हाथों जो हमारा कश्मीर पहले से जल रहा था, उनके हाथ अब उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर भी फैलने लगे हैं। यह हमारे लिये बड़े दुख की और साथ ही बड़े चिन्ता की बात है। मान्यवर, वहां एक बस में बम विस्फोट हुआ, जिसमें 6 लोग मरे। इसमें सबसे गम्भीर बात यह है कि विशेषज्ञों की जांच में यह बात सामने आई है कि यह पेट्रोल केमिकल बम का धमाका हुआ था। इस बम के बारे में यह भी निश्चित हो गया है कि इस प्रकार के बम पाकिस्तान और कश्मीर में तैयार होकर भारत में अशान्ति उत्पन्न करने के लिये लाये जाते हैं। अगर भारत सरकार ने यथासमय इन उग्रवादियों पर नियंत्रण कर लिया होता तो यह हादशा हमारे उत्तर प्रदेश में न हुआ होता। ऐसा लगता है कि सुश्री मायावती जी की सरकार की लोकप्रियता को नष्ट करने के लिये जानबूझकर एक षड़यंत्र के तहत प्रदेश को बदनाम करने के लिये यह सब किया जा रहा है। दुःख की बात यह है कि अब तक इस बमकाण्ड के सम्बन्ध में कोई अभियुक्त पकड़ा भी नहीं गया है। इससे पूरे प्रदेश में एक आतंक की स्थिति व्याप्त हो गई है। इसमें पांच छः मरे हैं और इसमें एक अबोध बालिका भी है, कई घायलों की दशा चिन्ताजनक है। अभीतक किसी का पता न लग पाना बड़े शर्म की बात है। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस पर अब तक जो भी सरकार को जानकारी हुई है, उससे वह सदन को अवगत कराने की कृपा करें। यह विषय विशेष अविलम्बनीय महत्व का है। पूरे प्रदेश की शान्ति व्यवस्था का इससे सम्बन्ध है। तो इस पर चर्चा कराने की बहुत आवश्यक है और इसको किस तरह से रखा जाये इस पर जनसहयोग की भी आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मै अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस विषय पर तत्काल आपसे चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री सत्य प्रकाश विकल-

मान्यवर, जो बमकाण्ड हुआ, उससे प्रदेश की सुरक्षा और शान्ति व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। प्रदेश में इस समय आतंकवादियों उग्रवादियों और घुसपैठियों की जो हरकतें बराबर जारी हैं उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं हुई है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों के मरने के साथ ही काफी लोग घायल भी हुये हैं। इसमें न किसी अपराधी को पकड़ा गया और न किसी उग्रवादी गुट का पता लगा। जो घटनायें हो रही हैं वे कश्मीरी उग्रवादियों और पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था आई0एस0आई0 के लोगों द्वारा हो रही हैं। यह लोग हमारे देश में पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगे हैं। मैंने यह विषय कार्य-स्थगन में उठाया है। जिससे उसपर कारगर कार्यवाही हो और प्रदेश में आतंक की प्रवृत्ति व घटनायें फिर से कभी न घटित हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव पर बल देते हुये आपसे मांग करता हूं कि कृपा करके इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री किरन पाल सिंह-

सहारनपुर में बस में जो.....

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, मैंने जो नोटिस दिया है, उस पर गम्भीरता से विचार कर लें। आपने पहले मुझे बुलाया था। आज मैं सुबह आठ बजे से लाइन में खड़ा हूं और सुबह से निवेदन कर रहा हूं कि मेरी बात सुन लें। मान्यवर, सदस्यों के कुछ अधिकार होते हैं। हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। इस प्रकार से आप (× × ×) सदन चलायेंगे?

श्री अध्यक्ष-

(× × ×) नहीं चल रहा है।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। मैं क्षमा चाहता हूं कि या तो मुझे मार्शल से कह कर बाहर करा दें या फिर से मुझे बोलने का टाइम दें।

श्री अध्यक्ष-

आप कल फिर सूचना दे दीजियेगा।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, परसों से ही ऐसा हो रहा है। यह तीन तथाकथित लोग सदन में बार-बार खड़े हो जाते हैं और हम लोगों को मौका नहीं मिल पाता है। (× × ×) इनको कन्ट्रोल कीजिये।

(व्यवधान)

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी आप कुछ कह रहे हैं, आप बैठ जायं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि मिश्र जी की भावनायें उद्वेलित हैं। इन्होंने जो सूचना दी है, जैसी मुझको जानकारी है पूरे विधायकों से संबंधित है। हो सकता है कि समयाभाव के कारण आप इन्हें समय न दे पायें हों इसलिये मेरा निवेदन है कि नियम-56 हो जाने के बाद आप इनको सुन लें। सम्पूर्ण विधायक आवास में पानी,

---

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

विद्युत की व्यवस्था की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। मान्यवर, यह व्यवस्था विधायक निवास की ठीक न होने के कारण हम सब विधायकों की कार्य क्षमता प्रभावित होती है और हम सदन की कार्यवाही में समय से भाग नहीं ले पाते हैं। मेरा निवेदन है कि कार्य-स्थगन के बाद इनको सुन लें।

(संसदीय कार्य मंत्री को बुलाने पर)

श्री रंगनाथ मिश्र-

नहीं मान्यवर, इस तरह से नहीं चलेगा (× × ×) के बल पर सदन नहीं चलाया जा सकता।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह-

मान्यवर, आपने संसदीय कार्य मंत्री को बुलाया था। होना यह चाहिये था कि गुप्ता जी अपने दल के सदस्य को बैठा देते।

(व्यवधान)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

किरन पाल जी आपने नियम 56 की सूचना पर बुला लिया था। रंगनाथ मिश्र जी ने औचित्य के प्रश्न के रूप में सूचना दी थी, आप उन्हें सुनने भी जा रहे थे, लेकिन उसी समय कुछ विवाद हो गया और आपने उसे निरस्त कर दिया। मिश्र जी की सूचना आपके स्तर पर जब निरस्त हो गयी है तो मैं अपनी ओर से निवेदन करना चाहूंगा। आपके माध्यम से कि मिश्र जी ने जो सूचना दी है, उसे शासन ने अपने संज्ञान में ले लिया है और उस पर कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान)

श्री रंगनाथ मिश्र-

प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न व्यवस्था का है कि क्या नये सदस्य, वरिष्ठ सदस्यों के बराबर कार्य नहीं करते? सुबह आठ बजे से मैं बिना नित्य क्रिया स्नान आदि किये लाइन में खड़ा हूं। सूचना दी है उसके बाद क्या होता है? यह आज की परिपाटी नहीं है, यह तीन जो तथाकथित लोग है यहां पर सदन में बार-बार खड़े होते हैं और हम लोगों को मौका नहीं मिल पाता है।

श्री प्रमोद तिवारी-

नहीं मान्यवर, आप चला लें सदन, हम ही चले जाते हैं।

(कांग्रेस के श्री प्रमोद तिवारी अपने समुदाय के सहित सभी सदस्यों को लेकर चले गये।)

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, यह जिस तरह से चाहें वैसे सदन नहीं चल सकता।

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह -

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जो माननीय सदस्य आचरण कर रहे हैं यह सही नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री रंगनाथ मिश्र -

आप पहले अपने आचरण को देखिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष -

जब कोई माननीय सदस्य अपनी बात रख रहे हों तो उनकी बातों को सुनना चाहिये । आपको समय मिलता है तो भरपूर तर्कों द्वारा उसका उत्तर दें । शोर करने से समय बरबाद होता है और समय व्यर्थ जाता है । मैं समझता हूं आप सभी विद्वान हैं कोई सदस्यगण कुछ कहता है, व्यंगात्मक कहता है और वह व्यवस्था के अनुसार नियमावली के नियमों के तहत संसदीय शब्द नहीं है तो मैं उन्हें दिखवा लूंगा उनको निकलवा दूंगा । मेरा अनुरोध है कोई माननीय सदस्य तर्क रखता है, बात रखता है तो तमाम विद्वान सदस्यगण उसका उत्तर देने में सक्षम है लेकिन इतना शोर नहीं करना चाहिये । आप सबको समय मिलेगा आप अपने तर्कों से उसका उत्तर दे सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक -

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री रंगनाथ मिश्र -

आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक -

आप चुप रहें ।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक -

श्रीमन् सदन कौन चलायेगा यह चलायेंगे या आप चलायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक-

यह इस तरह की बात करते हैं मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं सदन में दो-एक बार पूरे सत्र में बोलता हूं आप दिखवा लें। आपने डांटना शुरू कर दिया, ऐसे कैसे चलेगा आपने सुना भी नहीं ?

(घोर व्यवधान)

श्री रंगनाथ मिश्र-

हमने नियमों के तहत कहा फिर भी नहीं बोलने दिया गया। जितना इनको अधिकार है उतना अधिकार हमको भी है।

(व्यवधान)

यह व्यवस्था के तहत बोल लें और हम नियमों के तहत भी न बोलें।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

जो भी कहना है वह अध्यक्ष पीठ के माध्यम से कहना चाहिये आप लोग आपस में बातचीत न करें।

(व्यवधान)

श्री रंगनाथ मिश्र-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

हरेन्द्र सिंह मलिक जी एक बात सुन लें। मैंने किरनपाल सिंह जी को बुला लिया है।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक-

(× × ×) (× × ×)

(व्यवधान)

सम्मान हम भी रखते हैं। यह लोग दूसरों का सम्मान करना ही नहीं जानते।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार सिंह नवमान-

अभी श्री हरेन्द्र सिंह मलिक ने बहुत आपत्तिजनक बातें कही है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें मैंने मा0 किरनपाल सिंह जी को बुला लिया है। इसके अलावा कोई भी बोलेगा, वह लिखा नहीं जायेगा।

श्री किरनपाल सिंह-

मैं अपने भाजपा के साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि वह दूसरे माननीय सदस्यों का सम्मान करें । जहां तक हमारा सवाल है हमारे दल के किसी भी सदस्य ने कभी भी उत्तेजना में आकर आज तक इस सदन के अन्दर कभी कोई ऐसी बात नहीं की । श्री रंगनाथ मिश्र ने जिस आक्रोश के साथ बातें की यदि हमारे दल के सदस्यों की संख्या भी ज्यादा होती तो 16 दिसम्बर की तरह घटना घट सकती थी ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की स्थिति न पैदा करें ।

श्री अध्यक्ष-

मा0 किरनपाल सिंह जी जिस विषय पर आपने नोटिस दी है, उसी विषय पर बोले ।

श्री किरनपाल सिंह-

मान्यवर, मैं कह रहा था कि सहारनपुर में जो घटना घटित हुई जिसमें 6 लोग मारे गये और अनेक लोग घायल हुये हैं । सहारनपुर जनपद हमारे प्रदेश की हरियाणा सीमा से लगा हुआ है । अखबारों में हम बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं कि वहां पर इस तरह की घटनायें घटित हो रही हैं । कश्मीर के उग्रवादी, पंजाब के उग्रवादी और आई0एस0आई0 तीनों एक साल से वहां पर सक्रिय हैं । पिछले एक वर्ष से भी कम समय से 15 लोगों की जाने जा चुकी दो पुलिस अधिकारी, एक इन्स्पेक्टर और एक थानाध्यक्ष उग्रवादियों के हाथों मारे जा चुके हैं । उत्तर प्रदेश में आई0एस0आई0 की यदि कहीं सक्रियता है तो वह सबसे ज्यादा सहारनपुर में है । इस संबंध में प्रशासन के अधिकारीगण कहते हैं कि यह एक दुर्घटना थी जहां एक जार रखा था उसमें विस्फोट हो गया । उग्रवाद की समस्या जनता से जुड़ी हुई समस्या है । हम लोगों को इसमें आंखे नहीं मूंदनी चाहिये तथा जनता के सामने सब बात रखनी चाहिये और जो समस्यायें हैं उनको हल करने के लिये कोशिश करनी चाहिये ।

मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि जो लोग इस घटना में मारे गये हैं उनके परिवार के लोगों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाय और जो लोग घायल हो गये हैं उनके उपचार के लिये विशेष व्यवस्था की जाये और उनको भी पर्याप्त मुआवजा दिया जाय । मेरी मांग यह भी है कि सहारनपुर जनपद के आसपास के इलाके को एक जोन बनाकर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाय । वहां पर एक डी0आई0जी0 लेबिल के अधिकारी को तैनात किया और आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम की जाय । वहां पर एक स्पेशल फोर्स गठित की जाय और खोफिया तंत्र को विशेष रूप से लगाया

जाना चाहिये ताकि वहां पर आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम हो सके। सहारनपुर में रोज ही ऐसी घटनायें हो रही हैं, वहां पर लोगों के अपहरण हो रहे हैं, हत्यायें हो रही हैं, अगर यह घटनायें इसी तरह से बढ़ती रहीं तो आगे आने वाले समय में इन कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा इसलिये मैंने जो सुझाव दिये हैं उन पर शीघ्रता से कार्यवाही करनी चाहिये तथा सरकार से इस पर आप वक्तव्य अवश्य दिलवाइये।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमन् जो सूचना माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी, किरनपाल सिंह जी ने नियम-56 के अन्तर्गत दिया है और अपने विचार व्यक्त किये हैं उस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इसकी जांच के लिये पूरी तरह संकल्पबद्ध है। आयुक्त, मेरठ मण्डल, उप महानिरीक्षक मेरठ जोन, महानिरीक्षक अभिसूचना, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था, घटना के दिन ही उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया। इसके लिये एक टीम भी बना दी गई है जो इस घटना की ठीक से जांच करेगी। मृतकों के परिवारों को एक-एक लाख रुपया और घायलों को 25-25 हजार रुपये देने के आदेश शासन की ओर से हो गये हैं। घटना की ठीक से जांच हो सके इसके लिये निर्देश दिये गये हैं। सरकार भी स्वीकार करती है कि इसकी तत्परता से जांच होनी चाहिये। मजिस्ट्रेटों से कह दिया गया है कि वह भी स्थिति पर नजर रखें। इस घटना की गंभीरता शासन स्वयं समझ रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि नियम-56 के अन्तर्गत इस सूचना को अस्वीकार करने की कृपा करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी क्या यह बतायेंगे कि इस संबंध में क्या कोई टेरोरिस्ट सेल को गठित किया गया है, अगर नहीं किया गया है तो किसी डी0आई0 जी0 की अध्यक्षता में ऐसा सेल गठित करेंगे? दूसरी बात यह है कि नदुआ काण्ड से संबंधित जो लोग छोड़े गये हैं क्या उनका इस घटना के पीछे कोई हाथ है?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, जैसा कि माननीय गुप्त जी ने कहा कि क्या कोई सेल गठित की गई है तो यहां पर ऐसी सेल गठित करने के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त जो उन्होंने सुझाव दिया है, जो टीम जांच कर रही है, इस दृष्टि से भी सरकार इसका परीक्षण करवा लेगी।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह साधारण घटना है या आतंकवादी कार्यवाही है? क्या सहारनपुर के समीपवर्ती जनपदों में आतंकवाद को रोकने के लिये कोई गहन कार्यक्रम चलाने की सरकार की योजना है?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस घटना का गहन परीक्षण करवाया जा रहा है और घटना की जांच के लिये पुलिस विभाग के उच्चाधिकारी वहां गये थे। आपने यह जानकारी चाही है कि क्या यह घटना आतंकवादी गतिविधियों का परिणाम है तो जब तक इस संबंध में जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इस संबंध में कुछ कहना कठिन है।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं घटना घटे हुये इतने दिन हो गये और इसकी जांच का कोई परिणाम सामने अभी नहीं आया है।

इसकी जांच अवश्य होनी चाहिये कि यह घटना आतंकवादियों द्वारा घटी है अथवा यह ऐसे ही घटी है और इसमें प्राइमाफेसी जो कायम हुई है उसके क्या परिणाम मिले हैं?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, यह सही है कि यह घटना 13-7-95 को घटी है और पर्याप्त समय हो गया है और अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है घटना का प्रकार गम्भीर है इसलिये यहां पर कुछ कह सकना कि घटना आतंकवादियों ने की होगी या किसी अन्य ने की होगी, सम्भव नहीं है और कदाचित कोई अधूरी जानकारी देना उचित नहीं होगा। सरकार की निगाह सतर्क है। इसका परिणाम आ जायेगा और आपकी अनुज्ञा होगी तो इस सदन को या गुप्त जी को बता दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय गुप्ता जी, माननीय किरन पाल सिंह जी और माननीय राम आसरे वर्मा जी को सुनने के बाद और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

*श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, मैंने जिस घटना को कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में आपके सामने रखा है उसके बारे में बताना चाहता हूं कि भदोही उलेन लिमिटेड जो पिछले एक साल से बन्द पड़ा है पिछली सरकार के समय ही उसको बेचने की साजिश रची गई थी लेकिन वहां के कर्मचारियों के विरोध से वहां के व्यवसाइयों के विरोध से, हम लोगों के सदन में विरोध से, वह नहीं बिक सका। मान्यवर, आज 8 माह से उनके कर्मचारियों को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

तनख्वाह नहीं मिली है। पिछले सदन में मैंने इस मामले को उठाया था जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने वक्तव्य भी दिया था। (व्यवधान) मान्यवर, वहां के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी गई है जिसके कारण एक कर्मचारी की मृत्यु भी हो गई है। पैसे के अभाव में उनके बच्चों की शिक्षा नहीं हो पा रही है उनका परिवार भूखों मर रहा है मान्यवर, इतना ही नहीं भदोहीं उलेन लिमिटेड के बन्द रहने की बजह से उसके व्यवसायी भी प्रभावित हो रहे हैं। आपके संज्ञान में एक बात होगी कि यह मिल 12 हजार करोड़ रुपये की कार्पेट का व्यवसाय करती है लेकिन आज वही भदोहीं उलेन मिल सरकार के ध्यान न देने के कारण बिकने के कगार पर है। इसलिये में ग्राह्यता पर बोलते हुये आपसे यह अपील करना चाहता हूं कि आज जो उनके मजदूर विधान सभा के सामने धरने पर बैठे हुये हैं वह केवल वहां की कुप्रबन्धीय व्यवस्था से है। अगर आज प्रबन्धक चाहे तो वह केवल ऋण की वसूली कर लें, तो में समझता हूं कि मिल घाटे में न जाकर फायदे में जायेगी। मान्यवर, जो दूसरे लोग धागा बनाने का काम कर रहे हैं और करोड़ों का लाभ अर्जित कर रहे हैं लेकिन इतनी बड़ी मिल के कुप्रबन्ध के वजह से वह बिकने की कगार पर है अगर उनकी व्यवस्था ठीक कर दी जाय, अच्छे प्रबन्धक भेज दिये जायं तो वह ठीक हो जाय और मिल घाटे में न होकर फायदे में हो जाय और उन के कर्मचारियों को वेतन मिल सके क्योंकि उलेन का जो धागा बनता है उसे न्यूजीलैण्ड से खरीदते हैं कोई और अच्छी जगह से बाहर से खरीदता है, अगर यह हमारे यहां से बने तो बहुत अच्छा होगा।

(व्यवधान)

पूरे भदोही जनपद को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को लाभ होगा। मेरी जानकारी है कि वहां के मजदूर धरने पर बैठे हैं, यह बात अखबारों में भी छपी है। उनके परिवार की महिलायें और बच्चे भूखों मर रहे हैं और एक मजदूर की मृत्यु हो गयी है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि जो उनका वेतन 8 महीने से रुका हुआ है, उसका तुरन्त भुगतान कराया जाये और भदोहीं ऊलेन मिल को चलाया जाये, यही मेरा आपसे आग्रह है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

भदोही ऊलेन मिल राज्य वस्त्र निगम की एक सब्सीडियरी इकाई के रूप में कार्य कर रही थी, परन्तु यह अक्टूबर, 1991 से बन्द है। चूंकि यह राज्य वस्त्र

निगम की एक सब्सीडियरी इकाई है, इसलिये उसी के द्वारा अपने संसाधनों से वेतन आदि दिया जाता है। श्रीमन् अब वह रुग्ण हो गयी है और संसाधनों के अभाव के कारण वह वेतन व भत्ते देने में असमर्थ है। इसलिये भदोही ऊलेन मिल को वाइन्ड अप करने की सिफारिश की गई है और उच्च न्यायालय द्वारा लिक्वीडेशन की कार्यवाही की जानी है और इस मिल की परिसम्पत्तियों की बिक्री की जानी है, और बिक्री से जो धन प्राप्त होगा, उससे कर्मचारियों को देय वेतन व भत्तों तथा अन्य देयों का भुगतान किया जायेगा। मान्यवर, यह स्पष्ट आश्वासन है। जब भुगतान कर दिया जायेगा, तो इस प्रश्न को नियम 56 में अस्वीकार करने की कृपा करें।

श्री रंगनाथ मिश्र-

क्या मिल को बेचने का निर्णय ले लिया गया है?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

यह तो श्रीमन् मैंने पहले ही बता दिया है कि भदोही ऊलेन मिल बन्द है और रुग्ण इकाई है और यह राज्य वस्त्र निगम की इकाई के रूप में कार्य कर रही थी, वही वेतन आदि देती रही है और अब सिफारिश की गई है कि इसको बन्द कर दिया जाये और लिक्वीडेशन की कार्यवाही की जाये और उसकी परिसम्पत्तियों की बिक्री से जो रकम आयेगी, उससे उसके देयों का भुगतान किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री रंगनाथ मिश्र और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित-

मान्यवर, इस साल वर्षा के न होने के कारण प्रदेश में पेयजल की बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। मान्यवर, जो हैण्ड पम्प हैं, उनका जलस्तर नीचे चला गया है, जिससे पीने के पानी की बड़ी समस्या उत्पन्न हो गयी है। मैं बाराबंकी जिले की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। राम सनेही घाट रुदौली आदि क्षेत्रों में हाहाकार मचा हुआ है। मुझे अपने क्षेत्र में जाने का अवसर मिला, तो यह पाया कि लोग तालाब के पानी को पी रहे हैं, वहां पर पानी बिलकुल नहीं है, हैण्ड पम्प में पानी न होने के कारण लोगों को पीने के पानी की बड़ी कठिनाई हो रही है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में करीब दो दर्जन गांव हैं, जहां पर लोग नदी के पानी को पी रहे हैं, पानी उपलब्ध नहीं है, जिससे गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। मान्यवर, इन गांवो में हाहाकार मचा हुआ है। मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सरकारी कागजातों में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहरों में पानी आ रहा है लेकिन वास्तविकता यह है कि नहरों में पानी नहीं आता है और लोगों को सिंचाई की समस्या है। पानी का जल स्तर नीचे चला गया है, लोगों के सामने समस्या बनी हुई है। पेयजल की गम्भीर आवश्यकता को हल करना है। मेरा आग्रह है कि सरकार वास्तविकता को स्वीकार करे और पेयजल की आपूर्ति करे। इसी कारण इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, सुन्दरलाल जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में पेयजल की गम्भीर समस्या को बताया है और मिसाल के रूप में अपने क्षेत्र का जिक्र किया है। जहां तक सरकार की जानकारी है, वहां पर ऐसी स्थिति नहीं है कि लोग नदी से पानी पी रहे हों और पेयजल की इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गयी हो और हाकाकार की स्थिति हो गयी हो। चूंकि उन्होंने प्रश्न गम्भीरता से उठाया है और उसके बारे में विस्तार से चर्चा की है, इसलिये मैं दीक्षित जी से वार्ता कर लूंगा और जो गांव आपने भाषण के दौरान बताये हैं और उनके अतिरिक्त भी जिन-जिन इलाकों की बात बतायेंगे, उन सब पर उनसे परामर्श कर कार्यवाही करा दी जायेगी। लेकिन यह नियम 56 में नहीं आता है, इसलिये इसको अस्वीकार करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री सुन्दरलाल दीक्षित और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा-

मैं माननीय मंत्री जी को जानकारी देना चहाता हूं कि बुन्देलखण्ड एक-एक बूंद पानी के लिये पहले से ही तरस रहा है। वहां पर पानी की गम्भीर समस्या है। कोंच में पीने के पानी की बड़ी गम्भीर समस्या है क्या इस पर विशेष रूप से विचार करेंगे?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

अगर यह सूचना पहले आ गई होती तो सरकार को सुविधा होती लेकिन चूंकि वर्मा जी एक वरिष्ठ सदस्य हैं और आदरणीय है, उन्होंने जिस क्षेत्र का उल्लेख किया है, तो जब श्री सुन्दर लाल दीक्षित जी वार्ता करेंगे, तो उनको भी विचार कर लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना अस्वीकार की जाती है।

*श्री अमर नाथ यादव-

मान्यवर, इस समय उत्तर प्रदेश में छात्रों के प्रवेश की बड़ी गम्भीर समस्या है, विशेषकर 9 और ।। में प्रवेश की बड़ी समस्या है । यह समस्या उत्तर प्रदेश के हर जिले में है । उत्तर प्रदेश में दो प्रकार के विद्यालय हैं एक राजकीय और दूसरे निजी, बालकों के निजी विद्यालयों में राज्य सरकार के मानक से तीन गुना और चार गुना अधिक छात्रों का प्रवेश होता है । वहीं निजी विद्यालयों में बालिकाओं के विद्यालय में यह सम्भव नहीं हो पा रहा है । इसकी ठीक विपरीत जो राजकीय विद्यालय हैं वहां मानक पर ही प्रवेश चल रहे हैं । अगर कक्षा 9-10 में 50 का मानक है तो 50 ही प्रवेश दे रहे हैं । इस तरह से तमाम बालक-बालिकायें पढ़ने से वंचित हो जाते हैं और ऊंची शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं । एक छात्रा शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है । हजारों-हजार की संख्या में प्रवेश की समस्या के कारण बालक-बालिकायें शिक्षा पाने से विद्यालय जाने से वंचित हो जाते है ।

श्री अध्यक्ष-

जो सूचना दी है, उसी के विषय में सीमित रहें ।

श्री अमरनाथ यादव-

उसी पर बोल रहा हूं । मेरा कहना है कि जो विद्यालय कक्षा में संख्या बढ़ाना चाहते हैं प्रवेश के लिये सरकार को उसकी स्वीकृति देनी चाहिये । प्रवेश संख्या बढ़ाने के लिये सरकार की ओर से रोक लगी हुई है । जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता वर्तमान सत्र में राजकीय विद्यालयों में 40 प्रतिशत प्रवेश अधिक करने के निर्देश शासन दे । जो मानक है उससे 40 प्रतिशत अधिक प्रवेश करायें । इतने ही प्रवेश की निजी विद्यालय अनुमति देते हैं । इससे निश्चित रूप से कुछ मात्रा में समस्या का हल हो जायेगा ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, नया शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है । जो विद्यार्थी कक्षाओं में प्रवेश पा चुके हैं पुस्तकों के लिये दुकानों पर भागदौड़ कर रहे हैं । कक्षा एक से लगायत कक्षा 8 तक की राजकीय प्राविधिक पुस्तकों की स्थिति यह है कि अगर उठा ली जायं तो पढ़ने के लायक नहीं हैं । आपके समक्ष उदाहरणस्वरूप यह पुस्तक प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो प्रशासकों के द्वारा छापी गयी हैं अगर आप कहीं भी पढ़े तो पढ़ने के लायक नहीं पायेंगे, अगर इसी तरह की स्थिति रही तो जो नौनिहाल हैं कैसे पढ़ सकेंगे ? इन पुस्तकों का राज्य सरकार ने जो मूल्य निर्धारित किया है उसमें चिप्पी लगाकर दूसरा मूल्य लिख दिया जाता है, इस तरह की पुस्तकें दुकानों में बिक रही

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं और दूसरी ओर जो रायल्टी की बात है, इसमें निश्चित रूप से सरकार को घाटा होगा। जो प्रकाशक पुस्तकों को छापते हैं, वह रायल्टी देते हैं अगर इसके मानक को देखा जाय, तो प्रत्येक वर्ष एक तरह से रायल्टी कम होती जा रही है नुकशान राज्य सरकार को है और प्रकाशक करोड़पति बनते जा रहे हैं और जनता के पैसे को लूट रहे हैं, इस तरह के पेपर पर पुस्तक छप रही है जो घटिया स्तर के हैं। मेरा यह कहना है कि पाठ्य पुस्तकों का केन्द्र मण्डल स्तर पर कर दिया जाय, मण्डल स्तर पर ही उसकी छपाई शुरू हो जाय, ताकि प्रकाशकों का जो एकाधिकार है, वह समाप्त हो सके। मान्यवर, इससे राज्य सरकार को रायल्टी का पैसा भी अधिकाधिक मिलेगा। मैं इस बात को रखते हुये अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, माननीय सदस्य शिव प्रताप शुक्ल जी ने जो चिन्ता व्यक्त की है, उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि पहले जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के तहत प्रकाशकों और मुद्रकों को स्वतंत्र कर दिया गया था, लेकिन इस सरकार ने सत्र शुरू होने के पहले ही कड़े निर्देश जारी कर दिये थे और जनपदों में भी कड़े निर्देश दे दिये गये हैं कि फर्जी किताबें जो छाप रहे हैं, जिला बेसिक अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक और जनपद के जिलाधिकारी उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें, ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां करें। मान्यवर, हमारी पूरी बचनबद्धता है, उसी के तहत कड़े निर्देश दिये गये हैं, कि ऐसे लोगों को पकड़ने के लिये छापे डाले जायें, गिरफ्तार कर जेल भेजा जाये।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, एक जानकारी और चाहता हूं कि क्या पुनः पाठ्य पुस्तकों को छापने के संबंध में राज्य सरकार ने आदेश दे दिया है ?

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, हम लोगों ने व्यवस्था कर दी है कि निर्धारित मिल से ही पेपर लिया जायेगा, उसकी क्वालिटी क्वान्टिटी को देखकर ही मुद्रण, प्रकाशन का काम किया जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

(× × ×) (× × ×) (× × ×)

श्री अध्यक्ष-

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं, आपका कुछ लिखा नहीं जायेगा।

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*श्री हरेन्द्र सिंह मलिक-

मान्यवर, अत्यन्त ही लोक महत्व के विषय को सरकार के संज्ञान में लाकर सुस्पष्ट आश्वासन चाहता हूं । मान्यवर, यह दलितों की सरकार है और कई बार मुख्य मंत्री जी को सदन में और सदन के बाहर तथा माननीय मंत्रियों को सुना, यह लोग न्याय की बात करते हैं, सड़कों पर भी न्याय देने के संबंध में बड़े-बड़े पोस्टर लगे हैं । मान्यवर, मेरे जनपद मुजफ्फरनगर में 10 तारीख की एक रात में एक व्यक्ति का कत्ल हो जाता है, 11 तारीख को संबंधित थाने के थानेदार बाल्मीकि समाज के दो व्यक्तियों को उठाकर ले गये । मान्यवर, उसमें किशन नाम के व्यक्ति का कसूर केवल इतना था कि वह वहां से आधा कि0मी0 दूरी पर निवास करता था, थाने पर लाकर किशन के मुंह पर पाखाना किया गया और पेशाब की धार मारी गई, जब उससे कुछ नहीं निकल पाया और प्रबुद्ध नागरिकों ने घेराव किया तो 3 दिन बाद उसको छोड़ा गया । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस के लोगों को कोई अधिकार नहीं था, कि वह इस प्रकार थाने पर निरीह व्यक्ति को रखे । उनके पास कोई कानूनी अधिकार भी नहीं था । अभी कुछ दिन पहले इसी प्रकार पिछड़ी जाति के एक युवक, जिसका नाम सुशील था, पुलिस द्वारा पकड़कर उसके दोनों हाथ तोड़ दिये गये, इसी तरह राजेश का कत्ल हुआ और अपराधियों को पैसा लेकर छोड़ दिया गया और अब बाल्मीकि समाज के व्यक्ति के साथ घिनौना कृत्य किया गया । मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि सरकार इस मामले में कठोरतम कार्यवाही करें और इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर तत्काल सी0आई0डी0 से जांच करायें, कुल मिलाकर वहां दलितों का उत्पीड़न बदस्तूर जारी है । मान्यवर, मैं चाहूंगा कि आज सदन के सारे कार्य रोक कर इस पर चर्चा करायें । माननीय दीक्षित जी पिछले 3-4 टर्म से साथ-साथ बैठते आये हैं, ऐसा न हो कि सरकार की तरफ से रटा-रटाया जबाब आ जाये । इसको नैतिकता के नाते, सत्यता के नाते देख लें और इस पर चर्चा करा लें । जो घटना मैंने बतायी है वह सही है, मेरे व्यवहार से माननीय दीक्षित जी सहमत होंगे, मैं कभी आरोप नहीं लगाता ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

यह सही है कि माननीय हरेन्द्र सिंह मलिक जी कोई गलत आरोप नहीं लगाते । श्रीमन् जो उन्होंने वक्तव्य अथवा नोटिस दिया है, जैसा वह चाहें, उसी को उनकी गम्भीर शिकायत मानकर, जिस अधिकारी से वह चाहेंगे मैं उनसे बात कर लूंगा, उसी से सरकार उसका ठीक-ठीक जांच करवा देगी और जो भी दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । तीन दिन से लगातार एक गम्भीर समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है । बांदा जिले में भइयादीन नामक एक व्यक्ति की थाने में मार-मार कर हत्या कर दी गई, उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल में कहा गया कि यहां लाश नहीं मरीज भर्ती किये जाते हैं ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी आप बैठ जायें । माननीय हरेन्द्र सिंह मलिक जी की सूचना की ग्राह्यता पर सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, मैं एक गम्भीर समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं (घोर व्यवधान)।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

वर्मा जी, माननीय मलिक जी ने जो व्यवस्था उठायी थी, उनकी पहले से ही नोटिस थी । चूंकि हमारी सरकार अनुसूचित जाति, दलित, कमजोर, पिछड़े वर्गों पर यदि कहीं भी अत्याचार हो रहा है तो उसके प्रति पूरी तरह से सजग और जागरूक है । जैसे ही माननीय हरेन्द्र सिंह मलिक जी ने सवाल उठाया, सरकार ने समुचित कार्यवाही करने की घोषणा कर दी ।

(श्री राम आसरे वर्मा व अन्य माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

श्री लल्लू सिंह की सूचना जनपद फैजाबाद में व्यापक रूप से संक्रामक रोग फैलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं । श्री रवीन्द्र शुक्ल की सूचना-जनपद झांसी की बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं । डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक" की सूचना मुजफ्फरनगर काण्ड के दोषी अधिकारियों को तत्काल निलम्बित करने व पीड़ितों तथा मृतक आश्रितों को मुआवजा देने के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं । श्री धनराज यादव की सूचना-जनपद सिद्धार्थनगर में सिंचाई के लिये बनाये गये मझौली सागर तथा सिसवा सागर के बन्धे टूट जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं । श्री बदन सिंह जी की सूचना आगरा महानगर में व्याप्त पेयजल संकट तथा प्रदूषित जलापूर्ति से बीमारियों के फैलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

शेष सूचनायें अस्वीकृत करता हूं ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल द्वारा दिये गये पत्र को जनपद महोबा के एस0एस0पी0 द्वारा फाड़े जाने विषयक विशेषाधिकार हनन के प्रश्न के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय व्ययक पर साधारण चर्चा जारी रहेगी।

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों व श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य बैठ जायें। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैंने श्री सुन्दर लाल दीक्षित को बुला लिया है।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, मेरी सूचना को स्वीकार किया जाय।

(इस समय 3 बजकर 55 मिनट पर श्री अधिष्ठाता श्री भगेलू राम पीठासीन हुये।)

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सुन्दर लाल दीक्षित जी, आप अपनी बात कहें।

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है तीन दिन पहले नियम 63 के तहत एक विशेषाधिकार की नोटिस दी थी कदाचित उसकी रिपोर्ट आ गई होगी। महोबा जनपद के एस0एस0पी0 को मैंने एक पत्र भेजा था परन्तु उस पत्र को उन्होंने कई लोगों के बीच फाड़ दिया। फाड़ा ही नहीं अपितु अपशब्दों का भी प्रयोग किया। मान्यवर, इसकी मैंने नोटिस दी है।

श्री अधिष्ठाता-

इसका परीक्षण हो रहा है जब परीक्षण हो जायेगा तो कार्यवाही होगी।

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

कोई भी अधिकारी इस तरह का व्यवहार करता है तो यह सदन की गरिमा के विरुद्ध है। उसके अधिकारों का हनन है यह एक सदस्य की पीड़ा है।

(व्यवधान)

मान्यवर, कब तक परीक्षण हो जायेगा ।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

नियम 63 की सूचना पर परीक्षण होता है । शुक्ल जी वरिष्ठ सदस्य हैं जब परीक्षण हो जायेगा तो उसकी मद के रूप में घोषणा होगी । कार्यसूची में उसको तद्नुसार लिया जायेगा ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला-

मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका कब तक आप परीक्षण करवा लेंगे ।

वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री सुन्दर लाल दीक्षित-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । वर्तमान सरकार की मुख्य मंत्री सुश्री मायावती जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें ग्रामीण अंचलों के बहुमुखी विकास के लिये 72 प्रतिशत का परिव्यय निर्धारित करने का जो काम किया है उसके लिये मैं उनको बधायी देता हूं । मान्यवर, पिछले 18 महीने तक पूरे प्रदेश में एक अराजकता का वातावरण था । जनता तथा जनप्रतिनिधियों के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया ।....(व्यवधान)

जिससे जनता त्रस्त थी । जनता को राहत दिलाने के लिये भारतीय जनता पार्टी, जो इस प्रदेश में सबसे बड़ा दल है, ने बिना शर्त समर्थन इस सरकार को दिया । 18 महीने तक जनमानस को पूर्ववर्ती सरकार ने लूटा और कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी गई । मुझे विश्वास है कि वर्तमान सरकार इस सारे मामले की जांच कराकर ऐसे गुनहगारों को सजा दिलवायेगी । पूर्ववर्ती सरकार के लोग निर्माण मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा ने तथा मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठे हुये श्री मुलायम सिंह-यादव ने प्रदेश व जनता के खजाने को लूटा । पूर्व लोक निर्माण मंत्री ने विकास पर तो कोई खर्च नहीं किया परन्तु अपने पैत्रिक गांव गौसपुर सिरौली में 50 करोड़ रुपये का एक आवास बनाया । एक घर बाराबंकी शहर में बनाया और एक गोमती नगर (लखनऊ) में बनाया । जो पैसा इनके मकानों को बनवाने में लगा है, वह सब लोक निर्माण विभाग का है । जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया ।

माननीय श्री राम लखन वर्मा जी यहां पर बैठे हैं और एक दलित सदस्य हैं तथा वर्तमान में वन मंत्री भी हैं । वह भी इस बात को जानते होंगे । यहां से पैसा तो विकास कार्यों के लिये गया परन्तु वह श्री बेनी प्रसाद वर्मा के घर बनाने में चला गया । जिस प्रकार अमेरिका के लिये व्हाइट हाउस है उसी प्रकार बाराबंकी के लिये पूर्ववर्ती सरकार के लोक निर्माण मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा के पैत्रिक गांव गौसपुर सिरौली का घर बाराबंकी वालों के लिये व्हाइट हाउस बन गया । इसलिये मेरा वर्तमान सरकार से अनुरोध है कि वह उनके द्वारा किये गये सारे कार्य-कलापों की जांच करायें

और जो भी दोषी पाया जाये, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें। मान्यवर, 17 अप्रैल को जिला पंचायत के चुनाव में दिन दहाड़े कुंवर पाल यादव तथा उनके भाई की हत्या कर दी गई। नैतिकता के नाते तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री को वहां जाना चाहिये था परन्तु वह नहीं गये। (× × ×) जब हम इसके खिलाफ यहां पर आवाज उठाते हैं तो यह कह कर हमारी बात खारिज कर दी जाती थी कि हम विरोधी दल के हैं। इसलिये वर्तमान सरकार को पूरा अधिकार है कि वह संविधान की मर्यादा को बनाये रखने के लिये तथा कानून-व्यवस्था को बनाये रखने के लिये सख्त कदम उठाये। पूर्ववर्ती सरकार में अपराधियों को प्रोत्साहन के साथ ही साथ उन्हें संरक्षण व पुर्नजीवन भी दिया गया परन्तु बी0जे0पी0 ने उनके ऐसे कारनामों का हमेशा पर्दाफाश किया और करेगी। बाराबंकी में जब जिला पंचायत के चुनाव हुये वर्तमान में जो वन मंत्री जी हैं वह उस समय पंचायती राज मंत्री थे, यह कहा गया कि निष्पक्ष चुनाव कराये जायेंगे परन्तु मान्यवर, 40 सदस्यों को दरोगा के माध्यम से पकड़कर ले जाया गया और उन्हें बंद रखा गया। उन 40 आदमियों की पुलिस ने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित-

दो मिनट में समाप्त करता हूं। मान्यवर, हैदर गढ़ तहसील मुख्यालय में फायर ब्रिगेड सेन्टर की स्थापना की जाय। हैदरगढ़ तहसील मुख्यालय में मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट कार्यालय की स्थापना की जाय ताकि वहां के लोगों को मारे मारे न फिरना पड़े।

हैदरगढ़ में दहला शिवनाम पोखरा मार्ग में 20 कि0मी0 पक्की डामर की सड़क बनाने के लिये राज्यपाल द्वारा स्वीकृति भी जारी हो गयी लेकिन मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार आने के बाद उस काम को बन्द कर दिया गया। मैं वर्तमान सरकार से मांग करता हूं कि इसे तत्काल बनाया जाय।

हरला सीवां पेम्बरां मार्ग जो 20 कि0मी0 है को पक्का पिच रोड बनाया जाय।

लोनी कटरा से तिलोकपुर होते हुये भलोधरपुर तक पक्का किया जाय इसे पिच रोड बनाया जाय।

लखनऊ सुल्तानपुर मार्ग पर स्थित गांव गुरदयालपुरवा से तिदवापुर होते हुये नरोत्तमा घाट तक पिच रोड बनाया जाय।

हैदरगढ़ बाराबंकी तहसील सीमा पर औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर सुल्तानपुर की जो विद्युत लाइन है उससे हैदरगढ़ बाराबंकी को जोड़ा जाय और उससे विद्युत व्यवस्था की जाय।

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेश से कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें और बैठें ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित-

हैदरगढ़ में एक डिग्री कालेज की स्थापना की जाय ।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठें ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित-

मान्यवर, बाराबंकी से अफीम की तस्करी होती है, (× × ×) नवजवान अफीम और स्मैक की तस्करी करते हैं । युवा पीढ़ी इससे बरबाद हो रही है । इन मादक द्रव्यों के प्रकोप से तमाम युवा पीढ़ी की मौत हो रही है आगे भी कई लोग इससे मारे जायेंगे । इन तस्करों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की कृपा करें ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि यह सरकार पुरानी सरकार के रास्ते पर न चले । उत्तर प्रदेश की जनता को आप से भारी आशा है और चाहती है कि उनके विकास का काम आप करेंगे ।

*श्री उदयभान सिंह-

मान्यवर, इस सम्मानित सदन में एक दलित महिला सुश्री मायावती जी ने जो अपना बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं । उसी क्रम में मैं अपने सुझाव देते हुये अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं । श्रीमन् कोई भी राष्ट्र तभी सफल होता है जब वहां पर पूरा शिक्षा का प्रसार हो, शान्ति व्यवस्था उस राष्ट्र में हो और उसकी अर्थ व्यवस्था और उसकी न्याय व्यवस्था सुदृढ़ हो । उसी क्रम में मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में आगरा अपना एक गौरवशाली इतिहास रखता है । आगरा विश्वविद्यालय से, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय निकला, मेरठ विश्वविद्यालय निकला और कानपुर विश्वविद्यालय निकला शिक्षा के क्षेत्र में आगरा एक अनोखा स्थान रखता है । किन्तु जब से देश आजाद हुआ, तबसे आज तक आगरा में कोई भी महाविद्यालय नहीं खोला गया है । खोला तो भारतीय जनता पार्टी के पिछले शासन काल में, मा0 कल्याण सिंह जी के मुख्य मंत्रित्वकाल में चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय को मान्यता मिली । यह दलितों की सरकार है, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जहां भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय को मान्यता मिली । वह महाविद्यालय शहर से बहुत दूर है और किसानों के बीच में है, इसलिये मैं मांग करता हूं कि जैसे अकोला में 25 लाख का प्राविधान है, उसी तरह से किरावली, फतेहाबाद, वाह और एतमादपुर की प्रत्येक तहसील में एक-एक महाविद्यालय को मान्यता प्राप्त हो ।

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेश से कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

आगरा शिक्षा के क्षेत्र में इतिहास में बहुत बड़ा स्थान रखता है, मुझे बड़ी पीड़ा है कि जहां इलाहाबाद शिक्षा परिषद् का एक हिस्सा मेरठ चला गया, उसे आगरा में आना चाहिये था । मैं उसकी आलोचना में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरठ भी उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है, लेकिन आगरा को भी उसका एक हिस्सा मिले, इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूं ।

पर्यटन में भी आगरा का एक अद्वितीय स्थान है, आगरा के कारण ही, आगरा के ताजमहल के कारण ही देश की और उत्तर प्रदेश की विश्व में एक पहचान बनी है । मैं ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति हूं कि मेरी ही जन्मस्थली में एक ताजमहल खड़ा हुआ है । जहां एक ओर ताजमहल है, एक ओर फतेहपुर सीकरी है, एक तरफ लालकिला है और एक तरफ दयालबाग है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप उसके चारों ओर की दशा देखेंगे तो आपको बड़ी ग्लानि होगी । ताजमहल के पीछे देखेंगे तो उसके पीछे यमुना में सीवर के बहते गंदे पानी के कारण, गंदा और सड़ा पानी बहता नजर आयेगा और बबूल की अस्त व्यस्त बड़ी-बड़ी झाड़ें दिखाई पड़ेगी । लालकिले के पीछे देखेंगे तो आपको गन्दी मलिन बस्तियों और बबूल की झाड़ें दिखाई देंगी । फतेहपुर सीकरी में आपको खारा पानी मिलेगा । वहां पर सौन्दर्यीकरण के नाम पर कोई काम नहीं दिखाई देगा । मेरा निवेदन है कि यह चारों जो स्थान हैं, इनका अलग-अलग सौन्दर्यीकरण कराकर वहां पर पर्यटक स्थल बनाया जाये । वहां के लिये सही विद्युत व्यवस्था भी बहुत आवश्यक है, जब तक वह सही ढंग से किसानों को उपलब्ध नहीं होगी. . . .

मान्यवर, तब तक किसानों का विकास नहीं होगा । आज विद्युत की स्थिति बहुत खराब है । इसी सदन में पिछली बार जब मा0 मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी तो उन्होंने घोषणा की थी कि 18 घण्टे विद्युत उपलब्ध करायेंगे । लेकिन मान्यवर, 18 घण्टे तो क्या 8 घण्टे भी बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है । आज भी विद्युत व्यवस्था की स्थिति यही बनी हुई है । आगरा के दयालबाग विधान सभा के लिये चार विद्युत सब स्टेशन स्वीकृत हो गये हैं लेकिन अभी तक इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है । यह आगरा शमशाबाद रोड पर ग्राम पंचायत बरौली अहीर और बरादे के बीच, फतेहाबाद रोड पर कलालखेडिया बमरौली कटारा के बीच, आगरा-ग्वालियर रोड पर ककुआ और बाद के बीच, आगरा जगनेर रोड पर मलपुरा-अकोला के बीच । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह चारों विद्युत सब स्टेशन शीघ्र ही कायम किये जायं ताकि आगरा में विद्युत की समस्या हमेशा-हमेशा के लिये समाप्त हो जाय ।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें ।

श्री उदयभान सिंह-

इसी तरह से मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आगरा में उद्योगों की स्थिति भी बहुत खराब है । पर्यावरण के नाम पर उद्योगों का ह्रास हो रहा है । मान्यवर, पर्यावरण को अवश्य अच्छा बनाया जाय परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वहां के लोगों

के रोजी रोटी के अवसर ही समाप्त कर दिये जायं । मान्यवर, उद्योगों के विकास के लिये सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । शान्ति और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में अपना सहयोग देना होगा ।

श्री अधिष्ठाता-

अपनी बात समाप्त करें ।

श्री उदय भान सिंह-

मान्यवर, पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की आवास से जुड़ी समस्याओं की तरफ सरकार को ध्यान देना होगा । इसी तरह से सिंचाई व्यवस्था की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आगरा में सिंचाई के नाम पर अव्यवस्था रही । टेल तक पानी नहीं पहुंचा है । इस संबंध में हम सारे आगरा जनपद के विधायकों ने सिंचाई विभाग की मीटिंग में भाग लिया और सिंचाई से संबंधित समस्या को उजागर भी किया परन्तु इसके बावजूद भी इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई ।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें ।

श्री हरिशंकर तिवारी-

किसी भी सरकार का जो बजट भाषण होता है वह मान्यवर, सरकार के कार्य-कलापों का मार्ग दर्शक होता है । कोई भी सरकार ओपनिंग बैलेंस कभी नहीं दिखाती । 1053.72 करोड़ रुपये जो इस बजट के पृष्ट-42 पर दिखाया गया है, उसमें स्पष्ट है कि यह सरकार पैसा रहते हुये भी सड़क का निर्माण, अस्पतालों का निर्माण, पूर्वांचल में इन्सेफेलाइटिस के बचाव के कार्य, बाढ़ से बचाव के काम, विद्युत सम्बन्धी कार्य नहीं किये गये । रुपया रहते हुये काम न करना इस बात का प्रमाण है कि सरकार के मन में विकास की कोई योजना नहीं है । 1700 करोड़ रुपये का जो घाटा दिखाया गया है उसे कहां से पूरा किया जायेगा ? इसका भी बजट में कोई वास्तविक ब्यौरा नहीं दिया गया है जिसके कारण मंहगाई, बेरोजगारी उद्योगों का अभाव आगे आने वाले दिनों में दिखाई देगा । बजट के पृष्ठ 6 और 7 पर जो 91 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 16.48 प्रतिशत इस प्रदेश में रहता है । बढ़ती हुई जनसंख्या के विकास के कार्यों के लिये कोई भी रूप रेखा इस बजट में नहीं दी गई है ।

जहां 1992-93 में कुल आय की तुलना में 1.3 प्रतिशत अधिक था वहीं 1994-95 में 9.4 प्रतिशत हो गया है यह घटती हुई आय और बढ़ती हुई जनसंख्या को किस तरह से संयमित किया जायेगा किस तरह से उसके विकास की गति को बढ़ाया जायेगा किसी बात की पूरी चर्चा पूरे बजट भाषण में नहीं है । बजट भाषण

के पृष्ठ 7 पर दिया गया है 1980-81 में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 352 रुपये कम थी यह अन्तर अब 1992-93 में 1961 रुपये हो गया है और यह अन्तर बढ़ता ही जा रहा है इसके बारे में बजट भाषण में कुछ नहीं कहा गया है।

श्रीमन् विद्युतीकरण के बारे में बताया गया है कि ग्रामों के विकास के बारे में बताया गया कि 72 प्रतिशत धन खर्चा किया जायेगा। पूरे प्रदेश में 64 गांवों का विद्युतीकरण हुआ है। श्रीमन् 72 प्रतिशत धन गांवों के विकास के लिये किस तरह खर्चा किया जायेगा किस तरह से देश के स्तर पर विद्युतीकरण कर सकेंगे इसकी चर्चा बजट में नहीं की गई है। मान्यवर, इसी तरह से वार्षिक योजनाओं के बारे में जहां 1994-95 में उत्तराखण्ड को स्वीकृत धनराशि से 20 प्रतिशत अधिक 1995-96 में खर्चा करने का प्राविधान किया गया है वहीं पूर्वांचल विकास निधि के बारे में एक भी प्रतिशत की धनराशि नहीं दी गई है इससे स्पष्ट है कि सरकार को पूर्वांचल के विकास के लिये कोई चिन्ता नहीं है। देश की 6 प्रतिशत आबादी का भाग अकेले पूर्वांचल में है। इतनी बड़ी जनसंख्या को पूरे नियोजित तरीके से विकास निधि के बारे में बताना चाहिये था इसका बजट भाषण में कोई जिक्र नहीं है। श्रीमन् बजट भाषण में विद्युतीकरण हेतु जो अनुसूचित जाति जनजाति की बस्तियां हैं और ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें विद्युतीकरण होनी है। 105.75 करोड़ रुपये के विपरीत इस वर्ष 168.75 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। यह कहा गया कि 72 प्रतिशत गांव के लिये रखा जायेगा तो गांवों में विद्युतीकरण की हालत बहुत ही दयनीय है। इससे यह प्रतीत होता है कि 72 प्रतिशत गांव के विकास की बात छलावा है। 72 प्रतिशत राशि को किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से खर्चा किया जायेगा इसकी चर्चा कहीं बजट भाषण में नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

आप बैठ जायें।

श्री हरिशंकर तिवारी-

आप कहेंगे बैठ जाओ तो मैं बैठ जाऊंगा लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसको तो सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

समय का ध्यान रखकर अपनी बात कहें।

श्री हरिशंकर तिवारी-

इसी तहर से सिंचाई तथा अन्य ग्रामीण विकास की मदों पर, पशुपालन की मदों पर तथा सड़कों आदि के विकास पर कोई भी नियोजित तरीके से योजनाबद्ध तरीके से

बजट भाषण में नहीं दिया गया है। इसी तरह से गोरखपुर मेडिकल कालेज की स्थिति ठीक नहीं है। उद्योग विहीन जनपद, भवन विहीन जिलाधिकारियों के जिले, इन्सेफेलाईटिस से मरते लोग, बढ़ती हुई जनसंख्या, बेरोजगारी की विभीषिका के समाधान के लिये कोई चर्चा इस बजट भाषण में नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह अपेक्षा करता हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी बजट भाषण का उत्तर देंगी तो इन प्रश्नों को अवश्य बताने की कृपा करेंगी। धन्यवाद।

श्री सत्य प्रकाश विकल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि बजट की सामान्य चर्चा पर विचार रखने के लिये अवसर दिया। प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने विषम कठिन परिस्थितियों में पूर्व सरकार के मुख्य मंत्री द्वारा जिस प्रकार प्रदेश का खजाना लुटाया गया उसके बाद भी जिस साहस के साथ इस बजट को प्रस्तुत किया गया है उसका मैं स्वागत करता हूं।

(इस समय 4 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

और मान्यवर, स्वागत इसलिये भी करता हूं कि इस बजट में छोटे-छोटे बुनकरों श्रमिकों से लेकर बड़े-बड़े उद्योगों की समस्याओं के बारे में दिशा निर्देश हुआ और दलित समाज से लेकर समाज के सभी वर्गों के लोगों की समस्याओं के बारे में सर्वजनोन्मुखी बजट प्रस्तुत किया गया है। और जो सर्वजनहितकारी है। लेकिन इसके साथ ही साथ दो-तीन समस्याओं के बारे में कहना चाहता हूं। वर्ष 1995-96 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें 1230.54 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। इसमें वर्ष के 1053.72 करोड़ रुपये के वास्तविक प्रारम्भिक शेष को हिसाब में लेने पर उक्त घाटा वर्ष के अन्त में घटकर 176.82 करोड़ रह जाने का अनुमान है। इस घाटे की पूर्ति के लिये उपाय नहीं बताये गये हैं। यह बजट कर रहित बजट है लेकिन आशंका है कि आने वाले समय में प्रदेश की मंहगाई से पीड़ित जनता करों के बोझ से न लद जाये। दूसरी बात यह है कि वार्षिक योजना जो 5702.50 करोड़ रुपये की है उसके लिये वित्त पोषण की समस्या आपके सामने होगी। इस सरकार के सामने घाटे का तथा वित्त पोषण की समस्या को देखकर डर है कि आने वाले समय में विभिन्न विभाग करों को लगा सकते हैं इसलिये मेरी आपसे मांग है कि यह जो कर रहित बजट प्रस्तुत किया गया है जिसका स्वागत जनता ने और यहां सदन में किया गया है। किसी प्रकार के पिछले दरवाजे से बिजली, पानी, बसों के किराये, व्यवसायी कर आदि बढ़ाकर जनता पर बोझ न लादा जाय अपितु सरकार नये कर को न लगाकर अपने बजट घाटे को पूरा करने की कोशिश करें। इस बजट में माननीया मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश की जनता के जान माल और उनके मान सम्मान की

रक्षा की जायेगी। जनता ने मा0 मुलायम सिंह यादव की सरकार के पिछले डेढ़ साल को दु:स्वप्न की तरह भोगा है। वह हल्ला बोल की सरकार थी लेकिन अब माहौल बदला है। प्रदेश से गुण्डा राज खत्म होकर कानून का राज होगा यह स्वागत योग्य है। प्रदेश में पिछले डेढ़ साल से प्रशासन और पुलिस प्रशासन में निरंकुशता आई है उसको दूर करना होगा। मैं खासतौर से आगरा के बारे में दो-तीन बातें कहना चाहता हूं।

मान्यवर, मैं आगरा से चुनकर आता हूं। आगरा एक ऐतिहासिक महानगर है जिसने कभी पूरे देश पर शासन किया और कभी देश की राजधानी रहा। वह आज दुर्देशाग्रस्त है उसकी उपेक्षा हुई है। मुझे खुशी है कि प्रदेश की मुख्यमंत्री जी ने पहली बार आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद की समस्याओं को लेकर मा0 प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है कि आगरा की सांस्कृतिक धरोहर की बहुत सी चीजें जुड़ी हैं। वहां पर प्रदूषण के नाम पर उद्योग चौपट हो रहे हैं। उन्होंने मा0 प्रधान मंत्री जी को लिखा है कि इसमें केन्द्र सरकार को पूरी-पूरी कोशिश करनी चाहिये। यह स्वागत की बात है। उन्होंने मथुरा, आगरा और फिरोजाबाद की समस्याओं की ओर ध्यान दिया है। वहां पर उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ स्थापित करने का मामला वर्षों से लटका हुआ है। यमुना बैराज का मामला भी है। पेयजल का गम्भीर संकट है और लोग गन्दा पानी पीने के लिये मजबूर हैं। यमुना नदी गंदा नाला बनकर रह गई है। हैण्ड पम्प, जलस्तर गिरने से बेकार हो रहे हैं। कछपुरा, गढ़ी, चांदनी नगनादेव जीत, प्रकाश नगर आदि स्थान हैं जहां सुबह से महिला पुरुष मटके और बर्तन सिर पर रखकर पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं लोग गड्ढे खोद कर पानी पीने को मजबूर हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

विकल जी, अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री सत्य प्रकाश विकल-

पिछली भाजपा सरकार ने आगरा की इन समस्याओं के संबंध में दो करोड़ रुपये का प्राविधान किया था लेकिन इसके पहले काम शुरू हो वह सरकार चली गई। मान्यवर, आगरा पर्यटन का सबसे महत्वपूर्ण शहर है देशी विदेशी हजारों, लाखों पर्यटक वहां आते हैं लेकिन वहां की गन्दगी के कारण वह लौट जाते हैं। आज वहां पर सड़कों के निर्माण की सफाई की जरूरत है। विद्युत आपूर्ति की स्थिति वहां बहुत खराब है। उद्योगों को ताज ट्रिपौजियम क्षेत्र के नाम पर अकारण उजाड़ा जा रहा है जब कि वहां के उद्योगों को संरक्षण की आवश्यकता है। आज आवश्यकता

कि आगरा को एक आदर्श पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जाय ताकि वह उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर पुनः अपना गौरवशाली स्थान पा सके। आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री लालजी यादव उर्फ जोगी-

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह बजट गरीबों के हित में है, दलितों के हित में है इसका मैं स्वागत करता हूं और साथ ही साथ अपने जनपद जौनपुर की समस्याओं की ओर मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जनपद जौनपुर औद्योगिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा जनपद है। मेरा मुख्य मंत्री जी से विशेष निवेदन है कि जनपद जौनपुर के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये वहां पर उद्योगों को लगाने की कृपा करें। हमारे विधान सभा क्षेत्र रारी में 2-3 नदियां है जिससे बहुत सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है। इसी तरह से हमारे यहां पेयजल की बड़ी समस्या है। पीने के पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है। जिससे पीने की पानी की समस्या पैदा हो गयी है। इस सम्बन्ध में बराबर मैं चिट्ठियां लिखता हूं कि हमारे यहां हैण्ड पम्प दिये जायं। हमारे यहां सड़कों की कमी है इसलिए वहां पर सड़कों का निर्माण किया जाय ताकि यहां आवागमन की सुविधा मिल सके। हमारा विधान सभा क्षेत्र भी विकास के धारों से जोड़ा जाय। औद्योगिक दृष्टि से वहां पर मक्के का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। इससे संबंधित उद्योग वहां पर लगाने की व्यवस्था की जाय और वहां पर वैज्ञानिक तरीके से उद्योग लगाये जायं। हमारे क्षेत्र के लोगों ने उद्योगों को लगाने के संबंध में प्रपोजल भी दिये हैं। जिनको स्वीकार करके वहां पर उद्योगों की स्थापना की जाय।

मान्यवर, इसके साथ-साथ पूर्वांचल विश्वविद्यालय जो जौनपुर का शिक्षा का प्रमुख केन्द्र है उस संबंध में मैं माननीया मुख्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जहां पर सुव्यवस्थित रूप से शिक्षा नहीं दी जा रही है, वहां शिक्षा के संबंध में कुछ समस्याएं हैं जिनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। जब इस प्रदेश में इस सरकार का गठन नहीं हुआ था उसके पहले वहां पर अधिकारियों ने मनमाने ढंग से नियुक्तियां कर दी थीं। प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखा जाय तो यह नियुक्तियां बिल्कुल गैर कानूनी हैं। मैं चाहूंगा कि इन नियुक्तियों को निरस्त किया जाय और वहां पर पुनः वैधानिक तरीके से नियुक्तियां की जायं जिससे दलित, शोषित समाज के लोग भी लाभान्वित हो सकें। मैं अपने क्षेत्र के विकास के बारे में पुनः माननीया मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह बजट गरीबों के हितों का विशेष ध्यान रखकर बनाया गया है मैं इसका समर्थन करता हूं और इसका स्वागत करता हूं।

श्री बिहारी लाल आर्य-

मान्यवर, आपने जो मुझे माननीया मुख्य मंत्री द्वारा रखे गये बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका हृदय से आभारी हूं। मान्यवर, आजादी के बाद इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री एक दलितवर्ग की महिला बनी हैं। इससे इस प्रदेश में इतिहास कायम हुआ है। गरीब, पिछड़े, दलित वर्ग के लोगों में और प्रदेश की जनता में अपार खुशी हुई है। मुख्य मंत्री जी से प्रदेश के दलित, अनुसूचित जाति के लोगों को बहुत आशायें हैं। परन्तु मुझे खेद है कि माननीया मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें बुन्देलखण्ड क्षेत्र, जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, उसके विकास का जिक्र नहीं किया गया है। यह बुन्देलखण्ड की जनता के साथ घोर अन्याय हुआ है मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीया मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि बुन्देलखण्ड की दलित गरीब जनता के साथ न्याय किया जाये। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बुन्देलखण्ड की ओर माननीया मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, बुन्देलखण्ड एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वहां पर अनुसूचित जाति, दलित, कमजोर वर्ग के लोग और बहुत ही गरीब लोग निवास करते हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र से वर्तमान सरकार में 6 मंत्री हैं परन्तु इस क्षेत्र के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वहां पर पानी की बड़ी समस्या है। गांव भी सड़कों से नहीं जुड़े हैं। इस पर मान्यवर, ध्यान दिया जाय।

मान्यवर, इसी के साथ यह भी कहना चाहता हूं कि यहां पर सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं हैं। विद्युत व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। तथा शिक्षा भी काफी पिछड़ी हुई है। मान्यवर, इसके साथ ही साथ मेरा क्षेत्र मऊरानीपुर बुन्देलखण्ड में सबसे पिछड़ा क्षेत्र है इस क्षेत्र में 70 प्रतिशत अनुसूचित जाति के दलित वर्ग के लोग निवास करते हैं। अनुसूचित जाति की बस्तियों में विद्युतीकरण न हो पाने की भी समस्या विद्यमान है। यहां पर अधिकांश हथकरघा पावरलूम पर आधारित कुटीर उद्योगों जिसमें टेरीकाट, सूती वस्त्रों का निर्माण होता है, अनुसूचित जाति के वर्ग के बुनकरों की रोजी-रोटी निर्भर है। मऊरानीपुर नगर में 50 वर्ष पुराना विद्युत सब स्टेशन बना हुआ है परन्तु क्षमता से अधिक भार हो जाने के कारण विभाग ने एक वर्ष से पावर कनेक्शन पर रोक लगा रखी है जिससे क्षेत्र के उद्योग धन्धे विकसित नहीं हो पा रहे हैं और सारे उद्योग धन्धे बन्द होते जा रहे हैं। विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है यहां पर शहरी क्षेत्र में 4-5 घण्टे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में तो महीनों विद्युत आपूर्ति नही होती है। यहां पर

तत्काल 132 के0वी0ए0 का विद्युत सब स्टेशन बनना आवश्यक है। पिछली सरकार में इसकी घोषणा भी हुई थी। किन्तु फिर से महोबा में स्थानान्तरित कर दिया गया। जिस कारण लोगों में रोष भी व्याप्त है जनहित में मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मऊरानीपुर में अतिशीघ्र 132 के0वी0 क्षमता वाले विद्युत सब स्टेशन की स्थापना कराने की कृपा करें। मऊरानीपुर क्षेत्र में सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं। यहां पर एक भी राजकीय नलकूप नहीं लगाया गया है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मऊरानीपुर में मात्र 15 हजार गैलन पानी पीने को मिल रहा है जबकि प्राविधान 30 हजार गैलन की है जिससे यहां पर ट्यूबवेल नहीं लग पाये। मान्यवर, कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुये जो मानक ट्यूबवेल लगाने का 30 हजार गैलन का बनाया गया है उसे क्षेत्र में विशेष रूप से 15 हजार गैलन मानक कर दिया जाय। और 20 राजकीय नलकूप क्षेत्र में शीघ्र लगाये जायें। पेयजल का बड़ा ही संकट इस क्षेत्र में है नगर पंचायत रानीपुर एवं नगरपालिका परिषद् मऊरानीपुर में 25 वर्ष पूर्व जो पाइप लाइन डाली गई थी वह पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गयी है। इन दोनों नगरों में पेयजल सम्पूर्ति पुनर्गठन योजना लागू करके नई बड़ी पाइप लाइन बिछाई जाय तथा मऊरानीपुर में गांधीगंज एवं नई बस्ती में दो ट्यूबवेल लगाये जायें। इसके अतिरिक्त रानीपुर में नई बस्ती एवं जुशीपुरा बांगयाघाट पर दो ट्यूबवेल की स्थापना हो। रानीपुर नगर पंचायत में दो-तीन वर्षों से आधे नगर में ही पानी नहीं मिल पा रहा है। एक कटेरा नगर पंचायत है यहां पर पहाड़ी क्षेत्र है पीने के पानी का कोई साधन नहीं है। यहां पर एक ट्यूबवेल लगाकर पाइप लाइन बिछाकर पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित कराई जानी चाहिये। नगर पंचायत रोड़ी फतेहपुर में पथराई नदी पर एक पुल का निर्माण विगत वर्ष किया गया था। उस अधूरे पुल को पूरा करने के लिये धन दिलाया जाय।

हमारे यहां कई गांवों में प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं। तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय काफी कम हैं। पूरे मऊरानीपुर ब्लाक में गांवों में एक भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं है। इस ब्लाक में ग्राम रेवन एवं ग्राम चुरारा में हाई स्कूलों की स्थापना की जाय। नगर पंचायत रानीपुर में जिसकी आबादी लगभग 20 हजार करीब है यहां पर एक हाई स्कूल तथा एक राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है इनको उच्चीकृत करायें। कटेरा में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को उच्चीकृत कराया जाय। हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य की काफी समस्या है। यहां पर 10 नवीन स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हो तथा नगर रानीपुर में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जाय तो काफी राहत मिल सकती है। साथ ही डाक्टरों की और अन्य स्टाफ की समुचित व्यवस्था रहे। अधिकतर गांव सड़कों से नहीं जुड़े हैं उनको सम्पर्क

मार्गों से जोड़े जाने की आवश्यकता है। तथा ग्राम लहरगांव एवं ग्राम देवरी सिंह पुरा में सुखनई नदी पर अतिशीघ्र रियटों का निर्माण कराया जाये। मान्यवर, आपने समय दिया इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

*श्री हरेन्द्र सिंह मलिक-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। मैंने इस पुस्तिका को जिसमें नेता सदन का भाषण है, उसको पढ़ा है। पश्चिम की धरती से आयी मुख्य मंत्री का भाषण पढ़ रहा था। मुझे आशा थी और जिज्ञासा थी कि निश्चित रूप से पश्चिम के लिये नये विकास की घोषणा की जायेगी। मैं इनकी दिक्कतों को जानता हूं कि समय नहीं मिल पाया होगा, हो सकता है कि नई परम्परायें डालने की बात रही हो, लेकिन मान्यवर, पश्चिम के विकास के बारे में इस बजट भाषण में कुछ नहीं है, बिल्कुल निराशा ही हाथ लगी है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में पश्चिम का क्षेत्र सबसे फरटाइल है और उसी में माननीया नेता सदन पैदा हुई हैं और मैं उसी क्षेत्र से चुनकर आता हूं। और जिस मिट्टी में जन्म लिया है वह मेरठ और मुजफ्फरनगर का क्षेत्र है और उसमें एक चौगामा क्षेत्र है, वह बिल्कुल रेगिस्तान बना जा रहा है, वहां पर जलस्तर नीचा होता चला जा रहा है। सैकड़ों किसान प्रति वर्ष इसलिये अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं कि जो वहां पर नलकूप हैं और जब वह कुयें में उतरता है तो गैस से उसकी जान चली जाती है। किसान का बेटा जब गैस निकालने के लिये उसमें घुसता है, तो उसकी जान चली जाती है। मा0 ओम प्रकाश जी जब सिंचाई मंत्री थे तो उन्होंने इस पर बात की थी और उन्होंने कुछ कार्यवाही भी की थी। मान्यवर, वहां के लिये कम से कम दो तीन घोषणायें करें, एक तो पश्चिम में जितने भी तालाब हैं जिनका स्वामित्व सरकार का है, उन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, जिससे जल का संचय नहीं हो पाता है और इस प्रकार से जल स्तर नीचे चला जा रहा है तो इसके लिये एक आदेश यहां से जाना चाहिये कि सारे अवैध कब्जों को हटाया जाय और तालाबों की खुदाई सुनिश्चित की जाये।

मान्यवर, डिन और कृष्णा नदी का जल स्तर नीचे जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि नदियों पर दो-दो किलोमीटर की दूरी पर बांध बनाये जायें जिससे जल स्तर बढ़ सके और इनका जो जलस्तर नीचे चला गया है वह जमीन के जलस्तर तक आ जाये। मान्यवर, वहां पर लोगों को बिजली के कनेक्शन नहीं मिल पाते हैं। वर्षों लग जाते हैं बिजली के कनेक्शन नहीं मिल पाते हैं जिससे किसानों को सिंचाई में बड़ी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

असुविधा होती है। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे कि 6 महीने में बिजली का कनेक्शन किसानों को मिल जाये। मान्यवर, वहां पर बड़े बिजली घर हैं, उनका भी निर्माण वहां पर किया जाना चाहिये। मान्यवर, एक ताज्जुब की बात है, हमारे यहां पश्चिम से पी0डब्लू0डी0 के मिनिस्टर मा0 त्रिलोक चन्द्र जी रहे, बिजनौर से कोई रहे, उसके बाद से कोई पी0डब्लू0डी0 का मिनिस्टर पश्चिम क्षेत्र से नहीं हुआ। उसका परिणाम यह हुआ कि जो योजनायें स्वीकृत हुईं, उनका बजट नहीं दिया जाता था। बजट प्राविधान भी हो गया, स्वीकृति चली गई, फिर नयी सरकार आ गई और पिछली सरकार की स्वीकृतियां निरस्त कर दी गईं। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें क्षेत्र का क्या दोष है? विकास कार्यों में पार्टी की बात नही होनी चाहिये, विकास कार्य होने चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक-

पीने के पानी की दिक्कत हमारे क्षेत्र में है, मेरा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है कोई टाउन एरिया नहीं है, नगरपालिका नहीं है, पीने के पानी की समस्या इतनी विकराल रूप धारण कर चुकी है कि उससे वहां का जनजीवन प्रभावित हो रहा है, उस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण बैठें, मैंने श्री अक्षयवर लाल जी को बुला लिया है।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक-

मान्यवर, आपने मन से कहा है कि बैठ जायें।

*श्री अक्षयवर लाल-

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, माननीया मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसके लिये वे साधुवाद की पात्र हैं। लेकिन जो बजट में घाटा दिखाया गया है उसे किस प्रकार पूरा किया जायेगा इसका भी उल्लेख होना चाहिये? मेरा सुझाव है कि सरकारी घाटे को पूरा करने के लिये जो अनावश्यक सरकारी खर्चे हैं, उन पर अंकुश लगाकर इसे पूरा किया जा सकता है। कूलर, कालीने, जिनसे गरीब जनता के ऊपर बोझ बढ़ता है, इन शान शौकत की चीजों को कम करके इस घाटे को कम किया जा सकता है। मान्यवर, पिछली भारतीय जनता पार्टी की मा0 कल्याण सिंह जी की सरकार ने किसान बही की योजना चालू की थी लेकिन पैसे के अभाव के कारण वह योजना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

पूरी नहीं हो रही है । मेरा सुझाव है कि उस योजना के लिये अलग से धन आवंटित कियां जाय । मान्यवर, हमारा जनपद बहराइच एक पिछड़ा जनपद है नेपाल से सटा हुआ है और उद्योग धन्धे के नाम पर वहां पर चीनी मिल है । इस क्षेत्र में एक डिग्री कालेज है ।

माननीया मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि वे बहराइच आवें और वहां की समस्या को देखें और बहराइच जनपद के लिये अलग से धन आवंटित करवायें । पिछली बार मा0 मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में बहराइच के विकास के लिये जो रुपया था, उसमें बहराइच के अधिकारियों के साथ हस्तक्षेप करके, तीन करोड़ रुपया इटावा में स्थानान्तरित करवा लिया गया । वह तीन करोड़ रु0 बहराइच को दिलवाया जाय । मेरा क्षेत्र इकौना है, वहां विकास कार्यों का अभाव है, सड़कों का अभाव है, पुल के निर्माण के अभाव में जनता को आने जाने में परेशानी होती है वहां कन्या विद्यालय की आवश्यकता है साथ ही ब्लाक में खड़ंजा लगाने के लिये अलग से बजट की व्यवस्था करवायी जानी चाहिये और कन्या विद्यालय खोलने के लिये अलग से धन दिया जाय ।

श्री मुरली धर-

मान्यवर, यह बजट जो माननीया मुख्य मंत्री जी द्वारा पेश किया गया है इसमें गांव में रहने वाले प्रत्येक गरीब परिवार को लाभ देने की व्यवस्था की गई है । मैं बजट का समर्थन करते हुये, अपने जनपद की कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये, उन पर कार्यवाही हेतु निवेदन करना चाहता हूं । मान्यवर, दो महानगरों-इलाहाबाद और कानपुर के बीच, दो नदियों गंगा और यमुना के बीच में बसा हुआ फतेहपुर जनपद विकास के क्षेत्र में बहुत पिछड़ गया है ।

मान्यवर, जनपद फतेहपुर इलाहाबाद मण्डल में सम्मिलित है । इलाहाबाद मण्डल के प्रतापगढ़ और इलाहाबाद पूर्वांचल विकास निधि योजना में सम्मिलित हैं, लेकिन जनपद फतेहपुर को इस निधि के अन्तर्गत नहीं रखा गया है । मैं निवेदन करूंगा कि पूर्वांचल विकास निधि योजना में जनपद फतेहपुर को भी सम्मिलित किया जाय । मान्यवर, इस जनपद के गंगा यमुना के बीच बसा होने के कारण यहां की अधिकांश भूमि असमतल है, आने जाने के उचित साधन नहीं हैं, नहरें बनी भी हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं पहुंचता है । सिंचाई हेतु एक जरौली पम्प कैनाल योजना शुरू तो है, लेकिन धन न होने के कारण वह बहुत धीमी गति से चल रही है, मैं निवेदन करूंगा कि जरौली पम्प कैनाल योजना को इस बजट में सम्मिलित किया जाय और

उसके लिये धन आवंटित किया जाय । मान्यवर, हमारे जनपद में धाता में महामहिम राज्यपाल जी ने एक विद्युत उप केन्द्र स्थापित करने के लिये घोषणा की थी । मैं निवेदन करूंगा कि इस बजट में धाता के विद्युत उपकेन्द्र के लिये भी धन आवंटित किया जाय ।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में गन्ना बहुत ज्यादा पैदा होता है लेकिन कोई गन्ना मिल न होने के कारण किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है । मेरा निवेदन है कि मेरे जनपद फतेहपुर में एक गन्ना मिल स्थापित की जाय और जनपद फतेहपुर में आवागमन के साधन, सड़कों आदि की व्यवस्था की जाय और सिंचाई के साधनों की ओर ध्यान दिया जाय, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुये प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

* श्री राम कुमार शुक्ल-

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर हो रही सामान्य चर्चा में बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं । मान्यवर, जैसे ही नई सरकार आई, यूं लगा जैसे एक रावणराज का अन्त हो गया । यह केवल कहने की बात नहीं है, माफिया राज समाप्त हुआ है, आज लोग आजादी की सांस ले रहे हैं । अभी सुविधायें मिलना भले ही प्रारम्भ न हुई हों, लेकिन इस सरकार से लोगों को बहुत आशायें हैं । इस प्रदेश की जनता ने जो सोचना शुरू किया है, वह इस बात का प्रतीक है कि यह सरकार अच्छा काम करेगी । मान्यवर, मैंने बजट को देखा, ऐसा लगा कि सभी क्षेत्रों में ज्यादा बजट देने की झड़ी लगा दी गई है । ग्रामीण आवास योजना में बजट में वृद्धि निराश्रित विधवाओं के मामले में वृद्धि, बहुत बड़ी संख्या में योजनायें हैं, जिनके बजट में वृद्धि की गई है, यह इस बात का प्रतीक है कि आने वाले वर्ष में, जो इस समय अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, किसी भी जाति के लोग हैं, सभी वर्गों में समान रूप से अच्छा काम करने का नतीजा सामने आने वाला है । माननीया मुख्य मंत्री जी बहुत बधाई की पात्र हैं कि उन्होंने लखनऊ नगर की समस्या पर ध्यान दिया । यह नगर प्रदेश की राजधानी है और पेयजल की समस्या को ध्यान में रखते हुये उन्होंने 300 हैण्ड पम्प दिये हैं, इसमें मलिन बस्तियों में, गरीब बस्तियों में पानी की समस्या का समाधान हो सकेगा । मान्यवर, केवल इतना ही नहीं, पिछली सरकार ने जो फर्जी मुकदमें चला रखे थे, लोगों को गलत तरीके से बन्द किया जा रहा था, इस सरकार ने आते ही यह घोषणा की, कि बेकसूर लोगों को राजनीतिक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

अथवा गैर राजनीतिक लोगों से मुकदमें वापस लिये जायेंगे । अब अच्छा शासन आ गया है, और जनता इस ओर देख रही है ।

मान्यवर, यह सरकार केवल कहने भर को दलितों की सरकार रही है, पहले इसके लिये सफाई देनी पड़ती थी, लेकिन दलितों पर पूरे [illegible] अत्याचार होते रहे, महिलाओं पर अत्याचार होते रहे । पिछले डेढ़ साल में जितने अत्याचार दलितों, महिलाओं पर हुये, उतने इतिहास में कभी नहीं हुये । [illegible] एक माया त्यागी हत्या काण्ड हुआ था, जो आज भी याद है, लेकिन डेढ़ साल में [illegible] को नंगा घुमाने का काम किया गया, जिसकी वजह से आज नाम भी और गांव आज अच्छी सरकार आई है और अब दलितों पर अत्याचार बन्द होंगे ।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी प्रबुद्ध हैं, उनकी समग्र दृष्टि है, लेकिन दिया तले अंधेरा न हो जाय, इस लखनऊ में पुराने लखनऊ की आधी बस्ती ऐसी है, जो नारकीय जीवन व्यतीत कर रही है, गांव में फिर अच्छी स्थिति है, वहां आजकल बरसात के दिनों में पूरा दलदल है । न उन्हें नगर की सुविधायें प्राप्त हुई हैं, मुझे आशा है कि मुख्य मंत्री जी ऐसे लोगों को भी अपना संरक्षण प्रदान करेंगी और उनको आवश्यक सुविधायें प्राप्त होंगी । इसी के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुये अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं ।

श्री लालमणि प्रसाद -

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, इस बजट के समर्थन में इसलिये बल दे रहा हूं कि इस धरती पर गौतम बुद्ध ने मानवता का संदेश दिया वहीं इस धरती पर मुहम्मद साहब ने आपसी भाईचारा दिया । इस धरती पर कबीर साहब ने रूढ़िवादी और पाखण्डवादी व्यवस्था का विरोध किया, वहीं इस धरती पर ईसा मसीह ने अपाहिजों, अपंगों, लाचारों की सेवा का सन्देश दिया, इसी धरती पर गुरु गोविन्द सिंह ने जहां स्वाभिमान और सम्मान की भावना पैदा की वहीं इसी धरती पर जो समाज मानवीय अधिकारों से वंचित था, जो अपने अधिकारों से अन्जान थे ऐसे बहुजन समाज की भलाई के लिये डा0 भीम राव अम्बेडकर जी ने इस देश में नया संविधान दिया । वे आज बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिये करोड़ों बेजुबान लोगों के जुबान माननीय कांशीराम जी की रहनुमाई में, इस प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन मायावती जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उस पर मैं इसलिये बल दे रहा हूं कि सम्पूर्ण बजट का 72 प्रतिशत धनराशि गांवों के विकास पर खर्च होगा, तो इससे साफ जाहिर है कि वास्तव में बाबा साहब अम्बेडकर का स्वप्न साकार होगा, गांवों का विकास होगा और दलित समाज का उत्थान होगा, उन्हें न्याय मिलेगा जो उपेक्षित वर्ग था उसको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और

साथ ही साथ बहन मायावती जी की यह घोषणा कि मैं केवल बहुजन समाज की नहीं हूं बल्कि सर्व समाज की हूं, हर वर्ग की हूं और अब तक के कार्य-कलापों से यह साफ जाहिर है कि इस सरकार में हर वर्ग को न्याय मिलेगा, इसलिये इस पर बल दे रहा हूं।

नई सरकार से इस प्रदेश को अपेक्षायें हैं और उसको क्रियान्वित करने के लिये बहन मायावती सतत प्रयत्नशील हैं। मैं बजट पर बल देते हुये अपने क्षेत्र हैंसर बाजार बस्ती जनपद जो कि सबसे पिछड़ा हुआ है, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, बस्ती जनपद सबसे पिछड़ा होने के कारण इस पर ध्यान दिया जाये। इसलिये मेरा अनुरोध है कि बस्ती मुख्यालय पर कैंसर अस्पताल पूर्ण कराने के साथ घाघरा नदी के बिड़हर घाट पर एक पक्का पुल बना दिया जाये जिससे आवागमन की सुविधा हो जाये। यदि बिड़हर घाट पर पुल बन जाये तो इससे बनारस, फैजाबाद और इलाहाबाद जुड़ जायेंगे। मान्यवर, विधान सभा हैंसर बाजार क्षेत्र में गन्ने की पैदावार बहुत होती है लेकिन वहां पर कोई चीनी मिल नहीं है। तो दूर 50 या 60 कि0मी0 हैंसर बाजार क्षेत्र में एक मिनी चीनी मिल लगाने पर सरकार ध्यान दे। मान्यवर, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि बस्ती जनपद के मुखलिस पुल का टोल टैक्स माफ करने के लिये सरकार ध्यान दे। मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में भी यह क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है इसलिये यहां पर नाथनगर में एक डिग्री कालेज व एक महिला डिग्री कालेज खोलने की सरकार कृपा करे। इसके साथ ही मान्यवर, सूतली उद्योग के लिये भी सरकार एक मिल लगाये जिससे उसकी खपत हो सके। मान्यवर, विद्युत समस्या को ध्यान में रखते हुये एक उप केन्द्र धनघटा में स्थापित करने के लिये सरकार कृपा करे। इसके साथ ही मैं बजट पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री अखिलेश कुमार सिंह-

मान्यवर, जो बजट आया है प्रदेश की जनता उसे बड़ी आशा से देख रही थी लेकिन अफशोस की बात है कि हर वर्ग को विशेषकर किसानों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को इस बजट से घोर निराशा हुई है। दलितों को मान्यवर, उत्तर प्रदेश में चारों ओर अराजकता का माहौल था, उस माहौल को तोड़कर सुश्री मायावती जी की सरकार इस प्रदेश में बनी और सरकार से बहुत से लोगों को आशायें थी लेकिन उस आशाओं पर तुषारापात हुआ। आज जनपद रायबरेली की ही बात है। जनपद रायबरेली विद्युत कटौती का जिला बना हुआ है इस बजट में उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। अल्पसंख्यकों के लिये इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। यह बजट निराशापूर्ण है। मुझे इतना ही कहना है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री राजकुमार शिवहरे-

मान्यवर, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, इस बजट भाषण में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने गरीबों और दलितों के लिये जो बजट पेश किया है उस पर बल देते हुये अपने जनपद से जुड़ी हुई कुछ समस्यायें आपके माध्यम से संज्ञान में लाना चाहता हूं। मान्यवर, जनपद बांदा जो आजादी के बाद से आज तक विकास के नाम पर अगर कुछ भी उसको मिला है तो मान्यवर, सबसे ज्यादा उसकी उपलब्धि हुई है वह है दस्यु समस्या । मान्यवर, आपके संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि बांदा जनपद में विगत 10 वर्षों से ददुवा गिरोह का आतंक छाया हुआ है जिसके ऊपर आज तक जितनी भी सरकारें आयी हैं वह उसके ऊपर अब तक 50 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी हैं, अगर जनपद के विकास के लिये इतना रुपया खर्च किया गया होता तो जनपद का बहुमुखी विकास हो गया होता । मान्यवर, मैं संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री मायावती जी इस समय यहां बैठी हुई हैं जितना रुपया डाकुओं पर खर्च किया गया है उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जनपद बांदा में उस पर कुछ अलग से खर्च करने कृपा करें ।

मान्यवर, बांदा में कुछ गांव ऐसे अकोना, अर्जुनाह पिन्डखर हैं जहां पर बिजली के खम्भे व तार पहुंच चुके हैं लेकिन बिजली का अभी तक पता नहीं है । मान्यवर, इस समय उत्तर प्रदेश में बांदा जनपद गर्मी के मामले में उत्तर प्रदेश में सबसे गर्म स्थान रहा जहां 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया था । बांदा का जलस्तर इतने नीचे चला गया है कि पेयजल की गम्भीर समस्या हो गयी । पीने के पानी के लिये जनता को दिक्कत का सामना करना पड़ा । मान्यवर, बुन्देलखण्ड में पानी के लिये विशेष कोष बनाया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुये तथा बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात पर बल देते हुये आपको धन्यवाद देता हूं ।

इन्जीनियर राम लोटन सिंह पटेल-

मान्यवर, आपने बजट पर बोलने का मुझे अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । बजट का समर्थन करते हुये मैं अपनी बात आगे रखना चाहता हूं । बहिन मायावती जी की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है । भयमुक्त, अन्याय मुक्त तथा शोषण मुक्त समाज की बात जो आपने कही है उसे आपने आज अपने बजट अभिभाषण में साबित कर दिखा है । बहिन जी ने यह भी साबित कर दिया है कि उनके दिल में दलित समाज के लिये करुणा तथा ममता है और वह इस समाज के लिये संवेदनशील भी हैं । हर क्षेत्र में दलितों के उत्थान के लिये अपने बजट में ध्यान रखा है । इसके साथ ही मैं सरकार का ध्यान सोनभद्र की तरफ ले जाना चाहता हूं, जहां पर बैरियर के रूप में गुण्डा टैक्स वसूला जा रहा है । सोनभद्र एक आदिवासी जिला है । स्वयं बनाये गये वाहन अड्डा पर बैरियर लगाकर दलित समाज का शोषण किया जा रहा है, तह बाजारी ली जा रही है । [illegible] आदि में बैरियर लगाकर टैक्स लेने का काम किया जा रहा है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

सामान्य चर्चा जारी रहेगी ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

अब मैं कार्य-मंत्रणा समिति की सूचना ले रहा हूं ।

विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 19 जुलाई, 1995 की बैठक में सदन के दिनांक 19 जुलाई, 1995 से 17 अगस्त, 1995 तक के सदन द्वारा अनुमोदित तिथिवार कार्यक्रम में से दिनांक 19 जुलाई, 1995 से 27 जुलाई, 1995 तक के कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

(1) दिनांक 19 जुलाई, 1995 को विचार एवं पारण हेतु रखे गये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 को दिनांक 20 जुलाई, 1995 को विचार एवं पारण हेतु रखा जाय ।

(2) माननीय मुख्य मंत्री द्वारा आरक्षण के संबंध में वक्तव्य को आज दिनांक 19 जुलाई, 1995 के उपवेशन में रखा जाय ।

(3) दिनांक 25 व 26 जुलाई, 1995 को सदन के उपवेशन न रखे जायं और दिनांक 25 जुलाई, 1995 के लिये निर्धारित कार्यक्रम को दिनांक 27 जुलाई, 1995 को रख लिया जाय ।

(4) सदन का दिनांक 19 जुलाई, 1995 से दिनांक 28 जुलाई, 1995 तक के उपवेशन का संशोधित तिथिवार कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय-

<u>जुलाई, 1995</u>

19 बुधवार	1-वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा । 2-उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार एवं उसका पारण ... आधा घण्टा
20 गुरुवार	1-वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा । 2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार एवं उसका पारण.... आधा घण्टा ।

21 शुक्रवार
22 शनिवार
23 रविवार — बैठक नहीं होगी ।
24 सोमवार
25 मंगलवार
26 बुधवार
27 गुरुवार — 1-वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।
2-5.00 बजे अपराह्न

विधायी कार्य ।

सदन के उपवेशनों का शेष कार्यक्रम यथावत् रखा जाय ।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दी गई है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अल्पसंख्यक, मुस्लिम समुदाय के पिछड़े वर्गों के आरक्षण के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से आदरणीय सदन में सरकार की एक महत्वपूर्ण नीति के बारे में वक्तव्य देना चाहती हूं ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यों को वक्तव्य की प्रतियां बांट दी जायं ।

(वक्तव्य की प्रतियां बांटी गई ।)

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

मान्यवर, अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ दिये जाने हेतु हमारी सरकार ने जो कदम उठाये हैं उनके बारे में सदन के माननीय सदस्य द्वारा कुछ ऐसे प्रश्न उठाये गये जिनके संबंध में स्थिति को स्पष्ट करना आवश्यक है ।

2-हम जानते हैं कि देश में अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का आंकलन करते समय मण्डल आयोग ने यह पाया था कि हिन्दू समुदाय में अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या लगभग 52 प्रतिशत है। देश की कुल जनसंख्या में गैर हिन्दू समुदायों (यथा मुसलमान, इसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैन) की आबादी देश की कुल आबादी का 16.16 प्रतिशत आंकलित करते हुये मण्डल आयोग ने इस आबादी का भी 52 प्रतिशत अर्थात देश की कुल आबादी का 8.40 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में माना था।

3-उत्तर प्रदेश में 1981 की जनसंख्या के अनुसार कुल आबादी का लगभग 16 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय से है, तथा अन्य गैर हिन्दू धार्मिक समुदायों की आबादी बहुत कम है। अतः मण्डल आयोग द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त सिद्धान्त को प्रदेश की 16 प्रतिशत मुस्लिम आबादी पर लागू करते हुये यह निष्कर्ष निकलता है कि इनमें से 52 प्रतिशत अर्थात प्रदेश की कुल आबादी का 8.41 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग में आता है।

4-मण्डल आयोग की संस्तुतियों के आधार पर, जिन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी वैध ठहराया गया है, देश की 52 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति एवं शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में कुल उपलब्ध स्थानों में से 27 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा दी गई है, जिसको लागू करने के लिये उत्तर प्रदेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 बनाया गया है। इस अधिनियम में उन 55 जातियों/व्यवसायिक समूहों को सूचीबद्ध किया गया है जो अन्य पिछड़े वर्गों में आते हैं। इन जातियों/व्यवसायिक समूहों में से अनेक इस प्रकार के हैं जिनके सदस्य अंशतः या पूर्णतः अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के हैं।

5-विभिन्न स्त्रोतों से यह शिकायतें मिली थीं कि अन्य पिछड़े वर्गों के मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र नहीं दिया जा रहा है जिस कारणवश उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा। इस समस्या के हल हेतु उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रदेश सरकार को अपनी संस्तुति दिनांक 11 जुलाई, 1994 को ही भेज दी थी परन्तु पिछली सरकार ने इस मामले को दबाये रखा और कोई निर्णय नहीं लिया। हमारे संज्ञान में यह बात आते ही 5 जुलाई, 1995 की स्थिति को स्पष्ट करते हुये शासनादेश निर्गत कर दिया गया जिसमें यह व्यवस्था की गई कि अन्य पिछड़े वर्गों के मुस्लिम भाई बहनों को जाति प्रमाण-पत्र मिलने में कोई कठिनाई न हो ताकि वह कानून द्वारा उपलब्ध कराये गये आरक्षण के लाभ को प्राप्त कर सकें। उक्त शासनादेश का यह अभिप्राय नहीं है कि अन्य पिछड़े वर्गों को उपलब्ध 27 प्रतिशत आरक्षण में से 8.4 प्रतिशत स्थान मुस्लिम समुदाय के लिये आरक्षित कर दिये गये हैं और न ही ऐसा किया जाना सम्भव है। तथ्य यह है कि अल्पसंख्यक

मुस्लिम समुदाय के पिछड़े वर्ग के सदस्यों को 27 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा का न्यायोचित लाभ उठाने में आने वाली अड़चन को दूर किया गया है। कल हमसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी मिले थे। उन्होंने भी यह कहा कि राज्य सरकार द्वारा 5 जुलाई, 1995 के शासनादेश द्वारा पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को उनका कानूनी हक दिलाने का जो प्रयास किया गया है उससे राज्य सरकार ने अपनी नेक नियती का परिचय दिया है।

6-जैसा कि बताया गया प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 52 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्गों में आता है जिसमें से लगभग 8.40 प्रतिशत अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हमारे द्वारा 5 जुलाई, 1995 को जारी शासनादेश से अब अन्य पिछड़े वर्गों में आने वाले मुस्लिम भाई-बहनों को उतनी ही आसानी से जाति प्रमाण-पत्र उपलब्ध हो जायेंगे जिस प्रकार हिन्दू भाई-बहनों को मिलते हैं अतः निश्चित रूप से मुस्लिम समुदाय के अन्य पिछड़े वर्गों के लोग 27 प्रतिशत आरक्षण का न्यायोचित लाभ उठा पायेंगे। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के शैक्षणिक उत्थान के लिये हम मुस्लिम बाहुल्य असेवित ग्रामों में प्राथमिकता पर स्कूल खोलने की योजना भी चला रहे हैं, ताकि पिछड़ा समुदाय पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके।

7-सरकार का यह संकल्प है कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण की सुविधा का पूर्ण न्यायोचित लाभ मुसलमानों को भी मिले और इसके लिये सरकार द्वारा हर सम्भव उपाय किये गये हैं।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, कल भी मैंने यह सवाल उठाया था, दो बातें केवल....

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल जी अभी मुख्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया, उस पर मेरा सभी दलों के नेतागणों से यह अनुरोध है कि वे उस पर कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो ....."व्यवधान"

श्री प्रमोद तिवारी-

वक्तव्य आ गया, सबने पढ़ लिया। इसमें माननीय मुख्य मंत्री द्वारा, जो बहुत सी भ्रान्तियां इस संबंध में फैली हुई थीं, उनको साफ कर दिया गया, अब मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं.....व्यवधान

श्री अध्यक्ष-

प्रमोद तिवारी जी आप बैठ जाये....."घोर व्यवधान"

श्री किरन पाल सिंह-

चर्चा इस पर सीधे-सीधे हो जाय.....व्यवधान ।

श्री अध्यक्ष-

हर दल से दो-दो माननीय नेताओं को मैं स्पष्टीकरण की इजाजत देता हूं और पहले प्रमोद तिवारी जी ।

श्री प्रमोद तिवारी-

स्पष्टीकरण में जो स्थिति स्पष्ट नहीं है, उसके संबंध में मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं । जो आपने पत्र लिखा है प्रधान मंत्री जी को कि 15 प्रतिशत आरक्षण मुसलमानों के लिये रखा जाय उस पर सरकार अभी भी कायम है या मुकर रही है ? दूसरी बात यह है कि जो 8.40 को आपने अलग किया है, जिनको पहले यह लाभ नहीं मिलता था, तो अब जब इनको यह प्रमाण-पत्र मिल जायेगा तो इसको 27 प्रतिशत से अलग किया गया है या उसी में रखा गया है ?

(व्यवधान)

श्री उदयभान सिंह-

मुख्य मंत्री द्वारा इस पर स्थिति साफ हो गई है, उसमें घुमा फिराकर यह भ्रान्ति फैलाना चाहते हैं ।

श्री राजेन्द कुमार गुप्त-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष-

मुख्य मंत्री जी ने यह चीज स्पष्ट कर दी है, अब उस पर इस प्रकार के किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

राजेन्द्र कुमार जी जब तक नहीं बोल सकते हैं, जब तक मैं अपनी बात न कह लूं क्योंकि आपने अभी हमको समय दिया है, तो यह जो 15 प्रतिशत के लिये पत्र लिखा था, उस पर सरकार की क्या राय है, वह उस पर कायम है या नहीं ?

(श्री किरनपाल सिंह को बुलाने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री किरनपाल सिंह-

आपने दर्जीप नेताओं को बोलने के लिये कहा है ।

श्री अध्यक्ष-

गुप्ता जी को बोलने दें, उनका कोई व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, एक व्यवस्था के प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे नियमों में और आपके द्वारा दिये गये निर्णयों में स्पष्ट है कि स्पष्टीकरण उन्हीं बिन्दुओं पर होगा जिनका उल्लेख वक्तव्य में कर दिया गया है। आरक्षण की नीति वक्तव्य में स्पष्ट हो गई है। 15 प्रतिशत आरक्षण के संबंध में प्रधानमंत्री को लिखे गये पत्र का इस वक्तव्य में जिक्र न होने के कारण इस पर स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

जैसा कि राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने व्यवस्था के प्रश्न के द्वारा स्पष्ट कर दिया है कि स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका माननीय मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य में कहीं जिक्र नहीं है। स्पष्टीकरण की मांग अस्वीकार की जाती है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अस्वीकार करने के लिये बधाई और धन्यवाद देता हूं। इससे सरकार की नीति स्पष्ट हो गयी है।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी का जो वक्तव्य आया है, वह बहुत स्पष्ट है। आरक्षण के बारे में जब यहां पर कहा गया था कि प्रधान मन्त्री जी को मुख्य मंत्री जी ने पत्र लिखा था तो उसी दिन उस पत्र को सदन के पटल पर रखे जाने की बात भी कही थी। तो उस दिन वह पत्र सदन के पटल पर क्यों नहीं रखा गया? इससे लगता है कि वह असली पत्र नहीं है, कुछ और है। पत्र था तो उसे सदन के पटल पर रखा जाना चाहिये था। इस सदन का उपयोग सही तरीके से करना चाहिये। जहां तक वक्तव्य का सवाल है, वह बहुत स्पष्ट है और उसके माध्यम से माननीया मुख्य मंत्री जी जो कहना चाहती थीं उस सबका समझ में आ गया है। अब इसमें भाषण या स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।

*श्री उदल-

मान्यवर, माननीया मुख्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, वह बहुत ही स्पष्ट है और साफ है। प्रधान मंत्री को पत्र लिख जाने की बात इसमें शामिल नहीं है। बाहर क्या होता है, मंत्री जी बाहर क्या कहते हैं, इसमें भी कोई सम्बन्ध नहीं है और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

अगर प्रधान मंत्री को मुख्य मंत्री पत्र लिखते हैं तो यह पूरे देश का सवाल है। भारत सरकार उसे स्वीकार कर देती तो यह आपको शिरोधार्य हो जाता। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें स्पष्टीकरण नहीं बनता है न ही चर्चा कराया जाना उचित है।

*श्री कल्याण सिंह-

श्रीमन्, जो वक्तव्य अभी माननीय मुख्य मंत्री ने सदन में पढ़ा है, सब सहमत हैं इस बात से, कि वह वक्तव्य सदन में बहुत स्पष्ट है। मैं समझता हूं कि उस वक्तव्य के संदर्भ में किसी के पास स्पष्टीकरण मांगने के लिये कुछ है ही नहीं। प्रमोद तिवारी जी बार-बार किसी पत्र का उल्लेख कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच में क्या पत्राचार हुआ है उसका कोई भी संदर्भ आज के इस वक्तव्य में नहीं है।

माननीय प्रमोद तिवारी जी बराबर मुसलमानों को 15 प्रतिशत के आरक्षण के मुद्दे को उठाकर राजनीतिक खेल-खेल रहे हैं। इनके खेल को समझने की आवश्यकता है यह प्रश्न सदन में क्यों उठा रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूं उत्तर प्रदेश में 50 प्रतिशत आरक्षण हो चुका है इनसे अधिक के आरक्षण के लिये संविधान में संशोधन की आवश्कयता है। यह विधान सभा की परिधि के बाहर की बात है यह लोक सभा मे पेश होगा। प्रस्ताव यहां से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य बैठ जायें।

श्री कल्याण सिंह-

यहां जिस तरह से हो रहा है यह गम्भीर है इस विषय पर कुछ ज्यादा नहीं कहना है प्रमोद तिवारी जी से कहना चाहूंगा कि वह लोक सभा में इस आशय का संशोधन लायें यहां बराबर इस मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं। जहां तक बी0जे0पी0 का प्रश्न है हमारा मानना है कि मण्डल कमीशन की रिपोर्ट में अगर हिन्दू पिछड़ी जातियों का समावेश है वहीं गैर हिन्दू जातियों का भी समावेश है जिसमें मुस्लिम जातियां भी हैं। मण्डल कमीशन के अनुसार चाहे वह हिन्दू हो चाहे मुस्लिम 27 प्रतिशत का आरक्षण मिल रहा है।

(व्यवधान)

मेरी पार्टी की मान्यता है कि मजहब या सम्प्रदाय के आधार पर 15 प्रतिशत या किसी अन्य प्रतिशत तक आरक्षण देने के हम सख्त विरोधी हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

(मेजें थपथपाई गईं)

इसके दूरगामी परिणाम होंगे, आरक्षण का मामला सामाजिक मुद्दा है।

(व्यवधान)

इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया है, इसको बराबर सदन में कह रहे हैं। इसको यह लोक सभा से करावें।

(व्यवधान)

(आज की कार्यसूची की मद संख्या 13 व 14 जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 के पारण के सम्बन्ध में थी, को कार्य-मंत्रणा समिति के प्रस्ताव के अनुसार स्थगित कर दिया गया।)

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1995

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय।

श्रीमन् किसी वर्ष के दौरान अप्रत्याशित खर्चे को पूरा कराने के लिये जिन खर्चों की बजट में व्यवस्था न हो उन खर्चों की प्रतिपूर्ति राज्य आकस्मिकता निधि से धन लेकर की जाती है।

एक मा0 सदस्य-

सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

इसके लिये वर्ष 1950 में उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई। इस निधि में चार करोड़ रुपये रखे गये थे। श्रीमन् पंचवर्षीय योजनाओं में लगातार वृद्धि होती गई। राज्य बजट का आकार बढ़ता गया इस तरह से लगातार इस निधि में वृद्धि होती गई और अब यह प्रस्ताव किया गया है कि श्रीमन् इस निधि का आकार वर्तमान में 600 करोड़ रुपया का है। इसको बढ़ाकर एक हजार करोड़ रुपये कर दिया जाय। श्रीमन् ऐसे सुझाव समय-समय पर आते हैं। जब सरकार को तमाम कार्य करने पड़ते हैं ऐसे अवसरों पर व्यय की आवश्यकता होती है। ऐसे अवसरों पर राज्य सरकार को धन की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसमें केन्द्र सरकार से भी अनुदान मिलता है। वह कभी-कभी विलम्ब हो जाता है। चूंकि विधान सभा से बजट पारित नहीं होता है इसलिये इस धन को श्रीमन् तत्काल खर्च नहीं कर सकते और संबंधित योजना अधूरी रह जाती है। इसलिये भी आकस्मिकता निधि से खर्च करने का प्राविधान किया गया है। यह भी एक निश्चित अवधि के लिये किया गया है। पहले से इसका अध्यादेश

प्रख्यापित हो चुका है । जिन परिस्थितियों में यह विधेयक लाया गया है उसकी भी सभी सदस्यों को जानकारी है हमारी प्रार्थना है कि राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुये आदरणीय सदन से पारित करने की कृपा करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, यह जो उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1995 आया है उसके संबंध में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं ।. जहां तक इस विधेयक के पारित होने का सवाल है उसमें हमारी सहमति है । इसको तो पास होना ही चाहिये । नहीं तो तमाम वित्तीय अनियमिततायें हमारे सामने पैदा हो जायेंगी । मैं एक प्रसंग कहना चाहता हूं । एक नौजवान किसी म्यूजिक मास्टर से म्यूजिक सीखने के लिये गया उसने कहा कि आप हमको म्यूजिक कितने दिन में सिखा देंगे तो मास्टर ने कहा कि छह महीने में तब उसने कहा कि मैं इसके बारे में कुछ जानता हूं तो मास्टर ने कहा तब तो आठ महीने लगेंगे । पहले जो आप गलत जानते हैं दो महीने उसको सही करने में लगेंगे पहले की मुलायम सिंह सरकार ने जो गलत काम किये इस सरकार को उसको सही करने में कुछ समय लगेगा । किसी भी संसदीय इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि 600 करोड़ की आवश्यकता निधि से 400 करोड़ रुपये निकाल लिये गये हों । लेकिन पिछली मुलायम सिंह की सरकार ने यह पैसा निकाला । आदेश 31 मार्च, 1995 को जारी किया तो खर्च मार्च, 1995 के बाद होना चाहिये । केन्द्र सरकार से भी मैचिंग ग्रान्ट मिली है । उसके अनुसार भी खर्चा का प्राविधान किया जाता है । लेकिन पिछली सरकार ने खर्च 31 मार्च, 1995 के पहले कर दिया । इस प्रकार विधान मण्डल की अवमानना कर दी । आकस्मिकता निधि से पैसा आकस्मिक समस्याओं के खर्च के लिये होता है भगवान न करे ऐसा हो, जैसे कोई भूकम्प आ जाये बाढ़ आ जाये । पिछली सरकार ने 50 करोड़ रुपया कन्टीजेंसी फंड का सेफई और बाराबंकी के विकास के लिये खर्च कर दिया । सेफई में जो पैसा खर्च किया गया उसका किसी बजट में प्राविधान नहीं था लेकिन कन्टीजेंसी से निकाल कर खर्च किया गया । माननीया मुख्य मंत्री जी पी0डब्लू0डी0 मिनिस्टर भी हैं । इसलिये उनको इस अनियमितत की तरफ ध्यान देना होगा । इसके अतिरिक्त इस विधेयक की धारा 3 (क) (ख) देखें इस अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन पर या उसके अधीन सम्यक रूप से की गई या सहन की गई किसी बात पर, या इस अधिनियम के अधीन अर्जित प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार विशेषाधिकार बाध्यता पर, ऐसी इस विधेयक में व्यवस्था है ।

मान्यवर, पिछली सरकार द्वारा खर्च किये गये पैसे को मंजूरी देना हमारी बाध्यता है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, पिछली सरकार द्वारा जो कार्य किये गये हैं उनके लिये जिस तरह से राज्य आकस्मिकता निधि का दुरुपयोग किया गया यह एक गम्भीर अनियमितता है, गम्भीर फाइनेंशियल इर-रेगुलरटी है और इसको क्षमा नहीं किया जा सकता है। ऐसे कार्य किये गये जिनका कोई बजटरी प्रोविजन नहीं था और इसीलिये आज गम्भीर वित्तीय संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। पूर्व सरकार के समय में जो वित्तीय अनियमितातायें की गईं उनको ठीक करना ही है। लेकिन वित्तीय अनियमितातायें जो की गईं उनकी निन्दा करना भी मैं आवश्यक समझता हूं।

*श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत उत्तर प्रदेश राज्य आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1995 सदन के समक्ष है। मान्यवर, संसदीय पद्धति में ऐसे खर्चे जिनका वार्षिक परिव्यय में उल्लेख नहीं होता है परन्तु लोकहित और जनहित में वह आवश्यक होता है ऐसे कार्यों या ऐसी योजनाओं को शुरू करने के लिये आकस्मिकता निधि से पैसे को लेकर खर्च किया जाता है और बाद में उसको सदन के सम्मुख रखा जाता है और सदन उसकी मंजूरी दे देता है। लेकिन जैसा कि गुप्ता जी ने कहा पिछली सरकार ने जिस तरह से पैसे को खर्च किया और जो अनियमितातायें हुईं उसकी निन्दा की जानी चाहिये। उन खर्चों को पास करना विवशता है लेकिन सदन के माध्यम से यह संदेश प्रदेश में जाये कि पूर्व मुख्य मंत्री और अन्य मंत्रियों के गांव में पैसा खर्च किया गया है जो वित्तीय प्राविधानों के अनुसार उचित नहीं है। जनहित के लिये कोई पैसा खर्च किया जाता तो दूसरी बात थी यह जो 600 करोड़ रुपये खर्च हुये हैं इसको पारित तो हम कर ही देंगे लेकिन जिस तरह से पिछली सरकार ने आकस्मिकता निधि का और संचित निधि का दुरुपयोग किया है और उससे पैसा निकालकर उसका दुरुपयोग किया है उस आचरण की मैं निन्दा करना चाहता हूं। लोकतंत्र में शासन की बचनबद्धता जनता के प्रति होती है, पैसा कल्याणकारी योजनाओं में खर्च करना सरकार का उत्तरदायित्व होता है लेकिन पिछले दिनों जिन परिस्थितियों का निर्माण हुआ और जिस तरह से धन का अपव्यय किया गया उस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। मै इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

*डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1995 पर बोलने के लिये खड़ा हूं। मान्यवर, मुझे लगता है जैसी कि चर्चा हो रही है, यदि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

शीर्ष स्तर से ही वित्तीय अनियमिततायें शुरू हो जायेंगी तो पूरे प्रदेश की क्या स्थिति होगी, यह विचारणीय है। मेरा सुझाव है कि इसको पास तो किया जाये लेकिन इसे संवैधानिक ढंग से ही जिस मद में यह स्वीकृत होता है उसी में खर्च करने की अनुमति दी जाय क्योंकि इससे पूर्व के जितने बिन्दु सामने आये हैं तो कहीं यह आकस्मिकता निधि न होकर के कोई और ही निधि न रहे। इसलिये मेरा विनम्र अनुरोध है कि इसके साथ-साथ वैधानिक तरीके से ही खर्च करने के लिये निर्देश आपके माध्यम से जारी हो।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमन्, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने और माननीय जगदम्बिका पाल जी ने और माननीय पोखरियाल जी ने महत्वपूर्ण बात कही है। श्रीमन् यह सही है कि इस निधि से व्यय तब किया जाना चाहिये जब सरकार पर शासन के समक्ष कोई आपदा की स्थिति हो और तीनों माननीय सदस्य यह चाहते भी हैं कि इस प्रकार से कोई खर्च न किया जाय। मैं जानकारी के लिये बता रहा हूं कि वित्तीय वर्ष 94-95 में 1297 करोड़ रुपये इस निधि से निकाले गये। श्रीमन् यह मासिक निकला है। 100 करोड़ रुपये प्रतिमाह। श्रीमन् हमारी सरकार को कार्य करते हुये सिर्फ डेढ़ माह हुये हैं और हमारी सरकार ने इस तरह से काम के लिये केवल 17 करोड़ रुपये ही निकाले हैं। तो हमने निकाला है 17 करोड़ और तत्कालीन सरकार ने प्रतिमाह निकाला है 100 करोड़ तो श्रीमन्, इससे हमारी सरकार की कार्यशैली और नीति स्पष्ट होती है कि हम वित्तीय अनुशासन और नियमावली का कितना सम्मान करते हैं। माननीय गुप्ता जी और पाल साहब भी जानते हैं कि यह हमारी मजबूरी है कि इस निधि की धनराशि को बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये से 1000 करोड़ रुपया करूं, यह हमारी मजबूरी है क्योंकि आज इस निधि में केवल 186.40 करोड़ रुपया ही शेष है और ऐसी स्थिति में कोई परिस्थिति आती है कि सरकार के पास उस बजट का कोई धन उपलब्ध नहीं है तो दिक्कत होगी।

(व्यवधान)

श्रीमन्, यह विधेयक, एक अस्थाई व्यवस्था है। मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों से और इस सदन से अनुरोध करूंगा कि जिस रूप में यह प्रस्तुत किया गया है उसी रूप में पारित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, खण्ड 3, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1995

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिये विधेयक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ, अवधि और अपवाद

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1995 कहा जायगा ।

(2) यह 31 मार्च, 1995 को प्रारम्भ हुआ समझा जायेगा ।

(3) यह अपने प्रारम्भ से सात माह की अवधि पर्यन्त प्रवृत्त रहेगा किन्तु इस उपधारा की क्रिया के अधीन इसके अवसान के कारण निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं पड़ेगा :-

(क) इस अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन पर या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई किसी बात पर, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन अर्जित प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार बाध्यता या दायित्व पर ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-19 सन् 1950 की धारा 4 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश आकस्मिकता अधिनियम, 1950 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है धारा-4 में उपधारा (12) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्

"(13) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1995 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार की संचित निधि में चार सौ करोड़ रुपये की और धनराशि निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी ।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-18 सन् 1995

3-(1) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के प्राविधान सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 3, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 19-7-1995 को नियम 51 के अन्तर्गत 24 सूचनायें प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से एक सूचना को नियम 56 की सूचना के साथ सम्मिलित कर दिया गया है । अतः नियम 51 में कुल 23 सूचनायें शेष रही ।

पहली सूचना श्री वनवारी लाल दोहरे की जनपद फर्रुखाबाद के कन्नौज नगर में समुचित विद्युत आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के संम्बन्ध में है, इसे वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । दूसरी सूचना श्री रमेश कान्त लवानिया की जनपद एटा में बदमाशों द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 1995 को सहकारी बैंक के तीन लाख रुपये लूटने के सम्बन्ध में है, इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । तीसरी सूचना श्री बालेश्वर त्यागी की गाजियाबाद में समुचित विद्युत आपूर्ति हेतु पावर हाउस की क्षमता बढ़ाने तथा पुरानी लाइन को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में है, इसको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत किया गया है, चौथी सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की वाराणसी जनपद के सेवापुरी ब्लाक के ग्रामों को प्रशासनिक एवं न्यायकि दृष्टि से जनपद भदोही में सम्मिलित किये जाने के संबंध में है, इसको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है । पांचवीं सूचना श्री सुन्दर लाल दीक्षित की जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र के नाइजों नहरों में पानी न आने से किसानों को हो रही असुविधाओं के सम्बन्ध में है, इतः इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है, 6 ठीं सूचना श्री मातवर सिंह कण्डारी की उत्तरांचल के अनेकों राजकीय एलापाथक अस्पतालों में

डाक्टरों के पद रिक्त होने पर फार्मासिस्टों एवं वार्ड ब्वाय द्वारा दवायें वितरित किये जाने के संबंध में है, अतः इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

शेष सूचनायें अस्वीकृत की जाती हैं।

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 47 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

लखनऊ :
19 जुलाई, 1995

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये अता0प्र0सं0 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 34 पर)

जनपद चोड़ी के डी0पी0ए0पी0 के कार्यों का वर्ष 89-90 से 93-94 तक के विगत पांच वर्षों का विवरण

क्र0सं0	सेक्टर	वर्ष 89-90 से 93-94 तक निर्मित योजनाओं की संख्या	व्यय की गई धनराशि (लाख रु0)	भौतिक उपलब्धि (हे0)
1	2	3	4	5
1	भूमि संरक्षण	433	258.61	4920
2	सामाजिक वानिकी	351	232.13	3444
3	लघु सिंचाई	487	189.80	1227
4	उद्यानीकरण	375	59.91	716
		1,646	740.45	10,307

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद चमोली का डी० पी० ए० पी० के कार्यों का वर्ष 89-90 से 93-94 तक के विगत 5 वर्षों का विवरण

क्र० सं०	विभाग का नाम/कार्य	वर्ष 89-90		90-91		91-92		92-93		93-94	
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1	भूमि संरक्षण/भूमि संरक्षण कार्य	37.635	19.30	32.14	30.48	21.93	16.61	27.065	21.30	47.47	27.561
2	वन विभाग/वनीकरण कार्य	23.35	20.59	15.913	15.913	17.42	15.02	22.263	16.30	25.19	19.64
3	लघु सिंचाई/हौज गूल	22.24	19.12	17.43	17.43	13.29	7.97	20.319	13.40	29.718	17.558
4	उद्यान विभाग/उद्यानीकरण	4.39	2.95	2.49	1.98	4.10	3.48	4.70	4.44	6.26	5.01
5	रेशम विभाग/रेशम पालन	–	–	–	–	–	–	–	–	1.75	1.07
6	पशुपालन विभाग/चरागाह	8.96	6.05	6.085	6.05	5.585	4.20	5.335	2.96	8.379	4.744
7	परियोजना प्रशासन	2.66	3.327	3.00	3.22	3.30	2.83	4.37	3.255	6.76	5.01
	योग	99.235	71.337	77.058	75.073	65.705	50.16	84.052	61.655	125.535	80.593
	भौतिक विवरण (हेक्टे०)										
1	भूमि संरक्षण/भूमि संरक्षण कार्य	484.00	284.00	682.00	544.85	464.00	436.00	461.10	370.25	528.85	375.22
2	वन विभाग/वनीकरण कार्य	349.00	546.00	382.00	427.39	304.35	164.00	400.00	400.00	418.13	309.00
3	लघु सिंचाई/हौज गूल	79.24	81.40	85.00	109.90	92.00	4.80	74.00	35.10	122.68	54.13
4	उद्यान विभाग/उद्यानीकरण	30.46	30.46	15.20	—	37.00	37.00	44.80	44.40	46.80	37.40
5	पशुपालन/चरागाह विकास	175.00	123.00	197.00	99.00	120.00	65.00	135.00	90.00	165.00	140.00
6	रेशम/रेशम पालन	—	—	—	—	—	—	—	—	7.00	4.00
7	परियोजना प्रशासन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग	1117.70	1064.86	1361.20	1181.14	1017.35	706.80	1149.90	939.75	12.88.46	919.75

नत्थी "ख"

(देखिये अता0 प्र0 सं0 ।। का पीछे पृष्ठ 35 पर)

संलग्नक

गढ़वाल मण्डल की ग्रामीण पेयजल योजनाओं के परिव्यय का विवरण

वर्ष	जिला	परिव्यय (हजार रुपये में)
1992-93	देहरादून	1,97,03
	पौड़ी	8,11,84
	टिहरी	4,53,57
	चमोली	75,88
	उत्तरकाशी	75,68
	योग- -	16,14,00
1993-94	देहरादून	2,13,60
	पौड़ी	9,05,00
	टिहरी	4,65,46
	चमोली	1,49,50
	उत्तरकाशी	1,06,00
	योग- -	18,39,56

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुबन्ध "ब"

(देखिये अता0प्र0सं0 21 का पीछे पृष्ठ 41 पर)

ग्रामसभा ग्योंड़ी में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत प्रदत्त धनराशि एवं उससे संबंधित उपभोग की गई धनराशि का विवरण--

प्राप्त धनराशि-वर्ष	1989-90 में	4,10,336.00
	90-91 में	3,16,506.00
	91-92 में	2,63,929.00
	92-93 में	1,86,144.00
	93-94 में	1,96,767.00
	94-95 में	3,07,750.00
	योग--	16,81,432.00

व्यय धनराशि (वर्षवार एवं प्रोजेक्ट वार:-

(वर्ष 89-90)

क्र0सं0	कार्य का नाम, जो सम्पादित हुआ	कार्य की कुल लागत
1	सम्पर्क मार्ग रोड से मूलचन्द्र विश्वकर्मा के दरवाजे तक	84,870.00
2	तालाब खुदाई नया तीन एकड़	42,840.00
3.	वनीकरण 6 (छः) एकड़	20,051.50
4	पुलिया निर्माण नाला पर	31,379.50
5	रास्ता मरम्मत (बुद्धू के दरवाजे से मनोहर सिंह के दरवाजे तक)	5,850.00
6	रपटा निर्माण नये तालाब पर	18,280.00
7	कूप मरम्मत (मूल्लू के दरवाजे पर)	3,970.00
8	ईंटा खण्डन्जा निर्माण (बाबा मनोहर दास के दरवाजे तक)	26,200.00
9	निर्बल वर्ग आवास पर व्यय	27,000.00
	योग:--	2,60,441.00

वर्ष 90-91

1	सम्पर्क मार्ग वर्ष 89-90 का अपूर्ण	43,416.00
2	रपटा निर्माण वर्ष 89-90 का अपूर्ण	13,000.00
3	कूप मरम्मत अपूर्ण (मुल्लू के दरवाजे पर)	3,078.00

4	ईंटा खडन्जा वर्ष 89-90 का शेष	4,120.00
5	हरिजन कूप निर्माण कोहारी मार्ग	55,607.00
6	कूप निर्माण हरिजन बस्ती मनेशा के दरवाजे पर	34,687.00
7	दाता कूप निर्माण	25,005.00
8	कूप मरम्मत	23,920.00
9	कूप मरम्मत (रंजीत गौतम के दरवाजे पर)	11,240.00
10	निर्बल वर्ग आवास पर व्यय	28,000.00
		योग-2,42,073.00

वर्ष 91-92

1	रपटा निर्माण वर्ष 90-91 का अपूर्ण	1,27,406.00
2	हरिजन कूप निर्माण (कोहारी मार्ग 90-91 का अपूर्ण)	7,096.00
3	कूप निर्माण हरिजन बस्ती 90-91 का अपूर्ण	20,920.00
4	दाताकूप निर्माण 90-91 का अपूर्ण	2,524.00
5	कूप मरम्मत जगन्नाथ धोबी के पास	14,548.00
6	कम्हारन कूप मरम्मत	9,037.00
7	पैराघाट सड़क निर्माण	71,938.00
8	कूप मरम्मत मनोहर दास	11,760.00
9	कूप मरम्मत फक्कड़ तिवारी वाला	3,673.00
10	ईंटा खडन्जा निर्माण रमा शंकर गुप्ता के द्वारे से पहलवान सिंह के दरवाजे तक.	68,080.00
11	कूप मरम्मत सुखण्डी के दरवाजे पर	8,359.00
12	कूप मरम्मत नन्हे महराज के दरवाजे पर	7,368.00
13	कूप मरम्मत हल्के भवानी के पास	7,334.00
14	कूप मरम्मत मुन्नी लाल के दरवाजे	9,314.00
15	पिचिंग निर्माण नदी के किनारे कटाव पर बलबीर सिंह गौतम के द्वारे	9,300.00
16	निर्बल वर्ग आवास पर व्यय	51,43...00
		योग-4,30,092.00

वर्ष 92-93

1	पिचिंग निर्माण 91-92 का शेष	7,280.00
2	पटिया खड़ंजा निर्माण (मनोहर दास के दरवाजे से राजा भैया सिंह के दरवाजे तक)	1,03,625.00
3	कूप निर्माण फुटी भवानी पर	18,368.00
4	कूप मरम्मत केदार के दरवाजे पर	11,268.00
5	तालाब खुदाई	22,680.00
6	पुलिया निर्माण	16,122.00
7	पटिया खड़न्जा निर्माण	37,400.00
8	वनीकरण	12,594.00
9	दो कूप निर्माण नये (एक बुल्ली कुम्हारी के दरवाजे दूसरा राम कृपाल के पास)	49,750.00
10	ईंटा खड़न्जा निर्माण (गनेशा के दरवाजे से हेतराम के दरवाजे तक)	32,600.00
11	गूल निर्माण	4,830.00
		योग-3,16,517.00

वर्ष 93-94

1	वर्ष 92-93 के अपूर्ण दोनों कुओं का निर्माण	9,240.00
2	खड़न्जा ईंटा अपूर्ण निर्माण	11,200.00
3	कुआं मरम्मत (उप प्रधान द्वारा हर प्रसाद वाला कूप बद्री सिंह व बैजनाथ की कुईंया)	11,492.00
4	कच्ची नाली निर्माण (पैराघाट सड़क से)	1,426.00
5	पैराघाट कच्ची सड़क का निर्माण	3,680.00
6	कोहारी सम्पर्क मार्ग 1 कि0मी0	37,294.00
7	पक्की नाली निर्माण बाजार में लम्बाई 265 मीटर	35,540.00
8	पुलिया निर्माण चौकी के पास	28,020.00
9	कूप मरम्मत राम गोपाल के दरवाजे	10,980.00
10	खड़न्जा निर्माण ईंटा	12,590.00
11	नाली निर्माण कुआं के पास 185 मीटर	19,350.00
12	निचले वर्ग आवास के खाते में जमा	35,000.00
		योग-2,15,812.00

वर्ष 94-95

कूप निर्माण दो कूप निर्माणाधीन	66,000.00
हैण्ड पम्प मरम्मत दस	5,000.00
निर्बल वर्ग आवास खाते में जमा	27,382.00
	योग-98,382.00

महायोग :- 15,63,317.00

शेष धनराशि रु0 1,18,115.00 गांव सभा के बैंक खाते में जमा है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुबन्ध "ब"

(देखिये अता0प्र0सं0 46 का उत्तर पीछे पृष्ठ 56 पर)

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, उ0प्र0

बी-61, निरालानगर, लखनऊ

निर्माण खण्ड-प्रथम, लखनऊ ।

वर्कचार्ज कर्मचारियों की सूची

क्र0सं0	वर्कचार्ज कर्मचारियों के नाम
1	2
1	सर्वश्री श्री राम शरण मिश्र
2	लालजी प्रसाद
3	उमेश चन्द्र शर्मा
4	राजेश कुमार मिश्र
5	रमेश
6	बिकाऊ प्रसाद
7	श्रीमती हेमलता
8	जगन्नाथ
9	राम लाल
10	विरेन्द्र प्रताप सिंह
11	जंगी लाल
12	राम कुंवर
13	चन्द्रिका प्रसाद
14	सोमेश प्रताप सिंह
15	राम नरेश
16	बिसर्जन राम
17	राजमणि सिंह
18	रजरेश कुमार मिश्रा
19	श्रीकान्त द्विवेदी
20	अयोध्या सिंह
21	राजेन्द्र कुमार सिंह
22	अनरुद्ध बहादुर सिंह
23	रामनाथ
24	लालता प्रसाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2
25	श्रीमती मिथिलेश कुमार रस्तोगी
26	अच्छे लाल
27	भीम शंकर शुक्ला
28	नरेश कुमार यादव
29	चेतराम
30	बाबूराम
31	सर्वेश कुमार मिश्र
32	सुन्दर
33	सत्येन्द्र सिंह
34	रामायण
35	प्रमोद सिंह
36	विजेन्द्र कुमार
37	सैयद मुजाहिर हुसैन जैनुल आबदीन जैदी
38	राम सजीवन
39	प्रमोद कुमार
40	सब्बदर अब्बास
41	संजय कुमार श्रीवास्तव
42	कुन्ज बिहारी लाल यादव
43	राम लखन सिंह
44	भगवान दास
45	कमलेश बाबू गुप्ता
46	शिव कुमार
47	सूर्यभान यादव
48	पूर्णमासी
49	अशोक कुमार यादव
50	बीरेन्द्र कुमार वर्मा
51	मो0 शफी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, उ0प्र0
बी-61, निरालानगर, लखनऊ

निर्माण खण्ड-प्रथम, लखनऊ ।

मस्टररोल कर्मचारियों की सूची

क्र0सं0	मस्टररोल कर्मचारियों के नाम
1	2
1	सर्वश्री श्री दुर्गा प्रसाद
2	बृजेश कुमार
3	राधे लाल
4	राम लखन पटेल
5	हरी राम यादव
6	अनूप सिंह सचान
7	फूल सिंह
8	राम नरेश
9	राम प्यारे
10	विजय कुमार
11	अशोक कुमार
12	विनोद कुमार
13	श्रीकान्त यादव
14	राम सिंह
15	सखाराम
16	राज कुमार
17	शारदा प्रसाद
18	हरिश चन्द्र पाल
19	संजय
20	उमेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ड

(देखिये अता0 प्र0 सं0 77 का पीछे पृष्ठ 70 पर)

किट में दी गई सामग्री की सूची

1	बी0पी0 आपरेट्स कम्प्लीट	1
2	बेबी बैलेन्स	1
3	कैथेटर ट्रे बिद लिड (222×82×41)एम0एम0	1
4	टिसू फोरशिप	1
5	किडनी ट्रे (250×150×40)एम0एम0	1
6	ब्राउल्स स्माल-125×57 एम0एम0	1
	लार्ज-160×75 एम0एम0	1
7	कैथेटर	1
8	शीटींग 90×180 सी0 एम0	2
9	इरीगेटर सेट	1
	इरीगेटर जार	1
	डच टयूविंग	1
	डच सेट	1
	पी0वी0सी0 वासर	2
10	थर्मामीटर क्लीनिकल	1
11	थर्मामीटर रेक्टल	1
12	नेल ब्रश	1
13	मसकस साकर	1
14	आद्रे पोरसेप	2
15	कार्ड कटिंग सीजर	1
16	थ्रेडआनरिल 25 एम0एम0	1
17	नेल क्लीपर	1
18	फोटो स्कोप	1
19	किट बैग	1

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "च"

(देखिये अता0प्र0सं0 139 का पीछे पृष्ठ 96 पर)

जिला पूर्ति कार्यालय, फैजाबाद में कार्यरत लिपिकों/आशुलिपिकों/पूर्ति निरीक्षकों के मूल निवास की सूचना

क्र0सं0	नाम	पद	मूल निवास स्थान (पूर्ण विवरण सहित)
1	2	3	4
1	श्री सूर्यपाल सिंह	पूर्ति निरीक्षक	ग्रा0/पो0-मडना, (35 कि0मी0 से भीतर), जनपद फैजाबाद ।
2	श्री राम सरन लाल श्रीवास्तव	,,	2/1/5 अडगडा, सिविल लाईन, फैजाबाद ।
3	श्री शत्रुघ्न शुक्ल	,,	ग्राम पूरे भगवान दीन, पो0 पातूपुर, फैजाबाद ।
4	श्री राम अभिलाष यादव	लिपिक	ग्रा0 छोटकी, भदौली, पो0 गोहनिया, फैजाबाद ।
5	श्री श्रीराम	,,	खोजनपुर, पो0 रिकाबगंज, फैजाबाद
6	श्री हकीजुल्ला खां	,,	1050 मो0 अमानीगंज, फैजाबाद
7	श्री सन्तोष कुमार दुबे	,,	ग्राम ऐभी आलापुर पोस्ट रसूलाबाद, फैजाबाद ।
8	श्री सन्तोष कुमार श्रीवास्तव	,,	418 शोलापुरी, फैजाबाद
9	श्री केशव राम	,,	ग्रा0पो0 गद्दोपुर, फैजाबाद
10	श्री महेश्वर दत्त मिश्र	आशुलिपिक	ग्रा0पो0 सिडकिर [illegible] वारन, फैजाबाद ।
11	श्री राम उजागिर तिवारी	पूर्ति निरीक्षक	ग्रा0 पूरे खासा तिवारी (बलारमऊ), पो0 पिठला, फैजाबाद ।
12	श्री मोहम्मद सलीम	लिपिक	ग्रा0पो0 हरीपुर, जलालाबाद, फैजाबाद, (80 के0मी0 से ऊपर) ।
13	श्री मोहम्मद अब्बास	उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक	14/199 मो0 अब्दुल्लापुर पो0 अकबरपुर, 54 कि0मी0 से अधिक
14	सी0पी0यादव	वरिष्ठ निरीक्षक	ग्रा0वर्डपुर नं0 13 टोला [illegible]वल, पो0 तितरी बाजार, सिद्धार्थनगर

1	2	3	4
15	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा	पूर्ति निरीक्षक	बी-6 आदर्शनगर, मेरठ
16	श्री ओंकार नाथ श्रीवास्तव	,,	ग्रा0 भीठेपार, पो0 हजौली, जौनपुर
17	श्री नाथूराम गुप्ता	,,	ग्रा0पो0-नगवा, जनपद बलिया
18	श्री ए0के0 सिन्हा	पूर्ति निरीक्षक	मालवीय नगर, चौक, गोण्डा
19	श्री डी0के0 चार्ल्स	,,	पूरे नरसिंह भान, पो0 सदर, प्रतापगढ़ ।
20	श्री निजामुल्ला खा	,,	मो0 खालेपुरा, पो0 हमीरपुर, हमीरपुर ।
21	श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव	,,	ग्रा0पो0 पाण्डेयपुर, उन्नाव
22	श्री असहद मावूद हुसैन	,,	कस्बा सुवेहा, पो0 सुवेहा, बाराबंकी
23	श्री आर0एन0तिवारी	,,	78 खुरसेद बाग, लखनऊ
24	श्री जय शंकर प्रसाद श्रीवास्तव	,,	एस0-17/एस 99 मो0 नदेश्वर, वाराणसी ।
25	श्री जयराम सरोज	,,	ग्रा0 वधौरा पो0 भोजमऊ, प्रतापगढ़
26	श्री विनई राम	,,	ग्रा0 ईश्वर पार, पो0 सोठरी, आजमगढ़ ।
27	श्री भगवती प्रसाद	,,	ग्रा0 मोहकमपुर, पो0 मिश्रितपुर, सीतापुर ।
28	श्री मोहम्मद यासीन शास्त्री	,,	एस-2/57, कैण्ट, वाराणसी
29	श्री एस0 के0 सिंह	,,	ग्रा0 अहमामऊ, पो0 अर्जनपुर, लखनऊ ।
30	श्री ए0के0 दीक्षित	,,	सी-48, पेपर मिल्स कालोनी, लखनऊ ।
31	श्री गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव	,,	ग्रा0 महिभान पाल, पो0 खजुरी, आजमगढ़ ।
32	श्री गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव	लिपिक	810 खैराबाद, सुल्तानपुर
33	श्री आर0 डी0 द्विवेदी	पूर्ति निरीक्षक	ग्रा0 नीवी, पो0 पिपरी, इलाहाबाद
34	श्री सोमनाथ	लिपिक	ग्रा0पो0 दरियाबाद, बाराबंकी
35	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	,,	ग्रा0 रतापुर, पो0 जगदीशपुर, सुल्तानपुर ।

नत्थी "छ"

(देखिये अता0प्र0सं0 146 का पीछे पृष्ठ 99 पर)

परिशिष्ठ (क)

वर्ष 1991-92 से वर्ष 1993-94 तक भदोही एवं वाराणसी जनपद में भूमि संरक्षण कार्यों के लिये प्राप्त धनराशि एवं उसके समक्ष व्यय की स्थिति का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	वर्ष	जनपद मद/योजना	प्राप्त धनराशि लाख रुपये में	व्यय धनराशि लाख रुपये में	विकास खण्ड का नाम जहां कार्य कराया गया	कार्य मद जिस पर धन व्यय किया गया
1	91-92	दस लाख वाराणसी डी0आर0डी0ए0 कूप	123.35	81.288	सेवापुरी हरहुआ, पिण्डा बड़ागांव अराजीलाइन चोलापुर, नौगढ़, चकिय, शहाबगंज	गलीप्लग सदन-रजेन्सवाइ समतलीकरण अवरोधक बांध
2	92-93	तदैव	तदैव	76.298	72.392 तदैव	समतलीकरण गलीप्लग
3	92-93	मुख्यालय लखनऊ	स्पेशल कम्पो0	0.30	0.299 बड़ागांव	सदमरजेंस बाड अवरोधक बांध
4	93-94	वाराणसी डी0आर0डी0ए0	दस लाख कूप	82.872	77.671 सेवापुरी हरहुआ पिण्डा, बड़ागांव आराजीलाइन चोलापुर नौगढ़ चकिया, काशी विद्यापीठ	गलीप्लग सदम-रजेन्स वाड अवरोधक बांध
5	93-94	तदैव	सूखा राहत	8.00	7.999 नौगढ़ ।	

पी0 एस0 यू0 पी0 एल0 197 विधान सभा (474) 1995-572 प्रतियां (ई0टी0) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा